राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक-2 अष्टम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का चौबीसवां दिवस [संख्या-18

बृहस्पतिवार,

दिनांक 25 जुलाई, 1985

विधान सभा की बैठक म. पू.

11,00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

अकाली दल एवं प्रधान मंत्री के मध्य हुए पंजाब समझौते से उत्पन्न स्थिति

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब के अकाली दल से जो समझौता हुआ है उस से राजस्थान के हितों की बलि चढ़ाई गई है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य,। ऑर्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल स्थगित किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

प्रश्न काल स्थगित किया जाय और सदन के अन्दर....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राजस्थान के हितों पर जो चोट हुई है उस पर विचार किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल स्थगित किया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर माननीय सदस्य अभी मैंने पुकारा नहीं........

ऑर्डर ऑर्डर, माननीय सदस्य, अभी मैंने पुकारा ही नहीं है, आप आवाज कर रहे हैं।.

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल समाप्त किया जाय।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : राजस्थान का जो नुकसान किया है, राजस्थान के हितों को....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे इसमें कतई कोई आपत्ति नहीं होगी। माननीय सदस्य, ऑर्डर।

(व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंजमण्डी) : अध्यक्ष महोदय, इसमें सारे हाउस की जनता की भावना है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के हितों पर कुठाराघात हुआ है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के हितों पर कुठार-घात हुआ है। यह समझौता जो हुआ है, सारे प्रदेश को उसमें रिप्रजेंण्टेशन नहीं दिया गया है....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के हितों का सवाल है

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। आपकी भावनाओं की बात ही कह रहा हूं, उसको सुनें तो सही। आपकी भावनाओं को ही नहीं सुनना चाहते। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री हरिश शर्मा (खानपुर) : राजस्थान को नीलाम कर दिया गया है उसमें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आप आसन से कोई व्यवस्था चाहते नहीं और इसी तरह चलाना चाहते हैं तो चलाइये फिर। आसन की व्यवस्था भी नहीं सुनना चाहते।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : इस बजट का क्या लाभ है ? सारी योजनायें ही समाप्त हो गयी।

श्री हरीश शर्मा : राजस्थान के हितों को छोड़कर केवल कुर्सी के पीछे राजस्थान को बेच दिया।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : पूर्व मुख्य मन्त्री ने राजस्थान के हितों पर कुठाराघात किया था उसको तो भोग रहे हैं। पुराने मुख्य मन्त्री दिल्ली में जाकर कर आये थे उसकी तो राजस्थान विधान सभा में तीव्र भर्त्सना हुई थी....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप आसन को भी नहीं सुनना चाहते हैं। नहीं सुनना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है और समझौता किया गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्या। कृपया बैठें। आप व्यवस्था भी

(श्री अध्यक्ष)

नहीं सुनना चाहते हैं। मैंने कुछ पुकारा नहीं उसके पहले ही अपनी रंवाद शुरू कर दी। गम्भीर मसला है।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर। माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सरकार को तो चैन पड़ रहा है पर हमको तो चैन नहीं पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष : बैठें, कृपया। ऑर्डर, माननीय सदस्य। मैं आप से कह रहा हूं।

(व्यवधान)

प्रश्न काल हो न हो, इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह रहा था मैं तो यह कह रहा हूं कि प्रश्न काल माननीय सदस्यों के कई महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उसी पर है। माननीय सदस्य, अगर नहीं चाहते, नहीं चाहते तो मुझे....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य नहीं चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप बैठें।

(व्यवधान)

आप बैठें तो सही। जो मैं कह रहा हूं उसको सुनें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इस से ज्यादा कोई महत्व का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : प्रश्नों से ज्यादा पानी का महत्वहै....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, मैं आपसे कह रहा हूं....

(व्यवधान)

माननीय सदस्या, आप चाहती क्या हैं आप यह चाहती हैं कि आगे कार्यवाही करें तो बैठें फिर। बैठें फिर आप बैठें।

नाथूसिंह जी, सुनने की कोशिश करें। नाथूसिंह जी, आप दूसरों को तो सुनने की कोशिश करें। कृपया बैठें।

(व्यवधान)

मैंने आप से कहा, मुझे प्रश्न काल नहीं करने में आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

आप बैठें, उस सम्बन्ध में मुझे कुछ कहने तो दीजिए। आप तो अपनी अपनी बात कहे चले जा रहे हैं।

(व्यवधान)

जिस गम्भीर मसले के ऊपर आप चर्चा करना चाहते हैं उसको उसी गम्भीरता से लें तो ज्यादा अच्छा होगा बनिस्पत इसके कि उसको हम गम्भीरता से न लेकर दूसरी तरह से लें। प्रश्न काल आप नहीं चाहते हैं आपके प्रश्न हैं मुझे कोई आपत्ति उसमें नहीं हो सकती। आप प्रश्न काल न चाहें न चाहें और जो इम्पार्टेण्ट इश्यु है उसको लेना चाहें, मैं भी चाहूंगा, उस इश्यु पर डिसकसन हो। इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूं लेकिन आप सुनने की कोशिश नहीं करते। मैं यह कहना चाहता हूं कि

(श्री अध्यक्ष)

इस सम्बन्ध में मेरे पास कुछ माननीय सदस्यों का 127 के अन्दर इस प्रश्न को उठाने के लिए निवेदन आया है। कुछ माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव व इस पर आये हैं। मैं स्वयं भी इस पर व्यवस्था देने वाला था। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य प्रश्न काल नहीं चाहते हैं, इस विषय को लेने के लिए, 127 में मेरे पास जो माननीय सदस्यों के प्रार्थना पत्र आये हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि 127 में हम इस इश्यु को उठाना चाहते हैं, मैं उनको 127 में हम इस इश्यु को उठाना चाहते हैं, मैं उनको 127 के अन्दर इजाजत देता हूं और इस चर्चा को प्रारम्भ करता हूं। समय का ध्यान आप लोगों को रखना हैं। जो सदन की कार्यवाही है, महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए मैंने इसका प्रारम्भ किया। समय को ध्यान में रखते हुए इस पर आप चर्चा प्रारम्भ करेंगे। 127 का मेरे पास जो नोटिस आया है वह माननीय श्री यदुनाथसिंह जी का है। वे इस चर्चा का प्रारम्भ कर दें। इसके बाद मैं माननीय सदस्यों का नाम पुकारता हूं।

एक माननीय सदस्य : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। गम्भीरता से लें, मसला अगर आप गम्भीर मानते हैं तो उसको गम्भीरता से ही लें।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, आज यह सदन ही नहीं पूरा राजस्थान चिन्तित है कि राजस्थान के हितों के साथ जिस प्रकार से लगातार कुठाराघात किया जाता रहा है और जो समझौता प्रधान मन्त्री जी और अकाली दल के अध्यक्ष लोंगेवाला जी के बीच हुआ, उसके जो कुछ क्लॉजजे आये हैं, जो समझौता हुआ है उस से स्पष्ट हो गया कि राजस्थान की सरकार, राजस्थान का नेतृत्व इतना कमजोर है कि उसका केन्द्र सरकार कोई महत्व नहीं समझती है। एक तरफ तो हरियाणा के मुख्य मन्त्री को प्रधान मन्त्री लगातार × × × समझौते के दौरान लेते-फिरते रहे, उन से समझौता करने के पहले बन्द कमरे में चर्चा भी उन्होंने की लेकिन राजस्थान के मुख्य मन्त्री, राजस्थान की सरकार से, राजस्थान की जनता को कान्फिडेंन्स में लिए बिना, चर्चा तक करना उन्होंने उचित नहीं समझा। मुझे आश्चर्य हुआ, अध्यक्ष महोदय, कल जब जैसे ही यह सवाल आया, जैसे ही यह खबर आयी कि समझौता हो गया है तो हमें चिन्ता हुई कि हमारे पानी के बंटवारे के बारे में क्या समझौता हुआ होगा। हम जगह जगह न्यूज ढूंढते रहे। आखिर में जाकर रात को 12 बजे तक यू. एन. आई. के आफिस में बैठा रहा, वहां पर टेलीप्रिन्टर पर न्यूज देखता रहा। जो समझौते के क्लाज 9.1 और 9.2 आये हैं वह हमारे लिए विशेष चिन्ता के विषय हैं। क्लाज 1 में स्पष्ट कहा गया है अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ कर सुनाना चाहूंगा—

9 (I) "The farmers of punjab, Haryana and Rajasthan will continue to get water not less then what they are using from the Ravi-Beas System, as on 1.7. 1985. wat-

---

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री यदुनाथ सिंह)

ers used for consumptive purposes will also remain un-affected. Quantum of usage claimed shall be verified by the Tribunal referred to in para 9.2 below :—"

9·2 क्या कहता है। यानि एक जुलाई को जितना पानी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा उपयोग में ला रहे थे उतना पानी उपयोग में लाते रहेंगे लेकिन हरियाणा और पंजाब के लिए आगे व्यवस्था की गयी है, राजस्थान के लिए उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। क्लाज 9·2 में कहा गया है—

"The claims of Punjab and Haryana regarding the share in the remaining waters will be referred for adjudication to a tribunal to be presided over by a Supreme Court Judge. The decision of this Tribunal will be rendered within six months and would be binding on both parties."

तो, अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है कि जहां तक सवाल है। जुलाई को उन्होंने मान लिया कि 1 जुलाई को जितना पानी मिल रहा है उतना ही राजस्थान को मिलेगा। और आगे अतिरिक्त पानी के लिए जो झगड़ा होगा, जो भी कोई डिस्प्युट होगा उस डिस्प्युट में हरियाणा और पंजाब को शामिल किया, राजस्थान को पूछने तक की जरूरत नहीं की गयी। आज, अध्यक्ष महोदय, पिछले लम्बे समय से हम देखते आ रहे हैं, पांच साल से हम देखते आ रहे हैं और जो कुछ पिछली जानकारी मिली है हमें, उसमें हम देख रहें हैं, राजस्थान की लगातार अवहेलना की जा रही है। पिछली बार माननीय मुख्य मन्त्री शिवचरणजी राजस्थान के हितों को गिरवी रखकर आये-समझौता करके कि फालतू पानी को जब तक राजस्थान अपना पूरा सिस्टम नहीं बना लेता है उपयोग का, तब तक के लिए पंजाब को पूरी छूट दे दी, पंजाब उस पानी का उपयोग करेगा। अध्यक्ष महोदय, कहने का मतलब यह है कि राजस्थान सरकार, राजस्थान के मुख्य मन्त्री को अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र है, हमें राजस्थान के हितों की चिन्ता है, यानि इनकी कुर्सी किसी प्रकार से बरकरार रहे नैतिकता तो यह कहती थी कि राजस्थान के साथ जिस प्रकार से आपसे बिना पूछे चुपचाप समझौता किया गया है माननीय जोशी जी, राजस्थान की जनता ने आपको विश्वास में लेकर इस कुर्सी पर बैठाया है। नैतिकता का तकाजा तो यह होता कि आप फौरन इस्तीफा देते। आज अखबारों में पढ़ा, आपने कमैण्ट्स करने से भी मना कर दिया। यानि राजस्थान के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार हुआ है, इस तरह से वह हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी और केन्द्रीय सरकार के बीच में चर्चा हुई होगी, क्या चर्चा हुई, क्या परिणाम है, क्या स्पष्टीकरण है, वह अपना स्पष्टीकरण दें तभी इस पर ज्यादा आगे चर्चा चलना सम्भव होगा। मैं इतना ही कहते हुए चाहूंगा कि राजस्थान के हितों पर किसी भी प्रकार से, किसी तरह का कुठाराघात यहां की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जो हालत पंजाब की आपको दिख रही थी यहां पर न हो, यह चेतावनी देना चाहते हैं हम

(श्री यदुनाथसिंह)

माननीय प्रधान मन्त्री को कि राजस्थान की जनता को भी कहीं उसी रास्ते पर चलने को मजबूर मत कीजिए । यहां पर खून बहाकर भी लोग अपने पानी के हिस्से के लिए लड़ाई अन्तिम दम तक लड़ेंगे । यह उनको एक चेतावनी है । इसलिए उनको सलाह है, मशविरा है कि राजस्थान के हितों के बारे में इस सदन में चर्चा हो । मुख्य मन्त्रीजी, आप इस सदन की भावना लेकर जाइये, राजस्थान की भावना लेकर प्रधान मन्त्रीजी से बात करिये और उनसे कड़ाई से कहिये कि हमारे हितों पर कुठाराघात हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे । इस विषय में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है । माननीय मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि उनकी क्या चर्चा हुई । तभी यह चर्चा आगे बढ़ना सम्भव होगा । इतना ही कहते हुए मैं चाहूंगा कि इस पर बहुत गम्भीरता से चर्चा हो, यह बहुत चिन्ता का विषय है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह जी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) । अध्यक्ष महोदय, कल अकाली दल और भारत सरकार के बीच समझौता हुआ है और इस समझौते में राजस्थान को भी एक पार्टी के रूप में मानकर राजस्थान की उपेक्षा की गयी है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले इस समझौते के भाग 9 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । भाग 9 में लिखा है कि—

"The farmers of Punjab, Haryana and Rajasthan will continue to get water not less than what they are using from the Ravi Beas System as on 1.7. 1985."

अध्यक्ष महोदय, इसके पहले, भी समझौता हुआ है । यह समझौता हुआ 1955 में और समझौता हुआ 1981 में दोनों समझौतों को यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़ें तो एक बात स्पष्ट होगी कि इन दोनों समझौतों में फार्मर्स क्या यूज कर रहे हैं इसका उल्लेख नहीं आया बल्कि राजस्थान कितना उपयोग कर रहा है इसका उल्लेख आया है । इसी समझौते में 1981 का आप देख लें, 1981 के समझौते में है—

Until such time as Rajasthan is in a position to utilise its full share...."

यहां भी शब्द "राजस्थान" का प्रयोग किया गया है । 1955 का एग्रीमैण्ट भी आप देख लें । इस एग्रीमैण्ट में भी "राजस्थान" वर्ड यूज किया गया है । 1984 में जो समझौता किया, आनन्दपुर साहिब के सम्बन्ध में, उसमें भी "राजस्थान" नाम का प्रयोग किया गया है । इस समझौते में प्रयोग किया गया है—

"The Farmers of punjab, Haryana and Rajasthan...."

इसका मतलब एक्चुअली कितना पानी फील्ड में जा रहा है, कितने पानी से सिंचाई हो रही है, उस पानी का असेसमैण्ट करने के बाद राजस्थान के बाद

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

राजस्थान के लोगों को, फार्मर्स को यह विश्वास दिलाया गया है कि 1.7.1985 को जितने पानी का खेतों में उपयोग किया जा रहा है उसमें किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होगी। अब खेत में कितना पानी जा रहा है, कितने एरिया की सिंचाई हो रही है, यह मामला भी हमारे हाथ में नहीं है। हम यदि यह प्रश्न करें कि राजस्थान सरकार इस सम्बन्ध में अपने आंकड़े प्रस्तुत करेगी, अपना दावा प्रस्तुत करेगी और उस दावे से ही निर्णय हो जायेगा कि राजस्थान के किसान कितने पानी का उपयोग कर रहे हैं, यह बात नहीं है। यह मामला भी ट्रिब्यूनल में जायेगा जो इसी पैरा में लिखा है—

"The quantum of usage claimed shall be verified by the Tribunal referred to in para 9.2 below."

यह भी राज्य सरकार के हाथ की बात नहीं है। अब प्रश्न यह आता है, हमको बांध दिया कि आप केवल इतने पानी का उपयोग करने के लिए तो अधिकृत हैं। अब यदि आगे का पैरा पढ़ें तो उसमें है—

The claims of Punjab and Haryana regarding the shares in their remaining waters will be referred for adjudication to a tribunal to be presided over by a Supreme Court Judge."

अब, अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि हरियाणा और पंजाब के बीच में, हरियाणा और पंजाब का जितना सरप्लस वाटर है, सरप्लस वाटर मीन्स 1981 के एग्रीमैण्ट के हिसाब से जो उनको पानी मिला है, जितने पानी का उपयोग कर रहे हैं और जो पानी उपयोग में नहीं आ रहा है वह इस ट्रीटी के, इस नैगोशियेशन के हिसाब से सरप्लस वाटर होगा। तो पंजाब और हरियाणा को तो अधिकार दे दिया कि आप अपने सरप्लस वाटर के सम्बन्ध में ट्रिब्यूनल में अपना दावा पेश कर सकते हैं और राजस्थान को यह अधिकार भी नहीं दिया। अब कोई यह समझ सकता है कि राजस्थान को अधिकार नहीं दिया तो राजस्थान के जो 1956 के एग्रीमैण्ट के के हिसाब से अधिकार हैं पानी के यूज करने के और पानी के हिस्से के, वह अनइन्टरप्टेड हैं और उनमें भारत सरकार किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती या भारत सरकार ने किसी प्रकार का समझौता नहीं किया तो क्वश्चन यह खड़ा होता है कि राजस्थान के पानी के सम्बन्ध में यदि भारत सरकार ने कोई भी समझौता नहीं किया तो राजस्थान के पानी का मसला हरियाणा और पंजाब के बीच के विवाद में किस प्रकार से आया। कोई मामला मुझे नहीं दिखता। यह केवल इस लिए आया है कि इस मामले को इतना खुला छोड़ देओ कि ट्रिब्यूनल जो चाहे इसके ऊपर निर्णय ले। ट्रिब्यूनल चाहे तो 1965 के एग्रीमैण्ट को खोलकर उसको भी री-ओपन कर ले, ट्रिब्यूनल चाहे तो 1955 में जो एग्रीमैण्ट हुआ है, 1981 में जो एग्रीमैण्ट हुआ है, 1960 के अन्दर जो इन्टरनेशनल ट्रीटी हुई, बाद में भाखड़ा के सम्बन्ध में जो समझौता हुआ है और उसके

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

बाद में जितने भी समझौते हुए हैं उन सारे समझौतों को री ओपन कर ले।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सन् 1983 के फरवरी में राजस्थान सरकार, भारत सरकार और इन सब के बीच में एक ट्रिपार्टाइट कॉन्फ्रेन्स हुई, उस ट्रिपार्टाइट कॉन्फ्रेन्स के अन्दर राजस्थान के मुख्य मन्त्री और सिचाई मन्त्री थे, हम विरोधी दल के भिन्न-भिन्न दलों के नेता भी उसमें आमंत्रित किये गये थे। हिन्दुस्तान के विरोधी पक्ष के आदमी, विरोधी पक्ष के नेता या विरोधी पक्ष के प्रतिनिधि उस कॉन्फ्रेन्स में इन्वाइट किये गये थे और भारत सरकार की तरफ से भी 5 मन्त्री और अकाली दल के भी प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए। वहां पर यह प्रश्न आकर खड़ा हुआ कि 1955 के एग्रीमैण्ट को नहीं खोला जाय। राजस्थान की ओर से यह इनसिस्टेंन्स था कि अकाली दल से किसी प्रकार का समझौता हो उसमें 1955 के एग्रीमैण्ट को बिन्दू नहीं बनाया जाय। जबकि अकाली दल का यह कहना था कि 1955 का एग्रीमैण्ट यदि री-ओपन नहीं किया गया तो रावी-ब्यास नदियों के पानी में समझौते का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता, किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। उस ट्रिपार्टाइट कॉन्फ्रेन्स में यह भी क्वश्चन आया कि 1981 का एग्रीमैण्ट है, इस एग्रीमैण्ट के बारे में राजस्थान की सरकार क्या कहती है। मुझे इस बात की खुशी है कि एग्रीमैंट किया था शिवचरणजी माथुर ने, एग्रीमैण्ट किया था उस समय सिंचाई मन्त्री जी परसरामजी मदेरणा ने लेकिन उस टेबल के ऊपर आग्यूमैण्टस चले और मैंने अपनी तरफ से दावा प्रस्तुत किया, यदि भारत सरकार और पंजाब और अकाली दल इसी बात से प्रसन्न होते हों तो 1981 के एग्रीमैण्ट को स्क्रैप कर दिया जाय, यह एग्रीमैण्ट राजस्थान के हित में नहीं है और न राजस्थान के हित में किया गया है। उस समय सिक्ख, अकालियों की यह दलील थी कि जब तक 1955 का एग्रीमैण्ट नहीं खुलेगा तब तक 1955 के एग्रीमैण्ट को री-ओपन करके पूरे पानी के बंटवारे के सम्बन्ध में विचार नहीं किया जायेगा। उस समय तक किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता। इस सदन को जानकारी होगी कि उस ट्रिपार्टाइट कॉन्फ्रेन्स में जब हमने इनसिस्ट किया, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि उस समय जितने भी विपक्ष के नेता उस ट्रिपार्टाइट कॉन्फ्रेन्स में शामिल हुए थे उन सब ने हमारा समर्थन किया कि 1955 का एग्रीमैण्ट री-ओपन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके ऊपर बातचीत टूट जाय तो भारत सरकार को झुकने की आवश्यकता नहीं है। हमारे इस इनसिस्टेंन्स के कारण 1955 का एग्रीमैण्ट री-ओपन करने के लिए भारत सरकार तैयार नहीं हुई। बातचीत टूट गयी और टूटने का परिणाम जो निकला वह हम सबने देखा। अब इस समझौते में जो यह वर्डस यूज किये गये हैं, 1955 के एग्रीमैंण्ट का तो कोई उल्लेख नहीं किया, उल्लेख केवल यह किया कि 1 जुलाई, 1985 का राजस्थान के किसान जितने पानी का उपयोग करते रहे हैं वह पानी का उपयोग करने के लिए तो अधिकृत हैं बाकी के लिए

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

एग्रीमैण्ट मौन है। आगे लिख दिया कि पंजाब और हरियाणा यह अपने सरप्लस वाटर के सम्बन्ध में दावे प्रस्तुत करेंगे। इसका अर्थ यह है कि इन बिटविन लाइन्स यदि इसको आप पढ़ने की कोशिश करें तो स्पष्ट है कि ट्रिब्यूनल इस बात के लिए इन्डिपेण्डेण्ट है, ट्रिब्यूनल चाहे तो 1955 के एग्रीमैन्ट को री-ओपन करके उसके ऊपर भी विचार कर ले।

जो सरप्लस वाटर यूज किया गया है वो कौनसा सरप्लस वाटर है? कौनसा सरप्लस वाटर क्या उसको सरप्लस मानेंगे जो आज पंजाब यूटिलाइज कर रहा है और बाकी अनयूटिलाइज्ड पड़ा है, क्या आप उसको सरप्लस मानेंगे जो हरियाणा के हिस्से में से जितने पानी का उपयोग कर रहा है और बाकी का अनयूटिलाइज्ड पड़ा है? यदि उसको हम सरप्लस मानते हैं तो राजस्थान को रोकने की आवश्यकता क्या थी? आज मैं कहता हूं, विवाद, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान और पंजाब के बीच में नहीं है, विवाद राजस्थान और हरियाणा के बीच में नहीं है। 1981 का एग्रीमेन्ट जिस समय हुआ, यह सदन इस बात का साक्षी है और सदन की प्रोसीडिंग इस बात का साक्षी है, मैंने शिवचरणजी माथुर को उस समय कहा था कि आपने राजस्थान को डुबो दिया यह समझौता करके। राजस्थान जो इस समझौते में पार्टी नहीं बन सकता था आपने अननेसेसरेली राजस्थान को पार्टी बनाया और उसका नतीजा राजस्थान को आगे के वर्षों में लगातार भोगना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूं जब 1966 में पंजाब का रिआर्गेनाइजेशन हुआ, पंजाब और हरियाणा के बीच में पानी के बंटवारे का विवाद चला, उस विवाद का निपटारा भारत सरकार जल्दी से जल्दी नहीं कर सकी। इधर इमर्जेन्सी लगी और हरियाणा में मुख्य मन्त्री बंशीलालजी थे, बंशीलालजी का प्रभाव कितना है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं लेकिन केन्द्रीय सरकार पर उस समय उनका प्रभाव था। 7 एम.ए.एफ. जो पंजाब और हरियाणा, यूनाइटेड पंजाब के हिस्से में सात मिलियन एकड़ फीट का जो हिस्सा आता था, 1976 में स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक नोटिफिकेशन निकालकर पंजाब और हरियाणा का बराबर बंटवारा कर दिया। 3.5 एम.ए.एफ. पंजाब को दिया, 3.5 एम. ए. एफ. हरियाणा को दिया। यह पंजाब के साथ जबरदस्त अन्याय था और इस अन्याय के कारण से सारी बुनियाद खड़ी हुई है। यह पंजाब की जो समस्या खड़ी हुई है यह 1976 में जिस समय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने नोटिफिकेशन निकाल कर पंजाब के साथ अन्याय किया, यह उस अन्याय का परिणाम है कि पंजाब में हालात खराब हुए, और पंजाब उस समय से झगड़ा कर रहा है। 77 में पंजाब की सरकार बनी, प्रकाशसिंह बादल वहां के मुख्य मंत्री बने और इसी नोटिफिकेशन के अगेन्स्ट वह सुप्रीम कोर्ट में गये। सुप्रीम कोर्ट में मामला चलता रहा और चलते-चलते 1981 में यह दूसरा एग्रीमेन्ट किया गया। अध्यक्ष महोदय, इस एग्रीमेन्ट का पूरा प्रिएम्बल पढ़ें, उस प्रिएम्बल में कहीं राजस्थान डिस्प्यूट में नहीं आता। डिस्प्यूट खड़ा हुआ पंजाब और हरियाणा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के बीच में। राजस्थान का कहीं लेना देना नहीं। मैं सदन को जानकारी देने के लिए ही एक पैराग्राफ आपकी अनुमति से पढ़कर सुनाना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह एग्रीमेन्ट का एक पेज मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा ताकि सदस्यों को जानकारी मिल जाय कि राजस्थान कहीं पिक्चर में नहीं है।

"Whereas, under the Indus water Treaty of 1960, the waters of the three rivers, namely Sutlej, Beas and Ravi, became vailable for unrestricted use by India after 31st March, 1970 :

Whereas, while at the time of signing of the said treaty, the waters of the Sutlej had already been planned to be utilised for the Bhakhra Nagal Project, the surplus flow of rivers Ravi and Beas, over and above the pre-Partition use, was allocated by an agreement in 1955 (here in after called 'the 1955 agreement') between the concerned States as follows, namely :—

Punjab :—	7.2 M.A.F.
Rajasthan :—	8.0 M.A.F.
Jammu & Kashmir :-	0 65 M.A.F.

टोटल 15.85 का यह एग्रीमेन्ट था।

"......and for the purpose of the said allocation, the availability of water was based on the flaw series of the said rivers for the years 1921 to 1945.

"And whereas the Central Government issued ...."

विवाद यहाँ आता है, विवाद यहाँ से खड़ा होता है—

"And Whereas the Central Government issued a Notification on 24th March, 1976, allocating 3.5 M.A.F. of the waters becoming available as a result of Beas. Project to Haryana, and the balance, not exceeding 3.5 M.A.F to Punjab out of the total surplus Ravi Beas waters of 7.2 M.A.F. falling to the share of the erstwhile State of Punjab, after setting aside the 0.2 M.A.F. for Delhi drinking water supply..."

अध्यक्ष महोदय, यह नोटिफिकेशन है जिस नोटिफिकेशन से पंजाब के साथ अन्याय हुआ और इस नोटिफिकेशन का परिणाम राजस्थान को भोगना पड़ रहा है।

"And whereas the Punjab Government sought a review of the aforeaid notification for increasing the allocation to Punjab, and linked this matter to the construction of Sutlej Yamuna Link Canal for Haryana in Punjab territory..."

आगे लिखते हैं।

"Whereas the Government of Haryana filed a suit in the Supreme Court praying, inter alia, that a directive be issued to Punjab for

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

expeditiously undertaking construction of the Sutlej Yamuna Link Canal in Punjab territory and for declaring that the notification of the Government of India allocating the waters becoming available as a result of the Beas project issued on 24th March, 1976, is final and binding......"

पंजाब तो यह कोशिश कर रहा था कि 1976 का नोटिफिकेशन का स्क्रेप किया जाय, हरियाणा यह इन्सिस्ट कर रहा था कि 1976 का जो नोटिफिकेशन दिया है इस नोटिफिकेशन को बाइण्डिंग और फाइनल माना जाय। यह दोनों में डिस्प्यूट खड़ा हुआ। इस डिस्प्यूट में कहीं राजस्थान पिक्चर में नहीं आता। राजस्थान न हरियाणा के साथ विवाद में था, राजस्थान न पंजाब के साथ विवाद में था, न राजस्थान इस विवाद में था कि 1955 के एग्रीमेन्ट के उपरान्त भी भारत सरकार ने 0.2 एम. ए. एफ. वाटर दिल्ली को ड्रिंकिंग सप्लाई के लिए दिया, हमने उसको भी स्वीकार कर लिया, हम उसके भी विरोध में नहीं थे, हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं था, लेकिन

"Whareas the Punjab Government also filed a suit in the Supreme Court challenging the competence of the Central Government to enact section 78 of the Punjab Reorganisation Act, 1966, and not withstanding this, the question of notification issued under section 78 of the said Act.

Whereas adjournment has been sought from time to time in hearing of the suits filed in the Supreme Court by Haryana and Punjab, to enable the parties to arrive at a mutually acceptable settlement, and the differences that have arisen......"

अब आता है—

"Whereas discussions have been held by the Prime Minister of India and the Union Minister for Low, Justice and Company Affairs with the Chief Ministers of Haryana, Punjab and Rajasthan......"

मुझे इसी पर आपत्ति है। राजस्थान वहाँ गया क्यों? राजस्थान इस विवाद में पड़ा क्यों? जिस समय राजस्थान 1981 के इस समझौते की एक पार्टी बन गया उस समय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कहा था कि राजस्थान कैनाल का पानी, राजस्थान कैनाल में आने वाला पानी, रावी-व्यास समझौते के अनुसार जो राजस्थान का हिस्सा बनता है 8.6 एम. ए. एफ. राजस्थान उससे हाथ धोयेगा। ये ही सरकार के प्रतिनिधि थे जिन्होंने सदन में कहा कि 1981 का समझौता राजस्थान के हित में है, राजस्थान के हित में इसलिए है कि सतलज यमुना लिंक बनेगी और राजस्थान का 0.7 एम. ए. एफ. पानी हम उस लिंक में से लेंगे और उससे हम नोहर और सिद्धमुख की कैनाल को पानी दे सकेंगे। उस समय के एक आधार के ऊपर यह समझौता करने लगे और समझौते की तारीफ करने लगे। इस सदन में इस बात को विरोधी पक्ष के सदस्यों ने कहा था कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आपने राजस्थान को अननेसरली इस समझौते में ड्रेग करके, शामिल करके राजस्थान के हितों पर कुठाराघात किया है। अध्यक्ष महोदय, इस समझौते के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता हूं। मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि विवाद पंजाब और राजस्थान के बीच में नहीं था, विवाद राजस्थान और हरियाणा के बीच में नहीं था, 1981 का एग्रीमेन्ट करके हमने इस विवाद में अपने आपको शामिल किया और शामिल करके राजस्थान के लिए हमेशा के लिए एक संकट खड़ा कर लिया।

अध्यक्ष महोदय, अब उस आधार के ऊपर हमें विचार करना पड़ेगा कि 1981 के एग्रीमेन्ट में हम शामिल हो गये तो क्या जरूरी है भारत सरकार के लिए कि कल जो एग्रीमेन्ट हुआ उसमें राजस्थान को शामिल किया जाय? अब आज इस एग्रीमेन्ट को कोई पढ़े तो यह समझेगा कि एग्रीमेन्ट में, राजस्थान के 1955 के एग्रीमेन्ट में तो किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है, इसमें तो राजस्थान पार्टी ही नहीं है, पार्टी नहीं है तो हरियाणा और पंजाब के साथ राजस्थान को इस बात के लिए पाबन्द क्यों किया गया कि राजस्थान के किसान 1.7.85 को जो पानी यूज कर रहे हैं वो यूज करते रहेंगे? क्या आवश्यकता थी समझौते में इन लाइन्स की? इस समझौते में इन लाइन्स के उल्लेख करने का मतलब यह है कि राजस्थान भी अपने सरप्लस वाटर के ऊपर कोई क्लेम नहीं रखता, वह डिस्प्यूटेबल है, वह नेगोशिएबल है। इसलिए वहां पर यह न कह करके, डायरेक्ट भारत सरकार नहीं कहना चाहती थी। इस समझौते में, मैं कह सकता हूं कि कल जो समझौता किया है वह चाहे राजीव गांधी हो, चाहे पूरा भारत सरकार हो, अकालियों के सामने साष्टांग प्रणाम किया है, घुटने टेके हैं। अगर यही समझौता करना था, अध्यक्ष महोदय, तो 1976 में नोटिफिकेशन निकालने की आवश्यकता नहीं थी, 1982 में समझौता किया जा सकता था, न स्वर्ण-मन्दिर के अन्दर कोई झगड़ा खड़ा होता, न आतंकवादियों की बात पैदा होती, न हजारों निरीह नागरिक इस आन्दोलन के कारण से मारे जाते, न पंजाब भस्म होता, न पंजाब के नाम से बाकी के लोग भस्म होते। हमने उस समय समझौता नहीं किया। आखिर अकालियों की मांग क्या थी कि 1955 का एग्रीमेन्ट खोला जाय, हमने सीधे नाक नहीं पकड़ी, लेकिन यह समझौता करके टेढ़ा करके हमने अपनी नाक पकड़ ली। इस चतुराई को हिन्दुस्तान की जनता समझती है, इस चतुराई से हमको कोई धोखा नहीं दे सकता। अब प्रश्न आता है, अध्यक्ष महोदय, इस समझौते में हमको यह नहीं कहा कि हमारे सरप्लस वाटर का क्या होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, हमको पाबन्द क्यों किया कि 1.7.85 को जो काश्तकार पानी का उपयोग करते हैं वह पानी उपयोग करते रहेंगे। कोई भी आदमी ईमानदारी से विचार करें तो यहां तो इन लाइन्स की आवश्यकता नहीं है। यदि यह लाइन्स इसमें लिखी गई हैं तो We will have to read between the lines.

और बिटवीन लाइन्स में आप यदि जायेंगे तो 1955 के एग्रीमेन्ट रिओपन करने का अधिकार इस लाइन ने उनको दिया है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल और सी. ए. डी. के वर्क्स पर 800 करोड़ रूपये का खर्चा हो चुका है। आठ सौ करोड़ रूपये का 1200 करोड़ रूपये के लगभग हम आगे खर्च करना चाहते हैं। हमने राजस्थान की गरीब जनता का पेट काटा, हमने राजस्थान के दूसरे हिस्सों का विकास को रोका, हमने राजस्थान की छोटी-मोटी सिंचाई योजनाओं के लिए कन्जूसी की, हमने राजस्थान के गांवों का विद्युतीकरण हो जाय उसमें पैसा खर्च नहीं किया, राजस्थान के प्यासे लोगों को पीने का पानी मिले इसके लिए हमने पैसा खच नहीं किया, राजस्थान का औद्योगीकरण हो उसके लिए पैसा खर्च नहीं किया। इस राजस्थान कैनाल को हमारी लाइफ लाइन समझ कर राजस्थान की साढ़े तीन करोड़ जनता ने अपना पेट काटकर अपने खून से राजस्थान कैनाल को बनाया है। आज वह राजस्थान कैनाल सूखी रहने को स्थिति में आ रही है। उस राजस्थान कैनाल के लिये मैं, मुख्य मन्त्री जी, आपको और भाटी साहब को कहना चाहता हूं, यदि यही समझौता रहा तो जोशी प्लान और भाटी प्लान, दोनों को रद्दी की टोकरी में फाड़कर फेंक देना। यह प्लान के भी काम होने वाले नहीं हैं। उस आधार के ऊपर मैं कहना चाहता हूं कि जो समझौता किया है, मैं पूछना चाहता हूं, आपके बिना यह कान्स्टीट्यूशनल क्वश्चन है, राजस्थान के बिना कन्सल्टेशन के, राजस्थान के पानी के सम्बन्ध में भारत सरकार को कौनसे संविधान और कानून में अधिकार मिला है कि वह हमारे पानी के सम्बन्ध में समझौता कर सके ? बताइये, मुख्य मन्त्रीजी, कोई संविधान में भारत सरकार को अधिकार दिया है ? क्या किसी रिआर्गेनाइजेशन एक्ट में भारत सरकार को अधिकार दिया है ? या इन्टर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट में भारत सरकार को अधिकार दिया है। कोई कानून में भारत सरकार को अधिकार नहीं है। राजस्थान के सम्बन्ध में राजीव गांधी हो, चाहे हिन्दुस्तान के प्रधान मन्त्री हों, उन्होंने जो राजस्थान के सम्बन्ध में जो समझौता किया है वह संविधान के खिलाफ है। कानून के खिलाफ है। यह केवल उसी हालत में हो सकता है जबकि इन्टर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट के अन्दर कोई स्टेट रेफर करे। न पंजाब ने रेफरेन्स दिया, न हरियाणा ने रेफरेन्स दिया, न राजस्थान ने रेफरेन्स दिया। भारत सरकार को किसने अधिकार दिया ? भारत सरकार को अधिकार नहीं, राजीव गान्धी को अधिकार नहीं, हिन्दुस्तान के प्रधान मन्त्री को अधिकार नहीं, हिन्दुस्तान की संसद को बिना कानून बनाये कुछ काम करने का अधिकार नहीं है किस कानून के अन्तर्गत उन्होंने समझौता किया और किस कानून से राजस्थान की जनता को जो 1.7 1985 तक अधिकार पानी का उपयोग करने का था, आगे उपयोग करने का था, आगे उपयोग करने के अधिकार से वंचित किया ? यह तो एक बड़ा फन्डामेन्टल क्वश्चन है। आज स्टेट और सेण्ट्रल के रिलेशन्स की आप बात कर रहे हैं। मैं कई बार कहता हूं कि पेटर्न बदल गया है। कांग्रेस की सरकार एक स्टेट में होती, वह स्वतन्त्र सरकार नहीं, वह गुलाम सरकार है। इन्टर स्टेट, सेण्टर और स्टेट के रिलेशन हैं वह रिलेशन इसी कारण से उत्पन्न होते हैं। आज मैं कह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सकता हूं मैं कोई कानून का तो जानकार नहीं हूं लेकिन कामन सेन्स के आधार पर कह सकता हू कि भारत सरकार ने जो समझौता किया है यह समझौता संविधान के खिलाफ है, यह समझौता इन्टर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट के खिलाफ है, यह समझौता दोनों एग्रीमेन्ट के खिलाफ है, राजस्थान की जनता को पाबन्द नहीं कर सकते कि 1.7.85 के बाद तुम्हारा पानी शेयर उपयोग का जो अधिकार है उसको हम नर्क में छोड़ते हैं। हमारा अधिकार अक्षुण्ण है। उस अधिकार को कोई समाप्त नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा समझौते की स्थिति क्या है? क्या है समझौते की स्थिति? मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान सरकार ने, 1981 में हमने समझौता किया, उस समझौते के अनुसार जो राजस्थान सरकार को काम करना था क्या राजस्थान की सरकार ने काम किया? 1981 में एग्रीमेन्ट हुआ था कि व्यास-सतलज लिंक बनेगा, उसके लिए हरियाणा की सरकार पैसे देगी। हरियाणा सरकार से मेरी जानकारी है 25 करोड़ रूपये पंजाब की सरकार को जमा करा दिये आज पंजाब पार्टी था, पंजाब के चीफ मिनिस्टर के इस पर दस्तखत हैं। प्राईम मिनिस्टर के इसके ऊपर दस्तखत हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इस एग्रीमेन्ट का क्लाज फोर है, क्या पंजाब ने उसका कम्प्लायन्स की? हरियाणा से रूपये ले लिये, पंजाब ने इसकी कोई कम्प्लायेन्स नहीं की। तो आप क्या यह समझते हो कि क्या यह समझौता इम्प्लीमेन्ट हो गया। अध्यक्ष महोदय, एग्रीमेन्ट के फाइव में देखिये—

"The agreement reached in paras 1 to 4 above shall be implemented in full by the Government of Haryana, Rajasthan and Punjab. If the signatory State feels that any of the provisions of the agreement are not being complied with, the matter shall be referred to the Central Government whose decision shall be binding on all the States. In this respect the Central Government shall be competent to issue such directions and take such measures as may be appropriate to the circumstances of the case to facilpitate the ensured compliance "

अब मैं पूछना चाहता हूं मुख्य मन्त्रीजी से कि यह नोहर सिद्धमुख कैनाल, इसकी चर्चा तो आपने विधान सभा में उस समय भी बहुत की, लगातार आप चर्चा करते रहे, व्यास सतलज लिन्क से जब तक अतिरिक्त पानी राजस्थान को नहीं मिलेगा उस समय तक नोहर सिधमुख कैनाल का कुछ नहीं होगा। उस नोहर सिधमुख नहर के लिये आपने प्रशंसा की थी व्यास-सतलज लिन्क बना नहीं, हरियाणा ने रिप्रजन्टेशन किया, राजस्थान को एक चिट्ठी भी नहीं लिखी और पंजाब ने उसकी परवाह नहीं की, पंजाब ने एक इंच कैनाल नहीं बनायी, पंजाब ने पैसा नहीं दिया, और पैसे लेने के बाद में बहाना बनाया कि जहां पर कैनाल हमको बनानी है, उस जमीन को हमें एक्वायर करना पड़ेगा। एक्वीजीशन प्रोसीडिंग्स को लोगों ने कोर्ट में जाकर चैलेन्ज कर दिया। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होगा तब तक उस आधार पर हम जमीन एक्वायर नहीं कर सकते। जमीन एक्वायर नहीं होगी,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तब उस समय तक हम किसी भी प्रकार से कैनाल के निर्माण का काम नहीं कर सकते हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, इसलिए कहना चाहता हूँ कि एक समझौता हमने दूसरा भी किया था, 1984 की 10 मई को हमने समझौता किया। क्या होती है समझौते की हालत वह मैं बताना चाहता हूं। इस समझौते से राजस्थान की सरकार रोपड़ थर्मल प्लान्ट के लिए राजस्थान का भाखड़ा कैनाल से कितना पानी दिया जाय, क्यों पानी दिया जाय इस सम्बन्ध में इस सदन में चर्चा हुई, अध्यक्ष महोदय, आप भी इस समय मन्त्रिमण्डल में शामिल थे, सदस्यों ने यह कहा कि भाखड़ा के पानी पर हमारा हिस्सा है, इस भाखड़ा के पानी पर पंजाब का हिस्सा है, इस भाखड़ा के पानी पर हरियाणा का हिस्सा है। जब तक पंजाब अपने हिस्से से कोई पानी नहीं ले उस समय तक राजस्थान के हिस्से से पानी नहीं लिया। आखिर भाखड़ा के नांगल हाइडल चैनल से हमने उनको पानी देने की स्थिति मानी, और मन्जूर करने के साथ ही हमने समझौता किया, और समझौता केवल रोपड़ का नहीं किया, अध्यक्ष महोदय मुझे ताज्जुब हुआ, जब शिवचरणजी माथुर और परसरामजी मदेरणा ने इस विधान सभा में, चहक रहे थे, कहने लगे कि राजस्थान की सरकार ने तैयारी करली है, दो लाख रूपये का मुकदमा लड़ने के लिए प्रावधान कर लिया है, हमने हिन्दुस्तान के अच्छे से अच्छे एडवोकेट को राजस्थान का पक्ष रखने के लिए नियुक्त कर लिया है, एक इन्च राजस्थान की सरकार नहीं झुकेगी। चार दिन के बाद में राजस्थान की सरकार दिल्ली गई और दिल्ली में जाते ही प्रधान मन्त्री के सामने घुटने टेक दिये घुटने टेकने का रिजल्ट यह हुआ कि केवल रोपड़ को हम पानी दें इतनी ही बात नहीं, आनन्दपुर साहब हमने छोड़ दिया नेगोशियेबल बने, मुकेरिया हमने बना दिया थीन डेम का मामला हमने खत्ते में डाल दिया और इसी तरह से बारी दुआब का मामला हमने खत्ते में डाल दिया। यह चारों प्रोजक्ट, जिसमें राजस्थान का 1700 मेगावाट बिजली का हिस्सा बनता है एक दो मेगावाट का नहीं, 1700 मेघावाट बिजली का जिसको हिस्सा मिलता है उस राजस्थान में सेवन्थ फाईव ईयर प्लान के एन्ड में चार हजार के लगभग मेघावाट की कमी रहने वाली है, वह इस राजस्थान को 1700 मेगावाट पावर मिलती, अध्यक्ष महोदय, वह हमने समझौता कर लिया, नतीजा वह निकला कि आज रावी-व्यास और सतलज, इन तीनों नदियों के पानी से पैदा होने वाली बिजली के ऊपर राजस्थान का हक चला गया। तो 1981 में समझौता करके हमने राजस्थान का पानी में हिस्सा छोड़ा और 1984 में समझौता करके हमने राजस्थान में इन तीन नदियों के पानी से पैदा होने वाली बिजली में हिस्सा छोड़ा। यह दो-दो काले चेप्टर श्री शिवचरणजी माथुर के नाम लिखे जायेंगे लेकिन जोशीजी, आप भी उस काली किताब में शामिल हो गये, जब इस समझौते में आपने राजस्थान को ड्रेग करने की अनुमति दे दी। मैं समझता हूं कि आप चाहे कहें या नहीं कहें, लेकिन अन्दर खाने में यह बात है कि समझौता आपकी अनुमति के बिना नहीं हो सकता। आप कहीं, न कहीं मैं आज कहता हूँ आप इस सदन में कहें या नहीं कहें

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आपका कोई न कोई रिटन लैटर है, जो वहाँ के जो लॉ मिनिस्टर हैं शिवशंकर, वह अब इस बीच में फंसे हुए हैं, कानून के ज्ञाता हैं और कानून के ज्ञाता होने के नाते मैं ऐसा समझता हूं लॉ मिनिस्टर हिन्दुस्तान के प्रधान मन्त्री को यह सलाह नहीं दे सकते कि बिना राजस्थान की अनुमति के राजस्थान के सम्बन्ध में कोई समझौता कर लिया जाय, राजस्थान के अधिकारों पर किसी प्रकार का कुठाराघात हो जाय, इस प्रकार की अनुमति नहीं दे सकते। मैं चाहूंगा, मुख्यमन्त्रीजी, आपके और शिवशंकर के बीच में जो बातचीत हुई वह सदन में रखें, आपके और प्रधानमन्त्री जी के बीच में जो इस सम्बन्ध में बातचीत हुई है वह सदन के अन्दर रखें। मेरा सन्देह है, इस सन्देह को स्पष्ट करें कि आपके द्वारा कोई लिखित में दिये बिना भारत सरकार इतनी गलती नहीं कर सकती कि भारत सरकार इस प्रकार का कोई समझौता कर ले। अध्यक्ष महोदय, इन हालात से आप अन्दाजा लगाइये, यह समझौता हो जाये और इस समझौते की जानकारी राजस्थान सरकार को नहीं हो, केवल अखबारों से, टेलीविज़न पर न्यूज आती है उससे ही राजस्थान की सरकार को जानकारी मिले यह समझ में नहीं आता। अब अध्यक्ष महोदय, 9.2 में लिखा है—

"The claims of Punjab and Haryana regarding the shares is in their remaining waters..."

हरियाणा और पंजाब तो रिमेनिंग वाटर के लिए ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। इन दो को तो इजाजत दे दी, राजस्थान को ट्रिब्यूनल में जाने की इजाजत नहीं है। आप मारो भी और रोने का भी अधिकार नहीं है। राजस्थान का पानी तो पाबन्द कर दिया 1.7.85 को जितना पानी उपयोग कर रहे हो वह ही आपका अधिकार है। आगे अधिकार बनता है, नहीं बनता है That is a disputed matter. अब मैं कहना चाहता हू कि हरियाणा, और पंजाब को तो ट्रिब्यूनल के सामने जाने का अधिकार दे दिया। यह कहने की आवश्यकता नहीं है अगर इतना ही कह देते कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या एनी स्टेट, जो इस पानी के समझौते के कारण से प्रभावित हो वह अपने क्लेम पेश कर सकते हैं, लेकिन वह नहीं। वह इसलिये नहीं किया, न तो 1955 के एग्रीमेंट का उल्लेख किया, न राजस्थान को इसमें पार्टी बनने दिया, उसके पीछे केवल एक इरादा था और कोई इरादा नहीं कि अगर राजस्थान को पार्टी बनने देते हैं तो 1955 का एग्रीमेंट ओपनली सामने आ जायेगा, तो इसको रिओपन किया जा सकता है, अगर इसका उल्लेख नहीं करते हैं तो ट्रिब्यूनल के हाथ हम छोड़ देते हैं और ट्रिब्यूनल यदि पानी के हिस्से का तय करेगा, "रिमेनिंग वाटर वर्ड यूज किया है, अध्यक्ष महोदय", "रिमेनिंग वाटर" कौन सा रेमेनिंग वाटर ? पंजाब और हरियाणा के हिस्से का नहीं। आप पढ़िये।

"The claims of Punjab and Haryana regarding share in their remaining waters..."

यह है रिमेनिंग वाटर, एम ए एफ—

श्री अध्यक्ष : You have said it.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता देऊंगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा (मेड़ता) : मतलब क्या है, आप समझा दो ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता देता हूं यह रिमेनिंग वाटर" शब्द क्यों यूज किया गया है, अध्यक्ष महोदय, पहले समझौता हुआ था 5.85 एम. ए. एफ़, बाद में समझौता हुआ 17.17 एम. ए. एफ. और 17.17 एम. ए. एफ. में पंजाब का हिस्सा 4.20 एम. ए. एफ. शेयर आफ हरियाणा 3.50 एम. ए. एफ. और शेयर आफ राजस्थान 8.60 एम. ए. एफ. और बाकी का आप छोड़िये जम्मू कश्मीर और दिल्ली । अब क्या आप यह समझते हैं कि पंजाब में जो पानी उनको मिल रहा है उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं । पंजाब की खुद की इरिगेशन की रिपोर्ट आप देखें तो आप ताज्जुब करेंगे, अध्यक्ष महोदय, टू हन्ड्रेड टेन की इंटेंसिटी के ऊपर है, उनको इंटेंसिटी अपनी तरह से नहीं है 110 की जिसको हमने रिड्यूज करा लिया, 90 पर्सेन्ट इन्टेंसिटी हमारी है । पंजाब की इंटेंसिटी का पर्सेन्टेज है 210 और खुद दरबारा सिंह जब मुख्य मंत्री थे वह किताब मेरे पास है आप चाहें तो मैं उनकी किताब पढ़कर सुना दूं जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस समझौते के कारण से हमें क्या फायदा होने वाला है, उसमें लिखा है कि 210 की इंटेंसिटी में से हम पूरे पंजाब को पानी देंगे, और साथ ही दूसरे पैराग्राफ में लिखा है कि पंजाब में इतना वाटर लौगिंग होगा, एक साल में हमें पन्द्रह करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे, पन्द्रह करोड़ रुपये तो वाटर लौगिंग के लिए । जो पानी आलरेडी अलाटेड है उसके कारण से वाटर लौगिंग की प्राब्लम खड़ी होगी हमने उस वक्त कहा था यह बात आयेगी । अध्यक्ष महोदय, अकाली दल के आन्दोलन का सारा इतिहास, आप जानते हैं, मैं कहना नहीं चाहता । अकाली दल में कई ग्रुप बने हैं । एक ग्रुप समझौता करता है दूसरा ग्रुप उसको मानता नहीं । आप पूरा इतिहास उठाकर देख लें पहले मास्टर तारासिंह ने भारत सरकार से समझौता किया, और तारासिंह ने ज्योंहि समझौता किया उनके खिलाफ बगावत खड़ी हो गई, और उस बगावत में सन्त फतेह सिंह नेता बने फतह सिंह जब नेता बने तो उन्होंने भी भारत सरकार से समझौता करने की कोशिश की तो आपको याद होगा, सन्त फतहसिंह को गुरुद्वारा में बुलाकर कड़ा प्रसाद दिया गया, सारे जूते बोरियों में भरकर उनके सिर के ऊपर रखे, उसी समझौते का परिणाम था । उसके बाद में इमर्जेंसी आ गई, उस इमर्जेंसी के बाद में बादल मुख्य मन्त्री बने, बादल मुख्यमन्त्री बने तो लोंगोवाल, वगैरह का अकाली दल यह तलवंडी टोहरा और बादल सब लोग प्रभावी हुए और उस प्रभाव के अन्दर लोंगोवाल पैदा हुये । आज पंजाब की स्थिति क्या है, पंजाब आज संयुक्त अकाली दल के नेता हैं, चाहें उनको कोई माने या न माने जिसके साथ सारे पंजाब के एक्सट्रीमिस्ट लगे हुए हैं, उनके नेता हैं संत भिण्डरावाला के पिता श्री जोगेन्दर सिंह । आज वह जोगन्दरसिंह अकाली दल संत लोंगोवाल वाले के अकाली दल के खिलाफ

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हैं, लोंगोवाला समझौता कर गये, आज लोंगोवाला यह चाहते हैं कि पजाब में जाकर लोगों से कहूं क्या। पांच वर्ष तक पंजाब के लोगों ने जो तकलीफें उठाई हैं, कुर्बानियां दी हैं, मरे हैं या मारा है उन लोगों को किस प्रकार से सेटिसफाई करूं। यह समझौता तो 1982 में ही हो जाता नदी पानी का, इस समझौते में अतिरिक्त हमको क्या मिलने वाला है, इस समझौते में अतिरिक्त मिलने के लिये 1985 का मामला इस प्रकार से छोड़ दिया गया कि अकाली दल यह कह सके कि 1955 का समझौता खुल गया और ट्रिब्यूनल भी इसका काग्नीजेंस ले सके। यदि पानी का बंटवारा करना है तो 1955 का एग्रीमेंट रि-ओपन किया जा सकता उस पर विचार किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं कारणों से हमें लगता है कि राजस्थान के साथ कुठाराघात हुआ है राजस्थान के हितों के ऊपर कुठाराघात हुआ है, राजस्थान में, अध्यक्ष महोदय, और कोई पानी का सोर्स नहीं है गंगा के प्रश्न पर हम मार खा कर बैठे हैं, भारत सरकार स्पष्ट रूप से कह चुकी है गंगा के लिये, कोई सर्प्लस पानी नहीं है जो हम राजस्थान को दें, यमुना के मामले में हम मार खाकर बैठे हैं, चम्बल का जो पानी आता है गांधी सागर के कैच-मेंट एरिया में, मध्यप्रदेश ने इतने इंट्रेप्शन खड़े कर दिये कि 1.0 एम.ए.एफ पानी चम्बल के कैचमेंट एरिया से आज मध्य प्रदेश यूटिलाइज कर रहा है। हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने नर्मदा का समझौता किया, 0.5 एम.ए.एफ. हमारा हिस्सा बना और उस हिस्से को लेने के लिये हमने गुजरात की सरकार को कहा कि सरदार सरोवर से इसकी नहर निकालो, बनाओ जिस नहर का पानी गुजरात के खेड़ा इलाके से चला जाय। खेड़ा में तो नर्मदा के पानी से सिंचाई हो जाय और कडाना डैम में जो गुजरात का हिस्सा है उस गुजरात के हिस्से से 1.05 एम.ए.एफ. की तुलना में पानी लेकर हम राजस्थान के हिस्सों की सिंचाई कर दें। गुजरात पहले तो हमको कहता रहा कि मैं इस बात को स्वीकार करूंगा और अन्त में जब देखा कि राजस्थान तो हमारी ही दया पर निर्भर करता है तो उस समय इन्कार कर दिया और विश्व बैंक से जाकर सरदार सरोवर के लिये समझौता कर लिया। जहां तक मुझे याद है पहाड़ियाजी ने इसी सदन में कहा था कि सरदार सरोवर का समझौता हमारी छाती पर होगा, अन्तर्राष्ट्रीय विश्व बैंक के सामने इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट की स्वीकृति नहीं मिलेगी जब तक राजस्थान अपनी ओर से स्वीकृति नहीं देगा राजस्थान की किसी ने चिन्ता नहीं की। विश्व बैंक से समझौता हो गया, नर्मदा सागर और सरदार सरोवर का निर्माण हो गया, जितनी हाइट के ऊपर हम कैनाल बनवाना चाहते थे उस हाइट के ऊपर कैनाल नहीं बन रही। नतीजा यह होगा कि नर्मदा का पानी खेड़ा में नहीं जायेगा और हम जो नर्मदा के पानी के एवज में कडाना के पानी का उपयोग करना चाहते थे, वह कडाना का पानी राजस्थान को नहीं मिलेगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि राजस्थान में अब सरफेस वाटर राजस्थान को किसी प्रकार से मिल जाये इसका कोई आधार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं है। यदि इरिगेशन कमीशन की रिपोर्ट उठा कर देखें, उस इरिगेशन कमीशन की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि जितना राजस्थान में सरफेस वाटर है उस सरफेस में अब बहुत कम गुंजाइश रही है, बनास के ऊपर कई डैम बन गये। सबसे बड़ी चम्बल के बाद में नदी आती है बनास, उसके ऊपर हमने डैम्स बना दिये, बीसलपुर के डैम बनने के बाद उस बनास की कैपेसिटी भी पूर्णतया समाप्त हो जायेगी। कोई सरफेस फ्लो का पानी राजस्थान को मिलने वाला नहीं है। जैसा मिर्धा साहब ने कहा कि हम अण्डरग्राउण्ड वाटर ट्यूब वेल से निकालें, लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि आपका फ्लो वाटर यदि नहीं होगा तो पानी का रिचार्जिंग यदि नहीं होगा तो ट्यूब वेल का पानी और डीप जायेगा। इस मामले में भी हमको गहराई से विचार करना पड़ेगा। तो राजस्थान अण्डर ग्राउण्ड वाटर से भी वंचित हो जायेगा, राजस्थान में सरफेस फ्लो का पानी भी नहीं रहेगा और राजस्थान से बाहर से आने वाली नदियों का पानी भी हम नहीं ले पायेंगे तो राजस्थान की एक तबाही होगी। उस तबाही से बचने के लिये, मुख्य मन्त्रीजी से कहना चाहता हूं या तो आप साफ कहिये कि 1955 का एग्रीमेंट रि-ओपन नहीं होगा। यदि साफ नहीं कह पाते तो मैं आपको निश्चित रूप से कहना चाहूंगा, माला तो हम पहना देंगे राजस्थान के मुख्य मन्त्री का पद छोड़कर चले जाइये। दो चीजें नहीं हो सकती, राजस्थान के हितों पर कुठाराघात हो। मैं तो इस पाइन्ट को भी बर्दाश्त नहीं करता कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री की बिना सलाह के, बिना एग्रीमेंट के, बिना समझौते में उनको शामिल किये राजस्थान के हितों पर निर्णय कर दिया जाय। राजस्थान के मुख्य मन्त्री जयपुर बैठे रहें। आखिर यह कुर्सी फिर मिल जायेगी, यह कुर्सी कोई स्थायी नहीं है, इस कुर्सी पर मैंने, 1952 से लेकर आज तक कई मुख्य मन्त्रियों को देख लिया। मुख्य मन्त्रीजी, मैं कहना चाहूंगा, अकालियों ने इन मांगों के लिये दुनियां भर के सेक्रिफाइज किये हैं क्या राजस्थान के मुख्य मन्त्री इतना सा भी सेक्रिफाइज नहीं कर सकते हैं। आप त्याग पत्र दीजिये और उसके परिणाम देखिये। राजीव गांधी हो, चाहे हिन्दुस्तान की सरकार राजस्थान के हिस्से का एक इंच पानी भी नहीं ले सकती है। लेकिन आप कुर्सी से चिपके रहना चाहते है। मैं आप लोगों को भी निवेदन करना चाहता हूं, मैं इस इश्यू पर बी. जे. पी का हूं विपक्ष में बैठा हूं, लेकिन आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं यहां विपक्ष और कांग्रेस नहीं है, राजस्थान कैनाल में मेरा कोई मुरब्बा नहीं है, न वहां मुरब्बा मुझे मिलने वाला है और न मैं मुरब्बा लेने वाला हूं लेकिन राजस्थान की गरीब जनता, जिसने आठ सौ करोड़ रुपये की कुर्बानी की है, की राजस्थान कैनाल सूखी पड़ी रहे, राजस्थान कैनाल में मिट्टी भरती रहे, राजस्थान कैनाल के पानी का हम उपयोग नहीं कर सकें, यह आपका भी उतना सवाल है जितना मेरा सवाल है। मैं आपको कहना चाहूंगा, छोड़ो, पार्टी लोएलिटी। आज कोई कांग्रेस और बी. जे.

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पी., लोकदल या जनता पार्टी या सोशियलिस्ट या कम्युनिस्ट पार्टी का सवाल नहीं है हम राजस्थान के एक है और राजस्थान में एक होकर भारत सरकार को बता दें कि हमारे हितों पर जो कुठाराघात करेगा उससे अकाली यदि पंजाब में बदला ले सकते हैं तो राजस्थान के आदमी भी मुर्दा नहीं है वह भी इसका बदला ले सकते हैं। एक इंच पानी नहीं देंगे। मैं, मुख्य मन्त्री जी आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान के हितों के लिये लड़ेंगे तो हम आपके साथ हैं, और राजस्थान के हितों के विपरीत अपने स्वार्थ के लिये लड़ेंगे तो आपको उठा कर फेंक देगी राजस्थान की जनता यह विचार कर लें, यह गम्भीर प्रश्न है। दो बार पहले मौके आ गये। एक बार 1981 में समझौता करके राजस्थान को मारा, दूसरी बार 1984 में समझौता करके राजस्थान को मारा, और तीसरी बार कल राजस्थान की कब्र खोदी। जनता के सामने अब सवाल यह है कि कब्र के अन्दर इस समझौते को डाला जाये या राजस्थान की साढ़े तीन करोड़ जनता को डाला जाये। जनता इस कब्र में नहीं जायेगी समझौता कब्र में जायेगा। इसलिये विनम्र शब्दों में आपसे और इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि यह समझौता राजस्थान के हित में नहीं है, यह समझौता राजस्थान के हितों के विपरीत है। इस समझौते को स्क्रेप कराओ और स्क्रेप कराके भारत सरकार से कहो कि हमारे बिना पूछे हमारी पीठ के पीछे आपने समझौता किया है। संविधान का आपने उल्लंघन किया है। इन्टर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट का आपने उल्लंघन किया है। आपको किसने पंचायती दी राजस्थान के बारे में फैसला करने की? मुझे बता दें, मुख्य मन्त्रीजी भारत सरकार को किस कानून के अन्तर्गत अधिकार मिला हुआ है? कोई अधिकार नहीं है। अनधिकृत रूप से राजस्थान के हितों पर कुठाराघात किया है। इसके लिये मुख्य मन्त्री जी समझ लें, सोच लें, कोई चिन्ता इस बात की करें कि राजस्थान के हितों के विपरीत कुछ हो नहीं जाये। जैसा मैंने पहले भी कहा, जब आप मुख्य मन्त्री बने, लोग कहने लगे कि धाकड़ मुख्य मन्त्री आया है। मैंने उस समय भी कहा था कि धाकड़ मुख्य मन्त्री का चार साल का कार्यकाल तो ऐसा निकला है कि लोग शिवचरण माथुर को याद करने लगे। और इस समझौते के बाद मैं आपको कह सकता हूं कि शिवचरण माथुर आपके बराबरी में आ गये, लोग पहाड़ियाजी को याद करेंगे कि वह बहुत अच्छे है। और वह इसलिये कहेंगे कि पहाड़ियाजी कुछ कर नहीं पाये. मुझे कोई सन्देह नहीं, नहीं कर पाये लेकिन एक मर्दानगी से उस आदमी ने वक्तव्य दिया था इसी हाऊस में कि नाथपा झाकड़ी का समझौता मेरी छाती पर होगा, मैं फौलाद की तरह से खड़ा हूं, जब तक वह मुख्य मन्त्री रहे नाथपा झाकड़ी का समझौता नहीं हुआ। जो नाथपा झाकडी का था प्रोजेक्ट भी आज एन. टी. पी. सी. उसमें काम शुरू कर रहा है, राजस्थान का शेयर आज तक डिसाइड नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी कमजोरी मत लाओ। कमजोरी मत लाओ। कमजोरी मत लाओ और यदि आप को इस मसले के ऊपर राजस्थान की जनता की प्रतिक्रिया

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

देखनी है तो चिन्ता मत करो, देखो, सब मिलकर हम इस्तीफा देते हैं आप भी इस्तीफा दे दें दुबारा चुनाव में आओ। उस समय आपको पता लगेगा, राजस्थान की जनता क्या चाहती है इसलिए मैं आपको विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि आप इस तरह का कोई काम नहीं करें कि राजस्थान के इतिहास में जैसे शिवचरण जी माथुर का नाम काले अक्षरों में लिखा जायेगा वहीं पर हरिदेव जोशी का भी नाम लिखा जाये। मैं चाहता हू कि कार्यवाही ऐसी की जाये कि 1981 का एग्रीमेन्ट हो, चाहे वह 1984 का एग्रीमेन्ट हो, जो स्क्रैप कराने की पूरी कोशिश की जाये। यदि आप कोशिश करते हैं तो हम आपके साथ हैं. और यदि आप घुटने टेक कर इस समझौते को सिर माथे पर रखकर राजीव गांधी की जयजयकार करने में विश्वास रखते हैं तो हम डटकर विधान सभा में विरोध करेंगे और विधान सभा के बाहर भी विरोध करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री केदारनाथ शर्मा (गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष जी, यह इश्यु बड़ा डेलीकेट और सेन्सीटिव है। आपने हमारी प्रर्थना को मानते हुए कवेश्चन आवर को सस्पेण्ड करते हुए इसकी अहमियत को आज साबित कर दिया। इसके दो पार्ट हैं। जो एग्रीमेंट की धारा ५ है, तीनों स्टेट्स के काश्तकार राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, 1-7-85 को जो पानी इस्तेमाल करते रहे हैं रिवर्स का, रावी और व्यास दोनों का, वही इस्तेमाल करते रहे पानी तीनों स्टेट्स वह भी अनइफेक्टेड रहे, नम्बर दो। इसके बारे में अगर क्लेम कोई डिस्प्यूट होता है। क्वान्टम ऑफ यूजेज के बारे में कोई कोई डिफरेन्स है तो ट्रिब्यूनल को रेफर कर देंगे। जो भी ट्रिब्यूनल अपना फैसला करेगा वह फैसला फाइनल होगा और वाइन्डिंग होगा। अब फार्मर्स 1-7-85 को क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, गंग कैनाल में हमारा हिस्सा था 1600 क्यूसेक्स और मिला 1100 क्यूसेक्स, भाखड़ा में हिस्सा था हमारा 2700 क्यूसेक्स मिला हमें 1600 क्यूसेक्स, राजस्थान कैनाल में हिस्सा था हमारा 5000 क्यूसेक्स और मिला 2500 क्यूसेक्स। सारा एग्रीमेंट किया। अध्यक्षजी, अकाली पार्टी से मेरे बहुत अच्छे सबंध हैं और पंजाब को मैं बहुत जानता हूं नजदीक से, हर एक कार्नर से। उनकी एक ही मांग रही कि 55 का एग्रीमेन्ट जो है वह स्क्रैप हो, रि-ओपन हो, नम्बर एक और जो वाटर वर्क्स हैड वर्क्स है तीन एक्सक्लूजिव क्लेम्स उनके हमेशा के लिए रहें, नम्बर दो। यह आनन्दपुर रिज्योलूशन में भी है। तीसरा उनका यह था कि हरियाणा और पंजाब में जो असेट्स का डिवीजन हुआ 1966 में 1966 जब री-आर्गेनाईजेशन एक्ट बना वह 60:40 के रेशो में हुआ तो इनटेक्ट रहा असेट्स का डिविजन तो तीनों मकसद आज उन्होंने पूरे कर लिए। इसमें हैड वर्क्स के बारे में कोई चीज नहीं। उनका फिजिकल कन्ट्रोल आज भी है और आइन्दा भी एक्सक्लुसिव क्लेम उनका वहां पर रहेगा। पानी का बंटवारा उनके पास है। भाखड़ा मैनेजमेन्ट में नलिटी हैं, कोई उसकी आइडेंटिटी नहीं कोई कुछ नहीं। इसको रि-ओपिन कर दिया और 1981 के

(श्री केदारनाथ शर्मा)

समझौते में आपने शामिल कर दिया। अध्यक्ष जी, उस समय हम लोग विधान के मेम्बर नहीं थे पर मैं आपको दाद देता हूँ, अपोजिशन मैम्बर्स को, जिन्होंने इस वक्त यह रेज किया, और बड़ी दिलेरी से रेज किये। यह सवाल कि आपको इस एग्रीमेन्ट में शामिल नहीं होना चाहिए। अनकाउन्डेड यह वारन्टेड था कोई जस्टिफिकेशन नहीं था, पाकिस्तान के साथ, अध्यक्ष जी, हमारे समझौते हो गये 70 में, जिसे इन्डस वाटर ट्रीटी कहते हैं जिसमें पांचों नदियों के पानी का आपस में शेयर था और 31 मार्च, 1970 में यह समाप्त हो जाता है। रावी व्यास के पानी का अलग हिस्सा, सतलज के पानी का अलग हिस्सा बंटवारा हो जाता है 1955 के तहत तो माननीय विरोधी पक्ष के नेता ने बड़े ढंग से समझदारी से, अपने अनुभव से पेश कर दिया। हमारा हिस्सा उसमें 52 पर्सेन्ट तब हो गया, मोटे तौर पर समझाने के लिए इन नदियों के पानी में हमारा राजस्थान का हिस्सा 52 पर्सेन्ट बाकी पंजाब बाद में हरियाणा बना उसमें समय उस पटियाला शामिल था, उसमें दिल्ली और कश्मीर और जोड़ दिया उन्होंने उनका 48 पर्सेन्ट था और 81 के एग्रीमेन्ट में क्या हो गया, हमारा हिस्सा 48 हो गया और इनका 52 हो गया। जब माननीय माथुर साहब यहां नहीं है जिन्होंने वहां पर फैसला कर के राजस्थान के हितों को मार्टगेज कर दिया इसमें कोई शक नहीं। वह ब्लेकेस्ट डे होगा। इसी तरह से बिजली के हिस्से को आपने मार्टगेज कर दिया। अब मेंटर ऑफ कन्जंप्शन के बारे में, माननीय अध्यक्ष जी मैं आपको निवेदन करता हूं हमारा हिस्सा 8 मिलियन एकड़ फीट जब आपने एक बार तय कर दिया तो फिर रि-ओपन करने का सवाल क्या है? पंजाब क्यों गया सुप्रीम कोर्ट में? हरियाणा क्यों गया सुप्रीम कोर्ट में? हम तो कभी गये नहीं 1960 में जो फैसला हुआ जून में, नोटिफिकेशन के द्वारा जब पानी बराबर कर दिया इनका 60:40 का रेशो था वह काटकर 3:5 दोनों का बराबर कर दिया तब पंजाब भी गया और हरियाणा भी गया। हमारा कोई झगड़ा नहीं है। दोनों से कोई डिस्प्यूट नहीं। वास्ता नहीं। हम कहीं बैठे नहीं। दोनों का जाकर अध्यक्ष जी, अब फैसला हो गया और हम पार्टी बन गये, अब क्या सवाल हो गया हमारे सामने कि रि-ओपन होगा। हमारे पानी का हिस्सा कम हो गया फार्मर्स इस्तमाल करते रहेंगे जो पानी 1-7-85 को है, हमें पानी यही मिलेगा। हमें यही पानी मिलेगा। पानी के बारे में हम कोई ट्रिब्यूनल में जा नहीं सकते हमारे शेअर के बारे में ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते, हमारे अपने रास्ते बन्द कर दिये क्योंकि आपने हमारा फेट सील कर दिया कि इससे ज्यादा पानी आपको मिलेगा नहीं। कन्जम्पटिव का मसला, अध्यक्ष जी, मैं यह मानकर चलता हूं जो बिजली पैदा करते हैं वे इस पानी से, ड्रिंकिंग वाटर भी शामिल है, इन्डस्ट्रियल पर्पज के लिए भी शामिल है और डोमेस्टिक पानी भी शामिल है हम कितना इस्तेमाल करते हैं उसका। हम कहीं भी जनरेट नहीं कर रहे हैं बिजली। जनरेट करते हैं हरियाणा और पंजाब। वह दोनों इस्तेमाल करते रहेंगे। वह कन्जम्प्शन का मतलब मैं यह समझता हूं बाकी मालूम नहीं, डिटेल से पड़ेगा जब मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे, जब एग्रीमेन्ट की डिटेल्स हमारे सामने आयेंगी कि कन्ज-

(श्री केदारनाथ शर्मा)

म्प्शन का मतलब यह हैं। क्वेन्टम ऑफ यूज के लिए हम ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। केवल एक क्लेम हमारे पास रहा कि हमें पानी कम मिला। अध्यक्ष जी, यहां पर राजस्थान कैनाल के माननीय मंत्री जी बैठें हैं मैं उनको इन्टेन्शन एप्रीशिएट करता हूं जिसमें उन्होंने यह कहा कि 110 की इन्टेन्सिटी 80 पर ले आयेंगे हम, इन्टेन्सिटी आफ इरिगेशन, यह ठीक है, ग्राम की आपकी फिलासफी ठीक है और सारे डेजर्ट की रेवेन्यू को अनडू करने के लिए आपकी फिलासफी भी ठीक है, पशुधन को बचाने के लिये पीने के पानी की मैं आपकी फिलासफी ठीक मानता हूं। जो सोइल का क्लासिफिकेशन है उसकी सारी बातें मानता हूं मगर जिस दिन आपने इन्टेन्सिटी की बात कही है पंजाब ने इस चीज को पकड़ लिया। राजस्थान कैनाल से 110 की जगह 80 इन्टेन्सिटी से जा रहे हैं, जो वाटर लेवल हमारा 5 क्यूसेक्स है उसको आप 3.5 पर ले जा रहे हैं. आपको पानी की जरूरत नहीं है। यह पंजाब के पास, उनके हाथ में एक लिवरेज आ गई। उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। यह कोई एग्रीमेन्ट की धारा है कि फार्मर्स इस्तेमाल करते रहे हैं कन्जम्पशन में जहां पानी इस्तेमाल हो रहा है अन अफेक्टेड रहेगा यह भाषा है एग्रीमेन्ट की। आप यह कहते हैं कि 52 का एग्रीमेन्ट, हमारी वायस चलती, माननीय जोशी जी, हमें कान्फिडेंस में लिया जाता तो आपकी भाषा यह होनी चाहिए थी 55 में जो हमारा एग्रीमेंट किया उसमें जब हमारा शेयर तय हो गया 48 मिलियन एकड़ फीट के हिसाब से 52 पर्सेन्ट अन-अफेक्टेड रहेगा चाहे हरियाणा पंजाब कहीं जाये कहीं न जाये।

दूसरी बात मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि जो सतलज जमुना जो भाखड़ा सिस्टम है पंजाब का क्या करेंगे माननीय अध्यक्ष जी, हमारा जो पानी, जो दूसरा फैसला वो 81 का फैसला है, हमारा जो पानी का हिस्सा है 62.60 मिलियन एकड़ फीट हमेशा के लिये पंजाब के पास चला गया। एग्रीमेंट में यह भी कहा है कि जब तक पंजाब आल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं करेगा तब तक राजस्थान को पानी वापस नहीं मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, कोई डेट नहीं है कब वापस आ जायेगा हमारा पानी, कोई डेट नहीं है उसमें जब तक पंजाब आल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं करेगा वह पानी को इस्तेमाल करता रहेगा। अध्यक्ष जी, पानी इस्तेमाल कर लिया, क्राप पेटर्न बदल लिया, उन्होंने सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज बढ़ा दी। अनकमाण्ड को कमाण्ड एरिया कर दिया, जहां डबल क्राप थी वहां तीन क्राप शुरू कर दीं पानी इस्तेमाल करना शुरु कर दिया, पानी आपको रिटर्न करने वाला नहीं है। यह गया पानी हरियाणा से यह जमुना है सतलज जमुना में हमारा है 0.57। यह मिलियन एकड़ फीट वहां गया। नोहर फीडर गई सिद्धमुख भी गई हमारी और हमेशा के लिये पानी जो हरियाणा से हमें लेना है सतलज के बीच में हमारा हिस्सा बनता है वह हमेशा के लिये गया। अब कितना बड़ा नुकसान हुआ राजस्थान कैनाल का सैकण्ड फेस शुरु कर रहे हैं अब, उसके लिये कितना आपको पानी चाहिये, कितना इरिगेट करना है चाहे ग्रो करते हैं हमेशा के लिये राजस्थान की समृद्धि पर आपने रोक लगा दी। माननीय अध्यक्ष जी, दूसरा मैं यहां पर पॉलिटिकल आस्पेक्ट जो हैं वह भी मैं

(श्री केदारनाथ शर्मा)

निवेदन करना चाहता हूं। कल जो फैसला हुआ अकाली पार्टी से 13 मई, 83 को यही फैसला था, यह फैसला हो गया था। केवल स्वर्गीय माननीय हमारी प्रधान मंत्री इन्दिरा जी को अनाउन्समेंट करना था तो क्यों इतना बड़ा डिवास्टेड, इतना बड़ा हालो कास्ट, इतना ब्लड बाथ क्यों कराया गया इस देश में। क्यों हुआ यह ? सारा फैसला वह का वह है। यह धारा में नहीं थी जो 9 की धारा है। आखिरी दिनों में पंजाब की अकाली पार्टी मान गई थी कि राजस्थान को हम शामिल नहीं करेंगे, हमारे पानी के शेयर में। बिजली के शेयर में हरियाणा से झगड़ा है, राजस्थान से कोई झगड़ा नहीं है। मैं क्लोज क्वार्टर से बात आपको बता रहा हूं और एग्रीमेंट की नकल मेरे पास है। इतना बड़ा 83 के बाद, इतना बड़ा सारे देश में इतना नुकसान हुआ, मैं अन्दाजा नहीं दे सकता। दस हजार आदमी मारे गये और कितने अरबों रुपये का नुकसान हुआ प्रापर्टी का, कितना टेन्शन रहा, कितनी वन्स पैदा हो गई टेरेरिज्म की। जो पंजाब लैण्ड आफ ब्यूटी और एलेन्टी था, सिवरली और ब्रेवरी था पंजाब उसके सारे सोशल फेबरिक्स हमने तोड़ दिये। इतना बड़ा नुकसान किया, सारी गलतियों को रेन्सम में रख दिया और समझौता आपने किया, मैं उस पर रिफ्लेक्शन नहीं डाल रहा था यह इतनी गलती है हमारी। माननीय, हमारे अध्यक्ष जी, आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के इन्टेन्ट पार्टीजिम एंगल से नहीं बोल रहे यहां, पर, हम कोई पालिटिकल एंगल से नहीं बोल रहे हैं। अब आपको फैसला करना है कभी-कभी पालिटिकल पार्टी के सामने सरकार के सामने क्रिटिकल मूवमेंट्स आता है, कौन असर्ट करता है, कौन रास्ता निकलता है कौन निकलता है उसके आगे से, कितने गेट्स, इनिशियेटिव, कितनी अपनी वाइटेलिटी दिखाता है। जोशी जी, आपका वक्त है। थोडी सी हिम्मत आप कर लीजिये। हम तो आपके साथ हैं। आप इस्तीफा का कहा, इस्तीफा दे देंगे। आप डिमान्सट्रेशन को कहा, डिमान्सट्रेशन कर देंगे। राजस्थान बन्द का कहा, राजस्थान बन्द करवा देंगे। मगर यह आपको तय करना है कि राजस्थान का इन्ट्रेस्ट, या तो आपने सारी प्राम्परिटी को सीक करना है आइन्दा के लिये, राजस्थान का फ्यूचर अपने सील करना है। यह हमारे लिये आज सबसे ब्लैक दिन है जिस दिन यह एग्रीमेंट हुआ। इसलिये अब आपको तय करना है। मुझे विश्वास है जो हमारे प्रधान मंत्री हैं उनमें सेन्स आफ प्रपोर्शन मैं मान कर चलता हूं। पंजाब का हल किया बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया नेशनल आस्पेक्ट की दृष्टि से तो हमारे तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन है कुछ उसमें डिस्क्रीपेन्सीज हैं। तो अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग मिल कर चेम्बर में आपके कोई कामन रिजोल्यूशन पास कर दें। एक रिजोल्यूशन जाय सारी राजस्थान की असेम्बली, राजस्थान की साढ़े तीन करोड़ जनता आज इस बात पर तुली हुई कमिटेड है कि हमारा शेयर वही रहे जो हमारा पहले तय कर दिया, हम इसको छोड़ने वाले नहीं चाहे हमें कोई कुर्बानी, कोई काम करना पड़े। यही शब्द कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मानिकचन्द सुराना। कृपया बैठें।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : पार्टीज को मौका देंगे या सभी बोलेंगे। यह तो सब का मौका है। इसलिये नाथूराम जी को मौका दे दीजिये पहले।

श्री अध्यक्ष : पार्टीज को दे देता हूं। श्री शोपतसिंह।

श्री मानिकचन्द सुराना (लूणकरणसर) : अध्यक्ष जी, स्थगन प्रस्ताव वालों को आप मौका दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मुझे मालूम है। आप बैठें। एक सिस्टम ले लिया है उसी हिसाब से व्यूज आ जायेंगे।

श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के लोगों के लिये मेरे ख्याल में आज का दिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है।

एक माननीय सदस्य : कल का।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री शोपतसिंह : और सबसे पहले, मैं अपनी बात कहूं, उससे पहले दो सवाल मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं। जब सेशन था, विधान सभा का सेशन चल रहा है, यह सदन चल रहा है, सर्वशक्तिमान सदन, यह फैसला उस दौर में हुआ है। हम आपसे एक ही बात पूछना चाहते हैं, मुख्य मंत्रीजी, आप बताइये जो यह फैसला, जो यह ट्रीटी हुई है आज, अकालियों के साथ जो फैसला किया है, जिसका सम्बन्ध राजस्थान से जुड़ा हुआ है, राजस्थान कैनाल और हमारे सारे पानी से जुड़ा हुआ है, क्या आपको इससे पहले पूछा गया? अगर आपसे पूछा गया तो आपने इस बात की क्यों जरूरत नहीं समझी कि इस बात के लिये इस सदन में, जन प्रतिनिधियों से, दूसरी विरोधी पार्टी के लोगों से बैठ कर इस पर विचार किया जाये, कौनसा रास्ता निकाला जाये, यह पूछा जा सकता था। अगर आपसे नहीं पूछा गया है, तो फिर, मुख्य मंत्री, इस कुर्सी को छोड़िये मेहरबानी करके। इधर मैंने देखा है आपको एक कोने में बैठे हुए, इधर भी देखा है, विरोध पक्ष में बैठे हुए देखा है उस वक्त और आज की सेहत में कोई फर्क नहीं है। आपकी सेहत उस वक्त भी ऐसी थी जैसी आज है। मुख्य मंत्री आदमी की सेहत में कोई फर्क नहीं डालता। जहां तक इज्जत का सवाल है मेरे ख्याल में अगर दिल्ली की सरकार ने राजस्थान की सरकार से कोई सलाह नहीं ली फैसले से पहले तो इससे ज्यादा बेइज्जती हो नहीं सकती एक तरफ अकाली पार्टी ने उस सरकार के घुटने टिकाये है अकाली पार्टी ने केन्द्र सरकार के घुटने टिकाये है और राज्यों के अधिकार के बारे में, उसने सरकारिया कमीशन के बारे में, आनन्दपुर साहब प्रस्ताव में कूद कर, देश के प्रधान मंत्री आनन्दपुर प्रस्ताव के नाम से जिसने गद्दियां हासिल कीं, जिसने इश्यू बनाया सारे देश के अन्दर आज वह सरेन्डर हो गया, हमारे देश का प्रधान मंत्री अकालियों के सामने। आनन्द पुर साहब प्रस्ताव के शब्द दोहराये गये, बार-बार दोहराया गया है उस प्रस्ताव का नाम। बार-बार दोहराया गया है इस ट्रीटी के अन्दर, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ जहां पर अकाली हैं एक स्टेट के अन्दर। आज सवाल केवल पंजाब का सवाल नहीं है, पंजाब ने इस सवाल को उठाया, आन्ध्रा ने इस सवाल को उठाया, और दूसरी स्टेट्स और बहुत से कांग्रेस के मुख्य मंत्री भी इस सवाल को उठाया करते

(श्री शोभतसिंह)

है। सारी पार्टियों ने देश के अन्दर इस सवाल को उठाया है कि हमारे राज्यों के सेन्टर से सम्बन्ध हैं वह ऐसे नहीं होने चाहियें जैसे स्टेट और म्यूनिसिपैलिटी के हों। कोई भी फैसला करने से पहले राज्य के मुख्य मंत्रियों से सलाह ली जाय, कौन से ऐसे मामले हैं वहां पर जिनमें दखल दिया जाय और दखल नहीं दिया जाय, कौन से अधिकार दिये जायं और कौन से नहीं दिये जाय। पानी के सवाल पर, जिस पर हमारे राजस्थान का भविष्य निर्भर करता है, जिससे सारा हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है, हमारी खुशहाली उससे जुड़ी हुई है, अगर केन्द्र की सरकार ने राज्य की सरकार से पूछा नहीं है तो फिर सबसे पहला यह दायित्व बनता है हमारे मुख्य मंत्री का। छोड़ दीजिये। हम आपके साथ होंगे। हम मानेंगे आपको लीडर, विरोधी पार्टी के लोग बोलेंगे। हमारे आप लीडर बनिये हम आपके पीछे होंगे। राजस्थान को जिस तरह से जलील किया गया है, अगर आपको नहीं पूछा है तो यह कोई अधिकार की बात नहीं है, बहुत ही नेगलेक्ट किया है, ह्युमिलियेट किया है, जलील किया है हमारी सरकार को। इसलिये यह पता लगे हमारे देश के प्रधान मंत्री को कि राज्य की सलाह लेना कितना जरूरी है। इस बात का अहसास होना चाहिये उन्हें सवाल आज पार्टी का नहीं है। आज कौन लोग सफर करेंगे। वहां पर, वह कौन है और कहां के रहने वाले लोग हैं। इन ट्रीटीज के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक ही सवाल आपसे पूछता हूं कि यह 1 जुलाई, 1985 का मतलब क्या है? 1 जुलाई 1985 का मतलब क्या है? हमको कितना पानी मिलेगा? अभी परसों बहिन कमला जी कह रही थीं कि 17 साल का सबसे भयकर अकाल, 17 साल का भयंकर संकट जितना राजस्थान कैनाल और हमारी नहरों के सामने आया, भाखरा और गंग कैनाल के सामने, उसी तारीख की बात है। यह एक तारीख का स्टेटमेन्ट दे रही थीं कि यह इस दौरान का स्टेटमेन्ट था कि 17 साल के इतिहास में हमको जितना कम पानी मिला इस साल उतना कभी नहीं मिला और जो हिस्से में आया आपके वह कम था। इन 17 सालों में जो क्राइसेस हमारे यहां नहर में पैदा हुआ, वह हिस्सा मिला आपको, इस पर बैठ कर विचार कीजिये। क्यों नहीं तारीख तय की गई। जब कल फैसला हुआ कल फैसला दिल्ली में बैठकर हुआ, अकालियों के साथ तो तारीख वही होनी चाहिये थी। मगर आज तारीख होती तो आज पंजाब में फ्लड आया है, आज नहरों में पानी हमारे बहुत ज्यादा है, हमारी सारी नहरें भरी चल रही हैं। मगर एक तारीख को आपके पास कितना पानी था, जरा बताइये। इस बहस के बाद आपको बताना चाहिये और कम्परेटिव स्टेटमेन्ट बताइये जब आपका मानना यह है तो फिर आपने 17 साल का सबसे ज्यादा कमजोर दिन, सबसे कम पानी वाला दिन आपने क्यों चुना? आपने क्यों नहीं कहा कि अगर यह आप फैसला कर रहे हैं तो आज की तारीख रखी जाय। नहीं रखी। अगर यह बात पूछी जाती, हमारे मुख्य मंत्री ने इस बात को महसूस किया होता और पूछा जाता तो

(श्री शोपतसिंह)

हम बताते कि कौनसी तारीख हमारे हित में होगी। आज से एक जुलाई का दिन निश्चित रूप से राजस्थान के लिये क्राइसेस का दिन रहेगा। और वह क्राइसेस बरकरार रहेगी, वह बरकरार रहेगा जो आपने फैसला किया। इसका नतीजा क्या होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर सन् 1955 की ट्रीट्री के आधार पर एक हजार करोड़ रुपये के आपने प्रोविजन्स रखे हैं। अब एक हजार करोड़ हमारी राजस्थान कैनाल पर खर्च होगा। कौन देगा, एक हजार करोड़ रुपये, कहां से लायेंगे आप। कौन पे करेगा यह रुपये, अगर एक जुलाई का पानी रहा आपके पास तो राजस्थान की हालत क्या होगी? राजस्थान का किसान, जिसके ऊपर आपने पक्के खालों की किश्तें डाल रखी हैं, जिस पर आपने सिंचाई टैक्स लगाया है, जिस पर आपने खुशहाली टैक्स लगा रखा है, जिस पर आपने रेवेन्यू रेट दुगने और तिगुने कर रखे है और जिससे आप सरचार्ज टैक्स वसूल कर रहे है. जिस इलाके को आबाद किया, जिन लोगों ने, अपने खून और पसीने की कमाई से आबाद किया, आप वापस उस इलाके को गैर आबाद करना चाहते हैं। यही इरादे हैं आपके? अगर आप में थोड़ी बहुत भी समझदारी होती तो आपको सबसे बढ़िया दिन चुनना चाहिये था जुलाई का, जिसमें सबसे ज्यादा पानी मिला, मगर पंजाब में, मैं जानता हूं कि अकाली में एक बड़ी खूबी है, वे जानते है, पानी कब मिलता है, पानी के सारे तरीके जानते हैं उन्होंने वही जो हमारे लिये कहर का दिन था, वह कहर का दिन था हमारे लिये जिस दिन हमारी नहरों में पानी सबसे कम था, मतलब कहर का दिन था हमारे लिये। राजस्थान में हमेशा कहर ही रहे, राजस्थान में खुशहाली पैदा न हो तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात आपके मार्फत कहना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी से. सोच लीजिये हमको तो मरना है, मगर सड़-सड़ करके नहीं मरेंगे। शायद आपको कुर्सी अच्छी लगती होगी पर हम सूरमों की मौत मरेंगे, आपसे टकरा कर मरेंगे। हम जानते है कौनसी भाषा समझते हैं आप। हम लड़कर मरना ज्यादा पसन्द करेंगे। गंगानगर के लोग और उस इलाके के लोग, हमने सन् 1970 का आन्दोलन देखा है जिसमें 17 लोग गोली से मारे गये थे, गोलियों से आपकी। गंगानगर ही नहीं राजस्थान सारा होगा, हमारे साथ, राजस्थान सारा होगा,

(व्यवधान)

हम सफरर ज्यादा हैं नेचुरली हम ज्यादा सफरर हैं। जिसकी बागड़ी में कहावत है–

"जिसकी छाती फटती है उसको दूना जोर लगाना पड़ता है"।

यह ताकत हमको दुगुनी लगानी पड़ेगी क्योंकि हमारे तो एक्जिस्टेन्स का सवाल होगा हमारे साथ राजस्थान के लोग सारे होंगे। इस बात का बहुत भरोसा है। 70 के आन्दोलन में भी राजस्थान की सारी जनता हमारे साथ थी। मैं इस बात को भूला नहीं हूं। मगर जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगा वह गंगानगर जिले का किसान होगा, तबाह होगा बाकी राजस्थान

(श्री शोपतसिह)

पर असरात इसके पड़ेंगे। मगर वह रफ्ता रफ्ता पड़ेंगे, धीरे-धीरे पड़ेंगे, थोड़े पड़ेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इससे पहले कि हम तो पहले मारे जा रहे हैं, हरियाणा हमको हमारे हिस्से का पानी नहीं दे रहा है, पजाब पहले भी हमको हमारे हिस्से का पानी नहीं दे रहा था, आपने उसकी छुट्टी कर दी। उसमें सेम आयेगी, सेम से तबाह होगा, मगर इसके बाद भी उसकी पानी की भूख है जो उसने पंजाब में खेती का पेटर्न बदला उसने इतनी भूख पैदा कर दी पजाब में कि जितना पानी चाहिये उतनी ही फसल पैदा कर दे। चाहे दो साल, तीन साल आन्दोलन रहें, अकालियों के आन्दोलन में पंजाब के सबसे बुरे दिन थे मगर हर साल हर फसल में सारे रेकार्ड तोड़ देते हैं वहां के किसान क्योंकि इस आन्दोलन के अन्दर उनको जो फायदा सबसे पहला हुआ, किसान को हमारे को कोई पूछने वाला ही नहीं था, सारा का सारा पानी पंजाब ने यूज किया। पंजाब में पिछली रबी की फसल में रेकाड तोड़ उसने गेहूं पैदा किया, रेकार्ड तोड़ धान पैदा किया उस आन्दोलन, क्राइसेस के दौरान पंजाब के किसान ने, उसकी वजह क्या थी कि पानी उसको मिल गया, कोई पूछने वाला ही नहीं है। वहां के किसान को जो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला वह पानी का मिला। उसने सारे रेकार्ड तोड़ दिये। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय पंजाब की भूख मिटने वाली नहीं है। पजाब का काश्तकार पानी बराबर अभी तीसरी फसल का ले रहा है, एक्सपेरिमेन्ट कर रहा है, वह पहले दो फसल लेता था, जितना ज्यादा पानी मिलेगा, तीसरी फसल ले लेगा वह। अभी वह पेटर्न अपनी फसल का बदल रहा है। अभी गन्ना ले रहा है। उसमें ज्यादा पानी की जरूरत है। वह सेम वाले इलाके में भी हो जायेगा। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आखिर में एक ही बात कहता हूं कि बहुत हो गया यह तमाशा। इस देश के अन्दर करोड़ों लोगों को मार कर, इस देश में अरबों रुपयों की सम्पति को नष्ट करके, कुर्सी का ही तो सवाल था और तो कोई सवाल नहीं, यह आन्दोलन जो पंजाब में हुआ, यह उग्रवादी जो पैदा किये, जिनको हवा दी, यह सरकार ने दी और अब अपना मतलब साधने के बाद यह फैसला किया। यह बहुत पहले किया जा सकता था। इस फैसले पर, माननीय, अध्यक्ष महोदय, तीन विरोधी पार्टियों का जब सम्मेलन हुआ, अकाली विरोधी पार्टी और केन्द्र सरकार का यह प्रस्ताव तो उसी वक्त दिया जा चुका था। लोंगोवाल किशनसिंह जो एम. पी., पार्लियामेन्ट के मैम्बर थे उन्होंने यह सारा का सारा आल्टरनेटिव दिया कि this is the alternative वही आल्टरनेटिव आज हमारे सामने आया है। पंजाब अकालियों और केन्द्र सरकार का उस वक्त एक ही बात थी कि पंजाब और हरियाणा दोनों के मामले में राजस्थान को निकाल दिया गया था कि राजस्थान इसमें कहीं बीच में नहीं आता है। पानी के झगड़े के अन्दर यह झगड़ा पंजाब और हरियाणा का है, यह बात तय है। सबसे जो बुरा बेलाज जोड़ा गया है यह बलाज है। सबसे बुरा

(श्री शोपतसिंह)

जो किया है राजस्थान के लिये वह इस क्लाज ने किया है।

मैं आखिर में एक ही बात कहता हुआ कि लोग बड़े एजीटेटेड हैं, मुख्य मंत्रीजी, और आपकी इज्जत भी इस वक्त....

एक माननीय सदस्य ; खतरे में है।

श्री शोपतसिंह : खतरे में नहीं, पता लगेगा, पता लगेगा कि हमारे मुख्य मंत्री कितने मजबूत हैं, कितने बोल्ड हैं और कितने कुर्सी के गुलाम हैं। अगरचे आपको सरकार ने नहीं पूछा तो इस्तीफा दीजिये, और अगर आपसे पूछा और आपने गलत राय दी और चूंकि सैशन इस वक्त चल रहा था उस वक्त भी आपने जरुरी नहीं समझा तो आपको इस्तीफा देना चाहिये। इसी में आपकी इज्जत रह सकती है और राजस्थान की सरकार की बात को केन्द्र की सरकार और हमारे देश का प्रधान मंत्री अहमियत तभी देगा जब यह सारी बात होगी वरना राजस्थान की जनता लड़ेगी अपने अधिकारों को लेगी। इसमें पीछे नहीं रहेगी। इसमें आप ऐसा मौका नहीं आने देंगे राजस्थान के अन्दर कि इस तरह की लड़ाई राजस्थान में हो।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम मिर्धा।

श्री नाथूराम मिर्धा (मेड़ता) : माननीय अध्यक्ष जी, यह आपने इस समझौते को राजस्थान की दृष्टि से अहम समझ कर के प्रश्नों का काल भी बन्द करके इस पर बहस के लिये हमको कहा। बहुत-बहुत आभारी हैं। हम आपके। इसकी महत्ता तो है पर मैं सोचता हूं कि इकतरफा ही सारी बात चलती जाय क्योंकि अभी तक तो हमने सब सारे मामले को अखबारों में पढ़ा है, हमको तो इससे ज्यादा, कोई अखबारों से ज्यादा, ज्ञान है नहीं और आप तो मेरे ख्याल से पंचायती में भी शामिल नहीं हुए होंगे या हुए होंगे, यह भी हमको पता नहीं। अब उस पंचायती में अगर आप शामिल हुए हैं और आपने कुछ उसको किस तरह से समझ कर के क्या राय दी है यह भी हमको पता नहीं। जो पुराने समझौते हुए थे उनका क्या हश्र होगा, वह रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आपका दृष्टिकोण भी साफ आवे या आप में से कोई बोले, सिंचाई मंत्रीजी को कोई ज्ञान हो तो वे बोलें तो फिर हम लोग, बहुत सी बातें आ गयीं जो हमने कह दीं, अब इसका अच्छा होगा, बुरा होगा कि क्या होगा वह राय हम तब अच्छी तरह दे सकेंगे, जब आप पहले कुछ अपना मुंह खोलें, आप उसका क्या समझें क्योंकि हम तो अखबारी ज्ञान रखने वाले लोग हैं। आपका कुछ यथार्थ ज्ञान है एक्चुअली इसके इम्पलीकेशन क्या हैं? यह ठीक है कि उन्होंने पंजाब की आग को बुझाने की कोशिश की, अच्छा प्रयास है। पर आग एक जगह बुझा दी, दूसरी जगह तूली फेंक दें तो बड़े गजब की बात होगी। जिसका आपको और हमको ज्ञान ही नहीं कि अपने यहां तूली आ गयी और शायद कल लग जाय आग, तो हमको आपका विचार मालूम पड़ जाय कि इसमें क्या आप

(श्री नाथूराम मिर्धा)

शामिल हैं, कहां तक आपकी सलाह है, कहां आप इसका इम्पलीकेशन समझते हैं, कोई बातचीत के बाद समझते हैं या आप भी हमारी तरह ही जैसे हम अखबारों से समझ रहे हैं वैसा ही समझ रहे हैं....

(व्यवधान)

नहीं । नहीं । हमको मालूम है, पता नहीं अब आपको कितने दिन पहले पूछा, किसने पूछा सलाह ली, क्या आपने दी । अगर आप हमारी तरह के ही हवाई में फायर करेंगे और अखबारी ज्ञान से ही अपन चलेंगे तब तो फिर भारत सरकार के पास चलेंगे सब एक साथ भिखारी बन करके, क्या किया आपने, मार दिया आपने हमको । तो मेरे ख्याल से आप हमको कुछ रोशनी डालें तो कुछ मीनिंगफुल डिस्कशन हो सकता है, टू दी पाइन्ट हो सकता है–That is what I honestly feel.

इसलिये आप कुछ कहें, सरकार की तरफ से कोई जानकार कहें, आप कहें, कोई कहें, हमको पता नहीं इस बात का ।

श्री अध्यक्ष : आप पहले बोलना चाहेंगे ? आर्डर प्लीज । श्री मानिकचन्द ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज आप भी बोलें । मुझे क्या एतराज है । मैं आप सब को मौका दे दूंगा । कृपया ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, नहीं माननीय सदस्य, जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया है, वह बोलना चाहेंगे, तो मैं क्या करूं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप फिर बोल लेना ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकारी पक्ष कुछ तो बताये ।

श्री मानिकचन्द सुराना : मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है मैं कुछ बोलना चाहता हूं वह सरकार कहेगी, सरकार से खुद मिलेंगे । मैं, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : वह अगर नहीं बोलना चाहे तो मैं क्या करूं–what can I do ?

(व्यवधान)

रिपीट नहीं करें जो नयी बात हो । ऐसा आप कुछ....

श्री मानिकचन्द सुराना : आप मुझे मौका देंगे तो शायद रिपीट नहीं करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : मौका दे ही रहा हूं मैं आपको । कोई ऐसी बात हो ।

श्री मानिकचन्द सुराना : मैं इसीलिये निवेदन कर रहा हूं कि जो बातें कही जा चुकी हैं उनकी पुनरावृत्ति यथा संभव मैं नहीं करूंगा । पर मैं इतना निश्चित रूप से करूंगा कि राजस्थान के इतिहास में कल से बड़ा काला दिन कोई भी पिछले 37 साल के इतिहास में नहीं आया । मुख्य मंत्रीजी जयपुर में थे, भारत सरकार के प्रधान मंत्रीजी ने राजस्थान के मुख्य मंत्री को समझौते के वक्त दिल्ली बुलाना जरूरी नहीं समझा, यह इस बात का प्रतीक है,

(श्री मानिक चन्द सुराना)

अध्यक्षजी, ऑल इण्डिया के सारे स्टेट में राजस्थान की गिनती और उसका स्तर कितना कितने तरीके से आंका जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वर्तमान सरकार में चुने हुए मुख्य मंत्री हैं तो फिर मुख्य मंत्रीजी के साथ सूबेदार मुख्य मंत्री की तरह का व्यवहार किया। अध्यक्षजी, 1 जुलाई 1985 को जितना पानी था, उतने पानी पर सीलिंग लगा देना कि राजस्थान को उतना पानी मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, 1 जुलाई, 1985 को 4236 क्यूसेक पानी राजस्थान को मिला, यथा संभव सरकारी आंकड़ों के आधार पर इस सदन में जो 4 दिन पहले जवाब दिया, 4-5 दिन पहले उसके आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं 4236 क्यूसेक पानी, और यह राजस्थान नहर है, अध्यक्ष जी, 18500 क्यूसेक की आज से एक साल पहले, अध्यक्ष महोदय, हमारा 1 जुलाई, 1985 को 10150 क्यूसेक डिस्चाज था 1 जुलाई, 1984 को और सन् 1983-84 में, अध्यक्ष जी, 7540 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज था, मासिक कितना डिस्चार्ज जुलाई, 1983–84 में था, सरकारी आंकड़ा है, 1984-85में कितना डिस्चार्ज था सरकारी आंकड़ा है और 1985-86 की एक जुलाई को क्या हुआ, 4236, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं, 1983-84 में इस सरकार ने, यह इनकी प्रगति रिपोर्ट है, जिस वक्त में 7500 क्यू. पानी मिला राजस्थान को उस वक्त में 438000 हैक्टेयर में सिंचाई की। इस साल, मुख्य मंत्रीजी, आपने दावा किया, अपनी प्रगति रिपोर्ट में कि हम 35000 तो नये हैक्टेयर में राजस्थान नहर से पानी लगायेंगे, 35000 हैक्टेयर में और 716000 हैक्टेयर में कुल उपलब्धि पानी की करेंगे, यह इन्दिरा गांधी नहर विभाग की रिपोर्ट में आपने कहा है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, 4236 क्यूसेक पानी से राजस्थान नहर के पहले चरण में भी पानी पूरा लग नहीं सकता, जितनी सिंचाई आज उपलब्ध है उससे भी यदि यह सदन और यह सरकार इस समझौते को मान लेते हैं, इसके खिलाफ बगावत नहीं करते हैं, इसका प्रतिरोध नहीं करते हैं, इसके खिलाफ संघर्ष नहीं करते हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फिर संतुष्ट हो जाइये सिर्फ ढाई लाख हैक्टेयर में खेती करके राजस्थान नहर से। इसी सदन में, अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व मुख्य मंत्री, जो आज अभी सदन में उपस्थित नहीं हैं, ने कहा, इस सदन से प्रस्ताव पास कराया, यह बड़े खेद की बात है कि 28 वर्षों, मैं शिवचरणजी माथुर का रैफरेन्स दे रहा हूं, यह बड़े खेद की बात है कि 28 वर्ष के लम्बे समय के बाद अब इस समझौते पर आपत्ति उठायी जाकर मांग की जा रही है कि राजस्थान का हिस्सा कम किया जाय। यह सदन का प्रस्ताव है, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान को मिले हुए पानी के हिस्से तथा इस संदर्भ में प्राप्त अधिकारों में किसी प्रकार की कमी होने से राजस्थान राज्य को अकथनीय व अपूरणीय हानि होगी जिसे राज्य की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी-। यह बयान है श्री शिवचरण जी माथुर का, इसी सदन के अन्दर। अध्यक्ष महोदय, यह जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज से दो वर्ष पहले 23-2-1983 को यह बयान है और

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आज यदि राज्य सरकार इस बयान के अनुरूप कार्यवाही नहीं करती है, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेन्ट हो गया, यह हजार करोड़ का इन्वेस्टमेन्ट जितना पानी वह हमको देंगे उससे सिर्फ 250 करोड़ के इन्वेस्टमेन्ट का उपयोग होगा बाकी इन्वेस्टमेन्ट का कोई उपयोग नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय इससे बड़ा राजस्थान की खेती पर, सिंचाई से होने वाली खेती पर कहर नहीं पड़ सकता। अध्यक्ष महोदय, और यह कहर किन्होंने डाला, एक तरफा कहर, सन् 1955 में समझौता हुआ सारी पार्टी सारे राज्यों के बीच में मैं चुनौती देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जब भारत के प्रधान मंत्री को चार स्टेट में जो समझौता हुआ था जिसमें भारत सरकार एक पार्टी थी क्या उस समझौते को इकतरफा निरस्त करने का उनको अधिकार है। ऐसा कोई अधिकार माननीय प्रधान मंत्रीजी को नहीं है। आपने सुना होगा, यह बात-चीत, अध्यक्ष महोदय, कल दोपहर में टूटते-टूटते बची और इसलिए बची है कि भारत सरकार ने पूरी तरह से सरेन्डर अकाली दल के सामने कर दिया। जिस अकाली दल से लड़ने के नाम पर दिसम्बर के चुनाव में "आनन्दपुर साहब प्रस्ताव देश के टुकड़े कर देगा", इस नारे के साथ में सारे देश से 405 सीटों का प्रबल बहुमत कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुआ था और आनन्दपुर साहब प्रस्ताव को देश द्रोह का डाकूमेन्ट बताया था और आज वही डाकूमेन्ट सरकारिया कमीशन को रेफर होगा। और यह कहा जा रहा है कि यह हिन्दुस्तान के संविधान के चौखटे के अन्दर है. यह उसकी बाउण्ड्री के अन्दर है, उससे बाहर नहीं है और इसलिए आनन्दपुर साहब प्रस्ताव को सैंटर स्टेट रिलेशन के एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया। भेज दिया होगा उन्होंने। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, इस बात का इतिहास रेकार्ड रखेगा नहीं कि आप मुख्य मंत्री थे। इस बात का रिकार्ड जरूर रह सकता है कि भारत सरकार ने यह कल जो निर्णय किया है राजस्थान के खिलाफ इसके खिलाफ बगावत का झण्डा यदि आप उठायेंगे तो निश्चित रूप से हम भी आपका समर्थन करेंगे और राजस्थान के पौने चार करोड़ लोगों के एक-एक घर में आपकी तस्वीर यदि आपने यह बगावत की, निश्चित रूप से राजस्थान में रहेगी। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो? यदि आपने ऐसा नहीं किया मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी। राजस्थान की जनता हमको भी माफ नहीं करेगी जो इस सदन के सदस्य होकर आए हैं कि इन्होंने क्या बगावत की? आज सिर्फ आपकी कसौटी नहीं, आज विपक्ष के नेता की, आज लोकदल के नेता की, आज जनता पार्टी के नेता की तीनों पार्टियों की कसौटी है कि हम इस मुद्दे पर मिमियाने लगते हैं प्रधान मंत्री के सामने या एक इंसान की तरह बगावत राजस्थान के किसानों के हक में करने की क्षमता रखते हैं। मैं मांग करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, यह क्षमता आप में है सिर्फ मोह आपको कुर्सी छोड़ने का हटाना पड़ेगा। यदि आप उस कुर्सी के मोह से ऊपर उठते हैं तो कुर्सी भी आपको मिलेगी और

(श्री मानिक चन्द सुराना)

राजस्थान के हकों की, हितों की रक्षा होगी। इन हितों की रक्षा के लिए, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्रीजी ने क्या सोचकर राजस्थान के मुख्य मंत्री को नहीं बुलाया? क्या यह सही है, मुख्य मंत्रीजी, कल दोपहर में आपकी टेलीफोन पर प्रधानमंत्री से बात हुई थी। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्रीजी ने कल दोपहर में आपको टेलीफोन किया, मैं नहीं जानता आपकी बात-चीत क्या हुई। लेकिन उसके बाद मुझे यह नहीं मालूम कि आप दिल्ली गए या नहीं गए, लेकिन जो सूचनायें हैं उसके आधार पर आप शायद दिल्ली नहीं गए। ऐसा तो नहीं कि कहीं बहुत पहले आपने यह कह दिया हो कि आप मर्जी आए जो फैसला राजस्थान की तरफ से कर लें और राजस्थान सरकार उसको स्वीकार कर लेगी। कहीं ऐसा तो नहीं? यदि ऐसा है तो भी आप उजागर कर दीजिए कि आप ऐसा कह कर आए हैं ताकि फिर हम आपके भरोसे न रहें, राजस्थान की सरकार के भरोसे न रहें और बगावत का झण्डा विरोधी पार्टियां उठाकर, यदि पंजाब पचास हजार लोगों को गिरफ्तार करवा सकता है, माननीय मुख्य मंत्रीजी और प्रधान मंत्रीजी सुन लें कि इस मुद्दे पर राजस्थान के लोग एक लाख लोगों को जेल भेजकर इस बात को दिखायेंगे कि रगों में खून सिर्फ अकालियों के ही नहीं बल्कि राजस्थानियों की रगों में भी खून है और उस खून के द्वारा हम यह कभी नहीं होने देंगे कि आप 4200 क्यूसेक पानी हमको दे दें जब कि हमारे पानी का हक 8.6 मिलियन एकड़ फीट है। हम अपने पानी की कटौती किसी भी स्तर पर, किसी भी हालत में नहीं करायेंगे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो तथ्य मैंने रखे हैं 1983–84 के, 1984-85 के और 1985-86 के आंकड़ें, जो सबसे कम आंकड़ा आता था 1 जुलाई, 1985 को, माननीय प्रधान मंत्रीजी ने दो साल पहले का आंकड़ा क्यों नहीं मान लिया? 1984–85 का आंकड़ा क्यों नहीं मान लिया जिसमें हमको 10150 क्यूसेक पानी मिलता था। वह पानी का आंकड़ा मान लिया जो कम से कम पानी जिस साल में आ रहा था, अकाल ग्रस्त था, पानी सबसे कम बहा और पानी सबसे कम जब आया वह आंकड़ा राजस्थान पर लागू करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज का जो ट्रिब्यूनल बनाया है उसमें जायेंगे कौन? हरियाणा और पंजाब। पानी के लिए वह झगड़ सकते हैं, हम क्यों नहीं झगड़ सकते। हम अपने क्लेम को क्यों नहीं रख सकते जबकि अकाली पार्टी पहले कहती थी कि तीनों स्टेट के लोग सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को तय करायें। माननीय अध्यक्ष जी, जिस बात को अकाली दल वाले कह रहे थे कि तीनों स्टेट का मामला सुप्रीम कोर्ट में भेज दीजिये, क्यों उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कराया गया और क्यों राजस्थान के हकों का बलिदान देकरके यह 4236 क्यूसेक का पानी राजस्थान के लिए जो रिजर्व किया है। मैं कहना चाहता हूं कि इससे बड़ा कोई कहर नहीं पड़ सकता, इससे बड़ा कोई काला दिन नहीं आ सकता और आवश्यकता इस बात की है कि विपक्ष और सरकार दोनों मिलकर इस मुद्दे पर भारत सरकार की बात को न मानें और बगावत का झण्डा और संघर्ष का झण्डा उनके खिलाफ उठायें।

(श्री मानिकचन्द सुराना)

मैं इस उम्मीद के साथ कि माननीय मुख्य मंत्रीजी सिर्फ जनरल स्पीच नहीं देंगे बल्कि ठोस इस मुद्दे पर सीधी, सटीक और बिलकुल कांकरीट बात भारत सरकार से लड़ने की और इस मुद्दे पर सक्रिय रूप से भारत सरकार न माने तो इस विधान सभा की सदस्यता से आप भी स्तीफा दें हां पक्ष के सारे लोग और हम भी देते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि भारत सरकार किस तरीके से राजस्थान के हकों का बलिदान करती है और उसकी सही बात को सुनने से कतराती है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सारा सदन इस मुद्दे पर एकमत होगा और भारत सरकार के विरुद्ध बगावत का झण्डा उठायेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। बैठें आप, मेरे पास जिनके नाम हैं उनको मैं पहले पुकार लूं। श्री मोहनलाल।

श्री नत्थीसिंह : जैसा कि मिर्धा साहब ने निवेदन किया है पहले सरकार का पक्ष आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा था इस बात को....

श्री नत्थीसिंह : उनके आने के बाद हमारी तरफ से लोग बोलें। पहले सरकार का पक्ष आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं तो चाहता हू लेकिन माननीय सदस्यों का आग्रह है मैं क्या कर सकता हूं। वे आग्रह कर रहे हैं तो मैं क्या करूं इसका....

(व्यवधान)

आपने स्थगन प्रस्ताव दिया है ?

(व्यवधान)

कृपया बैठें। अब माननीय सदस्य आग्रह कर रहे हैं तो मेरी मजबूरी है।

(व्यवधान)

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले सरकार का पक्ष आ जाय फिर बोल लेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप कहें तो क्लेरीफीकेशन सीक कर लें, कोई बात हो तो देख लें। दुबारा सारे विषय पर भाषण हो और चर्चा में जाय तो मैं इजाजत नहीं दूंगा।

माननीय मुख्य मन्त्रीजी।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के माननीय नेताओं ने जो भावना व्यक्त की है उस भावना के साथ में, मैं अपने आपको जोड़ता हूं। कांग्रेस पक्ष और कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में राजस्थान की जनता ही उसमें कभी भागीदार नहीं होगी, यह विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, पंजाब का मसला देश के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आया था। इसने पंजाब में, देश में और संसार में जो स्वरूप ग्रहण किया उस स्वरूप ने भारत की एकता को एक प्रकार की चुनौती दी थी और उसकी परिणति एक प्रकार से इस देश के प्रधान मंत्री की हत्या के रूप में हमारे सामने आई। सारा देश यह चाहता था, हमारे शुभ चिंतक भी यह

(श्री हरिदेव जोशी)

चाहते थे कि इसका समाधान हो। और भारत सरकार ने अपनी ओर से, विरोधी पक्षों ने अपनी ओर से मिल करके भारत सरकार के हाथ मजबूत करने की कोशिश की। तो यह एक शुभ स्थिति है कि अकालियों के साथ में एक प्रकार का समझौता हुआ। परन्तु स्थिति का दूसरा पक्ष भी है कि अकालियों की मांगों के कारण जो प्रभावी पक्ष थे उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा है। राजस्थान विधान सभा में आज हम सब, कोई इस पार्टी में है, कोई उस पार्टी में है, कोई उस पार्टी में है और सभी लोग जनता से चुन कर आए हैं, मगर पार्टी राजनैतिक लोएलिटी और उन सब चीजों से ऊपर इस प्रदेश की साढ़े तीन करोड़ जनता और यह देश है, इसको हमको स्वीकार करना चाहिए। इस बारे में मेरे दिमाग में कहीं कोई भ्रम नहीं है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नदी-पानी विवाद के सिलसिले में काफी विस्तार में सुन चुके हैं इसलिए मैं बहुत लम्बाई में जाने की आवश्यकता नहीं समझता। जब इस देश का विभाजन हुआ था तब सिन्धु नदी के पानी का किस प्रकार से हल हो, इसका 1955 की ट्रीटी के साथ में समाधान दिखाया गया था। और मैं सहमत हूं इस बात से कि अगर राजस्थान के थार डेजर्ट का मुद्दा अहम् नहीं होता, शायद हिन्दुस्तान को इतना पानी न मिलता। इसलिए यह सोचना कि राजस्थान इसमें मैटर नहीं करता है, मैं इसको सही नहीं समझता। अध्यक्ष महोदय, जिस समय वह ट्रीटी हुई थी उस समय सही स्थिति तो यह है कि राजस्थान का जो पक्ष रखा गया था उसके मुकाबले में पंजाब का पक्ष नगण्य था। और भारत के इस रेगिस्तानी क्षेत्र का विकास हो सके इसलिये वह शेयर भारत को मिला। तो जो मूल रूप में प्रश्न है वह/यह है कि क्या हम आज इसमें कोई फेरबदल कर सकते हैं अथवा करना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, इसके बाद 31 दिसम्बर, 1981 को एक नये प्रकार की स्थिति पैदा हुई। वह पैदा हुई स्थिति, राजस्थान के कारण से नहीं बल्कि पंजाब के विभाजन के कारण, पंजाब के लोग पंजाब सूबा मांगते थे, उन्हें जो पंजाब विरासत में मिला था वह पंजाब उन्हें रास नहीं आया और उन्होंने भाषायी प्रान्त की मांग की। उसका परिणाम उस समय का पंजाबी जो हिन्दुस्तान के साथ आया था उसके तीन टुकड़े हुए-पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। उस समय उस सीमा के निर्धारण के साथ में और असेट्स के बंटवारे के कारण जो विभाजन हुआ असेट्स का और जो विभाजन हुआ पानी का, उसका, उस नदी पानी के विवाद का हल 31 दिसम्बर, 1981 को हुआ। वह एक प्रकार से इस बात का सबूत है कि उस समय भी राजस्थान की बात को समझा गया था और जिस रूप में राजस्थान का हिस्सा स्वीकार किया उस समय की भारत सरकार ने और उस समय की राजस्थान की सरकार ने, उसमें तीन राज्यों के मुख्य मंत्री थे और श्रीमती इंदिरा गांधी के गवाह के रूप में उस समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हैं। इसलिए मेरी निगाह में उस समझौते की पवित्रता है जिसको सब लोगों ने मिलकर के किया था। अध्यक्ष महोदय, अब एक प्रकार से....

श्री यदुनाथ सिंह : क्या पवित्रता है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं बैठ जाऊं। आप बोलिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, बरसों से पहले भी हम सुनते आ रहे हैं कि पंजाब में पानी के विवाद को लेकर के एक प्रकार की उथल पुथल है। अकाली दल ने जो प्रस्ताव रखा था वह प्रस्ताव पूरे देश के सामने है। भारत सरकार ने हमारे क्लेम को रिइट्रेट किया है। और कल की बात को छोड़ दीजिये उसके पहले भारत सरकार ने जो व्हाइट पेपर इश्यू किया है उस व्हाइट पेपर में भी यह माना है कि राजस्थान का हिस्सा बदले जाने के योग्य नहीं है, वह नेगोशियेबल नहीं है। इसलिए मैं ऐसा नहीं समझता कि भारत सरकार हमारी स्थिति को नहीं समझती है अथवा एप्रीशियेट नहीं करती है।

अध्यक्ष महोदय, कल के फैसले के बाबत में यहां पर काफी चिन्ता व्यक्त की गयी है और जो लेंग्वेज उसकी आयी है उससे मैं भी उतना ही चिन्तित और पीड़ित हूं मैं इस चीज को छिपाना नहीं चाहता। मुझे सरसरी तौर पर यह कहा गया था कि कुछ विचार विमर्श करने के लिए मैं दिल्ली जा सकता हूं क्या ? तो मैंने कहा कि मैं राज्य का वित्त मंत्री भी हूं और एप्रोप्रियेशन बिल मैंने पेश कर दिया है, बजट चल रहा है इसलिए मेरे लिये आना सम्भव नहीं होगा। तब सवेरे साढ़े पांच बजे कल मुझे यह सूचना दी गयी कि श्री पी. शिवशंकर जयपुर आ रहे हैं, मैं उनसे बात कर लूं। वह हवाई अड्डे पर आये, मैं वहां हवाई अड्डे पर गया। अध्यक्ष महोदय, वह एक प्रकार का मसविदा लेकर आये थे जिसको आप धारा 9.1, 9.2 और 9.3 कह सकते हैं। उस चीज को, मसविदे को उन्होंने मुझे बताया। उनके और मेरे बीच में लगभग तीन, साढ़े तीन घण्टे तक चर्चा हुई। उस चर्चा के अन्दर मैंने बहुत स्पष्ट रूप से जो मसविदा यहां आया था उसको अस्वीकार कर दिया और मैंने उनसे कह दिया कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझ से कई प्रकार का सलाह मशविरा भी किया गया, कई प्रकार की बातें भी की गईं, कई प्रकार की चीजें भी कही गयीं, उसमें यह समझाने की कोशिश की गई कि इस शब्द का यह अर्थ है, इसका यह अर्थ है इस विगत में आज जाने की आवश्यकता नहीं है। मगर उस चर्चा के बाद में मैंने राज्य मंत्रिमडल की बैठक भी की, उसमें उस चर्चा को मैंने बहुत स्पष्ट रूप से सामने रख दिया। मेरा जो स्टेप था उसको राज्य मन्त्रिमंडल ने रिइट्रेट किया और मुझ से सहमति प्रकट की। इसलिये मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान का मंत्रिमंडल जो विचार मैं रखता हूं उस विचार से सहमत है। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं इसको साफ कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में मैंने आज भी मेरे साथियों, जो भी मुझे यहां पर अवेलेबल हो सकते थे, को इकट्ठा करके

(श्री हरिदेव जोशी)

और इस विषय में सलाह-मशविरा किया। मैंने अपनी राय, जो लिखी हुई है, भारत सरकार को स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। उस राय को भी सदन के सामने रख रहा हूं। मगर उसके पहले मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं और वह यह है कि हम कांग्रेस पार्टी के सारे लोग इस राज्य में एकमत हैं कि राजस्थान के हितों को हर्गिज कहीं पर भी अगर उसके ऊपर कुठाराघात होता है तो इसको हम दर-गुजर नहीं करेंगे। मगर मैं यह विश्वास करके चलता हूं कि भारत सरकार आज तक श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी जो कि उनके जीवनकाल के अन्दर व्हाइट पेपर निकाला था वह एक प्रकार से घटनाक्रम का इतिहास था और सारे कारणों सहित उसको स्पष्ट किया गया था उसमें भी रिइट्रेट किया गया राजस्थान की स्थिति को। मैंने अपनी बात को भारत सरकार के समक्ष पी. शिवशंकर यहां से गये उसके तुरन्त बाद टेलेक्स, जो यहां से भेजा है, को भी मैं साफ करके सदन के समक्ष रख देना चाहता हूं और उनको खुद को भी इसको बतला दिया गया है :—

"From : Harideo Joshi, To : The Prime Minister, for his personal attention.

Have seen possible draft pertaining to share of river waters. Inclusion name of Rajasthan seems wholly un-necssary and contradicts the substance of reference to the proposed name of Rajasthan" मैं फिर पढ़ देता हूं "Inclusion of name of Rajasthan seems wholly unnecessary and contradicts the substance of reference to the proposed Tribunal. Insistence of inclusion of Rajasthan seems to be designed by party concerned to create complication in actual flow of water from headworks into Rajasthan. Request reference to the Water Treaty and Memo of Understanding signed in 1955 as also the agreement of 31 December, 1981 at the level of Chief Ministers with the late Prime Minister as witness. Please also refer para 17 of the White Paper issued by the Government of India on 10 July, 1948, and annexure 5 thereto. Control over headworks should be under B.B.M.B. control as per earlier decision to ensure our due share of water."

मैं ऐसा समझता हूं अध्यक्ष महोदय, यह एक मुख्य मंत्री की ओर से प्रधानमंत्री को राज्य की राय है, जो भावना है उसको बहुत स्पष्ट करता है और मैं ऐसा समझता हूं कि इसमें कहीं भी राज्य के हितों को सरेण्डर करने की बात, जो यहां कही जाती है वह बिल्कुल नहीं आती है। मैं एक बात में निश्चित रूप से विश्वास करता हूं और रह-रह कर मुझे बार बार विश्वास दिलाया जाता रहा है कि राजस्थान के हितों को कभी भी चोट नहीं पहुंचाई जायेगी। आज एक बहुत डेलीकेट स्थिति है, एक समझौता

(श्री हरिदेव जोशी)

हुआ है, हम सब भारतवासियों को, जिसमें हम राजस्थानी भी हैं, इस बात की चिन्ता है कि यह समझौता ठीक तरह से अमल में आ जाय, ठीक तरह से मायने राजस्थान के हितों को चोट नहीं पहुचे। इसलिए जो मुझे जिनके द्वारा कहा जा रहा है, मैं कह सकता हूं कि भारत सरकार इस बात में आश्वस्त करना चाहती है राजस्थान को कि राजस्थान के हितों को कहीं भी अनदेखा नहीं किया जायेगा, उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा, इसकी स्थिति कमजोर नहीं की जायेगी। इन शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात सदन के समक्ष रख रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

ऑर्डर माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष जी, राज्य के मुख्यमंत्री जी और सदन के नेता के विचार इस सारे मामले में सुने और उन्होंने जो बातें कही उसको भी हमने अच्छी तरह से समझा। मैं जो यह 1955 का समझौता है उसके साथ मैं व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ा हुआ हूं। मैं उस समय राजस्थान राज्य का सिंचाई मंत्री था और मुख्य मंत्री जी सुखाड़िया जी थे। उस समय भी यह माही का और रावी, व्यास, सतलज का जो समझौता हुआ था यह बहुत एफर्ट्स करके हमने उस वक्त किया था। क्योंकि आज जिस प्रकार की देश की स्थितियां हैं इनका कुछ थोड़ा सा अंदाज भविष्य का मुझे बनता था इसलिए कई दफे इस समझौते में हमारी तरफ से भी ढीलापन आता था कि नहीं किया जाय, पर मैं बहुत खास तौर से पर्टिकुलर था और सुखाड़िया जी को मैंने किसी तरह से रजामंद किया कि आज समझौता करना जरूरी है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, यह रावी-व्यास-सतलज का पानी अपने इस देश में पाकिस्तान से अपने को इसी बुनियाद पर मिला कि राजस्थान की धरती बहुत रेतिली धरती है इसमें फ्लों का पानी जा सकता है, यह जमीन देश की सारी भूख को भगा सकती है, यह बड़ा भारी एक बेस था जो राजस्थान में ही इस पानी के उपयोग की दृष्टि से पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की संधि के बीच में एक बड़ी भारी इसकी पृष्ठभूमि थी। इसी पृष्ठभूमि में इस पानी का उपयोग हिन्दुस्तान को करने की स्वतंत्रता मिली और इन नदियों के पानी का उपयोग करने के बारे में अपन ने पहले से कुछ योजनायें बनाई थीं और फिर जिस प्रकार से हरिके प्रोजेक्ट बना, वह सारी एक अलग से कहानी है। मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहता।

अभी जो कुछ मुख्यमंत्री जी ने कहा उससे मैं जो समझा, दूसरे क्या समझे, वह तो कोई बोलेंगे तब पता लगेगा, आज और सारे उधर बैठने वाले लोग इस बात से सहमत हैं कि जो 1955 में समझौता हुआ और जो पानी उस समय राजस्थान को मिला क्योंकि उस समय न हिमाचल था,

(श्री नाथूराम मिर्धा)

न हरियाणा था और न पंजाब था, सब एक ही पंजाब था इसलिए जो समझौता हुआ था वह यह हुआ था, कि 8.6 पानी इन नदियों का राजस्थान को मिलेगा और बकाया पानी सब वह उपयोग करेंगे। अब वह जब अलग-अलग हुए तो फिर सवाल हुआ उनके पानी के बंटवारे का। अपने पानी के बंटवारे का कोई सवाल कभी भी पैदा नहीं हुआ। इस वक्त में भी मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। और होता है तो इसमें एक-एक राजस्थान के आदमी को चाहे कुछ भी त्याग और कुरबानी करनी पड़े, करने के लिए सब तैयार हैं, ऐसा मैं समझा भाषा के माध्यम से। मैं अगर गलत समझा हूं तो मुझे आप कह देना, जो 1955 का समझौता है उसमें अगर अपने इस सिस्टम से जो आने वाला पानी है उस पानी में कमी नहीं की जायेगी। अभी जो कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है वह आपके क्लाज एक, दो और तीन से हो रहा है। आपने भी जैसा मैं समझा जो कुछ भी केजुअली आपसे बात की गयी, केजुअली कहता हूं मैं इसको कि आपे चट से हवाई जहाज में बैठ कर के और बात करके आपको बुला लिया और वहां बात हो गयी, और आपने उस समय असहमति भी जाहिर कर दी, यह भी अपने अभी मुझे बताया और यह आपने केबीनेट के सब लोगों को बता दिया और पार्टी के सब लोगों को जानकारी करा दी कि आप जो धाराएं जिस तरह से रखी है और जिसके ऊपर अभी हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय साथी ने कहा था कि हमारा 1-7-85 को पानी का कैनाल में उपयोग इतना कम था। अगर यही तारीख होती है और इतना ही पानी अगर फ्रिजिंग पाइन्ट हो जाता है तो मैं सोचता हूं कि न तो राजस्थान कैनाल के सैकण्ड फेज का मतलब है, न कोई इस पानी के आगे की योजना बनाने की जरूरत है, न कोई राजस्थान कैनाल का आगे काम करने की जरूरत है क्योंकि अभी भी हमने तो जो पोटेंशियल क्रिएट कर लिया राजस्थान कैनाल में, चाहे उसका पूरा उपयोग न हुआ हो, वह पोटेंशियल तो करीब साढ़े पांच मिलियन एकड़ फीट के करीब तो हमने कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर इस शेयर में डिस्टरबेंस होता है जो, 1955 का हमसे एग्रीमेंट किया था तो फिर राजस्थान के एक-एक व्यक्ति को, चाहे चुने हुए हों, चाहे कहीं हों, इसके लिए लड़ना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। इस सूखे प्रांत की कोई जीवारी नहीं है, इधर माही का समझौता जो किया उसके अन्दर कड़ाना बांध नहीं बन रहा, बहुत दिनों से अटका हुआ था, राजस्थान ने ग्रेसफुली इस काम को किया कि भई, नर्मदा प्रोजेक्ट तुम्हारा बनेगा तो अभी जो हम इससे पानी आपको दे रहे हैं साढ़े पांच लाख एकड़ करीब सिंचाई का यह पानी आप हमें वापिस लौटा देंगे हम इसको हमारे सूखे इलाके में यूज करेंगे। वह भी अब मुंह बिगाड़ रहे हैं। देश के हालात कितने बिगड़ रहे हैं? इसका मतलब कि आप सरेण्डर करते जाओ, लोग ऊपर चढ़ते जायेंगे। वे सब काम में लेते जायेंगे और अपन ही भूखों मरेंगे और अपने ही लोग गरीब रहेंगे, उन लोगों को कहीं पानी मिलने वाला नहीं। तो मेरे कहने का मतलब

(श्री नाथूराम मिर्धा)

मध्य प्रदेश में पानी रोक ले, चंबल में आने नहीं दे और इधर हमारी माही का पानी जो उधर एक कैनाल बनते ही हमेशा के लिए ही चला जायेगा, नौगांव का पानी डैम का, वह हम को बरसात में कुछ दे देंगे बाकी थोड़ा सा गिनती का देंगे। तो फिर राजस्थान में पानी नहीं होगा तो आप और हम ठीक हैं और आपकी और हमारी पीढ़ियां तो बढ़ती चली जा रही है, क्या करेंगे वे सब यहां? चूहों की तरह भूखों मरने की नौबत आयेगी। यह बड़ा गंभीर मसला है। इसलिए पंजाब के लोगों को राजी किया, शांति की, झगड़ा मिटाया, ठीक किया but not at our cost हमारा त्याग कोई एक सीमा का होता है उसके अन्दर अगर हमारी पीढ़ियों को ही बरबाद कर दिया जाये तो वह त्याग नहीं, वह तो मौत है और मौत सड़-सड़ के मरना ठीक है या लड़के मरना ठीक है, यह तो राजस्थान की परम्परा है और खास तौर से आपके उदयपुर के इलाके की परम्परा है, सड़-सड़ के मरने की तो अपनी इच्छा है नहीं। तो कुल मिलाकर के इस मामले में जो समझा कि अभी जो कुछ भी इन्होंने धाराएं जोड़ी हैं और इनका क्लेरिफिकेशन जैसा आप सोचते हैं और मैं सोचता हूँ वैसा अगर नहीं होता है तो फिर आप भी सरकार में नहीं रहेंगे और हम भी सरकार में तो हैं नहीं और लड़ेंगे। सब मिलकर के, भारत सरकार से अपन को लड़ना पड़ेगा। राजस्थान में कुछ न कुछ अपन को अशांति करनी पड़ेगी और लोगों को उसके लिये मोबिलाइज करना पड़ेगा और तैयार करना पड़ेगा लोगों को कि भई इस तरह से हमारे ऊपर चारों तरफ से पानी बंद है और बुरी तरह भूखों मर जायेंगे। तो क्या करेंगे। तो उस समय फिर आप और हम सब एक साथ कमर कस कर चलते हैं ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसा मैं समझा आपके कहने से, क्योंकि आपकी तो तैयारी है पहले से ही। आपने तगड़ा दिया है और साथियों से भी सब सलाह करके आप बोल रहे हैं तो हमारा हौंसला भी बुलंद हुआ है आपकी बात सुन करके। और मुझे ऐसा लगता है जैसा यहां हमारे विपक्ष के नेता जी कह रहे थे कि आप त्याग करो, इस कुर्सी को छोड़ो, मेरे ख्याल से आपकी तैयारी लगती है। अगर लड़ाई करनी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी, क्यों गुलाबसिंह जी, मैं कोई गलत कहता हूं तो आप कह दें और लड़ने के लिए कमर कसने के लिए तैयार हो जायेंगे। इसलिए दो दिन में एक दिन में चार दिन में आप सफाई कर लो कि साहब, अगर यह पानी जैसा आपने एक तारीख को मुकर्रर किया वह फ्रीज करते हो तो हमारे और आपके झगड़ा है,

(1.00 बजे म. प)

फिर तो हम राजस्थान में बिगुल बजायेंगे, शंख बजायेंगे और कोई न कोई जोरदार यहां पर आन्दोलन करेंगे जनतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। पंजाब की आज आप आग बुझायेंगे और और तूली हमारी तरफ फेंक कर आग यहां लगाना चाहें तो लगा दो। जैसा मैंने बोला था, आपसे निवेदन किया था तो मेरा आपसे निवेदन है कि यह पानी हमारे राजस्थान के लोगों की जान है, राजस्थान के

(श्री नाथूराम मिर्धा)

लोगों की ही नहीं हिन्दुस्तान के लोगों की जान है। पंजाब डूब रहा है, पंजाब में वाटर लोगिंग हो रहा है, पंजाब की सोयल स्पोइल हो रही है। "पर माखी घी में पड़े तो न घी स्वरण दें और न माखी खुद मरे जासी" यह क्या कोई तरीका है देश में। यह कोई देश का सही तरीका नहीं है। और इस तरह की संधियां और समझौते, देश की मौत है। मैं आपसे इस बारे में बहुत स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं। ठीक है, वे किस इरादे से झगड़ा करते कहाँ तक पहुंच गये, यह ठीक बात है, झगड़ा कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मैं उसकी डिटेल्स में अभी उस पालिटिकल रगड़े में नहीं जाना चाहता देश में कई दफे मुझे लगता है कि हम वोटों के लिए कुछ भी किसी मौके पर कुछ प्रयोग कर लें उसी से कई झगड़े पनपते हैं और कई झगड़े जब सोचते हैं कि निपटाने होते हैं तो हम निपटाते हैं। मैं तो जनरल बात कहता हूँ। बाकी यह जो कुछ भी अब समझौता हुआ, शांति हो जाये तो ठीक है। पर राजस्थान का एक बून्द भी पानी अगर अपना समझौता हुआ-हुआ है उससे बाहर जाता है तो मैं सोचता हूँ राजस्थान के एक भी आदमी को बर्दास्त नहीं करना चाहिए और उलझे हुए मामले तो बहुत हैं। अब आज कोई सुलझाने वाला ही नहीं है, अपने 26 मामले उलझे पड़े हैं दूसरे एक पार्टी में आप बैठे हैं, उस पार्टी का राज्य आज करीब 2 सब राज्यों में है राज्यों के साथ में कौन सुलझाये हैं? क्या देश की एकता है? आज दुर्भाग्य है कि इन सारे विवादों को सुलझाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। आज जितने विवाद कोई पानी के, कोई नदियों के पानी के उपयोग के है। कितना स्लो प्रोसेस है एक ट्रिब्यूनल बना दो वर्षों तक चलता रहे,। अभी नर्मदा का जो फैसला हुआ, खोसला साहब ने फैसला दिया था मेरे वक्त में, जब इसकी हाइट चार सौ शायद पिचानवें बतायी थी, आज अब जोरदार फैसला 15-20 वर्षों के बाद में निकला कि नहीं 450 होगा, और कोस्ट क्या थी उस समय, नर्मदा की कोस्ट थी उस समय कुल मिलाकर कोई 1200 करोड़ रुपये और अब है 12000 करोड़ रुपये। यह तो हमारे देश के नेताओं की अक्ल के नमूने। 15 वर्षों में 40 फीट उसकी हाइट घटायी आपने और उसमें कोई फर्क नहीं है तो आज इस देश में अगर पानी है वह नदियों में बहकर समुद्र में चला जाये, डूबने वाले डूबते चले जायं, जमीनें अपनी बिगाड़ते चले जायं इतना सेल्फिस हो जायं कि उस पानी का च हे यूज नहीं है तो भी जबर्दस्ती लेते चले जायेंगे और सूखे हैं वे प्यासे मरें, पीने का पानी भी नहीं हो उन इलाकों के अन्दर तो राजस्थान के लोग ही, प्रतिनिधि फिक्र नहीं करेंगे तो दूसरा कौन फिक्र करेगा, राजस्थान के लोगों को इन बातों की फिक्र करनी पड़ेगी। इसलिए मैं लम्बा नहीं बोलूंगा। मैं तो आपकी भावनाओं को समझता हूं, मुझे लगता है कि आपको भी इन बातों की काफी चिन्ता और दुःख हुआ है, ऐसा मुझे लगता है और यह दुःख हमको भी हुआ इसलिए हमने यहां चर्चा उठायी और दूसरे काम को छोड़ कर इसको छेड़ा। अब अच्छा हो कि आप और हम एक दफे बैठ कर चाहे इस हाउस में लम्बी

(श्री नाथूराम मिर्धा)

चर्चा नहीं करके, एडजोर्न करके 5–7–10 आदमी, आपने जैसे केबिनेट वालों से और अपने लोगों से सलाह कर ली, हम से तो करी नहीं, हम से भी अगर आप सलाह कर लो और कुछ बात कर लो तो आपका हमारा थोड़ा माइण्ड क्या यूनीजन है वह समझ में आ जाये तो आगे उस यूनीजंस के लाइन से सोच कर अपन क्या समय समय पर कदम उठायेंगे आपको विल, ताकत देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यह भी हम सोचने को तैयार हैं और राजस्थान के हित में करने को तैयार हैं। पालिटिकली कोई भी इसमें लम्बी चौड़ी बात नहीं है क्योंकि इन्ट्रेस्ट वह आपका है और वह भी हमारा हैं, एक ही इन्ट्रेस्ट है, राजस्थान के लोगों के हित में इन्ट्रेस्ट है। तो इसलिए पहले जरा अगर ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं समझें तो 5-7 आदमी बैठ कर के जरा हम भी आपका माइण्ड समझ लें, आप हमारा माइण्ड समझ लो फिर उसके लिए कुछ लाइन आफ एक्शन बना लें। अगर मान लीजिये, यही फैसला है धाराओं में जैसा लिखा हुआ है जिसको उथल पुथल करके वह पुराना सारा मामला उखाड़ दिया जाये तब तो आप को और हम को फिर इस असेम्बली में बैठकर के बजट पास करने से, दूसरी सारी बातें करने से, कोई मतलब नहीं है। अपन को बहुत गम्भीरता से उस फील्ड में ही चलना पड़ेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। तो आप अपना माइण्ड बना लो और कोई दो चार भाई ने इस लेबल पर सुन लो और उसके बाद में आप और हम सारे एक ही एक जगह बैठ जायें क्योंकि आपने अपने लोगों से सलाह कर ली, हम से कुछ बात हुई नहीं। हमको तो सीधा अखबारों से और रेडियो से ही सुनने को मिला, इससे ज्यादा हमारा कोई ज्ञान नहीं है....

एक माननीय सदस्य : एडजोर्न हो।

श्री नाथूराम मिर्धा : हां वह हाउस एडजोर्न करेंगे तभी तो।

तो मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा था कि भैरोंसिंह जी को तो यह आपके हवाई जहाज के मैदान पर जाने का पता लग गया मेरे जैसे जीव को यह पता ही नहीं लगा कि कहां गये हैं क्योंकि I am least careful man of these days.

तो इनको तो पता था कि आपको वहां बुलाया और यह हुआ सब, मुझे तो पता नहीं था। यह जानकारी की बात है, वह ध्यान रखते हैं मैं तो शिव जी के दो नाम लेता रहता हूं। मुझे पता नहीं लगता इन बातों का। तो अब आप हमको थोड़ी सी रोशनी दीजिये और फिर हम क्या करें और आप क्या करो उसका कुछ रास्ता बना लें। कैसे आगे चलेंगे कैसा नहीं करेंगे। फिर बैठेंगे, आपका बजट, आप सोचोगे, पास करना जरूरी है तो कर देंगे, नहीं तो अपन यों ही (इशारा) रवाना हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : भाभड़ा जी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस संबंध में नाथूराम जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

कुछ समय के लिए हाउस को एडजार्न करके इस विषय पर मुख्य मंत्री, महोदय, और विरोधी दल के नेता बैठ कर कोई रास्ता निकालें। वैसे बहस तो होती रहेगी, उसका कोई अंत नहीं होगा और उसमें से कोई सार नहीं निकलेगा। चूंकि इस मामले में जैसा कि मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था, मैं भी उसी बात को बताना चाहता था कि सन् 1955 का जो समझौता हुआ उसकी पूर्व भूमिका जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का झगड़ा रावी सतलज और व्यास नदियों के पानी के बंटवारे पर हुआ उस समय वर्ल्ड बैंक बीच में पड़ा और यहाँ आकर राजस्थान की भूमि को देखकर ही उसका जस्टिफिकेशन हुआ था कि राजस्थान में इस पानी के उपयोग की जरूरत है. इसलिए भारत सरकार को यह पानी मिला है। यह बहुत अहम् बात है इसलिए इस बारे में आप यह व्यवस्था करें कि कुछ समय के लिए हाउस को एडजोर्न करें और हम लोग बैठकर इस सम्बन्ध में चर्चा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री कल्याण सिंह कालवी।

श्री कल्याणसिंह कालवी (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य ने जो राय दी थी, रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसी राय में मैं सहमति प्रकट करते हुए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इतने बड़े महत्व पूर्ण मसले पर विचार करने के लिए हाउस को स्थगित करके एक कॉमन रिजोल्यूशन तैयार कर लिया जाए और उसी के आधार पर केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाला जाए कि जो 1955 में हमारा समझौता हुआ उसी समझौते के अनुसार हमको पानी मिलना चाहिए और उसमें से एक बून्द भी हमारे हिस्से का पानी कम नहीं किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : छंगाणी।

श्री मोहनलाल छगाणी (फलौदी): अध्यक्ष महोदय. मैं भी जैसा माननीय नेता नाथूराम जी. कालवी साहब ने कहा, प्रस्ताव से सहमत हूं और सही मायने में एडजोर्न करना चाहिए जिस तरह की राजनीति उभरकर सामने आई है और राजस्थान के हितों पर कुठाराघात हुआ है उससे मेरे मेरे ख्याल से सामुहित-रूप से हमें संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि व्हाइट पेपर में साफ था. उन्होंने कहा है खास तौर से रिवर वाटर डिस्प्यूट में. अध्यक्ष महोदय. एक मिनट में मैं कहना चाहूंगा।

"Governments were agreeable to rescind the agreement of December 31, 1981, between the Governments of Punjab Haryana and Rajasthan, and to refer the dispute regarding the surplus waters of Ravi and Beas to a Tribunal presided over by a Judge of the Supreme Court under the Inter-State Water Disputes Act.

यह तो इससे आगे बढ़ गये। मैं अध्यक्ष महोदय. और आगे कहता हूं—

"However, the Akali Dal wanted to re-open the 1955 agreement on the basis of which arid and dry lands of Indus Basin in Rajasthan are being irrigated.".

शुरू से ही उनका आधार यह था हालांकि इण्ड्स ट्रीटी इसलिए बनी कि राजस्थान का सूखा एरिया हमारे अण्डर था। अकाली दल यही डिमाण्ड कर रहा था शुरू से ही कि राजस्थान को पानी नहीं पहुंचे और पंजाब की इंटेंसिटी 210 पर्सेंट जैसा विपक्ष के नेता महोदय ने कहा, हो जाए। यह सारी की सारी साजिश थी इस साजिश के आज हम शिकार हुए हैं। आज सही मायने में यह हमें तय करना है कि इस तरह की राजनीति, जिसमें राज्य के हितों को फैडरल स्ट्रक्चर को कायम रखने के लिए कई तरह की तिकड़में लगाई जायेंगी और हितों को सेक्रिफाइस करना पड़ेगा। राजस्थान की परम्परा को सरेण्डर करनी है या उसको रेजिस्ट करनी है, यह भी तय करना पड़ेगा। हमें अंजैया होना है या एन. टी रामाराव होना है। मेरा खयाल है कि शिवशंकर ही ऐसे आदमी थे जिन्हें अंजैया बनाया। इस तरह के वातावरण में निश्चित तौर से इस हाउस को एडजोर्न करना चाहिए क्योंकि जब मुख्य मंत्री भी कहते हैं कि वह भी संघर्ष को, चाहे उसके तरीके दूसरे ही हों पर आज हमें सदन में उनके कलिग हैं इसलिए सब मिलकर के इस तरह कॉमन प्रस्ताव पास करना चाहिए और राजस्थान प्रदेश का पूरा का पूरा रिजन्टमेंट, पार्टी के भेदभाव रहित और सारे जन समूह को प्रेरित करता हुआ, ऐसा रिजोल्यूशन लाना चाहिए। यह हम केन्द्रीय सरकार को बता देंगे कि राजस्थान किसी भी सूरत में अपने पानी के हकों पर क्योंकि हमेशा चाहे 1955 का समझौता हो, 1981 का समझौता हो चाहे कोई भी रेफरेंस हो, राजस्थान का शेयर माना जाता था। अध्यक्ष महोदय, इण्डस ट्रीटी का आधार राजस्थान था। आज राजस्थान का शेयर नहीं और किसानों को पानी मिलता है पानी आधार पर हमको पानी देंगे, हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। राजस्थान एक मुख्य अंग है भारत वर्ष का और राजस्थान की परम्परा है कि अपने हकों की रक्षा करने के लिए वह किसी भी तरह की कुर्बानी करने के लिए तैयार है। नाथूराम जी का आज उद्बोधन, भाषण था और जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा मेरे ख्याल से धरातल तैयार है और राजस्थान के मुख्य मंत्री राजस्थान के हितों की रक्षा करने में मैं सोचता हूं, कामयाब हों, नहीं तो हम सारे उनके साथ हैं और वह भी हमारे कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे ताकि राजस्थान को पानी, जितना हिस्सा है, वह मिल सके।

श्री अध्यक्ष : मुख्यमंत्री जी।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है राज्य सरकार ने जो बात कही है मैंने उसको सदन के सामने रख दिया। जहां तक कोई बात भारत सरकार को कहनी है आप इससे अधिक कुछ और कहना चाहते हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहना चाहते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : कहना चाहते हैं,

(श्री हरिदेव जोशी)

तो मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं। आप सदन की कार्यवाही चलने दीजिए....

(व्यवधान)

मेरी अर्ज सुन लीजिये।

श्री शोपत सिंह : सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे हम। कोई फैसला होगा इस से पहले कोई कार्यवाही नहीं चलने देंगे हम।

(व्यवधान)

इससे पहले कोई कार्यवाही नहीं होगी। पहले फैसला होगा। आपने सिर्फ स्टेटमेन्ट दिया है वह काफी नहीं है। आप क्या कहना चाहते है।

श्री मोहन प्रकाश : जब इनके टेलेक्स भेजने के बाद समझौता हुआ है इसलिए मामला और गम्भीर हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : एक कामन रिजोल्यूशन पास किया जाए।

श्री नत्थी सिंह : मैं यह कहना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : सदन की कार्यवाही रोक कर फैसला करें कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठें माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, कृपया बैठें। आर्डर प्लीज....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : कुर्सी बचाने के लिए ही आपने कन्सेन्ट दी है। आपकी कंसेंट से ही समझौता हुआ है। इस कंसेंट के बिना यह समझौता नहीं हो सकता था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य बैठें....

(व्यवधान)

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : हमें पानी चाहिए....

श्री नत्थी सिंह : हम चाहते हैं कि सदन भी प्रस्ताव पास करे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य कृपया बैठें। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य कृपया बैठें....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या आप यह चाहते हैं कि जिस तरह पंजाब में हुआ था उसी तरह से राजस्थान में भी हो। आप हमको इस तरह से उत्तेजित करना चाहते हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्या।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : (इंदिरा गांधी नहर मंत्री) आपकी अनुमति से कुछ कहना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप क्यों बोलेंगे इसके अलावा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : फ्यूचर के मुख्य मंत्री हैं, क्या...

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, ऐसे गम्भीर सब्जेक्ट पर आप ऐसी चुटकियां लेते हैं आपको शोभा नहीं देती। अध्यक्ष महोदय, मैं यह आपकी अनुमति से अर्ज करना चाह रहा था कि मेरा खयाल है, इस टेलेक्स से ज्यादा कोई स्ट्रोंगर वर्ड्स में राजस्थान के हितों को सैंटर के सामने रखा जाए, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा कोई....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुख्य मंत्री के इस टेलेक्स के बाद ही यह फैसला हुआ है। इसी बात पर तरस है। उसके बाद ही राजस्थान डूबा है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आप सुनें तो सही....

(व्यवधान)

आप सुनिए तो सही....

(व्यवधान)

कृपया बैठें माननीय सदस्य—

श्री हरिकुमार औदिच्य : हाउस को एडजोर्न करने से टेलेक्स को बल मिलेगा इसलिए मेरा निवेदन है हाउस को एडजोर्न किया जाए। इससे आपका जो टेलेक्स गया है उसको बल मिलने वाला है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, कृपया बैठें। माननीय सदस्य, आप सुनने की कृपा करें। माननीय सदस्य, सुनने में क्या एतराज है....

(व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप बैठें, माननीय सदस्य। व्यवस्था का प्रश्न आ गया।

श्री नत्थीसिंह : मुख्य मंत्री महोदय ने अपनी बात कही, टेलेक्स की बात कही और सरकारी दृष्टिकोण बताया, ठीक बात है। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं, कैनाल मंत्रीजी क्या कहेंगे। हम चाहते हैं, यह सदन भी अपनी राय दे या नहीं, इस बात में मुख्य मंत्री जी सहमत हैं या नहीं ? अगर सहमत हैं तो निश्चित रूप से हाउस को एडजोर्न करिये।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें, माननीय सदस्य,

श्री नत्थीसिंह : सलाह मशविरा करिये एकमत का प्रस्ताव लाइये। अगर आप यह चाहते हैं कि हमारी राय टैलेक्स के बाद में समझौता एनाउंस हुआ है—

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री नत्थीसिंह : हम इसको मानने को तैयार नहीं हैं। विधान सभा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहती है और इसके लिए समय दिया जाए। सदन स्थगित किया जाय और फिर सलाह मशविरे के बाद....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपने यह कैसे अन्दाजा लगा लिया।

(व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : अब क्या बुलवा रहे हैं। बुलवा कर क्या करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया सुनने का कष्ट करें।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर प्लीज। कृपया सुन लें।

(व्यवधान)

सुनने में क्या दिक्कत हो रही है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : जब हाउस का यह मत बन गया है, दोनों पक्ष एक हैं। हाउस का यह मत है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हाउस में जब कोई एक बात आती है तो सुनने में क्या एतराज है। कृपया बैठे।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : और, अध्यक्ष महोदय, आप इतने उत्तेजित हो रहे हैं, होना भी चाहिए, सब्जेक्ट बहुत ही सीरियस है। लेकिन मैं सिर्फ यही अर्ज करने जा रहा हूं अध्यक्ष महोदय, इस टैलेक्स के कारण ही, इसके बाद ही, खास तौर से माननीय विपक्ष के नेता महोदय को यह पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि इस एक्सट्रेक्ट....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सुन लिया पढ़ लिया आपने सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा। आपने यह भी फरमाया कि we have to read in between the lines.

मेरा खयाल है कि इस टैलेक्स के बाद में ही राजस्थान के इन्ट्रेस्ट को ध्यान में रखा गया है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं ट्रीटीज में, एग्रीमेंट्स में विस्तार से नहीं जाऊंगा लेकिन 1955 से लेकर आज तक एक लाइन आफ थिंकिंग, भले ही, कोई भी प्रधान मंत्री रहा हो, का लाइन आफ थिंकिंग ठेठ तक चली आई है और उस लाइन आफ थिंकिंग को इसमें भी दोहराया गया है। अगर आप इसको पढ़ेंगे,

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो कट आफ लाइन आप सबने पढ़ी है और देखा है कि 1-7-1985 है।

"The farmers of Punjab, Haryana and Rajasthan will continue to get water not less than what they are using from the Ravi Beas system as on 1-7-85"

अब इसके बाद में अध्यक्ष महोदय, these are the crucial senta nces:—

"Waters used for consumptive purposes will also remain unaffected." It is not without thought की

यह एड किया गया है। "Quantum of usageg claimed shall be verified by the Tribunal...." etc. etc.

दूसरा पाइंट अध्यक्ष महोदय, मैं इसको बाद में वापस ले लूंगा।

दूसरा जो रेलेवेंट पोर्शन है आखिर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का आपने जिक्र किया कि सेंटर को कोई अथारिटी नहीं थी। 9 (2) में अध्यक्ष महोदय, who are the parties ?

"The claims of Punjab and Haryana regarding the share in their remaining waters...."

अगर आप, भैरोंसिंह साहब 1955 से लेकर आज तक देखें पर्सेंटेज सिर्फ 1981 में जो कि बाद में रेक्टिफाई किया गया है, percentage has remained 52.6 per cent.

डिस्प्यूट जब कभी भी उठा है भले ही वह, जब पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का विभाजन हुआ, अध्यक्ष महोदय डिस्प्यूट 7 एम. ए. एफ. की थी असल में उसमें डिस्प्यूट 47.4 पर्सेंट का ही हर समय रहा है। उसमें उतार चढ़ाव रहा है और आज यह जो पार्टिकुलर डेलिबेरेट कोंसिसयस इंडिकेशन रेफरेंस जो हुआ है, अध्यक्ष महोदय, "their remaining waters" it applies to that 44.7 percent.

एक माननीय सदस्य : That is a different matter.

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं आपको इसलिये अर्ज कर रहा हूं, यदुनाथ सिंह साहब।

श्री अध्यक्ष : नाम ले करके क्यों पुकारते हैं आप ? अपनी बात कहिये। अपनी बात कहिए कृपया। उसमे उत्तेजना होती है उधर। आप नाम लेते हैं वह उत्तेजित हो जायेंगे।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आज मैं इसलिये वापिस इस पाइंट को दोहरा रहा हूं क्योंकि विपक्ष की तरफ से कंसर्न होना चाहिए, मैं यह नहीं कहता कि नहीं होना चाहिए, आखिर स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन जैसा माननीय मुख्य मंत्रीजी

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

ने फरमाया कि इसका एक सेंसेटिव इश्यू सेटल हुआ। आरोप यह भी हुआ, माननीय छंगाणी साहब ने फरमाया कि सेंटर ने राजस्थान के इंट्रेस्ट को एक तरफ रख कर, इक तरफा डिसीजन ले लिया है। मुझे अध्यक्ष महोदय, इस 9.1 एंड 9.2 में कहीं भी एक पर्सेंट भी राजस्थान के इंट्रेस्ट को कम्प्रोमाइज करने का कोई एक सबूत नहीं दिख रहा है....

एक माननीय सदस्य : फिर आपकी पार्टी क्यों चिन्तित है।

श्री शोपत सिंह : आपको तो वैसे भी दिखाई नहीं देता। कुर्सी के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय, सदस्य कृपया बैठें। माननीय सदस्य, आर्डर

श्री नवरंग सिंह : (नवलगढ़) माननीय भाटी जी, आपको दिखता नहीं। सिर्फ टेलेक्स दिखता है राजस्थान के हितों को बेच दिया आपने, कीमत राजस्थान के हितों की आंकी है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य। बैठें कृपया.

श्री शोपतसिंह : यह जो अखबार में आया है सारा पढ़िये जरा आप। आधा पढ़ रहे हो जनाब सारा पढ़ो, क्या कह रहा है....

श्री डूंगरराम पंवार (टी बी) : राजस्थान को पानी के बैलेंस में कर दिया....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री डूंगरराम पंवार : फर्स्ट प्रायेरेटी में पंजाब और हरियाणा और बैलेंस में है राजस्थान।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो कर्सिनिंग मंत्री हैं उनको अहित ही नहीं दिख रहा है? हित दिख रहे हैं उनको? फिर इस सदन में खड़े हुए हैं आप....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्रीमती हमीदा बेगम (चूरू) : सदन में इतनी बात होती है फिर भी पता नहीं किस तरह से ले रहे हैं इतना ईजी....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लील।

श्रीमती हमीदा बेगम : आप सुनना ही नहीं चाहते....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : उपदेश नहीं दिया जाए। आपको तो अहित तब भी नहीं दिखता...

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत सिंह। कृपया बैठें।

श्री सम्पत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का....

श्री अध्यक्ष : कृपया, बैठें आप। माननीय सदस्य, बैठें आप।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं बार-बार यह दुहराना चाह रहा हूं क्योंकि पार्टी पर पार्टी के ही प्रेसिडेंट पर, पार्टी के ही प्रधान मंत्री पर बार बार यह आरोप आ रहा था कि साहब उन्होंने राजस्थान के हितों को नहीं देखा यह असत्य है। हम सब बैठ कर जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने टेलेक्सफरमाया इससे ज्यादा सुबूत आपको क्या पेश करें जो आपके सामने हुआ है देट इज ए डिफरेन्ट मैटर लेकिन, माननीय विपक्ष के नेता महोदय, इसमें अगर आप ठेठ से वह लाइन आफ थिंकिंग देखें तो आप खुद भी इस पाइंट पर पूरे सहमत होंगे कि आखिर आप देखिये करोड़ों रुपये खर्च हो गये, न केवल राजस्थान के हुए हैं वल्कि सेंटर के भी हुए हैं। आखिर राजस्थान सेंटर का एक अंग है, हजारों करोड़ों जब खर्च हो गये हैं एक इनफ्रास्ट्रक्चर क्रियेट हो गया है, एक इनफ्रास्ट्रक्चर जैसा माननीय नाथूराम जी ने फरमाया आज आपने मेन कैनाल बना ली, ठेठ एंड तक, अब आप लीलवा कैनाल शुरू करने पधार रहे हैं, उस इनफ्रास्ट्रक्चर में ऊपर वाले अंधे नहीं हैं, इतने नानकंसर्न नहीं हैं कि उस पानी को जिसके लिए इनफ्रास्ट्रचर क्रियेट हो गया है, जिसके लिए इन्टरनेशनल ट्रीटीज हुई हैं, जिसके लिए इन्टरनेशनल लोन्स लिये गये हैं, जिनके लिए इंटर स्टेट कमिटमेंट्स जिनके किये इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं।

श्री लालचन्द : नौहर कैनाल सिद्ध मुख्य कैनाल को पानी अलाट नहीं हुआ। वह खतम हुआ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय श्री लालचन्द कृपया बैठें।

श्री लालचन्द (भादरा) : यह तैयार हो गया इसको हमने कर लिया, लेकिन सिद्धमुख और नोहर कैनाल का काम हुआ that will be sacrificed.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठें। आर्डर प्लीज।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इसीलिए अध्यक्ष महोदय he has used the word 'sacrifice' इसलिये मैं बार-बार आपको दुहराना चाहता हूं कि no interest of Rajasthan has been sacrificed and no interest will be sacrificed.

श्री लालचन्द : हाउस एडजोर्न करके विचार करें कि हमें आगे क्या कदम उठाना है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप पढ़ने की कोशिश करें....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जो कि प्रोफेसर केदार ने फरमाया था और माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने भी फरमाया था पर्सेंटेज की भी बात आई और हमने जो थोड़ा एक निर्णय लिया है पर्सेंटेज रिडक्शन करने के लिए, 80 लाने के लिए वह भी एक मुद्दा उनके हाथ में आया।

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

मैं आपको स्पष्ट रूप से अर्ज कर करना चाहता हूं क्योंकि इस मुद्दे पर तो मैं बिलकुल ही मैं, मेरी पार्टी, मेरे नेता महोदय सब एक राय के हैं कि राजस्थान के इंट्रेस्ट को कुछ भी किसी तरह सेक्रिफाइस नहीं होने दे, लेकिन प्रोफेसर साहब आज पर्सेंटेज रिडक्शन क्यों हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Don't bring this subject.

श्री शोपत सिंह : This is not the question.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : No. I have to Because there was a clear charge against this party and against this Government.

श्री शोपतसिंह : This is our allegation.

थैंक्स भेजने से पहले किसी से पूछा नहीं You are totally negligent,

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं आपको एक बात यही अर्ज करना चाहता हूं कि if these two clauses are read,

अगर यह दो क्लाजेज इनकी राइट स्पिरिट में पढ़े जाये तो इसमें कहीं भी कोई कम्प्रोमाइज नहीं होता है, यह कहते हुए मैं बैठता हूं।

श्री मोहन छंगाणी : एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आप....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी खड़े हो गये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक आपसे जानकारी करना चाहूंगा इनसे माफ करना, मुख्य मंत्रीजी। मैं एक जानकारी....

श्री हरिदेव जोशी : काहे को बोल रहे हो आप। इसको लम्बा खींचने का कोई अर्थ नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : This is a serious matter. यह सीरियस मैटर है। Serious in the Sense....

श्री अध्यक्ष : गम्भीर मसला चल रहा है उसको आप that there are differences between the Cabinet.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : No.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : There are. इसलिये मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय....

श्री मानिक चन्द सुराणा : जो इरीगेशन मिनिस्टर कह रहे हैं वह बात सही है तो फिर यह टेलेक्स भेजने की भी आवश्यकता नहीं थी। यदि 9.1 और 9.2 राजस्थान के हकों पर असर नहीं करता है तो—

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री मानिकचन्द सुराणा : तो टेलेक्स भेजने की जरूरत क्या थी ?

श्री यदुनाथ सिंह : उन्होंने एप्रूव किया है, स्पष्ट हो गया....

(52)

श्री हरिदेव जोशी : I am holding the floor, Sir.

श्री अध्यक्ष : श्री मुख्य मंत्री जी।

श्री हरिदेव जोशी : I am holding the floor. Sir

श्री भैरोंसिंह शेखावत : You are holding the floor, You are holding the State.

मैं उनसे जवाब चाहता हूं....

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, इस विषय को भी यों ही राजनीतिक यह इस का कर दिया जाए, तमाशबाजी की बात तो मैं तो इसको रिजेंट करता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : काहे को।

श्री हरिदेव जोशी : नहीं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं पूछ रहा हूं एक बात, आपका स्पष्टीकरण हो जायेगा। मैं उनसे एक जानकारी कर लेना चाहता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : आप बैठिये, मेरी अर्ज सुन लीजिए....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप समझ गये ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं कुछ नहीं समझा। मैं नौसिखिया आदमी हूं आप ही समझते हैं। भैरोंसिह जी समझते आप भी हैं. मैं सब कुछ समझता हूं, आप भी समझते हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप ऐसी कोई बात नहीं उनको समझ गये। मैं तो उल्टी तारीफ कर रहा हूं आपकी, आप नाराज हो रहे हैं, कमाल हो गया।

श्री अध्यक्ष : नाराज कहां हो रहे हैं। आप भी नाराज नहीं हैं, वे भी नाराज नहीं हैं, दोनों नाराज नहीं हो रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : जैसा कि मैंने बहुत साफ कह दिया था मुझे यह रंच मात्र भी कहीं यह कहने में संकोच नहीं है कि हममें से कोई भी व्यक्ति राजस्थान के विरुद्ध जाने की बात सोचता है।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर माननीय सदस्य...

श्री हरिदेव जोशी : अब रहा सवाल, इस लैंग्वेज का, लैंग्वेज लॉयर्स ने अथवा उन लोगों ने वह की हो, फर्स्ट रिएक्शन जो आपका होता है, मेरा भी होता है मगर मैंने रिपीटेडली कहा है कि मुझे बार बार यह विश्वास दिलाया गया है कि राजस्थान के हितों को अनदेखा नहीं किया जायेगा। किसी भी स्थिति में वह नहीं कहा जायेगा। मैं इस चीज को प्रिसिपिटेट नहीं करना चहता क्योंकि बहुत ही डेलिकेट स्थिति है। आप बात करना चाहते हैं, मैं भी करना चाहता हूं। मैं करना चाहता हूं और अगर आप मुझे इजाजत दें, एप्रोप्रिएशन बिल पास कर दें तो पास कराकर दिल्ली भी जाना चाहता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : पास्ड।

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली में है। इरिगेशन सेक्रेटरी चण्डीगढ में है। जो भी कन्सर्निग आफिसर हैं मैंने उनको भेज रखा है, सारे लोग इसको क्लीयर कर रहे हैं। स्थिति स्पष्ट हो जायेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं यह प्रार्थना करता हूं, जो भावनायें आपने व्यक्त की है उन भावनाओं से अपने आप को भी जोड़ता हूं। मेहरबानी करके अगर मुझ से बात करना चाहते हैं, पधारिये, मैं बात करने को तैयार हूं।

(व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : हम तो आपके हाथ मजबूत करना चाहते हैं। इस सदन में प्रस्ताव आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : आपके हाथ मजबूत होंगे, हाउस का रिजोल्यूशन ले लो।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी नहर मंत्री से जानकारी करना चाहूंगा, क्या उनकी दृष्टि में पैरा 9.1 में राजस्थान....

श्री अध्यक्ष : अब इसके इन्टरप्रिटेशन में क्यों पड़ रहे है आप।

श्री भैरोंसिह शेखावत : एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : इसके इन्टरप्रिटेशन में आप पड़ेंगे तो....माननीय सदस्य ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : बहुत आवश्यक है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं राजस्थान नहर मंत्री जी से जानकारी करना चाहूंगा : कि क्या पैरा 9.1 में जो राजस्थान का नाम इन्क्लूड किया गया है, आप इसको उचित समझते हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया। माननीय सदस्य, यह तो फिर डिबेट हो जायेगी इन्टरप्रिटेन पर।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कोई डिबेट नहीं। लेट हिम रिप्लाई। काहे को ?

श्री हरिदेव जोशी : Cleared by Government of India and by us.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिह शेखावत : No, no. Let the Minister reply. He has justified the inclusion of Rajasthan in this para. Either he should withdraw his words ...

श्री मानिकचंद सुराना : माननीय सिचाई मंत्री जी यह कहना है कि एक जुलाई....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उसके बाद तो मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया इस बात को। कृपया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिये मैं कह रहा हूं कि there are differences in the Cabinet.

श्री अध्यक्ष : नो डिफरेंसेज ।

श्री मानिक चंद सुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं यह सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल बहुत सीधा है कि जुलाई ..

श्री हरिदेव जोशी : मैं तो आप से पूछना चाहता हूं, मुझ से बात करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप से बात नहीं करना चाहते हैं ।

श्री मानिकचंद सुराना : आप से बात सदन में भी और सदन के बाहर दोनों में करना चाहते हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर आप में डिफरेंसेज है तो let him clear his position.

श्री हरिदेव जोशी : Nothing. Not at all.

श्री मानिक चंद सुराना : आप में मतभेद होंगे, आप मतभेद रखिये, हमें उन से मतलब नहीं है....

श्री हरिदेव जोशी : आप अननेसेसरी इस चीज को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मामला बड़ा सीरियस है । मामला सीरियस इस सैन्स में है कि माननीय मंत्री महोदय ने यह जस्टिफाई किया कि यह दोनों पैरा 9.1 और 9.2 राजस्थान के हितों के विपरीत नहीं है बल्कि राजस्थान के हितों का संरक्षण करने के लिए हैं । और आपने, केबिनेट ने अभी जो बात एप्रूव की है और जो मुख्य मंत्री जी ने अपना टेलेक्स हमको पढ़ कर सुनाया है । उसमें इस बात पर आपत्ति की है कि राजस्थान का नाम इसमें शामिल क्यों किया गया है । आप 9.1 को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप की केबिनेट उसके विरोध में टेलेक्स दे रही है । इन दोनों बातों में कौन सी सही है, मैं आप से जानकारी करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुख्य मंत्री जी उत्तरदायी हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्री जी नहीं, वह बोलें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तरदायित्व मुख्य मंत्री जी पर है । ऑर्डर प्लीज । ऑर्डर, माननीय सदस्य । माननीय सदस्य ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Either he should withdraw his words.

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें ।

श्री यदुनाथ सिंह : He has justified. इनके कान्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट हैं ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर । माननीय सदस्य ।

श्री मानिकचंद सुराना : अध्यक्ष जी, मेरा सवाल भी सुन लें उसके बाद जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : वन बाई वन।

श्री मानिकचंद सुराना : नहीं वन बाई वन नहीं आप।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : 47 पायन्ट का ही झगड़ा है और उसमें राजस्थान शामिल नहीं है 52 उस का अलग ही हैं और 47 पायन्ट समथिंग का ही होना है तो उसमें राजस्थान का नाम क्यों आया ?

श्री मानिकचंद सुराना : माननीय अध्यक्ष जी, यदि सिंचाई मंत्री जी का वक्तव्य सही है तो फिर इस सरकार को प्रधान मंत्री जी को टेलेक्स देने की भी जरुरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपने यह कह दिया न। विपक्ष के नेता महोदय ने वही बात कहीं है।

श्री मानिकचंद सुराना : और 1 जुलाई, 1985, मैं कहना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी को, 1 जुलाई, 1985 की तारीख क्यों रखी ? कल की तारीख 24 जुलाई की क्यों नहीं रखी गयी जब कि राजस्थान नहर भरी चल रही थी ? कल की तारीख नहीं रखी गई 1 जुलाई की तारीख क्यों रखी गयी ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री हरिदेव जोशी : मैं स्पष्ट कर देता हूं क्यों उन्होंने की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस स्पष्टीकरण से होना चाहिए जो माननीय इन्दिरा गांधी नहर मंत्री ने कहा है कि पैरा 9.1 में जो राजस्थान के संबंध में लिखा गया है उस से राजस्थान के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। मुख्य मंत्री जी का टेलेक्स दूसरी बात कह रहा है कि....

श्री हरिदेव जोशी : It is a matter of interpretation of legal language.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राजस्थान का नाम इन्कार नहीं किया जाय इसका स्पष्टीकरण हो।

श्री हरिदेव जोशी : मैं बहुत साफ कर दूं कि 1-7-1985 क्यों रखा, कैसे रखा, किस तरह से वो किया इसके बाबत—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह डिफरेन्ट मैटर है।

श्री हरिदेव जोशी : इसकी बाबत आज हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए नहीं है....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपको यह स्वीकार नहीं है, यह बात साफ हो जानी चाहिए....

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : इसमें उन्होंने यह कहा है कि उस तारीख से कम पानी नहीं मिलेगा इसकी गारण्टी उन्होंने की है। अब उसके मायने यह हैं.....

श्री शोपत सिंह : उस एक तारीख को खाली थी नहर से ज्यादा पानी क्या देंगे ?

(श्री शोपत सिंह)

नहर ही खाली थी उस दिन एक तारीख को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुनो, सुनो। 1.7.1985 से पहले, अध्यक्ष महोदय, पोंग डेम में, जून में पोंग डेम के इतिहास में सबसे कम पानी था। हमको पानी आता है पोंग डेम से। पोंग डेम में पानी नहीं था। पानी नहीं था तो न जून में पानी मिल सकता है न जुलाई में मिल सकता है। यह तो एक अलग कारण है जिस पर चर्चा करेंगे। अभी विवाद यह है, केबिनेट के बीच मतभेद है इसका स्पष्टीकरण करें। आप कहिये न यह बात।

श्री हरिदेव जोशी : मैं कह रहा हूं न बात, मेरी अर्ज सुन लीजिये। आप तो सुनते ही नहीं है किसी की बात को अपनी ही बात कहते रहते हैं। बड़ी मुश्किल आपके साथ में तो यह है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, एक स्थिति बहुत स्पष्ट है कि इस लैंग्वेज के के ड्राफ्ट के साथ में हमारी कहीं कोई सहमति ली गयी हो, ऐसी बात नहीं है। 1955 की ट्रीटी, 1981 का मुहायदा, हम कहीं भी किसी प्रकार से उसमें भेद किया जाय, उसके भागीदारी नहीं है। राजस्थान सरकार को इस सिलसिले में, जो मैंने कहा स्पष्ट, उसमें कहीं कुछ छिपाने की बात नहीं हैं। 9.1, 9.2 और 9.3 बताया गया और उसके बाबत हमारा क्या रिएक्शन था, इसको मैंने स्पष्ट कर दिया है। इसलिए और उसके बाद में जो हमारे दिमाग के अन्दर हमको लगता है कि कहीं इस से नुकसान न हो जाय, इसके लिए जो भी प्रिकाशन्स हम ले सकते हैं उन सारे प्रिकाशन्स को हम ले रहे हैं। इसलिए कि मैं अभी वहां पर हैल्ड-अप हूं। अगर मुझे जाने का अवसर मिले तो फिर मैं जाऊं और प्राइम मिनिस्टर से मिल कर अगर इसको साफ कर सकूं तो मैं और करूं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अगर मुझ से बात करना चाहते हैं तो आप पधारिये। मैं आप के साथ आने को तैयार हूं, मैं बात करने को तैयार हूं। अब इससे ज्यादा क्या चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री दिग्विजय सिंह : हाउस का रिजोल्यूशन लेकर जाओ।

श्री भैरोंसिंहशेखावत : एक जानकारी आना चाहता हूं, क्या मुख्य मन्त्री जी जो आपके इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री ने बात कही उसका समर्थन करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्री जी ने स्पष्ट कह दिया, 9.1 से सहमति प्रकट नहीं की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट नहीं हुआ। इस से बहुत बड़ा नुकसान होगा राजस्थान का।

श्री अध्यक्ष : 9.1, 9.2, 9.3 से मुख्य मन्त्री जी ने सहमति प्रकट नहीं की, उस धारा से सहमति प्रकट नहीं की।

श्री हरिदेव जोशी : आप मुझ से बात करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बात करना नहीं चाहता हूं, मैं हाऊस में स्पष्टीकरण कराना चाहता हूं ।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने स्पष्ट कर दिया है···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने स्पष्ट नहीं किया, आप कहिये कि इनकी बात को आप कण्ट्रीब्यूट करते हैं क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कहा न कि न इनमें उनके दिमाग में न मेरे दिमाग में कहीं भी यह नहीं है, अगर राजस्थान के हितों को कोई भी चोट पहुंचती है इस लैंग्वेज से It is a matter of interpretation of legal language. अगर इसमें कोई नुकसान पहुंचता है हम भागीदार नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और इस सदन को बताना चाहता हूं कि सदन की इस प्रकार की कार्यवाही को अकाली दल ने कई बार हमारे खिलाफ प्रयोग में लिया है, भारत सरकार ने हमारे खिलाफ उपयोग में लिया है । आज नरेन्द्रसिंह जी भाटी एक इन्डिविजुअल की हैसियत से नहीं बोल कर 9.1 और 9.2 को जस्टिफाई किया है । आज अकालियों के हाथ में इनकी स्पीच आ जाय और वह अकाली यह कहें कि 9.1 और 9.2 में राजस्थान के हितों के विपरीत कोई कार्यवाही नहीं होती तो हम चाहें कितना मसला उठायें, हमें नुकसान होगा । इसलिये पहले इसका स्पष्टीकरण करें कि आपने जो 9.1 और 9.2 को जस्टिफाई किया है···

श्री हरिदेव जोशी : उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, न उनकी ऐसी इन्टेन्शन है । मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं और स्टेट गवर्नमेन्ट की पोजिशन को क्लियर करना चाहता हूं···

(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : बिल्कुल साफ तौर पर कहा है । साफ तौर पर उन्होंने यही बात कही है···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री दाऊदयाल जोशी : इसको एक्सपंज कराइये । राजस्थान नहर मन्त्री जी ने जो कुछ स्टेटमेंट दिया है उसको एक्सपंज कराइये । इस से राजस्थान के हितों का नुकसान होगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आर्डर । माननीय सदस्य । कृपया बैठें ।

श्री शोपत सिंह : उन्होंने जो चार्ज लगाया है और चार्जयों लगाया है उन्होंने अपनी बात में यह बात भी कही है और राजीव गांधी की बात को डिफेन्ड किया जा रहा है । यह पालिटिक्ल भाषा भी बोली है । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री हैं । इन्होंने चार्ज लगाया है । उन्होंने अपनी बात में यह लात भी कही है कि राजीव गांधी की बात को···

श्री हरिकुमार औदिच्य : भाटी जी के स्टेटमेंट से....

श्री नत्थीसिंह : जो स्टेटमेंट है वह राजस्थान नहर मन्त्री का है वह विथड्रा करें मुख्य मन्त्री जी क्यों कहें, भाटी साहब स्वयं अपने स्टेटमेंट को विथड्रा करें कि उनकी मंशा कतई नहीं है।

श्री अध्यक्ष : केबिनेट के प्रति मुख्य मन्त्री....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। कृपया बैठें।

एक माननीय सदस्य : उनके इस स्टेटमेंट ने राजस्थान के हितों के ऊपर कुठाराघात किया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

मुख्य मन्त्री जी ने स्पष्ट कह दिया है, केबिनेट का जो कुछ उत्तरदायित्व है, मुख्य मन्त्री पर है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : माननीय मुख्य मन्त्रीजी जो बोले हैं वह ट्रेजरी की ओर से बोले हैं लेकिन ट्रेजरी के खिलाफ माननीय श्री नरेन्द्र सिंहजी भाटी बोले हैं वह इसको वापिस लें, और साफ कहें कि मुख्य मन्त्री जी ने जो कहा है उसमें उनकी सहमति है, उनकी विमति नहीं है जो वक्तव्य उन्होंने दिया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय की हमेशा से यह प्रेक्टिस रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं आप क्या कर रहे हैं यहां आप बैठें।

(व्यवधान)

आर्डर माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय ने जो बिन्दु उठाया है, मैंने जैसे ही खड़े होकर सबसे पहले आपको पता है मैंने क्या कहा है, एक पर्सेंट भी मुख्य मन्त्री जी ने नेता महोदय ने जो फर्माया था उससे असहमत हम में से कोई नहीं है। ठीक है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप अपनी बात कह दीजिये। सवाल जवाब करने में आप न उलझें आप अपनी बात कह दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। आपने इसको जस्टिफाई किया....

श्री केदारनाथ : जो मिनिट्स लिखा गया है, अध्यक्ष जी, वह पढ़ कर सुना दीजिये। लफ्ज यह थे कि टेलेक्स के बाद यह जो शब्द जोड़े गये हैं उसमें राजस्थान

(श्री केदारनाथ)

का नाम स्टेट में जोड़ना इन्क्लूजन वह जस्टिफाइड है।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : यह नहीं है।

श्री पंकज पंचोली : यह नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री नवरंग सिंह : इसको कार्यवाही से निकलवाया जाय।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इन्दिरा नहर मन्त्री ने जो कुछ कहा है वह क्योंकि ' राजस्थान के हित में नहीं है। उसको पढ़ कर आप सब्स्टीट्यूट करिये. मन्त्री से करवाइये यह मतभेद है मन्त्रिमण्डल में। इसलिये मुख्य मन्त्री जी इनको निकालें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूराम मिर्धा।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे ख्याल से जो कुछ इन्होंने कहा और उन्होंने कहा उसके बाद में सफाई हो जाती है कि एक राय हैं सब। इसलिये बहुत ज्यादा खींचने से मतलब नहीं है और हरिदेव भाई साहब का यह कहना है कि वह बात करने को तैयार हैं। मैं सोचता हूं कि बात करनी चाहिये और बात करके जो आपने टेलेक्स दिया है। क्या हम सब बैठ कर कोई एक छोटा सा अच्छा प्रस्ताव बना कर इस सदन में पास करके दिल्ली में आपके हाथ ही भेद दें तो ठीक ही रहेगा, नुकसान क्या रहेगा।

(व्यवधान)

श्री मोहन प्रकाश : यह प्रस्ताव बिल्कुल ठीक है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता और मुख्य मन्त्री सदन से बाहर जाकर बात कर लें, सदन की तो कार्यवाही चलती रहे। जो निष्कर्ष निकलें वह सदन को बता दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष जी, बात कर लें, कोई ज्यादा लम्बे समय की बात नहीं है। जब कि टेलेक्स को देखा और हमने विचार किये उसमें बहुत मतभेद नहीं हैं। हम उसके आधार पर····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मतभेद हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर छोटा-मोटा तो आप थोड़ा देख लेना होगा छोटा-मोटा निबट लेंगे, कोई बात नहीं। मैं सोचता हूं कि एक बढ़िया प्रस्ताव बनावें और आप

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जल्दी जाना चाहते हैं हम भी जल्दी छोड़ेंगे आपको, हम को ज्यादा कोई बहस नहीं करनी, हम पास कर देंगे आपका। पर आप प्रस्ताव बढ़िया बना लें और फिर जाओ तो सज धज कर जाओं जरा जोर से ताकि आपका काम भी हो और कोई फायदा भी हो। तो ऐसा कर लें अभी थोड़ी देर....

श्री हरिदेव जोशी : क्या करें क्या नहीं करें, यह बात कर लेंगे, मुझे कोई एतराज नहीं बात करने में....

श्री मोहन प्रकाश : हाउस एडजार्न किया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं, एडजोर्न करने की क्या जरूरत है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्रीमती हमीदा बेगम : हाउस एडजोर्न नहीं होगा।

(व्यवधान)

इस बात की गारन्टी हो, हाउस की कार्यवाही चलानी चाहिये, नेता लोग आपस में बैठ कर बात कर लें। हाउस एडजोर्न करने की क्या जरूरत है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अध्यक्ष जी, हाउस तो चलता रहेगा....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : हाउस चलता रहेगा तो × × ×

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष जी, हाउस एडजोर्न करना कोई बहुत बड़ी घटना यों नहीं है कि हल्ला करते है तब भी हाउस आप एडजोर्न करके, नाराज होकर चले जाते हैं....

श्री अध्यक्ष : आप नाराज करके एडजोर्न करवाना चाहते हैं क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप सुनिये तो सही। हम आपको नाराज नहीं करना चाहते हैं सहयोग करना चाहते हैं। हम इनको नाराज करना चाहते हैं। यह तो एक महत्व की घटना के बारे में हैं, आधे घन्टे कम बैठें हाउस में तो क्या फर्क पड़ेगा ?

श्री सी. पी. जोशी : इससे परपज क्या निकलेगा ? महत्व क्या है इसका।

श्री नाथूराम मिर्धा : इम्पार्टेन्स है। आप अगर इम्पोर्टेन्स का नहीं समझते हो तो मैं सोचता हूँ कि आप ठीक समझ नहीं रहे हो। इसलिए इस आधे घन्टे में आप चाय पीओं, हम 5–7 आदमी पोजिसन साफ कर लेते हैं फिर वापस आ जायेंगे यहां पर।

(व्यवधान)

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैं तो यह कह रहा था कि मुख्य मन्त्री जी और विपक्ष दल के नेता महोदय और अन्य ग्रुपों के नेता महोदय से बातचीत होगी इस दरमियान में कुछ दूसरे मसले जो हाउस के सामने हैं उसके ऊपर''''.

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : इससे महत्वपूर्ण मुद्दा कोई दूसरा नहीं है।

(व्यवधान)

मैं सदन की कार्यवाही आधे घन्टे के लिये स्थगित करता हूं।

(तदुनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 1·46 बजे आधे घंटे के लिये स्थगित की गई)

सदन की कार्यवाही पुन: म. प. 2·16 बजे आरम्भ हुई)

(2.16 म. प.)

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्तावों पर
अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चर्चा चल रही थी''''

श्री अध्यक्ष : बातचीत चल रही है, जब फाईनल स्टेज आ जायेगी तब सब कुछ सामने आ जायगा। आर्डर प्लीज।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री लालचन्द, श्री आर. डी. यादव श्री नारायण राम बेड़ा, श्री देवी सिंह भाटी, श्री यदुनाथ सिंह और श्री राम चन्द्र, सदस्य, विधान सभा की ओर से भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच के मामलों में, अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से देवस्थान विभाग के मन्दिरों की देखभाल न होने से जीर्ण-शीर्ण अवस्था हो जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री मांगी लाल मेघवाल, श्री हीरालाल आर्य और श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से ए. सी. सी. सीमेंट फैक्ट्री लाखेरी में अस्थाई मजदूरों द्वारा आन्दोलन के सम्बन्ध में।

(4) श्री कालीचरण सर्राफ, सदस्य विधान सभा की ओर से विद्युत मण्डल के कर्मचारियों की हड़ताल के दिनों का वेतन भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री नवनीत लाल निनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम पीपलवा जिला बांसवाड़ा निवासी देवजी नामक व्यक्ति व उसके पिता तथा भाई की पुलिस द्वारा तथा कथित हत्या के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री मोहन प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की ओर से आवासन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को सेवा में नहीं लिये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री लक्ष्मी नारायण किसान, सदस्य, विधान सभा की ओर से फुलेरा निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृत सड़कों की मरम्मत न करने और डामर न डालने के सम्बन्ध में।

(8) श्री सम्पत सिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से गंगानगर जिले की श्रीमती विमला के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा बलात्कार के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(1) श्री ग्यारसी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से कस्बा निवाई में खुले रूप से सट्टा होने के सम्बन्ध में।

(2) श्री जयनारायण पूनियां, सदस्य, विधान सभा की ओर से पटवारी के लिए प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को नियुक्ति न देने के सम्बन्ध में।

(3) श्री चून्नीलाल इन्दलिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम जसरासर के धार्मिक स्थान के नजदीक शराब का ठेका होने के सम्बन्ध में।

(4) श्री नारायण राम बेड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सुमेरपुर कृषि मंडी की एक फर्म के यहां लगे कांटे में तोल की गलती होने के सम्बन्ध में।

(5) श्री हंसराज मिढा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सूरतगढ़ के बड़ोपल रोड पर कर्मशियल काम्पलेक्स की भूमि पर अनधिकृत कब्जे के सम्बन्ध में।

(6) श्री डूंगर राम पंवार, सदस्य, विधान सभा की ओर से हरिजन बस्तियों को विद्युतीकृत करने की गलत रिपोर्ट के सम्बन्ध में।

(7) श्रीमती वसुन्धरा राजे, सदस्य, विधान सभा की ओर से धौलपुर जिले की अधिकांश पेयजल योजनाएं खराब होने के सम्बन्ध में।

(8) श्री गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से डिस्पेंसरी में दवा उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव की परिसीमा में नहीं आते। अतः मैं इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं होगी.......

(1) श्री कल्याण सिंह कालवी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पांचूराम निवासी थावला की पुलिस थाने में पिटाई से मृत्यु के सम्बन्ध में।

(2) श्री नत्थीसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा भरतपुर में दुग्ध सन्यन्त्र न लगाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री शोपतसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर गंगानगर एक्सप्रेस

(श्री अध्यक्ष)

गाड़ी में 23 जुलाई को पुलिस अधिकारी के द्वारा शरारत मचाये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले में मोर पक्षी का शिकार किये जाने के सम्बन्ध में।

(5) सुश्री पुष्पा जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाली जिले में अत्यधिक स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

(6) डा. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से उर्दू के अध्यापकों की कमी के सम्बन्ध में।

(7) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा सार्वजनिक सुविधा के लिए सुरक्षित भू खण्डों के प्लाट काटने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। अतः मैं इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(1) श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम नावां जिला जोधपुर में मेघवालों पर अत्याचार किये जाने के सम्बन्ध में।

सरकार ने सूचना दी है कि मेघवाल जाति के दो व्यक्तियों के साथ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज होने पर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये जा चुके हैं। ग्राम में शांति है।

(2) श्री हरिकुमार औदिच्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से यू. एन. एफ. पी. ए. स्कीम के तहत कार्यरत मैल नर्सेज को भोजन भत्ता नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में।

सरकार ने जानकारी दी है कि उक्त नर्सेज को मैस भत्ता पहले भी नहीं मिलता था केवल परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य शाखा के नर्सिंग स्टाफ को मैस भत्ता मिलता था जो 1-4-85 से बढ़ाया गया है।

(3) श्री जगतसिंह दायमा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम जैतपुरा विधान सभा क्षेत्र बानसूर में तहसीलदार द्वारा आग लगवाने के सम्बन्ध में।

सरकार ने जानकारी दी है कि तहसीलदार ने आग लगवा दी इसकी रिपोर्ट 28-4-85 को दर्ज होने पर अन्वेषण किया जा रहा है। सामान व बकरी आदि जलना नहीं पाया गया। तहसीलदार ने अग्रिम जमानत करवा ली है। जांच जिलाधीश द्वारा की जा रही है।

(4) सुश्री पुष्पा एवं श्री खंगार सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाली जिले के खारची व सौजत तथा जोधपुर के बिलाड़ा क्षेत्र में अधिक राशि के बिजली के बिल बनाकर वसूली के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः मैं इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

एक स्थगन प्रस्ताव जो श्री नत्थीसिंह जी का था उसी सम्बन्ध में श्री सम्पतसिंह

(श्री अध्यक्ष)

जों का भी एक प्रस्ताव पूर्व में आया हुआ था जो कि जानकारी के लिए गया हुआ था। उस सम्बन्ध में श्री सम्पतसिंह जी अगर बोलना चाहेंगे तो उनको भी अनुमति दी जायेगी।

श्री कल्याण सिंह कालवी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): अध्यक्ष महोदय, मेरे भी तीन चार स्थगन प्रस्ताव थे........

श्री अध्यक्ष : मेरे ध्यान में है। कृपया बैठें।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : मेरा भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है.......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : मेरे स्थगन प्रस्ताव को दिये हुए 20 दिन हो गए......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो आया है उसका मैंने जवाब भेज दिया है आपके पास। जो मैंने रख दिये हैं शनैः शनैः उनको मैं क्रमवार रख रहा हूं। कृपया बैठें।

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया सहयोग करें।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : हरिजन की हत्या हो गयी 11 तारीख को। मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है, आपने कोई व्यवस्था नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। माननीय सदस्य, मैं देख रहा हूं उसको। अगर ध्यान में आ जायगा तो रखेंगे उसको। कृपया बैठें। आर्डर प्लीज।

श्री कल्याण सिंह कालवी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय अध्यक्ष जी, आपने विश्वास दिलाया था कि मेरा स्थगन प्रस्ताव जल्दी आ जायेगा......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मुझसे चर्चा कर लें, बात कर लें। क्या आया, क्या नहीं, देख लूंगा उसको।

श्री कल्याण सिंह कालवी। कृपया बैठें।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैंने आज विद्युत कर्मचारियों के लिए दिया है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने जानकारी के लिए भेजा है। कृपया बैठें। व्यवस्था दी है मैंने उस पर।

श्री कल्याण सिंह कालवी।

श्री कल्याणसिंह कालवी (डेगाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दिनांक 22 जुलाई को एक पांचू नाम के कुम्हार को थांवला पुलिस थाने में बुलाया गया, 22 तारीख से लेकर 24 तारीख की दोपहर तक उसकी निर्ममता से पिटाई की गयी और पिटते-पिटते वह

(श्री कल्याण सिंह कालवी)

24 तारीख को बेहोश हो गया। बेहोशी की स्थिति में थांवला पुलिस स्टेशन से उसको पुष्कर ले जाया गया। पुष्कर के डाक्टर ने मना कर दिया और कहा कि यह चन्द समय में ही मरने वाला है। ऐसी स्थिति में अजमेर के राजकीय शफाखाने में उसको ले जाया गया और वहां ले जाने के कुछ ही समय के बाद वहीं पर उसकी मृत्यु हो गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, आज के इस आधुनिक युग में यहां बजट के ऊपर बहस करते समय, मांग पर चर्चा करते समय, कानून और व्यवस्था

(2.25 म. प.)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

की स्थिति और पुलिस की मांग के बारे में चर्चा करते समय अनेक सदस्यों ने इस तरह की बात उठाई है कि पुलिस थानों में निर्ममता से लोगों की पिटाई करती हैं और थानों के अन्दर हत्यायें भी हो जाती हैं। इधर एक तरफ हाउस के अन्दर इस तरह की बातें कर रहे हैं और उधर आपके पुलिस थानों में निर्ममता से पिटाई करके लोगों को मृत्यु की तरफ भेज दिया जाता है। यह सबसे ज्यादा दर्दनाक बात है और यह मानवता के ऊपर सबसे बड़ा कलंक है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि उस थांवला ग्राम के अन्दर भी शफाखाना है लेकिन गांव वालों में कहीं रिजेन्टमेन्ट न हो जाये, गांव वाले कहीं उग्र न हो जाये इसलिए बेहोशी की स्थिति में इलाज नहीं करवा कर वहां से दूर पुष्कर और अजमेर ले जाकर उसका इलाज कराने का प्रयत्न किया गया। अगर थांवला ग्राम में भी इलाज करवा लिया जाता तो वह बच भी सकता था लेकिन दूर इलाज कराने के कारण उसको मजबूरन मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। जब उसकी पिटाई की जा रही थी 22 की रात को और 23 तारीख की रात को तो उस थाने के आसपास में रहने वाले सारे लोग उसकी कराहट की आवाज सुन कर जाग रहे थे और सुबह उन सब ने जाकर थाने में कहा कि इसको मत पीटो, क्या स्थिति है वह हमको बताओ। आस-पास के सारे लोग गये। उन लोगों में नारायण राम गया है, निसार मोहम्मद गया है, राजूराम गया है। यह सारे के सारे कान्हाराम वगैरह सब ने जाकर थानेदार को और थाने के अन्दर थाने के प्रभारी अधिकारी को सब को बोला है कि आप इस तरह से इसकी पिटाई मत करो, किस तरह का केस है इसको खोलने की कोशिश करो, यह रात भर चिल्लाता है और हमारी भी नींद हराम होती है, हमसे यह देखा नहीं जाता है। लेकिन उसके बाद में उसकी पिटाई होती रही और पिटाई होने के बाद में उसको इस तरह की असामयिक मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। एक 30-32 साल का नौजवान आदमी मामूली पिटाई से मर नहीं सकता था। उसकी बहुत ही ज्यादा भयंकर पिटाई हुई है जिसके कारण से, उन असहनीय चोटों के कारण उसको मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। उसकी मृत्यु के बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 80 वर्ष की उसकी मां है, उसकी विधवा पत्नी है और उसका 5-6 साल का एक

(श्री कल्याण सिंह कालवी)

छोटा बच्चा है उनकी क्या हालत हो रही होगी इसकी जब कल्पना करते हैं तब रोयें खड़े हो जाते हैं।

आज उस थाने की बात बताऊं, उस थाने पर से हमारे एक माननीय सदस्य, नारायणराम जी बेड़ा एक दिन गुजर रहे थे, शराब पीये हुए उस थाने के कर्मचारियों ने इनको रोक लिया रोक कर कहा कि जाने के लिए पैसे दो। इन्होंने कहा, मैं विधायक हूं। उन्होंने कहाकि तुम्हारे जैसे कई विधायक यहां फिरते हैं। यह स्थिति है उस थाने की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि थानों के अन्दर अब इस तरह से शराब पीकर रात को मुलजिमों की पिटाई करके उनको मृत्यु की तरफ अग्रसर कर दिया जायगा तो यह इस जमाने के अन्दर, इस प्रजातांत्रिक समय के अन्दर अब बरदाश्त नहीं किया जायेगा। या तो सरकार इसकी व्यवस्था कर दे और यदि सरकार इसकी व्यवस्था नहीं कर पाती है तो लोग इस व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेंगे और जब लोग इसको अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर हो जायेंगे तो वहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या होगी इसकी भी आप थोड़ी कल्पना कर लीजिए। जो उसका मृत शरीर है वह अजमेर शफाखाने में पड़ा हुआ है। कुछ देर पहले मैंने टेलीफोन करके पूछा था, वहां उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। गांव के लोग बसों और ट्रकों में भरकर अजमेर पहुंच गये। गांव के लोग सारे के सारे आन्दोलित हो रहे हैं। इस समय किस तरह की अप्रिय घटना घट सकती है इसकी भी आप थोड़ी सी कल्पना कर लीजिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं, इस सारी बात के ऊपर आज ही सदन में सरकार अपने स्टेटमेन्ट दे, अपनी बात बताये कि किन परिस्थितियों में पांचूराम की मृत्यु हुई जिसके कारण से आज गांव वाले सारे के सारे आन्दोलित हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने स्थगन प्रस्ताव के जरिये किस प्रकार निजी क्षेत्र के लोग, उद्योगपति सरकार पर और सरकार के तन्त्र पर हावी होते हैं और आम किसान का, उपभोक्ता का शोषण करते हैं उसकी ओर आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

भरतपुर में डालमिया डेयरी है, काफी दिनों से वह चल रही है। उसकी मोनोपोली इस बात की है कि वह भरतपुर जिले से और धौलपुर जिले से किसानों से तमाम दूध कलेक्ट करेगी। भरतपुर जिले के किसानों की यह मांग रही है बहुत दिनों से कि भरतपुर और धौलपुर के किसानों का इसके द्वारा शोषण हो रहा है, मनमाने रूप से वह दूध लेते हैं, सही दाम उनको देते नहीं है इसलिए शोषण से बचने के लिए कोआपरेटिव सेक्टर में डेयरी बनाई जाये। राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फैडरेशन ने इस बात को माना है। आज से कई साल पहले डेयरी की सैक्शन हुई लेकिन तत्कालीन मुख्यमन्त्री, शिवचरण माथुर ने एक तीर से दो शिकार किये। पहले तो डालमिया को

(श्री नत्थीसिंह)

ओवलाइज किया। उन्होंने उनकी बात मानी कि डेयरी को यहां काम नहीं करने देंगे। इसलिये भरतपुर में जो सैंक्शन हुई थी कोआपरेटिव की डेयरी उसको भीलवाड़ा ले गये। तनख्वाह मिलती थी भरतपुर के नाम से और डेयरी चलती थी भीलवाड़ा में। भरतपुर और फौलपुर के किसान लुटते रहे। वे डालमियाजी की मेहरबानी पर थे। यह बड़ी खुशी की बात है कि पिछले दिनों डेयरी फैडरेशन ने फिर वहां डेयरी चलाई। बजट में घोषणा की सरकार ने और हमने स्वागत भी किया इस बात का कि भरतपुर में डेयरी फैडरेशन के जरिये दुग्ध संयत्र कायम किया जायेगा। दुग्ध संयंत्र कायम किया जायेगा और दुग्ध संयंत्र लगेगा तो वास्तव में किसानों में यह भावना जागृत हुई कि जो हमारी कोआपरेटिव सोसायटी बनी हुई है और जो बनाई जा रही है उनके जरिये यह डेयरी हमारे दूध को सही दामों पर लेगी। मैं भी यही समझता था लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकर भारी दुख होगा एक तरफ राजस्थान की सरकार यह फैसला करती है कि वहां दुग्ध संयत्र लगाया जायेगा कोआपरेटिव की डेयरी लगेगी लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग के डिप्टी सैक्रेटरी महोदय एक आदेश भेजते हैं। आदेश किस बेस पर भेजते हैं? डालमिया डेयरी के जनरल मैनेजर ने उनको कोई पत्र लिखा और पत्र में यह मांग की कि यह मिल्क फैड एरिया है यह तय किया जाना चाहिये। उसमें मांग यह थी कि भरतपुर और धौलपुर. दोनों जिलों में तमाम दूध कलेक्शन की मोनोपोली बदस्तूर डालमिया डेयरी की रहनी चाहिये और जो राजस्थान कोआपरेटिव फैडरेशन के द्वारा वहां जो कोआपरेटिव की डेयरी कायम की गई है जहां दुग्ध संयंत्र लगाया जा रहा है उसको किसानों से दूध लेने का, अच्छी कीमत देने का हक नहीं होना चाहिये। उन्होंने पत्र लिखा और पत्र लिखते हुए कहा कि यह अधिकार डालमिया डेयरी को ही रहेगा। उसके एन्डोर्समेंट में लिखा है।

"The Rajasthan Co-operative Federation Ltd. shall not procure milk supplies from Bharatpur and Dholpur districts unless M/s. Dalmia Dairy Industries Ltd., Bharatpur fails to exercise its right of first option to procure the milk offered by the Milk Producers Coop. Societies of these districts. Necessary instructions may kindly be issued to the concerned subordinate authorities of their departments/corporations under intimation to this Department."

तो इस आदेश के द्वारा उन्होंने किसानों के हितों पर कुठारघात किया। कोआपरेटिव की डेयरी को रोक दिया कि वह किसानों का दूध नहीं ले। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, कोआपरेटिव डेयरी फैडरेशन के लोगों को वहां के किसानों ने रिप्रजेन्टेशन दिया कि हमारे दूध की सही कीमत मिलनी चाहिये। सदन में यह बात उठाई गई थी उस डेयरी के जरिये कितना पाल्यूशन घना अभयारण्य में पक्षी अभयारण्य में हो रहा है वह अलग बात है उस पर कोई ध्यान नहीं

(18)

(श्री नत्थीसिंह)

दे रहा है। लेकिन जो यह जो हक है हमारे किसानों का, उनके हितों पर कुठारघात हो रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है उसके बावजूद यह रिप्रजेन्टेशन देने के बावजूद भी इण्डस्ट्रीज डिपाटमेंट ने एक दूसरी चिट्ठी लिखी 27-3-1985 को और जो बात पहले उन्होंने कही थी उसको 27-3-1985 को दुबारा दोहराया कि कोआपरेटिव डेयरी नहीं रहेगी, भरतपुर और धौलपुर जिलों के तमाम दूध को डालमिया डेयरी लेगी। उसके बाद 29-30 को फिर डालमिया डेयरी वालों ने इनको लिखा तो फिर एक चिट्ठी भेज दी और चिट्ठी के द्वारा साफ कर दिया कि इन किसानों के दूध को कोआपरेटिव डेयरी नहीं लेगी, डालमिया डेयरी लेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह किसानों का शोषण किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि दूध संयंत्र लगाने का जो फैसला किया है उसका महत्व तभी है जब कोआपरेटिव डेयरी, डेयरी फेडरेशन लगायेगा और तभी किसानों की जो मिल्क सोसयटीज है वह पनप सकती है। उनके जरिये से दूध को कलेक्शन करें उनको सही दाम दें। डालमिया डेयरी कितना दाम देती है किसानों को कोआपरेटिव डेयरी दे तब तक इनको नहीं रोकना, एकाधिकार की प्रवृत्ति को पनपाना बहुत गलत है। वहां के किसानों में बड़ा भारी एजीटेशन है, बड़ा भारी आक्रोश है। वह कहते है, एक तरफ सरकार घोषणा करती है कि हम किसानों के हितों की रक्षा करेंगे और दूसरी तरफ सरकार की नीति के अन्तर्गत बनाई गई कोआपरेटिव डेयरी को काम नहीं करने देना चाहती, उसको दूध नहीं खरीदने देना चाहती इसलिये वहां के लोगों में भारी आक्रोश है। इतना ही नहीं, यह जो डालमिया डेयरी है, आप, उपाध्यक्ष महोदय, जानते हैं इसके लिये बन्दिश थी कि इतना दूध भरतपुर के इलाके में दे। उनको भी वह नहीं देती है। इनको बन्दिश थी कि अलवर और दूसरे जिलों से दूध नहीं लायें उसको भी नहीं मानते और मनमानी करते हैं। यह उद्योग विभाग के जो अधिकारी हैं उनका पूरा संरक्षण उसके सिरमौर का पूरा संरक्षण मिलता है इसलिये वहां के गरीब किसानों की लुटाई हो रही है। एक छोटे-छोटे कर्जों के जरिये किसानों को भैंसे खरीदवा रहे हैं, उनको सहायता दे रहे हैं और चाहते हैं वह भैंस की दूध की बिक्री से कर्जा चुका देंगे। यह आप आशा करते हैं। दूसरी तरफ डालमिया डेयरी के रहमो-करम पर छोड़ देना चाहते हैं कि वह शोषण करते रहें। पूरी तरह दूध के दाम नहीं मिले यह बड़ी ज्वलंत समस्या है। इसलिये मैं आपकी मार्फत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि इस स्थिति को सही करें, और अपने उद्योग विभाग के डिप्टी सैक्रेटरी, सैक्रेटरी को रोके कि वे सरकार की घोषित नीति के खिलाफ इस तरह से जो उद्योगपतियों को संरक्षण दे रहे हैं वह नहीं दें और किसानों का दूध कोआपरेटिव डेयरी की मार्फत खरीदा जाये। कोआपरेटिव डेयरी को पूरी तरह से काम करने का मौका दिया जाना चाहिये। यही आपके जरिये सरकार से मेरी मांग है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पत सिंह।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : माननीय

(श्री सम्पत सिंह)

महोदय, डालमिया डेयरी के बारे जो कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा मैं बिल्कुल अपनी राय उनसे इतफाक रखता हूं। और मैने जैसा पूर्व निवेदन किया था स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से वह आज भी निवेदन करना चाहता हूं कि डालमिया डेयरी जिस वक्त भरतपुर में लगी तब से लेकर आज तक जुरेरा, सीकरी और इधर नगर और आगरा तक से दूध भरतपुर में आ रहा है। डालमिया उद्योग के जो व्यवस्थापक है। सरकार से उन्होंने यह शर्त तय की थी कि हम इतना दूध शहर में वितरित करेंगे और इतना दूध उपक्रम बनाकर के दिल्ली या दूसरे स्थानों पर बेचेंगे। उसका खुल्लमखुल्ला मखौल उड़ाया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसका नतीजा यह हो रहा है कि आज जो बीमार आदमी है, भरतपुर शहर में जो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, छोटा कर्मचारी है, छोटा दुकानदार है उसको सवेरे की चाय बनाने के वक्त दो रुपये में एक गिलास दूध मंगाना पड़ता है। इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई बीमार हो जाता है, भरतपुर में आपको वहा बेहतर मालूम है मलेरिया का बड़ा प्रकोप पिछले दस सालों से बना हुआ है, मलेरिया में कुनैन को दवाई एक पेटेंट दवाई मानी गई और उसकी गर्मी को दबाने के लिये मौसमी का रस या दूध राम बाण बताया गया है। मौसमी तो दर किनार रही आज भरतपुर के गरीब किसान को दूध भी मुहैया नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका जिम्मेदार डालमिया उद्योग है जिसने भरतपुर से दूध को गायब कर दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कितनी विडम्बना की बात है, हमारे पूरे प्रान्त में दूध और पूत को बेचना बड़ी मजबूरी में ही माना जाता है लेकिन जैसा कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य फरमारहे थे जो कर्जा लेकर भैंस लेता है वह इस उम्मीद से दूध बेचता है कि एक साल में दो साल में उसकी भैंस फ्री हो जायेगी, दूध बेच कर। आज वहां डालमिया की मोनोपोली है। अपनी मर्जी से चाहे जिस माप से दूध लेते हैं। आपके दूध में इतनी फैट है आपका दूध इस भाव से लिया जायेगा। मजबूरी में गरीब आदमी को अपना दूध बेचना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो गरीब तबके के आदमी हैं उनको मजबूरी में खुदरा में बहुत महंगा दूध खरीदना पड़ रहा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी भी कोई जिम्मेदारी है। भरतपुर में दूध जैसी चीज पर मोनोपोली हो रही है और उसमें उद्योगपति अपने स्कल को इस कदर यूज कर रहे हैं जैसे इसमें कोई बहुत बड़ी विद्वता की बात हो। यह शोषण बन्द होना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूध भरतपुर में जो बाकी रह जाता है उसे भी डालमिया खुदरा नहीं बेचने देता है और मनमाने भाव वसूल करता है। सावन-भादों में आम तौर पर एक गरीब आदमी अपने पूर्वजों के श्राद के लिये चाहे कर्जा लेकर दूध से कोई न कोई चीज बनाता है, अपने पितरों के लिये कुछ न कुछ वह अर्पण करता है। भरतपुर ही नहीं पूरे प्रान्त में यह रिवाज है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप देखिये, भरतपुर में जब दूध नहीं होगा तो कैसी मुश्किल हो जायेगी। चलो तीज त्यौहार को भी छोड़ दिया जाय लेकिन रोज मर्रा की जरूरत के लिये तो दूध मिलना चाहिये उस गरीब

(श्री सम्पत सिंह)

आदमी को। जैसा हम जयपुर में देख रहे हैं और दूसरे बड़े-बड़े शहरों में देख रहे हैं कि चाहे कोआपरेटिव के माध्यम से हो, चाहे किसी भी तरीके के साधन से हो उचित दामों पर दूध मिल रहा है जिससे गरीब आदमी कम से कम चाय-पानी का तो इन्तजाम कर सकता है। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय······

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बृज प्रदेश में तो दूध बहुत होता है···· ।

श्री सम्पत सिंह : वहां तो दूध अब किताबों में ही रह गया है, माननीय सदस्य। सुनते हैं पहले कभी दूध-दही की नदियां वहां बहा करती थीं। हमारा तो मुकद्दर ऐसा खोटा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ना तो हम राजस्थानी माने जाते, ना हम उत्तर प्रदेश के माने जाते ना हम हरियाणा के माने जाते और ना हम मध्य प्रदेश के माने जाते। हम तो बुरी तरह मारे गये। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। जब कभी बजट की चर्चा हुआ करती है तब भरतपुर की कोई······

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : आप क्या है, नर या नारी ?

श्री सम्पत सिंह : जी, नारायण दत्त तिवारी हूं, उन्होंने अच्छा किया है, उत्तर प्रदेश में एक रुपया भी टैक्स नहीं लगाया है। यहां तो नारायण दत्त तिवारी होना चाहिये चाहे नर हो या नारी।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी व्यवस्था ले लीजिये भरतपुर अपने रहमोकरम पर जिन्दा है। आम आदमी वहां रोज कुआ खोद रहा है और रोज पानी पी रहा है। आपकी सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। हां, बदले में जरा सा भी किसी ने सिर उठाया तो थ्री नाट थ्री की गोली का सामना जरूर करना पड़ जाता है। आज जन साधारण वहां इतना जलील है, उपाध्यक्ष महोदय, उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। ना स्कूल, कालेज की कोई व्यवस्था है। तो कम से कम दूध जैसी मौलिक चीज की व्यवस्था के लिये तो यह सरकार ध्यान दें।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करना चाहूंगा, दूसरा मेरा प्रस्ताव है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाबत मै निवेदन करूं पहले इसको खत्म कर देता हूं, कोआपरेटिव की जो डेयरी है उसके लिये जो मोहलत दी गई है, जब तक उचित दामों पर वितरण नहीं कराये तब तक इस संस्थान के लिये राजस्थान की सरकार की तरफ से कोई फौरी आदेश जाने चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आधा नहीं तो कम से कम 40 फीसदी दूध वहां फीज करके वितरित किया जाय उचित दामों पर।

एक मैं जो निवेदन करना चाहता था आपको जिसके लिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था कि गंगानगर की एक 26 वर्षीय महिला विमला जो अपने पिताजी को छुड़ाने के लिये······

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह नहीं है।

श्री सम्पत सिंह : यह है न, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें नहीं…

(व्यवधान)

इसके साथ जुड़ा है, डेयरी के साथ।

श्री सम्पत सिंह : हां, यह इसी के साथ जुड़ा है, डेयरी के साथ में….

(व्यवधान)

यह इसके साथ जुड़ा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विषय एक ही होना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं सरकार की और सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिये निवेदन करना चाहता हूं…

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

तो मैं यह निवेदन कर रहा था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह बेचारी औरत अपने पिताजी को छुड़ाने गई थाने पर….

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह नहीं है।

श्री सम्पत सिंह : इसमें मैंने प्रस्ताव दिया है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : दुबारा उसके बाद में…, नहीं, नहीं….

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री सम्पत सिंह : आप शुरू में मुझको फरमा देते तो मैं इस पर कहता। कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने ब्यौरेवार कह ही दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : वह जो आपका प्रस्ताव है, सरकार से जानकारी के लिये भेजा है। बाद में आ जायगा तब…

(व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : यह तो ऐसी बात हुई, उपाध्यक्ष महोदय….

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कल देख लेना….

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री सम्पत सिंह : कि किसी आदमी को….

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सरकार को विमला काण्ड से डर लग रहा है। उस पर मैंने भी प्रश्न उठाया था…

(व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : यह तो ऐसी बात हुई, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि किसी के सिर पर उस्तरा फेर दिया गया और सरकार ने कहा कि बाल हैं कि नहीं इस पर कमीशन बैठा देते हैं। इसमें सूचना की जरूरत ही नहीं है। जानकारी की इसमें जरूरत ही नहीं है….

(श्री सम्पत सिंह)

(व्यवधान)

राजस्थान के सारे अखबारों ने अपने मुख पृष्ठ पर इस समाचार को छापा है, माननीय उपाध्यक्ष, फिर भी इसमें कोई सूचना की बात रह गई है क्या ?

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : जब आपको मौका मिलेगा, अभी मौका नहीं मिलेगा तो क्या फायदा ? उसका मौका मिलेगा आपको ।

श्री सम्पत सिंह : आपका आदेश तो शिरोधार्य है लेकिन इसमें सूचना की क्या बात थी ? मैं यही निवेदन करूंगा सूचना आये, मेहरबानी करके उस पर और ज्यादा जो ज्यादतियां हो रही हैं, बराबर उसके भाइयों को धमकी दी जा रही है, यहां पर जयपुर में ही दी जा रही है इसकी व्यवस्था तुरन्त होनी चाहिये । आफिसर गैलेरी में यहां पुलिस के सैक्रेटरी महोदय बैठे होंगे कोई ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ....

श्री सम्पत सिंह : इसकी ताकीद होनी चाहिये और तब तक उसके साथ ऐसी कोई जोर जबरदस्ती ना हो । वह अपने बयान बदले तब तक इन्क्वायरी को तोड़ मरोड़ दिया जायगा ।

आपने जो बोलने की मुझे इजाजत दी उसके लिये भी मैं हृदय से आभारी हूं ।

जयहिन्द ।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह धौलपुर और भरतपुर, दोनों से सम्बन्धित डेयरी का मामला है । पूरे के पूरे धौलपुर और भरतपुर को आपने एक सेठ के यहां गिरवी रख रखा है । हमारे यहां के किसान इससे बुरी तरह से परेशान हैं । यानी जो गरीब आदमी है, सबसे निम्न वर्ग का आदमी है वह बकरी पालता है और वह जब अपना दूध बेचने जाता है तो पुलिस के माध्यम से ये डेयरी वाले उसको पकड़वा देते हैं । मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से पूरा का पूरा धन्धा डालमिया के हाथों में है । यानि आप बैंक से हमको कर्जा दिला रहे हैं, भैंस का दूध निकाल रहे हैं वहां के नौ-जवान, समझ लीजिये चूल्लू भर दूध के लिये, कहा तो है कि ··

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

न दूध रहा है न छाछ रही है । इस सारे दूध के मामले को आप एक सेठ के यहां गिरवी रख रहे हैं जो कि सेठ उस इलाके में नहीं बेचता है । उससे क्रीम निकालता है और क्रीम निकाल कर बड़े लोगों के खाने के लिये मक्खन का इन्तजाम करता है ....

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ·· माननीय सदस्य ···

(व्यवधान)

श्री मोहन प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री मोहन प्रकाश)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि धौलपुर और भरतपुर को इस डालमिया सेठ के यहां गिरवी रख दिया है इस सरकार ने। इस गिरवी से छुड़ाने का आप काम करें और जो अन्याय हो रहा है, देखिये, आपको भी मंत्री नहीं बनाया है, उपाध्यक्ष बना दिया, तो धौलपुर और भरतपुर के साथ जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के खिलाफ क्योंकि पूरा का पूरा····

(व्यवधान)

देश की संस्कृति खतरे में पड़ गई है, उपाध्यक्ष महोदय···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य····

श्री मोहन प्रकाश : और आज हमारे यहां के जो किसान हैं जिनको आप कर्जा देकर ऊपर उठाना चाहते हैं···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य···

श्री मोहन प्रकाश : वह ऊंचा नहीं उठ रहा है····

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन की मदद कीजिये, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य···

(व्यवधान)

श्री मोहन प्रकाश : इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय का जवाब दिलवायें।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, आप भी अपनी भावना इस डेयरी के साथ मिला देते तो कितना अच्छा रहता। आप भी तो प्रभारी थे····

(व्यवधान)

श्री मोहन प्रकाश : आप किसी भी मंत्री से ऊपर हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेहरबानी करके आपके आदेश होने चाहिये।

श्री सम्पत सिंह : डालमिया के × × × मत रखो जनता को हमको आपके × × × रख लो, सरकार के ही × × × रख लो।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शोपत सिंह।

श्री मोहन प्रकाश : सरकार से कुछ तो जवाब दिलवाइये, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह जी।

एक माननीय सदस्य : मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था, बहुत जरूरी है। अखबारों में न्यूज है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं····

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य,....

(व्यवस्था सूचक घंटी)

अलाऊ नहीं करूंगा। जानकारी के लिये भेजा है। माननीय सदस्य, जानकारी के लिये भेजा है....

(व्यवधान)

श्री शोपतसिंह।

(व्यवधान)

मैं अलाऊ नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पूरी नहीं हुई, नेता लोग सदन में आये नहीं तो वह जो विवाद वाला विषय था वह रह गया।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के हमने बड़े कारनामें सुने हैं कि लाक-अप में मार देते हैं, बलात्कार करने से उनको कोई परहेज नहीं है और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मगर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : परहेज नहीं आदि हो गये हैं।

श्री शोपतसिंह : हां, कुछ भी कह लो चाहे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस घटना का जिक्र कर रहा हूं, मैं जिस गाड़ी से सफर कर रहा था उसी का जिक्र कर रहा हूं। 23 तारीख की शाम को एक ए. एस. आई. गंगानगर के पुलिस स्टेशन के, नाम उनका है हेमसिंह, गाड़ी में चढ़े और और बोतल के साथ चढ़े। गंगानगर से पीना शुरू कर दिया। गंगानगर से जब वे भादरा पहुंचे तो उस समय तक उनको पूरा सरूर आ गया, सरूर क्या आ गया उनको होश भी नहीं रहा इस बात का कि मैं कहां हूं।

एक माननीय सदस्य : आपके साथ नहीं थे क्या ?

श्री शोपत सिंह : नहीं, मेरे साथ नहीं थे जनरल डिब्बे में सफर कर रहे थे।

उन मुसाफिरों ने बहुत समझाया। जब उसने बदतमीजी शुरू की उस डिब्बे के अन्दर, उस डिब्बे में महिलायें भी थीं, दूसरे मुसाफिर भी थे उन्होंने बहुत समझाया मगर उसका कोई असर नहीं हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हैरानी का विषय है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोतल काहे की थी ? पानी की बोतल थी या...

श्री शोपत सिंह : शराब की बोतल। शराब की बोतल। पानी की बोतल से कभी मदहोश नहीं होता है आदमी। आपने शायद कभी....आपको कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ होगा। मदहोश आदमी उस समय होता है जब शराब पीता है। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब सार्दुलपुर गाड़ी आई तो वहां मुसाफिर भाग करके गये स्टेशन मास्टर के पास कि हमको थानेदार साहब से बचाइये, डिब्बे में कोहराम मचा रखा है। कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे भी

(श्री शोवत सिंह)

उन्होंने आ करके जगाया। रात के कोई सवा या डेढ़ बजे की बात है। मुझे पकड़ कर ले गये स्टेशन मास्टर के पास। हमने कहा कि उस बला को निकालिये, साहब। वर्दी पहने हैं और कभी इस सीट पर जाता है, कभी उस सीट पर जाता है, कभी उस सीट पर जाता है। सारे के सारे डिब्बे में कोहराम मचा हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बेचारा स्टेशन मास्टर अनाउन्समेंट करने लगा जी. आर. पी. को इमदाद के लिए कि कोई जी. आर. पी. का आदमी हो तो इधर आओ भई, इधर आओ, इस डिब्बे में से थानेदार को निकालना है, शराबी है। कोई नहीं आया वहां पर। इतने मदहोश हो गये कि उसको होश ही नहीं रहा और उसी दौरान यह पट्टा वहां के लोग उतार कर लाये कि साहब यह पट्टा है उन थानेदार साहब का। कोई है कहीं, × × × कहीं कोई कानून और अमन की बात है कहीं। इससे बड़ी शर्मनाक बात और नहीं हो सकती कि पुलिस का थानेदार, वह कोई सिपाही नहीं था, अधिकारी था....

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : पट्टा तो बकोलियाजी के नाम का है।

श्री शोवतसिंह : हां। बकोलिया के नाम का क्या, मैं यह भेंट करूंगा। कम से कम मेहरबानी करके, इस पट्टे पर लिखा हुआ है....

(व्यवधान)

पट्टा तो आपके लिए ही है। मेरी कमर में आता नहीं है। यह

सत्यमेव जयते। इस पर लिखा है "सत्यमेव जयते", राजस्थान पुलिस। यह हमारी राजस्थान पुलिस की इज्जत है। वह शराबी यह अपना पट्टा छोड़ गये ? आऊन छोड़ गये। थानेदार साहब उस दिन जब सीकर उतरे तब लोगों की कुछ थोड़ी सी जान में जान आयी कि बला निकली। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी तरह से हमको बचाइये इन पुलिस के अधिकारियों से। इनके खिलाफ सख्त कदम उठाइये। अगरचे यह इसी तरह से होता रहा तो हाथ में लेना पड़ेगा। फिर लोगों को कानून अगर उस दिन में नहीं रोकता उन लोगों को...

श्री छोगाराम बकोलिया : जमा करा दीजिए, इधर ले आओ।

श्री शोवतसिंह : यह मैं आपको भेंट करूंगा। कुछ करिये आप। यह आपके थानेदार के पट्टे घूम रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि...

(व्यवधान)

चाहते क्या हैं आप ? एप्रीसिएट कर रहे हैं आप ? खुश हो रहे हैं ? × × × यह सारा का सारा माहौल ही ऐसा है। खुश हो रहे हैं सारे के सारे। यह आपके और उनके पट्टे एक जैसे ही हैं। मैं कहता नहीं, आप कहलवाते हो। मैं कहता नहीं आप कहलवाते हैं।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

एक माननीय सदस्य : आप हमेशा एक ही चार्ज लगाते हैं।

श्री शोपत सिंह : × × ×

एक माननीय सदस्य : आप एक चार्ज लगाने के लिए हमेशा सदन में कुछ न कुछ कहते रहते हैं।

श्री शोपत सिंह : वह यह पट्टा छोड़ गये थे, यह पट्टा छोड़ गये।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह पट्टे दोनों के एक से ही हैं। इनके पट्टे घड़े में हैं और उनके पट्टे ऊपर हैं।

श्री शोपत सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना। एक ही उम्मीद करूंगा मैं कि राज्य सरकार को इस तरह के अधिकारियों को फौरन···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोतल का क्या हुआ?

श्री शोपतसिंह : बोतल आपके लिए ला रहे हैं वह लोग। बोतल उन्होंने रख ली रिजर्व में, मैं आपको पेश करूंगा।

श्री छोगाराम बकोलिया (राज्य मन्त्री) : बोतल तो इन्होंने पी ली है।

श्री शोपत सिंह : उस बोतल को भी पेश करूंगा मैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत राज्य सरकार से कहूंगा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मोर राष्ट्रीय पक्षी है। इस सुन्दर और राष्ट्रीय महत्व के····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : पक्षी का सरकार की उपेक्षावृत्ति के कारण संरक्षण नहीं हो रहा है और यही कारण है कि इस सुन्दर पक्षी का, राष्ट्रीय पक्षी का दिनों दिन अभाव हो रहा है। मोर पक्षी दिखायी नहीं देते और दिनों दिन इनकी संख्या कम होती जा रही है। वन विभाग के कर्मचारी और पुलिस विभाग के कर्मचारी इसको मारने वालों को और संरक्षण दे रहे हैं। एक प्रकार का जघन्य अपराध हमारे बूंदी जिले के इन्द्रगढ़···

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : इन्द्रगढ़ तहसील के ग्राम मोहनपुरा में पिछली 30 तारीख को वहां के कंजर जाति के कुछ लोगों ने 4 मोरों को पिंजरे में फंसाकर बड़ी निर्दयता से मारा। जनता को जब इसकी जानकारी मिली तो वन विभाग के कर्मचारियों को उन्होंने सूचना दी कि किस प्रकार से मोर, जो कि राष्ट्रीय महत्व का पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी है जिसकी हत्या किये जाने पर प्रतिबन्ध है

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हीरालाल आर्य)

बड़ी गम्भीर सजा है, को मार रहे हैं और बड़ी निर्दयता से मार रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पिंजरा फंसा कर उसमें मकई का दाना फंसा देते हैं। आसपास मोर चुगने के लिए आते हैं। उस पिंजरे में फंसाये हुए मकई के दाने को जब वह खाता है तो वह पिंजरा उसकी गरदन पर पड़ता है और इस तरह से वह फंस जाता है और बड़ी निर्दयता से, बड़ी क्रूरता से उसकी वहां पर हत्या हो जाती है। जब गांव वालों ने इसकी सूचना वन विभाग के कर्मचारियों को दी तब वन विभाग के लोगों ने 4 मोर और उनको मारने वाले लोगों को पकड़ा। पकड़ कर उनको जब पुलिस थाने ले जा रहे थे तब उन कंजरों की महिलाएं और कुछ और कंजर जाति के लोग आ गये और उन्होंने जो पकड़ कर ले जा रहे थे उन पर आक्रमण कर दिया और उनको उन लोगों ने छुड़ा लिया। फिर भी गांव वालों की मदद से एक व्यक्ति को पकड़ा और एक मृत मोर, जो ठेले में उन्होंने रखा हुआ था, बरामद किया और उसको पुलिस थाने ले गये। लेकिन जब पुलिस थाने ले गये तो वहां पर देखा कि पुलिस विभाग के लोग और वन विभाग के कर्मचारी आपस में लड़ रहे हैं। वन विभाग के कर्मचारी कह रहे थे। इस मामले को हम सैटल करेंगे और पुलिस विभाग के कर्मचारी कह रहे थे कि यह मामला हमारे अधिकार क्षेत्र का है इसको हमें संभला दीजिए, हम इसकी कार्यवाही करेंगे। इस तरह से कुछ पैसा खाने की चर्चा जब वहां आने लगी तो इन्द्रगढ़ के करीब सौ दो लोग इकट्ठे हो गये। और बड़े आक्रोश में आ गये कि इतना जघन्य अपराध करने वाले लोगों को पुलिस किस तरह से छोड़ना चाहती है, भ्रष्टाचार में लिप्त होकर उनसे पैसा खाने की मन्शा से पुलिस उनको छोड़ना चाहती है। तो लोगों ने जब दबाव डाला तब जाकर एक व्यक्ति के खिलाफ मुश्किल से कार्यवाही करने को तैयार हुए। लेकिन अभी भी उनको शका है कि यह जो मोर मारने वाले लोग हैं उनके खिलाफ यह लोग कार्यवाही करेंगे या नहीं करेंगे। वहां के नागरिकों ने मेरे पास एक लैटर, पत्र भी भेजा है कि साहब, इस तरह की यहां घटना हो गयी है, इसको पुलिस के लोग और विभाग के लोग दबाना चाहते हैं और जो 5–7 लोग भाग गये 3 दूसरे मृत मोरों को लेकर, उनको पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पायी है और इसको भी छोड़ने की कार्यवाही वह कर रही है। आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मोर जो राष्ट्रीय पक्षी है जिसकी हत्या करने पर बहुत बड़ा जुर्म है, उन व्यक्तियों को पुलिस और वन विभाग के लोग किस तरह से संरक्षण देते हैं ऐसे हत्यारों के खिलाफ कठोर कार्यवाही, की जाकर उनको सजा दी जाय और जो लोग भाग गये हैं उनको पकड़ा जाय और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। ऐसा मेरा निवेदन है।

(3.00 म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन

(अनुपस्थित)

डाक्टर उजला अरोड़ा।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राज्य में उर्दू

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

अध्यापकों की कमी के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया है। उर्दू के अध्यापकों को वहां पर लगाना चाहिए था···

श्री शोपतसिंह : काहे के बारे में बोल रही हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : उर्दू के अध्यापकों की कमी के बारे में।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कमी के बारे में बोल रही हूं, कमी की जावे नहीं बोल रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कमी के सम्बन्ध में।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर उर्दू के विद्यार्थी हैं, उर्दू विषय के विद्यार्थी हैं वहां उर्दू के अध्यापकों को नहीं लगाया जा रहा है बल्कि उर्दू के अध्यापकों को अन्य जगह लगाया जा रहा है। कुछ लोग जो चाहने वाले हैं इनके या जिन्हें यह चाहते है उनको जहां पर उर्दू के विद्यार्थी पढ़ते हैं वहां पर लगाया जाना चाहिए लेकिन वहां पर नहीं लगा कर उर्दू के अध्यापकों की कृत्रिम रूप से कमी पैदा की जा रही है। पिछले दिनों वहा पर घोषणा की गई थी कि उर्दू के विद्यार्थियों को वजीफा देंगे और इस इस क्लास के लिए इतना इतना वजीफा देंगे। वह वजीफों का क्या करेंगे जब पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं होगा। जब विषय पढ़ाने को मास्टर नहीं होगा तो वह वजीफा लेकर क्या करेंगे। फेल होने के लिए वजीफा लेंगे तो अगले साल उनको दाखिला मिलेगा नहीं। इस तरह से सरकार जो वास्तव में उद्देश्य है उससे अलग हट रही है। जहां सिंधी के शिक्षक चाहिए वहां सिंधी के नहीं देंगे, जहां उर्दू के चाहिए वहां उर्दू के विषय के शिक्षक नहीं देंगे और उनको इधर से उधर भटकाते फिरेंगे। इस तरह से यहां शिक्षक जगत में मखौल उडाया जा रहा है। इसी तरह से मेरे इलाके में 11 शिक्षक कम हैं। देखिये, दो चौकडियां हैं, कुल मिला-कर दो-तीन स्कूल हैं। एक मोती कटला स्कूल है, दूसरा चौपड़ वाला माणक चौक वाला स्कूल है और दो तीन स्कूल है छोटे छोटे उसमें प्राइमरी को ले लें, मिडिल को ले लें, सैकण्डरी को ले लें, हायर सैकेण्डरी को ले लें। इस तरह से अनाप-शनाप किया गया है। जो वहां पर नियुक्त थे इस सत्र से पहले उनका तबादला ऐसी जगह पर कर दिया है जहां पर उनको उर्दू पढ़ानी ही नहीं पड़ेगी। और जो वहां पर आए है उनको उर्दू का अलीफ वे कुछ नहीं आता है। वह खाली बैठे हैं, विद्यार्थी परेशान हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि इस तरह से इधर उधर भटकाना विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, यह कोई अच्छी पद्धति नहीं है। वह अपनी नीति से बाज आयें और जहां पर शिक्षक चाहिए उर्दू के या अन्य विषयों के, उन विषयों के शिक्षकों को वहां पर नियुक्त करें। यह बात कह कर मैं मेरी बात समाप्त करती हूं कि उर्दू के विद्यार्थियों में जो असंतोष फैला हुआ है वह दूर हो और उनके पेरेंट्स में जो असन्तोष फैला हुआ है वह दूर हो। इस बात के लिए मैं कहना चाहूंगी कि मैंने बोल दिया बोल दिया बात खत्म हो जावे, मैंने बोलने के लिए नहीं बोला है। मन्त्री जी तो बातें कर रहे हैं, उनकी तो बातें

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

खत्म नहीं होती, राम जाने क्या बातें कर रहे हैं।

(व्यवधान)

मन्त्री जी आपने सुना। एक ही मन्त्री यहां बैठे हैं। मन्त्री महोदय, आपने सुना मैंने क्या कहा?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मन्त्रीजी से पुछवाइये कि उन्होंने सुनी है मेरी बात ?

श्री उपाध्यक्ष : सुना ही नहीं, नोट किया गया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं बैठूगीं नहीं तब तक। मैं तब तक नहीं बैठूंगी जब तक आप उनसे कहलवा नहीं देंगे। मन्त्री महोदय, मैं क्या बात कह रही हूं, मैं किस विषय पर बोली हू. आपने क्या लिखा ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप एक मात्र बैठें हैं, मन्त्री महोदय।

श्री छोगाराम बकोलिया : मुझे जो लिखने का होगा वह जरूर लिखूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × × यह विधान सभा चल रही है। यह मजाक हो रहा है हमारे विषयों के साथ हम जनता की समस्यायें आपके सामने रखते हैं, लोक हित के प्रश्न पर बात करते हैं, उन पर यह तसल्ली नहीं देते कि आपकी समस्याओं का समाधान करायेंगे। मन्त्री महोदय, एक बैंच तो वैसे ही खाली हैं, एक बैठे हैं। वह पता नहीं किस बात में मशगूल है, किस समस्या में उलझे हुए हैं, मै नहीं जानती। वे बतायेंगे कि उन्होंने क्या लिखा ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है·······

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है·······

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : संस्कृत के अध्यापकों के वास्ते कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर कोई जवाब तो होता नहीं है।

(व्यवधान)

अब इसका उत्तर तो होगा नहीं। सरकार की तरफ से काम बाद में होगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तो फिर इनको बाहर भेज दीजिए। इनको बाहर भेज दीजिए। × × × अगर कुछ लिखने का महत्व नहीं, कुछ बोलने का महत्व नहीं·······

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हाउस में जो कुछ बोल रही हैं·······

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री उपाध्यक्ष : × × × का एक्सपंज किया जावे।

श्री छोगाराम बकोलिया : कार्यवाही अंकित हो रही है ……

श्री उपाध्यक्ष : ×·× × एक्सपंज किया जावे।

श्रीमती सुमित्रा : फिर आप किस लिए बैठें हैं यहां पर……

श्री छोगाराम बकोलिया : आपको हाउस की कार्यवाही चलाने का अख्तियार नहीं है। कार्यवाही अंकित हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपंज, एक्सपंज।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप नहीं बैठेंगें तो अंकित नहीं होगा क्या ? आप यहां मास्टरी कर रहे हैं क्या बैठ कर।

(व्यवधान)

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय……

श्री नत्थी सिह : अंगुली मत दिखाओ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप दोनों खड़ी हो जाती हैं तो दो के मुकाबले में मेरे लिए……

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, I object.

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई हल्की-फुल्की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : एक का ही जवाब देना मुश्किल होता है, आप दो खड़ी दो जाती हैं।……

श्री यदुनाथ सिंह : It is bighly odjectionable, उपाध्यक्ष महोदय, Highly objectionable. यह हंसने की बात नहीं है। यह मन्त्री इसलिए यहां बैठतें हैं कि जो सदस्य कहते हैं उस बात को बाकायदा नोट करें, नोट करके ले जावें। यह क्या मतलब हुआ कि कार्यवाही नोट हो रही है। आप तमक कर खड़े हो जावें और बात करें कि कार्यवाही हो रही है।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा : उपाध्यक्ष महोदय…

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज……आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को कहें कि क्षमा मांगें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय……

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, माननीय सदस्या, स्थगन प्रस्ताव का कोई

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

जवाब नहीं दिया जाता है। वह आपका उत्तर सरकार से अलग से आएगा। यह प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री छोगाराम बकोलिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा क्लेरीफिकेशन देना चाहता हूं। माननीय सदस्या का जो आब्जेक्शन है वह बेबुनियाद है क्योंकि माननीय सदस्य शोपतसिंह जी जब बोल रहे थे मैं उनके अन्दर पूरा ईन्ट्रेस्ट लेकर उनकी बात सुन रहा था। उनकी एप्लीकेशन थी। यहां तक कि वेस्ट और दूसरी सारी जानकारी ली है। माननीय सदस्या का आरोप बेबुनियाद है।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री दाऊदयाल जोशी : अगर आप सजग है तो बताइये कि माननीय सदस्या उजला अरोड़ा ने क्या बोला ? आप बताइये ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या। माननीय सदस्या।

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने निर्देश दिया था कि माननीय सदस्य महोदय मुस्कराकर बोलें लेकिन मन्त्रीजी मुस्कुराना भूल गए हैं। बहुत तमतमा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) : विरोधी दल के जो माननीय सदस्यगण हैं उनका मात्र उद्देश्य......

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : × × × यह कोई तरीका है ?

एक माननीय सदस्य : आप आसन के माध्यम से बात कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो और भी पक्षपात हो गया कि शोपतसिंह जी की बात को ध्यान से सुना और जो मैं बोल रही हूं उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं आपकी जानकारी के लिए फिर बताती हूं......

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या। माननीय सदस्या।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : No point of order. Please sit down. माननीय सदस्या बिराजिये, Please, Please, sit down, Please.

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय……

श्री उपाध्यक्ष : महिला जब खड़ी हो जाती हैं तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है।

श्रीमती विद्या पाठक : मेरे स्थगन प्रस्ताव जो कि जयपुर जिले की……

श्री उपाध्यक्ष : आप तो दोनों साथ-साथ बैठी रहती हैं तो बात……

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मेरी बहुत इज्जत है, माननीय सदस्या।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप हमेशा इसे हंसी में टालते हैं। आप आसन पर बैठे हैं, महिलाओं का सम्मान कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं बहुत इज्जत करता हूं।

श्री बिहारीलाल पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है……

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, अब कोई सवाल नहीं होगा। बिराजिये।

श्री छोगाराम बकोलिया : आपका ध्यान महिला सदस्यों की तरफ है, हमारी तरफ ध्यान ही नहीं है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव जयपुर शहर में चल रही विभिन्न जो गृह निर्माण समितियां हैं उनके द्वारा सार्वजनिक सुविधाओं में……

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शान्त रहें।

श्रीमती विद्या पाठक : सार्वजनिक सुविधाओं के लिए छोड़ें हुए स्थान जो मैप्स में हैं, जो प्लाट है उनको बेचा जाकर……

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्रीमती विद्या पाठक : सार्वजनिक सुविधाओं को समाप्त करने के लिए……

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री बिहारीलाल पारीक : उनकी हम भी कद्र करते हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : न्यू पिंक सिटी गृह निर्माण सोसायटी जो जयपुर की है उसके द्वारा टोंक फाटक पर महावीर नगर और शॉपिंग सेन्टर दो बनाये गये। उसकी जो दोनों स्कीम हैं वह दोनों स्कीम अभी तक अपूव नहीं हुई हैं। जो स्कीम अपूव नहीं हुई हैं उस स्थिति का लाभ जे. डी. ए. से सांठगांठ करके यह गृह निर्माण सोसायटीज उठा रही हैं, होता क्या है कि वह लोग उन नक्शों में नित्यप्रति परिवर्तन करते हैं। जब इनको किसी एमेनिटी को समाप्त करना होता है, उसकी लैण्ड को बेचना होता है तो नक्शे जो जे. डी. ए. में आज के साढ़े तीन चार साल पहले दिये हुए हैं अप्रुवल के लिये, उन नक्शों को वियड्रा कर लेते हैं, दूसरा नक्शा उसकी जगह लगा देते हैं। यानि इस तरह जे. डी. ए. के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ मिल-जुल कर जो जमीनों में घपले हो रहे हैं, सार्वजनिक सुविधाओं को समाप्त किया जा रहा है, सोसायटियों द्वारा अनाप-शनाप पैसा बनाया जा रहा है इसके विषय में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था। यह व्यवस्था जो जे. डी. ए. से नक्शे निकालने, दूसरे काम करने की है इसका पूरा एक रैकिट है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका रैकिट ही नहीं है इसके दलाल बने हुए हैं। आम नागरिकों के लिये जे. डी. ए. आउट आफ रीच है। कोई व्यक्ति उसके अन्दर घुस नहीं सकता। शीशे के बने हैं। अन्दर वाले तो बाहर जा सकते हैं पर बाहर वाले अन्दर जा भी नहीं सकते अपनी ग्रिवान्सेज को प्रोजेक्ट करने के लिये, उनको बताने तक के लिये नहीं जा सकते। बिलकुल एक रैकिट बना हुआ है जिनका तारतम्य और कान्ट्रेक्ट बराबर दलालों से बना हुआ है। वे लोग मिल कर सिस्टेमेटीकली इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं कि लोग बहुत परेशान हैं। सिविक एमेनिटीज के प्रास्पेक्टस् बिल्कुल समाप्त हो गये गृह निर्माण सोसायटी में और लोगों के मकान और सामान तोड़े जा रहे हैं, ऐसी व्यवस्था हो रही है। स्पेसिफिकली मैं उदाहरण देना चाहती हूं, यदि अधिकारी वर्ग में कोई मोजूद होंगे तो वह नोट करना चाहेंगे, इस महावीर नगर शॉपिंग सेन्टर में और महावीर गृह निर्माण सोसायटी में यह जो स्कीम है महावीर नगर की, इसमें दो पार्क बने हुए हैं शॉपिंग सेन्टर में। वहां दो पार्क छोड़े हुए थे। फायर स्टेशन के लिये नक्शे में स्थान निर्धारित है। उस पर पांच बड़े और सात छोटे प्लाट काट दिये गये। इस शापिंग सेन्टर में दो पार्क के स्थान और एक फायर स्टेशन है। इसी तरह इसी सोसायटी के शापिंग सेन्टर और रेजीडेंशियल कालोनी में जहां 190 दुकानें और जमीनें थीं, शांपिग सेन्टर में, उनकी साइज छोटी करके लोगों के पैसे खा करके, मनमानी करके, आतंकित करके 225 दुकानें बना दी गईं। यानी 190 दुकानों की जो डायमेंशन थी उसमें 225 दुकानें बना दी गईं। जो हायर सैकण्डरी स्कूल उस कालोनी के लिये बना हुआ था उसमें 6 प्लाट काट दिये गये। इनका पूर्व नम्बर था 613 और 618. यह मैं इसलिये बता रही हूं पूर्व नम्बर, क्योंकि जे. डी. ए. की सांठगांठ से इन प्लाट्स के नम्बर भी बदल रहे हैं और कई बार बदल चुके हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मिडिल स्कूल की जगह पांच प्लाट

(श्रीमती विद्या पाठक)

काट दिये गये, इन प्लाट्स के पूर्व में नम्बर 692 और 693 थे। इसी तरह डिस्पेन्सरी की 1500 गज जमीन पर तीन प्लाट काट दिये गये। पुलिस स्टेशन, चौराहा जो करीब 900 वर्ग गज का था उस पर भी दो प्लाट काट दिये गये। इसका पूर्व का प्लाट का नम्बर 653 है। पोस्ट आफिस की जमीन 750 वर्ग गज, उस पर भी प्लाट काट दिये गये। अगर इनसे यह पूछा जाता है कि भाई यह क्यों करते हो, सार्वजनिक रास्ते रुकते हैं, सार्वजनिक व्यवस्था, जो एमेनिटीज होंगी उसके आगे का भविष्य समाप्त हो जाता है तो वह कहते हैं यह हम नहीं करते हैं, यह तो जे. डी. ए. वाले कर रहे हैं। और जे. डी. ए. वालों से वैसे ही जनता बड़ी खौफ खाती है। यदि उनके खिलाफ बोलें तो मकान उनके तोड़ें। और वह क्या कहते है, जे. डी. ए. क्या क्या काम कर रहा है, सोसायटी वाले कहते हैं कि हम नहीं कर रहे है, जे. डी. ए. कर रहा है। क्या काम? पार्क और गार्डन, फायर स्टेशन और कार पार्किंग के प्लेसेज, इन सबको समाप्त करने का काम जे. डी. ए. कर रहा है। अब हम पूछना चाहते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या जे. डी. ए. का निर्माण इसके लिये हुआ था कि यह सिविक एमेनिटीज उन दलालों से मिल कर समाप्त करवा दें? यदि जे. डी. ए. की जानकारी में है जो मैंने अर्जियां भेजी हैं तो उन पर अब तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई? यह गम्भीर मसला है। यह एक रैकिट है जे. डी. ए. इसका अड्डा बना हुआ है जिसको कोई पेनीट्रेट नहीं कर सकता। बड़े बड़े इस तरह के अधिकारी, बड़े बड़े इस तरह के नेतागण इसमें शामिल हैं जिनको छूते ही प्रिविलेज बनने की सम्भावना बन जायगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं आपको निवेदन करना चाहती हूं कि यह सिर्फ एक सोसायटी का उदाहरण बताया। ऐसे ही अपोलो गृह निर्माण सोसायटी सांगानेर ने सार्वजनिक रास्ते जो 17 प्लाट्स को जाते हैं उस रास्ते के बीच में प्लाट काट दिये। यानी बाकी जो पीछे वाले प्लाट हैं उनका रास्ता ब्लाक हो गया। बारबार जब कहते हैं तो कुछ कार्यवाही होती है उसके थोड़े दिन बाद सण्डे, सटरडे के बेनिफिट का लाभ उठा कर फिर वह लोग निर्माण कार्य शुरू कर देते हैं। ऐसी दुर्व्यवस्था बनी हुई है। यह इनकम टैक्स वालों ने रेज जरूर किया पर यह सेन्टर का काम है। सरकार की इसमें क्या जिम्मेदारी है उसका भी निर्वहन करें। जे. डी. ए. का निर्माण इसलिये नहीं हुआ था कि लोगों को तकलीफ दे। इन सुविधाओं पर ध्यान देगी सरकार और इनकी व्यवस्था करवायेगी, यह मैं अपेक्षा करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलाल मेघवाल।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एशिया विख्यात ए. सी. सी. सीमेंट फैक्ट्री लाखेरी की अव्यवस्था के बारे में, जो उन्होंने 15–20 साल से अस्थायी कर्मचारियों के प्रति अन्यायपूर्ण वातावरण या व्यवहार बना रखा है उसके बारे में स्थगन प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। करीब दो-ढाई महीने से यह अस्थायी कर्मचारी....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका जो प्रस्ताव है वह तो है कि ग्राम नावा

(श्री उपाध्यक्ष)

जिला जोधपुर में मेघवालों पर अत्याचार किये जाने के सम्बन्ध में। यह है।

श्री मांगीलाल मेघवाल : अच्छा।

जोधपुर क्षेत्र में इन्दोरका गांव के कुछ अनुसूचित जाति के मेघवाल परिवार जिसमें 11 परिवार हैं अनुमानतः 70–80 प्राणी उसमें होंगे, साल भर पहले उनकी खानों पर कब्जा कर लिया, उनके जानवरों को हड़प लिया और उनको मकानों से बाहर धकेल दिया। आज साल भर से वे जोधपुर ग्राम सड़क के फुटपाथ पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने तत्कालीन प्रधान मन्त्री, मुख्य मन्त्री महोदय, राज्यपाल और सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों से भी निवेदन किया। ऐसा जानकारी मिली कि माननीय मुख्य मन्त्री ने जिलाधीश, जोधपुर को लिखा। पर आज दिन तक किसी ने जाकर उन लोगों का हाल चाल नहीं पूछा कि आप कहां खाना खाते हो, कहां सोते हो, कैसे आप रहते हो, आपके बच्चे कैसे हैं, आप कैसे हैं। इतना होने के बाद में कोई कार्यवाही सरकार द्वारा नहीं की गई। ठीक उसके विपरीत उन लोगों को उन खानों पर मारना कूटना यह सब हुआ। अभी 14 मई को उनके रिश्तेदारों के साथ मारपीट की गई। उसकी रिपोर्ट स्थानीय थाना सूरसागर में की गई तो रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और उन लोगों को वहां से भगा दिया। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रिपोर्ट कराने का नतीजा यह हुआ कि 6 जुलाई को फिर उनके साथ फिर मारपीट की जा रही है। इस तरह के जो मारपीट हुई अभी परसों मेरे पास एक रजिस्ट्री और आई वहां से उनके साथ फिर वाकिये अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हो रहे हैं, मैं पुरजोर शब्दों में सरकार को, मन्त्री महोदय को आपके माध्यम से यह अनुरोध करूंगा कि आज अनुसूचित जाति का गुणगान करने वाली सरकार इस तरह से अनदेखी कर रही है, यह एक लानत है। जो अनुसूचित जाति के लोगों का गुणगान करती है, उनके वोटों पर जो जिन्दा रहने वाली सरकार है, 80 प्रतिशत वोट शिड्यूल्ड कास्ट्स के लेकर आज सत्ता में बैठने वाले जब साल साल भर तक इस तरह की बात नहीं सुनते हैं, तो यह इस कांग्रेस सरकार के नाम पर कलंक है जो अनुसूचित जाति के लोगों को इस तरह से परेशान किया जा रहा है।

आपने समय दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष ; श्री हरिकुमार औदिच्य।

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मण्डी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान सरकार की नीति की ओर दिलाना चाहता हूं। जहां एक ओर सरकार समान वेतन, समान कार्य और समान योग्यता की बात करती है वहां इसी सरकार की नाक के नीचे सरकार के अधिकारी इन नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहूंगा। अपने राजस्थान में मेल नर्सेज ग्रेड I और ग्रेड II की नियुक्तियां होती हैं। यह स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत आते हैं लेकिन उनका कार्य करने का क्षेत्र अलग-अलग है, सेवाएं एक समान हैं, पद एक समान हैं और नौकरी में रहने की शर्तें भी एक समान हैं। गत 21 तारीख के पहले इन सभी प्रकार की सेवाओं में जो मेल नर्सेज का काम करने वाले थे उनको 40 रुपया माहवारी भत्ता मेस अला-

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

उंस दिया जाता था। किन्तु राज्य सरकार ने 40 रुपया बन्द करके जो हास्पिटल में मेल नर्सेज काम करते हैं उनका तो 40 से बढ़ा कर 60 रुपया कर दिया। और जो मेल नर्सेज यूनाइटेड नेशन्स फन्ड प्रिवेंशन एसोशिएशन, यू. एन एफ. पी. ए., में कार्य करते हैं उनको वह 40 रुपये भी स्वास्थ्य विभाग ने बन्द कर दिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आखिरकार सरकार के कौनसे नियम है जब आप एक ही ग्रेड में, एक ही शर्तों के साथ एक ही तरह का काम करने वाले एक ही योग्यता के लोगों को कार्य पर लगाते हैं किन्तु अलाउंस देते समय उनके वेतन में भिन्नता पैदा करते हैं। यह जो मैंने निवेदन किया 20.5.85 तक इस प्रकार का 40 रुपया माहवार भत्ता स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले सभी मेल नर्सेज जो ग्रेड I और ग्रेड II में हैं को मिलता था किन्तु 21.5.85 को जो आदेश निकाला है उसके अन्तर्गत 21.5.85 से जो हास्पिटल्स में काम करने वाले मेल नर्सेज ग्रेड I और ग्रेड II के हैं उनका तो 40 रुपये से बढ़ा कर 60 रुपये कर दिया और दूसरे ये गरीब मेल नर्सेज जो काम करते हैं यू. एन. एफ. पी. ए. के अन्तर्गत उनका 40 रुपया भत्ता भी काट दिया गया। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उन गरीब मेल नर्सेज के साथ सरकार ने अन्याय किया है। इस सम्बन्ध में बकोलिया जी स्वयं सारी बात नोट कर रहे हैं उनके विभाग का मामला है, तो जो अधिकारी हैं जिन्होंने इस प्रकार के आदेश किए हैं इन गरीबों के साथ अन्याय किया है, मैं समझता हूं, सरकार इस पर विचार करेगी और जिस प्रकार हास्पिटल में काम करने वाले मेल नर्सेज को 60 रुपया माहवार भत्ता देते हैं उसी प्रकार जो बाहर काम कर रहे हैं यू. एन. एफ. पी. ए. के अन्तर्गत, उनको भी इस प्रकार का भत्ता दिया जाएगा। यही मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगतसिंह दायमा।

(अनुपस्थित)

सुश्री पुष्पा जैन।

पाली जिले में खारची....

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : खारची वाले पर कल बोलूंगी। उपाध्यक्ष महोदय, अभी एकदम आपने जानकारी की है और आज बताया है। जो माननीय सदस्य खारची को रिप्रजेंट करते हैं वे आए नहीं तो मेरा अनुरोध है वे आ जाय ...

श्री उपाध्यक्ष : आपका यह जो पाली जिले में स्थानांतरण का है....

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा याचना करते हुए....

(व्यवधान)

(3,25 म. प)

(श्री पंकज पचोली, सभापति, पदासीन।)

सभापति महोदय, पाली जिले में पिछले तीन महीनों में जो अंधाधुंध स्थानांतरण, ट्रांसफर्स हुए हैं वे अपने आप में बहुत अनोखी बात है। उपाध्यक्ष महोदय, ट्रांसफर्स होते हैं, राज्य की नीति के अनुसार ट्रांसफर्स

(सुश्री पुष्पा जैन)

होते हैं कोई अजूबी बात नहीं है। राज्य के हित में या जिले के हित में कोई ट्रांसफर्स हो जाय तो मुझे इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं, कोई एतराज भी नहीं लेकिन तीन महीने के अन्दर 15–15 दिन में, 7–7 दिन में ट्रांसफर्स हो तो, माननीय मन्त्री महोदय, आपको भी सोचना पड़ेगा और आप नहीं सोचेंगे तो निश्चित रूप से जनता सोचेगी कि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है। आज अंधाधुंध 7–7 दिन में, 3-3 आदमियों के ट्रांसफर्स करे, इसको लगाया उसको हटाया; उसको हटाया इसको लगाया, सभापति महोदय, सर्वविदित बात है, मन्त्री महोदय इससे इन्कार नहीं करेंगे कि थानों के थानेदारों के ट्रासफर एस. पी. को करने चाहिए। मन्त्री महोदय इससे इन्कार कर दें या मुझे गलत कर दें तो मैं मान जाऊंगी। एस. पी. थानेदार का ट्रांसफर करते हैं। आज पाली जिले की हालत यह है, 20 थानों में से 18 के थानेदार, जिनका एस. पी. से कोई ताल्लुक नहीं, को गृह सचिवालय से आपने ट्रांसफर करवा दिए। तो एस. पी. काहे को बैठा रखे हैं, वहां पर क्या करेंगे एस. पी. ? आज कोई भी थानेदार एस. पी. की बात नहीं मानता। सारे यहां से एस. पी. बन कर चले गए। सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगी, मन्त्री महोदय, क्या वजूहात हैं कि आपको राज्य के बड़े-बड़े काम छोड़ कर पाली जिले में एस. एच. ओ. के ट्रांसफर में दखल करनी पड़ी और आपको होम सेक्रेटरी से डायरेक्ट वायरलैस मैसेज करवाने पड़े। निश्चित रूप से मैं जानना चाहूंगा कि आखिर क्या है। इसके पीछे एम. एल. ए. का दबाव था या कोई आपका व्यक्तिगत कारण था, आप इसको बताएंगे ? आप कृपया इसको बताइए। सभापति महोदय, मैं नाम बताना चाहूंगी, पाली जिले में थाना है पिरियारी, जहां पिछले 90 दिन से अर्जुन सिंहजी थानेदार थे, उन अर्जुनसिंहजी को हटाया और लक्ष्मणसिंहजी को लगाया। 90 दिन के अन्दर अन्दर लक्ष्मणसिंहजी भी रास नहीं आये फिर देवीलालजी को लगाया। अब देवीलालजी का क्या होगा यह देवीलाल जी जानें। इसके बाद सेंदरा थाने में श्री मदनलालजी एस. एच. ओ. थे। मदनलालजी को हटाया, लक्ष्मणसिंहजी को लगाया। फिर 75 दिन में लक्ष्मणसिंहजी रास नहीं आए तो राजेन्द्रसिंह को लगाया। फिर राजेन्द्रसिंहजी रास नहीं आए। आखिर मन्त्री महोदय, 75 दिन में एक थाने में 3–3 ट्रांसफर हो तो क्या समझते हैं कि आप अपराध वृत्ति को रोक पायेंगे ? आज पाली में हत्याएं हो रही हैं, चोरियां हो हो रही हैं, लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं जिसका जिक्र मैं पहले कर चुकी हूं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : जनता पार्टी के राज में जमुआ रामगढ़ थाने में एक दिन में तीन थानेदारों के आर्डर हो गये थे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आप सुनिए उनको। आपका मौका आए तो आप कह दीजिए अपनी बात।

श्रीमती इकबाल कौर (करनपुर) : सभापति महोदय····

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठें। आप कृपया बोलें।

सुश्री पुष्पा जैन : इनका एक ही दुख है। शुरू से आखिर तक आपको पता नहीं कितनी बार सुना चुकी हैं आप। वह प्रोफेसर केदार तो हैं नहीं माताजी, मैं क्या करूं।

सभापति महोदय, एक मिनट के लिए मान लीजिए जनता सरकार ने ऐसा किया था, तो मैंने तो कभी आपको नहीं कहा कि जनता सरकार ने किया है तो गलत किया है। सरकार अगर इस तरह से प्रशासन में दखलंदाजी करती है तो उसे कंडेम करना चाहिए और उसे आपको करना चाहिए और मुझे भी करना चाहिए। इस तरीके से प्रशासन चल नहीं सकता। इस तरीके से क्राइम्स रुक नहीं सकते। अगर आप पूरी लिस्ट सुनेंगे तो आप खुद हैरत में आ जाएंगे। गुड़ा एलना थाना है पाली जिले में, उसमें नाथूरामजी थानेदार थे उसके बाद अमरूदीनजी आ गये। सात दिन के अन्दर अन्दर अमरूदीनजी को हटा कर नाथूरामजी वापस आ गये। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? साफ नजर आता है कि पैसों की राजनीति चल रही है? थानेदारों को थाने बेच रहे हैं आप।

सभापति महोदय, पहले सत्र में इस सदन में कई बार चर्चित हुआ था कि पाली जिले में थाने बिकते हैं, तो मुझे एतबार नहीं होता था। मैंने सोचा, गलत बात होगी। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं; सभापति महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो पहले राजनीति चल रही थी, सभापति महोदय, आज आप उसको सहयोग दे रहे हैं। सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगी, थाना बगडी में अर्जुनसिंह जी थानेदार थे। अर्जुनसिंहजी को हटाया प्रेमसिंहजी बारहट आ गये। प्रेमसिंहजी बाहरट को हटा कर इन्द्रसिंहजी आ गए फिर इसके बाद पाली, केरला, देसूरी, रायपुर, मगर तालाब सभी के थानेदार आपने बदल दिए। मगर तलाब से सवाई सिंहजी को हटाया और गणपत लालजी को लगाया और सवाईसिंहजी को बाड़मेर भेजा। इसके बाद सोजत, पालुप, जैतारण कोई थाना ऐसा नहीं बचा जहां इन्होंने 75 दिन में, 90 दिन में, 7 दिन में, 15 दिन में, 2–2, 3–3 थानेदार नहीं बदले। इसके बाद मारवाड़ जंक्शन से मोहनसिंहजी को हटाया और जगमालसिंहजी को लगाया। इसके बाद जैतारण में, माननीय सदस्य बैठे नहीं हैं मैं पूछना चाहती थी उनकी मर्जी से लगाया या मन्त्रीजी ने खुद लगाया, ओम प्रकाश पुरी को आपने हटाया और राम बल्लभजी डी. एस. पी. को लगाया। फिर रामवल्लभजी को 15 दिन के अन्दर अन्दर हटा कर, भगवान जाने कौनसा बुखार हुआ, आपने हरिप्रसादजी शर्मा को लगा दिया। सभापति महोदय, पाली में इन्होंने हंसराजजी को हटाया और रामेश्वरसिंहजी को लगाया। रामेश्वरजी की कोई शिकायत नहीं थी पाली में, मैं कहना चाहती हूं, मन्त्री महोदय, आपने 70 दिन के अन्दर अन्दर शिवकुमार शर्मा को लगा दिया। आज हालत क्या है पाली में आपको मालूम है? पाली में तीन तीन मर्डर हो चुके हैं। गड़वाड़ा में मर्डर हुआ, रूपवास में मर्डर हुआ। पाली में ऐसे ऐसे मर्डर हुए, राजेश हत्या काण्ड, एक दूसरा हत्या काण्ड, एक भी मर्डर में आपने मुजरिम को नहीं पकड़ा। पाली जिले में अगर मैं कतलों की गिनती कराने लगूं,

(सुश्री पुष्पा जैन)

मन्त्री महोदय, तो वक्त बहुत लगेगा। किसी भी मर्डर में आप बता दीजिये आपने कोई कारगर कदम उठाये हों ? इसके पीछे कारण क्या है ? कारण यह है' ट्रांसफर की नीति।

सभापति महोदय, मैं आपसे पूछना चाहती हूं. आज पाली जिले में तो क्या राजस्थान में कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी इस बात के लिए आश्वस्त नहीं है कि वह इतने दिन यहां पर रहेंगा, अपनी सीट पर रहेगा। जब अपने अपाइन्टमेंट के प्रति, अपनी नियुक्ति के प्रति आश्वस्त नहीं है तो यह काम कैसे करेगा। आज पाली में जिलाधीश से लेकर नीचे तक के दफ्तर में चले जाइये काम कुछ भी नहीं हो रहा है। हर आदमी इन्तजार कर रहा है कि मेरा कितने दिन में ट्रान्सफर आर्डर आ रहा है। सभापति महोदय, मैं बताना चाहती हूं कि पाली की नगरपालिका में एक मामूली सा आदमी था नय्यर। जनता ने कम्प्लेंट की थी कि लाखों रुपये वह आदमी खा रहा है और अपना घर बना रहा है, सात वर्षों से नगरपालिका में बैठा हुआ है। उसकी कम्पलेंट हुई। सारी जनता ने शिकायत की। यहां से मिस्टर लहरी, जो डायरेक्टर (स्वच्छ प्रशासन) हैं, पाली में गये उसकी इन्क्वायरी के लिए और सारी जानकारी होने के बाद उसका तबादला हुआ।

(3·31 म. प.)

(श्री गिरीराज प्रसाद तिवारी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

× × × आपको कि उस आदमी का आपने ट्रान्सफर कैन्सिल करके वापिस पाली की नगरपालिका में लगा दिया। साहब, आज आप किस की बात कर रहे हैं ? क्या शासन चलायेंगे आप। इस तरह से ट्रान्सफर, तबादलों के पीछे पैसे खायें, तबादले करके थानों को बेचा जाये, सरकारी दफ्तरों में सीटों को बेचा जाये, उपाध्यक्ष महोदय, फिर आप यहां खड़े होकर लोक कल्याण की बातें करें तो ये दोनों चीजें शोभा नहीं देती।

उपाध्यक्ष महोदय, पाली के आज एक और खबर चल रही है। जो दलाल हैं वे खबरें फेंक रहे हैं कि विधान सभा के बाद पाली कलेक्टर का तबादला होने वाला है और उन्होंने नाम भी बता दिया कि पाली में फलां क्लेक्टर आने वाला है। थानेदारों के नाम बताये जाते हैं कि इस थाने में इतने दिन यह थानेदार आने वाला है, इतने दिन में यह थानेदार आने वाला है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि भगवान के लिए इस गरीब जनता पर रहम खाइये, तरस खाइये। इस पर एहसान आपने नहीं किया है, इस जनता ने आप पर एहसान किया है। आपको दिया, यह वोट देने का इनाम है क्या कि आप थानों को बेच दें। एक गरीब आदमी थाने में जाता है तो उसके साथ ज्यादती होती है। किसी का मर्डर हो जाय, चोरी हो जाय, डकैती हो जाय, बलात्कार

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(सुश्री पुष्पा जैन)

हो जाये आज, तो थानों में हालत यह है कि उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की जाती। आज वे फरियाद करें तो किससे ? एस. पी. से ? एस. पी. से फरियाद करते हैं तो एस. पी. साहब फरमाते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, डायरेक्ट होम कमिशनर से मुझे तो वायरलैस आया था और मैंने इसलिए इस थाने में इस थानेदार को बदल दिया। अब किस से फरियाद करें ? मुझे इतना तो बतायें, मन्त्री महोदय, कि गरीब जनता की अगर कोई शिकायत हो तो डायरेक्ट आपके पास आये या आई. जी. के पास जायें या एस. पी. के पास जायें या थानेदार के पास जायें, किसके पास जायें ? जिस जिले में एस. पी. का कहना नहीं चलता हो, एस. पी. के आदेश नहीं चलते हों, थानेदार एस. पी. से ऊपर अपने आपको समझता हो तो वहां का प्रशासन कैसे चलेगा ? इससे तो अच्छा वहां एस. पी. को हटा दीजिये, थानेदार को ही एस. पी. की पावर दे दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : पूरे राजस्थान का यही हाल है जो माननीय सदस्या कह रही हैं।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य जो ट्रान्सफर करवा कर अपना पेट पाल रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं उनके पेट पर लात मारना चाहती हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं उनके पेट पर लात मारना चाहती हूं या नहीं चाहती हूं लेकिन ये लोग गरीब जनता के पेट पर लात मार रहे हैं। मैं आपको बयान कर रही हूं, यह मेरी ड्यूटी है इसलिए मुझे विधान सभा के अन्दर भेजा है उस गरीब जनता ने ताकि आपके काले कारनामों को उजागर करूं।

मन्त्री महोदय, समय रहते आपको चेतावनी दे रही हूं कि आप किसी तरह से इस दलगत नीति को समाप्त कीजिये। × × × वरना इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। यह मत समझो कि जनता मूर्ख है। जनता की भी जुबान है और जिस दिन उसकी जुबान खुल जायेगी, जिस दिन वे हरकत में आ जायेंगी तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा वह दिन। तो, मन्त्री महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि पाली जिले में जो आपने इस तरीके से तबादले किए हैं, मैं उनका सबब जानना चाहती हूं। आखिर वह क्या वजूहात हैं कि इस तरह से 15-15, 7-7 दिन मे आपने थानेदारों को बदला ? और एस. पी. के आदेश से नहीं डायरेक्ट जयपुर से आदेश हुए तो निश्चित रूप से कारण तो गम्भीर होंगे। अगर इन कारणों को यहां बता दें तो निश्चित रूप से मुझे तसल्ली हो जायेगी, अगर सही वजूहात होंगे। 15-15 दिन के अन्दर, 70-70 दिन के अन्दर आपने एडीशनल एस. पी. का तबादला किया। जो मौजूदा एडीशनल एस. पी. है उनके काले कारनामें तो इस समय बयान नहीं करना चाहती हूं बाद में समय आयेगा तब कहूंगी, लेकिन आपको चेतावनी दे रही हूं

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(सुश्री पुष्पा जैन)

कि आपने जिस एडीशनल एस. पी. को वहां पर लगाया है वह वहां पर जिस तरह की हरकत कर रहा है या तो आप उनको समझा दीजिये, उनकी जांच करवा लीजिये वरना हिसाब करना मैं खुद भी जानती हूं, सीधे पाली में जाऊंगी और आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद अकेली काफी हूं और मेरे साथ पूरे पाली जिले की जनता है। इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण किसान। सिंचाई के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण......

एक माननीय सदस्य : जगत सिंह का स्थगन प्रस्ताव है।

श्री मोहन प्रकाश : आपने नाम पुकारा उस समय वे लोबी में गये हुए थे विचार-विमर्श के लिए इसलिए उनको मौका दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : किस चीज के सम्बन्ध में है ?

श्री मोहन प्रकाश : स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में इनका नाम पुकारा था आपने।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें तो नहीं है।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसुर) : जगत सिंह नाम पुकारा है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान।

श्री हरिकुमार औदिच्य : वैसे भी ये दो मिनट ही बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट ही।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत में सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि किसानों की ओर से सरकार तो ध्यान दे नहीं रही है परन्तु ये प्रशासनिक अधिकारी भी किस तरह से किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र बानसुर में एक गांव है–जैतपुरखरवा, उस पर की तारीख 26·4·85 की बात है। जो तत्कालीन तहसीलदार साहब थे, वे धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही करने गये। हुआ यह कि वहां पर उन्होंने किसानों को इकट्ठा करके और जाते ही यह आर्डर दे दिया कि ये जो मकान आपने बना रखे हैं इनमें से जो सामान है उसको जल्दी से यहां से निकाल दीजिये और मुझे कार्यवाही करने दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, गांव ने वालों इस से पहले ए. डी. एम. साहब से स्टे आर्डर ले रखा था। उन्होंने तहसीलदार साहब को दिखाया कि हमारे पास इस कार्यवाही के लिए स्टेट आर्डर है, आप देख लीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, उस स्टे आर्डर को उन्होंने देखे बिना ही फेंक दिया और कहा कि जो कार्यवाही करने मैं आया हूं उसे मुझे करने दीजिये। हुआ यह कि उन्होंने कहा, हम तो यहां बस रहे हैं 20 साल से और हमें उजाड़ना चाहते हो, हमारा यहां सामान भरा हुआ है हम एकदम से कैसे क्या करें। हमारी समझ में नहीं आ रहा है और स्टे

(श्री जगतसिंह दायमा)

आर्डर हमारे पास है। उपाध्यक्ष महोदय, तहसीलदार साहब ने एकदम से गुस्से में आ करके कहा कि मेरे हुक्म की पालना नहीं हो रही है, एकदम से उन्होंने जो उनके साथ एक प्रश्नात्मक तहसील का कर्मचारी था उससे माचिस मांगी, माचिस मांग कर उन गरीब किसानों के घर में आग लगा दी। उनके घर जल भुन कर राख हो गये और यहां पर जानकारी यह दी है आपको कि कोई भी सामान वहां पर नहीं जला। मैं आज इस सदन को बता देना चाहता हूं, मुझ खुशी है कि आज गृह मन्त्री जी मेरे सामने यहां विराजमान हैं, वे मेरी बात सुन रहे हैं, 12–13 भेड़-बकरियां वहां जली हमारा सामान भी जला है। मेरे पास फोटो भी है और मेरे पास स्टे आर्डर जो था उसकी भी कापी है। मैं आपको दिखा सकता हूं, सदन के पटल पर रख सकता हूं। आप लोगों को बताना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि किस तरीके से उन किसानों के घर धू-धू करके जल गये और आप देखिये कहां-कहां गलती हुई। 11 सिपाही पुलिस के और थानेदार वहां मौजूद थे। जब सामान जलने लगा तो किसान भाग-भाग कर के अपना सामान बाहर निकालने लगे तो थानेदार साहब ने वहां बंदूक तान दी और कहा कि कोई भी आगे बढ़े तो गोली से भून दूंगा। सामान भी इनका नहीं निकालने दिया। भेड़-बकरिया अलग जल गयी। एक बछिया तो जरूर वहां बच गयी जो बंध रही थी। कमजोर रस्सी थी तुड़ाकर भाग गयी। बाकी आज भी अगर मुख्य मन्त्रीजी, गृह मन्त्रीजी चाहें तो जो भेड़ और बकरियां जली हैं उनकी खाल देखी जा सकती है और मैं दिखा सकता हूं जा करके।

मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं, गृह मन्त्रीजी, एक तो धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत इस तहसीलदार को क्या हक था कि किसान के घर में जाकर आग लगा दे। मैं गृह मन्त्री को बताना चाहता हूं, मुकदमा उस पर कायम हुआ। दो दिन के बाद 28 तारीख को हुआ यह कि 28 तारीख के बाद पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस की मौजूदगी में तहसीलदार आग लगा रहा है उस वक्त पुलिस ने उसको रोका नहीं तो गिरफ्तार कौन करे। यह एक बड़े शर्म की बात है। जिन किसानों की हिमायती यह सरकार बनती है, यह कांग्रेस पार्टी बनती है। आज राज उनका है, इनके राज में जो 80% किसान हैं जो गांव में रहते हैं, मजदूर हैं उनके घरों में आग लगायी जाती है। प्रशासनिक अधिकारी आग लगाते हैं और यह हमारी सरकार बैठी-बैठी तमाशा देखती है,

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है।

मैं एक को जानकारी और देना चाहता हूं। किसानों के घर जल कर राख हो गये वह मेरे पास आये थे मैंने कहा, भाई जाकर रिपोर्ट विपोर्ट लिखाओ। 28 तारीख को मैंने टेलीफोन वगैरह किया तब, जाकर के उन्होंने रिपोर्ट लिखी। रिपोर्ट लिखने के बाद, आप देख लीजिए कि तहसीलदार साहब को पुलिस ने पकड़ा ही नहीं। चार-पांच दिन तक वह आराम से

(श्री जगतसिंह दायमा)

बैठा रहा और घूमता रहा। उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर एक गरीब व्यक्ति आग लगा देता है या किसान आग लगा देता है या गलत तरीके से उसके ऊपर थोप दिया जाता है कि उसने आग लगायी है तो धारा 436 में उसकी बेल नहीं होती है जबकि उसने एन्टीसिपेटरी बेल करा ली। आप देखिये, किस तरह का घिनौना अत्याचार इन किसानों पर हुआ और उसके बाद धमकी दे रहे हैं। बार-बार यह प्रशासन,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह सरकार के नुमाइन्दे किसानों को धमकी मार रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट और दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आ गया। 2 मिनट का मतलब 10 मिनट।

श्री जगत सिंह दायमा : दो मिनट का मतलब दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी सारी बात आ गयी। और क्या चाहिये।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं बताना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सब बात आ गयी। फिर से रिपीट नहीं करें।

श्री जगत सिंह दायमा : आगे हुआ यह कि 4–5 दिन के बाद ही वह तहसीलदार साहब और तो और मेरे ऊपर आकर पड़ गये कि यह कैसे आपने दर्ज करवाया है या तो आप इसको वापस लीजिये और नहीं लेते हो तो मैं देख लूंगा, तुम विपक्ष में नेता हो तुम क्या कर सकते हो ? और यह हम पर धमकी मारते हैं। यह प्रशासन के अधिकारी इस सरकार में हमको धमकी मारते हैं और उलटा मेरे ऊपर एक झूठा-मूठा केस बना दिया। मैंने गृह मन्त्री जी से कहा था कि आप जांच कर लें। जब किसानों के लिए कुछ बोलते हैं तो उलटे हमारे ऊपर केसे लगवा देते हैं, यह हालत है। मैं सरकार से मांग करता हूं, दुबारा उसके ऊपर जांच बैठायें तो मैं साथ चलने को तैयार हूं। भेड़-बकरियों की खालें दिखा सकता हूं, जला हुआ सामान दिखा सकता हूं जो ट्रंक जले हैं वह दिखा सकता हूं, कपड़े दिखा सकता हूं। मैं चाहता हूं कि तुरन्त आज ही आदेश दें, × × × निर्मम प्रशासनिक अधिकारी है, तत्कालीन तहसीलदार है उसको सस्पेंड नहीं बल्कि टर्मिनेट किया जाय। यह मेरी मांग है। जयहिन्द।

श्री मोहन प्रकाश : टर्मिनेट करने का तो कुछ करवायें।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

94

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
कालख बांध की ऊंचाई बढ़ाने पर डूब में आने वाली भूमि का मुआवजा

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री लक्ष्मीनारायण किसान।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान (फुलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सिचाई मन्त्री महोदय, का ध्यान कालख बांध की ओर दिलाना चाहता हूं। कालख बांध फुलेरा तहसील में है और उससे सिचाई दूदू और फागी तहसील में होती है। पहले उसकी ऊंचाई, भराव 26 फुट था। सरकार ने आज से चार साल पहले यह निर्णय लिया कि दो फीट और भराव किया जाय और दो फीट उसको ऊंचा किया जाय। जब चार साल पहले दो फीट ऊंचाई बढ़ाने का निर्णय किया था उस समय वहां पर जो पानी में, डूब में आने वाले काश्तकार थे उन लोगों ने आन्दोलन किया। आन्दोलन करने के बाद सिचाई विभाग और उन काश्तकारों के बीच में उस क्षेत्र में रहने वालों के बीच में, सबके बीच में बैठ कर यह फैसला हुआ कि आपकी जो जमीन डूब में आयेगी, मकान आयेगा, आपका कुआं डूब में आयेगा उसका पहले मुआवजा देंगे फिर दो फीट पानी छुड़वा देंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो, जनता को लिखित में दिया है, यदि उसको तोड़ दिया जायगा तो हमें आपत्ति नहीं होगी। आज 85 परिवार तो कालख में हैं और 40 परिवार एक छतरी है बढ़ ढाकावाला, कोई गांव है, उसमें हैं लेकिन अब तक 10 व्यक्तियों को मुआवजा दिया है बाकी किसी को मुआवजा नहीं दिया है जबकि सरकार ने यह लिख कर दिया है कि तोड़ दो तो आपत्ति नहीं है। तो अब पानी भर रहा है, 15-16 फिट पानी आ गया है और 15 के बाद 28 फीट पर जायेगा तो निश्चित रूप से वहां की जनता में गड़बड़ होगी और लोगों का नुकसान होगा। बांध को तोड़ेंगे। फिर आपकी सरकार ने लिख कर दे रखा है कि तोड़ दो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक मुआवजा देने का सवाल है वह अब तक लोगों को देने का सवाल नहीं। नहीं देने का एक मात्र कारण यह है कि वहां के जे. ई. एन., ए.ई.एन. को और वहां के एक संरपच को दलाल बना कर 10 प्रतिशत ये मांगते हैं। कोई अगर 10 प्रतिशत अगर नहीं दे तो उसको मुआवजा नहीं दिया जाता है। मुआवजे को अटका रखा है इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि कमीशन नहीं दिया। इसलिए मेरा निवेदन है कि उन लोगों को मुआवजा दिलायें ताकि लोग वहां से पानी से बाहर निकलें वरना उनकी सम्पत्ति को नुकसान हो जायेगा।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि आज की तारीख में मुआवजा देंगे तो कहां मकान बनायेंगे कहां जाकर बसेंगे? उनके बसने की व्यवस्था कहीं हैं? पानी भरने लगा तो मुआवजा देने की बात हो जायेगी। मुआवजा देंगे लेकिन उनके बसने की क्या व्यवस्था है, आज किसके घर में जाकर बैठेंगे? किस के घर में जायेंगे? यह हालत आज इस समय बरसात में आ गयी है। चार साल हो गये अब तक उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। सिर्फ 10 व्यक्तियों को ही मुआवजा दिया गया है उसमें भी बेईमानी

(श्री लक्ष्मीनारायण किसान)

की गयी है। एक है नारायण सन आफ महादेव, उसको सात हजार रुपये उसकी झोंपड़ी के मुआवजे के दिये थे। वह नारायण सन आफ महादेव को न मिल कर नारायण सन आफ माधो को मिल गये और वह नारायण सन आफ महादेव भटकता रहा है। वह पैसे वापस नहीं दिये जा रहे हैं। हमने, गांव वालों ने, सबने मिल कर कहा तो सात हजार में से दो हजार रुपये वापस दिये हैं। हमको तो मिला है। हालत यह है कि अब कहें तो किससे कहें। कहां छान छपरा बांधेगा और कहां जाकर बैठेगा? ऐसी हालत है। मेरा आपसे निवेदन इस प्रकार का है कि वहां × × × हो रही है। अभी चार पांच फाइलें एक्स. ई. एन. आफिस से उसी सरपंच को दे दी ताकि गांव वालों को बता दे कि जो कमीशन देगा उसकी फाईल आ रही है बाकी की नहीं आ रही है। उन फाईलों को गांव में लेकर घुमाया फिराया है ताकि लोग बाग धन देना शुरू कर दें। फाइल शीघ्र निपटाना उनका उद्देश्य नहीं है, किसी न किसी तरह पैसा आये यह उनकी मंशा है और इसके लिये वे प्रयत्नशील हैं।

मैं आपसे निवेदन करूं कि कैसे मुआवजा दिया गया है। जिन्होंने कमीशन दे दिया, पैसा दिया उनको तो मुआवजा अधिक, जिन्होंने पहले पैसा जमा नहीं कराया उनको मुआवजा नाम मात्र का दिया है। एक काश्तकार के दो मंजिली हवेली में 15 कमरे, 20 बाई 12 का हाल और तीन दुकानें नीचे थी। अगर आज बनायें तो तीन लाख में नहीं बने। उस काश्तकार ने कमीशन नहीं दिया, वह अड़ा रहा तो उसको सिर्फ 50 हजार का मुआवजा दिया। जिसका कच्चा मकान था और थोड़ा सा मकान पक्का बना रखा था उसको पैसा दिया दो हजार, किसी को पांच हजार का मुआवजा दिया है। वह भी तय किया है दिया नहीं है। ऐसा फैसला किया है, लेकिन आज तक नहीं दिया है। पैसा उन्होंने नहीं दिया। कैसे वह दो-पांच हजार में मकान बनायेंगे। कहां रहेंगे।

दूसरा, जो छतरी बढ़ ढाका वाला गांव है। उसमें तो अभी तक सर्वे करके ही छोड़ दिया। किसी भी आदमी का कागज मुआवजा का तैयार नहीं किया जबकि उसके गांव डूब में आते हैं, उनके कुएं डूब में आते हैं, मकान आते हैं, बाड़ें आते हैं, सबकी हालत यह है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है, आपकी मार्फत में सरकार का ध्यान इस और दिलाना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी उनके मुआवजे का भुगतान किया जायं और जब तक उनको मुआवजा नहीं मिले तब तक सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आप निर्देश दें कि वे दो फीट की भराई में पानी नहीं चढ़ायें। अन्यथा उनकी सम्पत्ति डूब जायेगी और सम्पत्ति का नुकसान होगा। मकानों को नुकसान होगा तो निश्चित रूप से वहां की जनता उस बंध को छोड़ेगी नहीं। तोड़ने के लिये सरकार को लिखित में दिया गया है। एक ही नहीं कई बार फोटोस्टेट कराकर वहां लोगों ने, सारी जनता ने रिप्रेजेन्टेशन दिया है। तो ये हालात है इसलिये मेरा आपसे निवेदन है।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया जाय।

(श्री लक्ष्मीनारायण किसान)

इसके अलावा वहां उस बंध के नीचे रहने वाले जितने भी लोग हैं उनमें जमीन का भी आये दिन झगड़ा होता है। लेकिन ये मसला तो रेवन्यू मंत्री महोदय का है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आये दिन वहां लोगों को परेशान किया जा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि उनको मुआवजा दिलाया जायं ताकि लोग बसें। यही मेरा आपसे निवेदन है।

आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : सिंचाई मंत्रीजी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, जयपुर जिले की सांभर तहसील में....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : कल रिजेक्ट किया था....

श्री उपाध्यक्ष : कल था। पोस्टपोन हो गया था। उसको मैंने कहा था...

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : आज के लिये कहा था उन्होंने। अध्यक्ष महोदय ने दिया था आज का ही।

श्री उपाध्यक्ष : आज के लिये नहीं कहा है। मुझे खूब याद है। मैंने यह कहा था कि इसकी तारीख देंगे बाद में। आज के लिये नहीं था। चैयर पर मैं खुद था। आज के लिये नहीं कहा था। यह कहा था कि उसको बाद में लेंगे। आपने पोस्टपोन कराया था। कल ले लेंगे। मुझे खूब याद है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्षीय व्यवस्था के समय यह कहा था कि आज ही मौका दिया जायेगा। आज ही।

श्री उपाध्यक्ष : एक सैकण्ड। स्पीकर साहब से मेरी बात हुई थी। मैंने कहा था कि ललितजी का चर्चा का प्रस्ताव था, उसको कल देखा जायेगा आज नहीं।

श्री दाऊदयाल जोशी : 12 बजे हो गया है....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने उनको पुनः याद दिलाया था कि कब लेंगे तो कहा कि देख लेंगे। माननीय सदस्य...

श्री दाऊदयाल जोशी : जब व्यवस्था देने के लिए एड्रेस किया तब मैंने इस बात को रिपीट किया था ललित किशोरजी का स्थगन प्रस्ताव था उसमें हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि आज बोल लीजिये आप....

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : मेरी सुनिये आप। मैंने आपसे भी कह दिया था और आज सुबह भी स्पीकर साहब से कहा था उसमें मिलेगा समय। ठीक है आज ले लेंगे। चंबल कमांड का था न।

श्री दाऊदयाल जोशी : हमारा पुष्कर का है....

श्री उपाध्यक्ष : पुष्कर का आ रहा है, जरा तसल्ली तो रखिये। पुष्कर का आ रहा है। जरा ठहरिये तो सही। एक किसान बोले हैं उनका जवाब देने दीजिये। आप

(श्री उपाध्यक्ष)

किसानों के हिमायती होकर भी किसान का जवाब नहीं देने दे रहे हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले की सांभर तहसील में कालख सागर बांध का निर्माण 1883 में हुआ था और बांध की भराव क्षमता 581 मिलियन घन फीट थी कालख से जो नहर निकलती है उससे दूदू और फागी तहसील के क्षेत्र में सिंचाई होती है। इस नहर से सिंचित योग्य क्षेत्र 27,085 हैक्टेयर है जिसका विवरण इस प्रकार है। दूदू में 16,881, फागी में 10,204। इस बांध का सिंचित क्षेत्र अधिक और भराव क्षमता कम होने के कारण रबी में सिंचाई के समय काश्तकारों को आवश्यकतानुसार पानी नहीं मिलने से हमेशा असंतोष रहता था और मुख्यत: फागी तहसील के गांव जो इस नहर क्षेत्र में टेल एण्ड पर हैं उन्हें समय पर आवश्यकतानुसार पानी देने में कठिनाई उत्पन्न होती थी। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 84–85 में बांध के ओवर फ्लो पर गेट लगा कर भराव क्षमता को दो फीट अधिक करने हेतु निर्णय लिया गया था जिससे इसकी भराव क्षमता 581 से बढ़ कर 730 हो जायेगी। इस बांध का पूर्ण भराव स्तर अधिकतम पानी स्तर जिस समय चादर चलती हैं उससे वे सर्वे कराया गया तो 84 परिवारों की सम्पत्ति मकान स्थिति है बांध के अन्दर आ जाते हैं। बांध पर गेट लगाने का कार्य जून, 1984 में किया गया था तथा प्रभावित व्यक्तियों के तहसीलदार की सहमति से तखमीने 84-85 में बनाये गये। तहसीलदार सांभर द्वारा जो दरें प्रस्तावित की गई थी उनको ध्यान में रखते हुए 51 परिवारों को मुआवजा दिया गया। कुल 48 मामलों में 47 को भुगतान किया गया और बाकी का भुगतान शेष है। मुआवजा की राशि तहसीलदार सांभर की राय से तय की गयी थी। राशि के चुकारे का अधिकार भी तहसीलदार सांभर को दिया गया था। भुगतान तहसीलदार मिल्कियत के सत्यापन पश्चात् किया गया। उपरोक्त तथ्यों से यह ज्ञात है कि विभाग ने मुआवजा को चुकाने के लिए प्रयत्न किये हैं। शेष 33 मामले और हैं जिनके मुआवजा की राशि 6,14,900 रुपये होती है वह चुकाना शेष हैं। इसके अतिरिक्त 5 सरकारी भवन जिसमें उच्च प्राथमिक शाला, पंचायत भवन, आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पटवार घर एवं एक हनुमानजी का मंदिर भी डूब में आता है जिसके मुआवजा की राशि 4,30,440 रुपये आंकी गयी है, इनके मुआवजा के भुगतान संबंधी कार्यवाही की जा रही है। माननीय सदस्य ने चुकारा नहीं होने से जो चिन्ता व्यक्त की और किसानों को जो परेशानी हो रही है उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया, यह बात सही है कि कुछ विलम्ब इसमें हुआ है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। मुआवजा की राशि समय पर भुगतान की जानी चाहिये, इस बात से मैं सहमत हूं। यद्यपि इस वर्ष इसके लिए केवल दो लाख रुपये का ही प्रावधान किया गया है लेकिन मैं सरकार की ओर से यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि मुआवजा की कुल राशि का भुगतान इस वित्तीय वर्ष में कर दिया जायेगा।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय उपाध्यक्ष महोदय····

(98)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भारद्वाज जी…

श्री भैरूलाल भारद्वाज : ये मौजूदा रेट के मुताबिक दे रहे हैं या पुराने रेट से ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भारद्वाजजी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 84–85।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इसमें जो छतरी वढ़ ढाका वाला जो गांव है उसमें 40 परिवारों का सर्वे हुआ था उसमें उनके मकान उसकी डूब में आ रहे हैं, उनके कुएं भी डूब में आ रहे हैं, उनका जो सर्वे किया और डूब में जो आयेंगे पानी के भराव में जो आते हैं क्या उनको मुआवजा नहीं दिया जायेगा ?

दूसरा, मेरा यह निवेदन है कि आपने 33 परिवारों की बात तो कहीं है जो उनको मुआवजा तहसीलदार की राय से देने की बात कही, असलियत में यह तहसीलदार और ए. ई.एन., जे ईएन. सबने मिल कर इसमें घपला करके लोगों को मुआवजा बहुत कम दिया है। उससे उनके मकान नहीं बनते हैं। दूसरा, उनको जमीन जहां देनी थी बसाने के लिये क्या गांव में कोई व्यवस्था की है ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आपने कहा कि यह मुआवजा सरपंच के माध्यम से चुकाया जा रहा है। मैंने निवेदन किया कि यह चुकारा सरपंच के माध्यम से नहीं किया जा रहा है, तहसील के माध्यम से किया जा रहा है। यदि आपको तहसील, के माध्यम से चुकारा करने में कोई आपत्ति है और यदि कोई शिकायत उसमें है तो मैं इसकी जांच कराने के लिये तैयार हूं अगर आप मुझे उसकी सूचना देंगे तो, और उसकी व्यवस्था की जायेगी।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : मै तो यह सिर्फ 40 परिवार….

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : दूसरा सुन लीजिये। छतरी गांव का जिक्र आपने किया और यह बताया कि इसमें भी 40 परिवार हैं उनकी जमीन भी डूब में आने की है। अभी तक जो विभाग ने जानकारी दी है उसके हिसाब से कालख गांव के 84 परिवार के ही डूब में आने का उल्लेख किया है। मैं इस बात की फिर भी जांच करवाऊंगा।

(4·00 म. प.)

यदि भराव क्षमता का पानी इन गांवों के व्यक्तियों को प्रभावित करता है तो उनको भी नियमानुसार मुआवजा देने की कार्यवाही की जायेगी।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : पहले जो मुआवजा दिया गया है उसमें पर्सेण्टेज तय करके जो लोग पैसे खा गये, नारायण सन् ऑफ माधो को नारायण सन् ऑफ महादेव के पैसे दे दिये, आज भी वह रोता फिरता है। दरख्वास्तें दी हैं, क्या आप उनकी जांच कराने का इरादा रखते हो ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : महादेव का चुकारा किसी गलत व्यक्ति को कर दिया गया है, अगर आप शिकायत महादेव की तरफ से या स्वयं लिखकर देंगे तो उसकी जांच कराने के लिए तैयार हूं। जिन व्यक्तियों ने गड़बड़ की है उनके खिलाफ

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

कार्यवाही करने के लिए भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पर्यटन मन्त्रीजी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : एक प्रश्न और। मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं, जांच तो आप करायेंगे जो भराव से डूब में आ रहे हैं। किन्तु जहां बैंक वाटर का असर होता है, जिसके कारण थोड़े समय के लिए डूब में आता है गांव का कुछ भाग, क्या उसकी भी जांच कराकर उनको भी मुआवज़ा देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सरकार का यह अनुभव रहा है, कुछ जमीनें बैंक वाटर के पानी में डूब जाती हैं। सर्वप्रथम तो वे मुआवजा ले लेते हैं लेकिन फिर उस जमीन के मालिकाना हक को रखने के लिए वापस मुआवजा जमा कराते रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण विभाग के पास मौजूद हैं। क्योंकि उस जमीन की पैदावार होती है और उसका लाभ वह लेना चाहते हैं। यदि किसान राजी होंगे ऐसी जमीनों को सरकार को देने के लिए तो हमें क्या आपत्ति है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पर्यटन मन्त्रीजी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा क्या हुआ ?

शासकीय वक्तव्य

पुष्कर तीर्थ के घाटों पर होटलों का अवैध निर्माण एवं उनमें मांस मदिरा का विक्रय

श्री उपाध्यक्ष : आयेगा। माननीय पर्यटन मन्त्रीजी, पुष्कर के घाटों के सम्बन्ध में····

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (पर्यटन मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, होम डिपार्टमेंण्ट को डायवर्ट कर दिया था न।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (गृह मन्त्री) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, पुष्कर में पिछले 7–8 वर्षों से विदेशियों की गतिविधियों में वृद्धि हुई है व पर्यटन की दृष्टि से पुष्कर का महत्व पिछले कुछ समय से बढ़ा है। स्थानीय निवासियों ने अपने घरों, धर्मशालाओं व खाली मकानों को किराये पर देकर पर्यटकों को ठहराना प्रारम्भ कर दिया।

पुष्कर में इस समय कुल मिलाकर 15 के करीब ऐसे होटल या विश्राम गृह हैं जहां पर्यटकों को ठहराया जाता है। पुष्कर सरोवर पर 50 घाटों में से केवल चार घाटों पर प्राचीन रिहायशी इमारतों में होटल खोल लिए गये हैं। घाटों पर किसी भी अतिक्रमण की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, न ही जांच से यह पाया गया। "इण्डियन्स आर नॉट अलाउड" का बोर्ड कहीं भी नहीं लगा हुआ है। यहां मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि राज्य सरकार इस प्रकार की किसी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं करने देगी।

होटलो में कथित मांस बनने के सम्बन्ध में पुष्कर क्षेत्र में मांस पकाने व बेचने की किसी को भी अनुमति नोटिफाइड एरिया कमेटी द्वारा नहीं दी गयी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय समय पर

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

चैकिंग की गयी परन्तु ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। दिनांक 18.4.1985 को पुष्कर बचाओ समिति के सदस्यों ने सदस्यों के इस आरोप पर कि पुष्कर होटल में मांसाहारी भोजन बना है, घुस कर तलाशी ली पर उनकी शंका निराधार निकली। इसके विपरीत पर्यटकों के साथ इस दौरान जो व्यवहार किया गया उसके विरुद्ध उन्होंने दो मुकदमे दर्ज कराये हैं।

पवित्र पुष्कर सरोवर में गन्दे पानी को गिराने से बचाने के लिए सीवरेज योजना बनाई गयी है जो दो चरणों में है। प्रथम चरण में रंग जी के मन्दिर से सावित्री के मन्दिर रोड तक का क्षेत्र सम्मिलित किया गया था जिसकी स्वीकृति जारी की जा चुकी है जो शीघ्र ही पूरा हो जायेगा। अब तक 9·18 लाख रुपया इस पर खर्च हो चुका है। द्वितीय चरण की प्रस्तावित योजना विचाराधीन है।

सरोवर के पवित्र जल के प्रदूषण को रोकने हेतु दो पक्के टैंकों का निर्माण जयपुर घाट रोड व परिक्रमा रोड पर करवाया गया है। एक टैंक पूर्व में ही बनाया हुआ है जिससे दूषित जल को लगभग आधा किलोमीटर दूर ले जाकर उसमें डाला जाता है।

पुष्कर सरोवर में मछलियां पकड़ना वर्जित है और इसका कड़ाई से पालन किया जा रहा है। इस विषय में और अधिक कठोरता अपनाने के लिए आदेश दिये गये हैं।

पुलिस द्वारा विदेशी नागरिकों की अवैध कार्यवाहियों के विरुद्ध दिनांक 7.6.1985 को विभिन्न स्थानों पर छापे मारे गये जिनमें अफीम, चरस आदि बरामद किया गया और सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीबद्ध किये जाकर कार्यवाही की जा रही है। एक ईरानी नागरिक एवं एक तेहरान नागरिक को गिरफ्तार कर अफीम व अमरीकी डालर बरामद किये गये हैं।

अजमेर शहर में कई स्थानों पर छापे मारे गये एवं 6 अभियोग पंजीबद्ध किये गये क्योंकि पुष्कर में अवैध गतिविधियों का संचालन अजमेर से होने की सूचना थी।

पुलिस द्वारा पुष्कर में चल रही अवैध बिक्री के सम्बन्ध में एक विशेष बल का गठन किया गया है। विदेशियों की गतिविधियों पर पूर्ण निगरानी रखने के उद्देश्य से गुप्तचर शाखा एवं आबकारी विभाग को सतर्क कर दिया गया है। राज्य सरकार इस सम्बन्ध में भारत सरकार के कस्टम विभाग से भी सीधे सम्पर्क में है। उनसे कहा जा रहा है कि वे पुष्कर में इन गतिविधियों पर पूर्ण निगरानी रखें व अपराधियों को पकड़ने हेतु छापे मारे। कस्टम विभाग द्वारा भी दिनांक 2.7.1985 को छापा मारा गया है।

जहां तक प्रश्न विदेशी नागरिकों को नियमित करने का है, प्रथम तो राज्य सरकार ने आवश्यक निर्देश जारी किये हैं कि पुष्कर में पासपोर्ट व वीसा की तरह चैकिंग की जाय व किसी को भी निर्धारित अवधि से अधिक न ठहरने दिया जाय। तथा इस सम्बन्ध में अवैध धन्धा करने वालों

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

के विरुद्ध कार्यवाही की जाय, दूसरा भारत सरकार से भी निवेदन किया जा रहा है कि पुष्कर क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों को एक सप्ताह से अधिक न ठहरने का प्रतिबन्ध में लगाया जाय।

राज्य सरकार इस पवित्र तीर्थ स्थल की पवित्रता बनाये रखने के लिए बराबर चिंतित है जिसके लिए सभी आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। राज्य सरकार इस सम्बन्ध में संतुलित कार्यवाही करना चाहती है जिससे एक ओर तीर्थ स्थल की पवित्रता बनी रहे एवं दूसरी ओर पर्यटकों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाय तथा राजस्थान में पर्यटक के आगमन पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव भी न पड़े।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिशंकरजी भाभड़ा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपनी ओर से सफाई देने की कोशिश तो बहुत की है लेकिन पुष्कार के हालत में अभी 6-7 तारीख को स्वयं अपनी आंखों से देखकर आया हूं। पुष्कर में 52 घाट है 50 नहीं। उन 52 घाटों में से सात पर होटल बने हैं। चार नहीं सात घाटों पर बने हैं। उसमें एक पुष्कर होटल बना हुआ है जो कोई जगतसिंह चला रहे हैं किशनगढ़ के। एम. एल. ए. साहब नहीं, दूसरे हैं। उन्होंने अपने इस पुष्कर होटल पर यह बोर्ड लगाया है "इण्डियन्स आर नॉट अलाउड"। पुष्कर होटल पर यह बोर्ड लगाया "इण्डियन्स आर नॉट अलाउड"।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : That was in the year 1979.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उसका इन्तजाम कौन करता है? सर्विस कौन करता है?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कौन करता है, उसका नाम तो मन्त्रीजी बतायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : वह कौन करते हैं?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जरा आप उनसे पूछ लीजिए, वह बतायेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उनको तो ग्राहकों से मतलब है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : खैर, इस पर पुष्कर में आन्दोलन हुआ। लोगों ने उसका घेराव किया तो वह बोर्ड हटा दिया गया। अभी वह बोर्ड जब इन्होंने जांच करवाई, नहीं मिला। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह हुई कि जिन लोगों ने यह बोर्ड हटाने के लिए आन्दोलन किया उन्हीं लोगों के खिलाफ मुकदमे बना दिये क्योंकि यह जो जगतसिंह उसका मालिक है हर समय पिस्तौल लिये घूमता है, गुण्डागर्दी करता है, पुलिस से मिला हुआ है। तीन अफगान नागरिक, आप नोट कर लीजिए, नियमित रूप से इस होटल में आकर ठहरते हैं। जो हशिश, चरस, स्मैक्स यह सब लोग लते हैं उनको गिरफ्तार कराने के लिये लोगों ने जब एक बार घेराव किया उनका तो पुलिस ने बजाय उनको पकड़ने के, जिन्होंने घेराव किया उनके खिलाफ मुकदमे बना दिये कि चोरी करवा रहे थे। जब कि वे नियमित रूप से आ रहे हैं, उनका बार बार

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

प्रचार हो रहा है। तो पहली बात यह है कि जो होटल निर्मित हो रहे है, घाटों पर जो इनके होटल बने हुये हैं उनको हटवाइये और दूसरे होटल वहां पर निर्मित नहीं हो। ब्रह्माजी के मन्दिर के सामने पुरानी समाधियां हैं, वहां पर भी एक होटल बन रहा है।

श्री रमजान खां (पुष्कर) : समाधियों को तोड़ रहे हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हां समाधियां तोड़ेंगे तभी तो होटल बनेंगे। इन होटल्स का लैट्रीन्स की सारी गन्दगी पुष्कर में जाती है। इन होटल्स में मांस और मदिरा प्रचुर मात्रा में चलता है। वहां कोई इन्डियन ठहरते भी नहीं हैं क्योंकि वहां जिस ढंग के काम होते हैं उसको कोई भी यात्री, जो पुष्कर में जाने वाले हैं, सहन नहीं कर सकते। खाली बोतलें शराब की पुष्कर में फेंकी जाती हैं और यहां तक कि खाली निरोध पुष्कर के अन्दर फेंके जा रहे हैं। यह भी जाल लगाकर निकलवायें तब मालूम पड़ जायेगा।

मान्यवर, एक तरफ तो इन होटल्स से गन्दगी हो रही है पुष्कर में और दूसरी तरफ सीवरेज का काम डिले हो रहा हैं इसलिये गन्दा पानी भी पुष्कर में जा रहा है। तो एक ओर पुष्कर की गन्दगी को दुर करने के लिये आप प्रयास करें और इन होटल्स के निर्माण को नियंत्रित करें या उनको वहां से हटायें। मांस-मदिरा प्रोहिबिटेड है लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर इसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग हो रहा है। इसको आप और मुस्तैदी से देखें। दूसरी तरफ वहां पर ये हशिश, गांजा, जितनी भी चीजें आती हैं उससे पुष्कर के 200 नवयुवक एडिकेट हो चुके हैं। इस सम्बन्ध में 16-4-1985 को नवज्योति में एक खबर आई थी। मैं जब गया तो मैंने केवल नवयुवकों का पता लगाया लेकिन इस खबर में तो लिखा है कि वहां की औरतें भी हशिश की, स्मैक्स की इतनी आदि हो गई हैं और उनको जिकी कहा जाता है। ऐसी औरतों को जिकी कहा जाता है। जब पुलिस ने थोड़ी पकड़ धकड़ शुरू की तो इन जिकियों ने एक नया तरीका निकाला। ये अजमेर से आने वाली बसों में बैठती है और जिस आदमी से उनका सौदा होता हैं उससे दियासलाई मांगती हैं सिगरेट जलाने के लिये और दियासलाई की पेटी में ये हशिश या जो भी नशीली चीजें होती हैं उसकी पुड़िया रख देती है और वह पुड़िया ठिकाने तक पहुंच जाती है। मान्यवर, आप भी तो पान पराग खाते हैं, पान पराग में भी इस तरह से ये चीजें मिलाई जा रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, नाम बड़ा आर्टिटिस्क रखा है जिकी।

(हंसी)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हां, जिकी। वहां जिकी नाम चलता है और जिकी से ही लोग समझते हैं। वह सिगरेट 7 रुपये की, 15 रुपये की, 25 रुपये की बिकती है जिसमें सुल्फा, गांजा, हशिश यह सारी चीजें मिली होती हैं। माननीय मंत्री महोदय को शौक हो तो वहां पर जाकर खरीद

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

सकते हैं, बड़ी ग्रासानी से मिलती है। ग्राज भी पुष्कर में नशीली चीजों का ग्रवैध व्यापार निरन्तर चल रहा है। उसको रोकने के लिये ग्रापको कुछ कदम उठाने चाहिये।

तीसरी बात जो बहुत खतरनाक है वह है ग्रश्लील हरकतें। बात यह है कि यूरोप से जो लोग पश्चिमी देशों के ग्राते हैं उनकी बहुत सी हरकतें ऐसी होती हैं जिनको यहां के समाज में तो ग्रश्लील नहीं कहा जा सकता है लेकिन भारत वर्ष में उस तरह की हरकतें करना ग्रश्लील माना जाता है। ग्राज तीर्थराज पुष्कर में इस तरह की हरकतें ग्राम सड़क पर ये लोग करते हैं। इतना ही नहीं, यह जो 7 होटलें बनी हुई हैं ग्रौर यह जो पुष्कर होटल बना हुग्रा है उस पुष्कर होटल ने ग्रपने पिछवाड़े में स्वीमिंग की व्यवस्था कर रखी है। यह सारी जो विदेशी ग्रौरतें ग्रौर महिलायें हैं उसमें नंगी होकर स्नान करती हैं ग्रौर पुष्कर में यात्री उनको देखते हैं। वह तो ग्रपने हिसाब से करते हैं लेकिन पुष्कर में जो यात्री जाते हैं उन्हें बड़ा बुरा लगता है। इस तरह की ग्रश्लील हरकतें ग्राम सड़क पर हो रही है। ग्राप गृह मंत्री हैं, कृपया पुलिस विभाग पर ग्राप निगरानी रखिये। वहां पर जो एस. एच. ग्रो. वगैरह हैं वह उनसे मिल जाते हैं, पैसा उनको मिलता है नियमित रूप से इसलिये इस प्रकार की हरकतें जान-बूझकर वह करवाते हैं।

मैं ग्रापको इस सम्बन्ध में दो सजेशन्स देना चाहूंगा। एक तो सरकार की तरफ से इस तरह की सूचना, इन्स्ट्रक्शन्स निकालिये, पेम्फलेट्स निकालिये जो विदेशियों को वहां घुसते ही दिये जायं कि पुष्कर में ग्रमुक, ग्रमुक चीजें वर्जित हैं, इस तरह का व्यवहार यहां वर्जित है। बहुत से विदेशी तो समझदार होते हैं जो उनको पढ़ने के बाद वैसी हरकतें नहीं करेंगे। कुछ हिप्पी टाइप ग्राते हैं, ग्रौर जैसा ग्रापने कहा है कि कुछ सप्ताहों के रहने के लिये ग्राते हैं। एक विदेशी ग्रादमी मुझे मिला है जो 10 साल से वहां रह रहा है जो मारवाड़ी फ्लुग्रन्टली बोलता है। हिन्दी तो बहुत ग्रच्छी बोलता है लेकिन मारवाड़ी बोलता है। 10 साल से वहां पर रह रहा है, कनाड़ा से ग्राया हुग्रा है। वह किस उद्देश्य से रह रहा है, क्या उसका मतलब है यह तो मुझे पता नहीं लेकिन उसने मुझे बताया कि 10 साल से यहीं पर हूं ग्रौर बराबर हूं। सारी भाषायें, हिन्दी, मारवाड़ी ग्रौर राजस्थानी फ्लुग्रन्टली बोलता है। वह रह रहा है। इसलिये इस बारे में भी ध्यान रखिये। दूसरी, जो सीवरेज लाइन बनाने की बात है, यह ग्राप तुरन्त युद्ध स्तर पर बनवाइये ताकि पुष्कर सरोवर की गन्दगी मिटे ग्रौर उसकी पवित्रता बनी रहे। यही बात मुझे ग्रापको कहनी है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमजान खां।

श्री रमजान खां (पुष्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम था कि सरकार यही जवाब देगी इसलिये मैं पहले ही सतर्क था। मैं ये तमाम कापियां, तीन दिन लगाकर जिलाधीश कार्यालय से सर्टिफाइड कापियां लेकर ग्राया हूं। वह तमाम बातें जो मंत्री महोदय ने इन्कार की हैं, यह जवाब तो ग्रॉफिसर लोग देते हैं जो मिलकर करते हैं

(श्री रमजान खां)

इसलिये जवाब तो गलत देना ही है। इसलिये सब फोटो-वोटो भी मैं खिचवा कर लेकर आया हूं ताकि यह साबित नहीं कर सकें कि मैं जो कह रहा हूं वह गलत कह रहा हूं और मैं साबित कर सकूं कि मंत्री महोदय ने जो कहा है वह गलत कहा है।

मैं सबसे पहले तो निवेदन करूं, इस पुष्कर होटल के बारे में। पुष्कर होटल एक बहुत ही बड़ा विवादास्पद मसला है। पुष्कर के अन्दर पुराने खसरा नम्बर 883 में और खसरा नम्बर 884 यह दोनों पुराने खसरा नम्बर हैं क्योंकि अभी सैटलमेन्ट हमारे यहां सही नहीं हुआ है इसलिये मैं पुराने खसरा नम्बर से ही आपको निवेदन करना चाहता हूं जिसकी सर्टिफाइड कापियां मेरे पास है। खसरा नम्बर 883 में तो बंगला घाट बना हुआ है। जैसा मंत्री महोदय ने कहा, घाट पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ। उसके विषय में मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि खसरा नम्बर 883 के अन्दर तो बंगला घाट बना हुआ था और खसरा नम्बर 884 में किशन घाट बना हुआ था। 883 का बंगला घाट सिंधिया महाराजा ने सन् 1810 में निर्मित करावाया जिसकी सर्टिफाइड कापी मेरे पास है। घाट के ऊपर दुर्गाजी की मूर्ति थी और शिवजी का मन्दिर था। जो किशनगढ़ घाट बना हुआ था, उसका खसरा नम्बर 884 है उस के ऊपर 5 मजार बने हुये थे मुसलमानों के जो किसी समय में पुष्कर को बचाने के लिये, पुष्कर की पवित्रता को रखने के लिये शहीद हुये थे। उनकी 5 मजार बने हुए थे और अब जो दरगाह शरीफ में जियारत के लिये आते हैं वह इन 5 मजारों पर भी फूल चढ़ाने के लिये जाते हैं। उसका एक रास्ता था उसका खसरा नम्बर, मैं आपसे निवेदन करूं, 885 है। अब यह, उपाध्यक्ष महोदय, खसरा नम्बर 883 जो बंगला घाट था 1981 के पहले तीर्थ यात्री वहां जाते थे, दर्शन करते थे मन्दिर के। उसको 1981 में तोड़ दिया गया, उस मन्दिर को तोड़ दिया गया। किशनगढ़ घाट जिसके ऊपर 5 पीरों के मजार बने हुए थे उनको भी 1981 के अन्दर तोड़ दिया गया। 5 मजार किशनगढ़ घाट के वहां पर खण्डहर बने हुए हैं। इसके बीच में जो खसरा नम्बर 885 में रास्ता जाता था उसको अतिक्रमण करके तोडा गया। इन तीनों को तोड़ कर, उपाध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर होटल का निर्माण हुआ। उस होटल का नाम रखा "पुष्कर होटल" उसके मालिक हैं जगतसिंह।

अब मैं आपसे निवेदन करूं, अतिक्रमण का मामला जो मंत्री महोदय ने बताया नहीं उसका पुराना खसरा नम्बर 887 है और उसका नया खसरा नम्बर 1289 है। इसका रकबा, उपाध्यक्ष महोदय 13 बिसवा है। 13 बिसवा में से 6 बिसवा तो जिलाधीश, अजमेर ने गुरु गोविन्द सिंह मेमोरियम कमेटी को गोविन्द घाट बनाने के लिये दान में दे दिया....

(व्यवधान)

मैं पहले बोल लूं। जब आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था। मैं बोल लूं फिर आप जवाब दे देना।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : एक सैकिण्ड मेरा बात तो सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री जी कुछ इन्फार्मेशन दे रहे हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस से सम्बन्धित स्टेटमेंट मांगा गया है, यह सब नई चीजें हैं, कौन सा खसरा नम्बर—

श्री हरिशंकर भामड़ा : जांच करा लेना, नयी चीज ध्यान में लाई जा रही है।

श्री रमजान खां : मैं इसको सदन की मेज पर रखना चाहता हूं सर्टिफाइड कापियां हैं मेरे पास जो जिलाधीश, अजमेर के यहां से ली हैं। खसरा नम्बर 1289 में जो 13 बिस्वा जमीन थी उसमें से मेमारियल ट्रस्ट को जो जमीन दी गई उसकी सर्टिफाइड कापी मेरे पास है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके उपर भी ऊसने अतिक्रमण किया है। और एक मजेदार बात और बताऊं, 13 बिस्वा में से छः बिस्वा नया खसरा नम्बर 1289 है और पुराना खसरा नम्बर 887 में 7 बिस्वा जो बच गयी, एक पूरे पुष्कर घाट के ऊपर....

(व्यवधान)

तो इसके अन्दर एक 7 बिस्वा का लम्बा रास्ता है, उपाध्यक्ष महोदय, इसके चारों तरफ घाट बने हुए हैं, तीर्थराज पुष्कर सरोवर के केवल मात्र यह रास्ता है सात बिस्वा का। पुष्कर सरोवर सूख जाता है तो इसी रास्ते से जा करके ट्रकों के अन्दर मिट्टी भर कर के बाहर डाली जाती है इसके अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इस रास्ते के ऊपर भी पुष्कर होटल के मालिक ने अतिक्रमण कर लिया। उसकी भी मेरे पास सर्टिफाइड कापी है। मैं निवेदन करूं कि जब माननीय स्वर्गीय बरकतुल्ला चीफ मिनिस्टर थे राजस्थान के, उस वक्त पुष्कर सरोवर सूख गया था, पुष्कर के कुछ सम्माननीय नागरिक माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास आये और उन्होंने एक निवेदन किया कि साहब, पुष्कर सरोवर सूख गया है इसलिए इसकी मिट्टी निकाली जाय, हमारे हिन्दू रीति-रिवाज के अन्दर एक कायदा है कि तमाम दुनिया के तीर्थ करके आ जाओ और अगर पुष्कर सरोवर में स्नान नहीं करो तो तीर्थ माने नहीं जाते ईश्वर के घर में, इसलिए पुष्कर के तीर्थ यात्री जो लाखों की तादाद में आते हैं वे कहां नहायेंगे यह बरकतुल्ला साहब बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिन्होंने और तीर्थ नहीं किये हों और पुष्कर कर लेवें तो....

श्री रमजान खां : यह अतिक्रमण की बात कर रहा हूं। बरकतुल्ला जी वहां पर स्वयं गये और उन्होंने खसरा नम्बर में से रास्ता छोड़ा और उस घाट की मिट्टी....

(व्यवधान)

यह खसरा नम्बर 1289 जो सात बिस्वा का है जिसके ऊपर पुष्कर होटल के अध्यक्ष जगतसिंहजी ने अतिक्रमण करके और रास्ता खाली कर दिया। अब तो अगर कभी मिट्टी निकालनी पड़ेगी तो घाटों को तोड़ना पड़ेगा। बरकतुल्ला साहब ने दो हौज बनवाये और हौज के अन्दर पानी भरवाया कि भई, पुष्कर यात्री कोई भी

(श्री रमजान खां)

ग्राये तो यहां पर स्नान करके अपने धर्म का पालन कर सकता है। वे हौज तो बरकरार हैं मगर उस पुष्कर सरोवर में से जो मिट्टी निकाली उस रास्ते के ऊपर आज पुष्कर होटल के मालिक ने अतिक्रमण कर लिया और उन्होंने एक ट्रस्ट कायम किया उस ट्रस्ट का नाम विकास मण्डल रखा गया। बाद में जनता पार्टी का शासन आया और भैरोंसिह जी शेखावत, मुख्य मन्त्री उसके अध्यक्ष बने और उन्होंने वहां पर सीवरेज योजना चालू की।

श्री उपाध्यक्ष : आप कह लीजिये अतिक्रमण का मामला है····

(व्यवधान)

श्री रमजान खां : मैं इसका जवाब दे रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आप बार-बार मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप रखिये। मन्त्री जी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती...

श्री रमजान खां : उसी के लिए मैं बोल रहा हूं जो मन्त्रीजी ने जानकारी दी। उसके बाद भैरोंसिहजी ने सीवरेज योजना चालू की। उस सीवरेज योजना के बाद में किसी ने विकास मण्डल की न तो कोई मीटिंग बुलाई, न इसके ऊपर कोई कार्यवाही की। आगे मैं आपसे कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि होटल निर्माण की एक इजाजत दी जाती है। जैसा आपने कहा साहब, निर्माण की एक इजाजत भी होती है कि जहां पर कोई धार्मिक स्थान नहीं हो, जहां कोई मस्जिद नहीं हो, मन्दिर नहीं हो, कोई हास्पिटल नहीं हो, कोई स्कूल नहीं हो, वहां पर होटल के निर्माण की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो यह पुष्कर होटल का जो निर्माण हुआ यह तो तीर्थराज पुष्कर के सरोवर के दस फीट अन्दर निर्माण हुआ है और धीरे-धीरे गुरूनानक घाट के ऊपर भी मिट्टी, चूना, पत्थर डालकर तोड़-फोड़ की जा रही है। इसकी फोटो मेरे पास है। यह भी एक सोचने की बात है।

नगरपालिका पुष्कर के अन्दर जैसा आपने कहा, बायलॉज हैं कि वहां पर मांस मदिरा के लेन-देन की कोई इजाजत नहीं है। एक और भी वहां पर शिलालेख लगा हुआ है। एक मुसलमान बादशाह ने वहां पर उर्दू में शिलालेख लगा रखा है कि तीर्थराज पुष्कर के आसपास कोई भी कहीं शिकार नहीं किया जायगा, कहीं भी मांस का प्रयोग नहीं किया जायगा, कही भी मदिरा का प्रयोग नहीं किया जायगा और तीर्थराज पुष्कर की सरोवर में से मछली नहीं पकडी जायगी। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी सेवा में ये तमाम अखबारों की कतरनें, मछली पकड़ने की फोटो, जो मन्त्री महोदय ने नहीं कहा है, आपके सामने पेश हैं। ये फोटो आई हैं मछली पकड़ने की। तीर्थराज पुष्कर के सरोवर के अन्दर दो बजे रात के बाद ये अंग्रेज लोग, जिनके लिये आज इन्होंने बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में यह कहा कि पर्यटकों को परेशान नहीं किया जाय, ये पर्यटक लोग रात के दो बजे के बाद, तीर्थराज पुष्कर के सरोवर के अन्दर मछली पकड़ते हैं। इसकी मेरे पास फोटो है। अखबारों की कतरनें भी हैं। इससे

(श्री रमजान खां)

बढ़कर बदतर स्थिति और क्या हो सकती है कि जो शिलालेख लगा हुआ है, टाइम टाइम पर जिलाधीश, अजमेर भी अपना एक सरक्यूलर निकालते हैं कि पुष्कर के अन्दर कोई भी तीर्थयात्री आवें, चाहे वे विदेशी हों, चाहे वे भारतवासी हों, इन कानूनों के तहत इन नियमों की पालना करनी पड़ेगी । मगर ये विदेशी लोग कोई नियमों की पालना नहीं करते । आज मन्त्री महोदय ने सूचित किया कि इसको परेशान नहीं करना चाहिये, यह बड़े अफसोस की बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बात और अर्ज करना चाहता हूं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

घण्टी नहीं चलेगी, यह तो धार्मिक मामला है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इन घाटों के ऊपर जनाना घाट बने हुए हैं और जनाने घाटों पर फोटो लेना मना है । पुष्कर के अन्दर फोटो लेना मना है । जिलाधीश का आदेश है कि फोटो नहीं खींच सकते, पुष्कर के एरिया के अन्दर शिलालेख लगा हुआ है । जनाना घाटों पर हमारी माता-बहिनें स्नान करती हैं वहां भी अंग्रेज लोग औरतों की तस्वीरें लेते हैं और तस्वीरों को बाहर ले जाकर बेचते हैं ।

(व्यवधान)

उनके वीडियो कैसेट बनाते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, और आप घण्टी बजा रहे हैं, मना कर रहे हैं कि आप बैठें । मन्त्री महोदय ने कहा कि पर्यटकों को तकलीफ नहीं देनी चाहिये । ये पर्यटक ऐसी हरकतें कर रहे हैं । कम से कम वहां पर फोटो खींचना तो बन्द होना चाहिये । मैं वहां पर जिलाधीश महोदय, के पास गया मगर मेरी बात नहीं सुनी । अतिरिक्त जिलाधीश महोदय, जो वहां प्रशासक हैं नोटिफाइड एरिया कमेटी के, पास गया । इस पुष्कर को नोटिफाइड एरिया घोषित कर रखा है । उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं एक निवेदन करूं, मैंने उनसे निवेदन किया मामला तो उठाओ, तीर्थराज पुष्कर की पवित्रता भंग हो रही है इसके लिए कुछ आप नोटिस तो लीजिये । मेरे कहने से उन्होंने कोई मीटिंग नहीं बुलाई । मुझे मालूम पड़ा कि दो बजे के बाद आज पुष्कर नोटिफाइड एरिया कमेटी की मीटिंग है तो मैं वहां पर गया, उस मीटिंग के अन्दर गया । मैं कुछ सुझाव देना चाहता था । मैं यहां तक कह सकता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि एक अधीक्षण अभियन्ता जो वहां पर थे । उसने मुझे कान में कहा कि एम. एल. ए. साहब आप तो इसके मैम्बर नहीं हैं । आप मैम्बर नहीं इसका मतलब वहां बोल नहीं सकते । वहां का जन प्रतिनिधि मैं और मुझे सुझाव देने का भी अधिकार नहीं है । मैं वहां का जन प्रतिनिधि और वहां मीटिंग में बोलने का भी अधिकार नहीं है । इस तरह की बात जन प्रतिनिधि के साथ होती है ।

(व्यवधान)

इससे बढ़ कर और क्या बात हो सकती है ।

(108)

(श्री रमजान खां)

उपाध्यक्ष महोदय, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं प्रतिपक्ष के नेता माननीय भैरोंसिंहजी साहब के पास गया, उनसे मैंने निवेदन किया कि पुष्कर के अन्दर इस तरह की हरकत हो रही है, पुष्कर के अन्दर इस तरह की बात हो रही है इसलिए आप चलकर मेरी मदद करो। वे पुष्कर गये, चार घण्टे उन्होंने वहां पर लगाये। चार घण्टे में उन्होने जो हालत देखी उसके लिए वापस आकर जिलाधीश को निर्देश दिये, एस. पी. पुलिस को निर्देश दिये। जो आप अभी कह रहे थे कि मुकदमे बने हैं ये विपक्ष के नेता के जाने के बाद मुकदमे बने हैं। मगर वहां जन प्रतिनिधि की कोई बात नहीं सुनी गई।

उपाध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं कि बैठो-बैठो। अभी भाभड़ाजी कह रहे थे कि एक आदमी वहां पर दस साल से है। मैं आपसे अर्ज करूं, मेरे को बड़ा ताज्जुब होता है कि कोई साधु बने हुए हैं, कोई फकीर बने हुए हैं। साधु बनने के लिए और घूमने के लिए आते हैं। उनको साधु बनने की फकीर बनने की क्या जरूरत पड़ गई? जैसे विपक्ष के नेता दो दिन पहले कह रहे थे कि जैसलमेर और बाड़मेर में तस्करी हो रही है बोर्डर पर यहां पर तीर्थराज पुष्कर के अन्दर, अजमेर जिले के अन्दर भी साधु और फकीर बन करके ये विदेशी नागरिक जासूसी कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सात दिन का नहीं, तीन का भी उनको आदेश नहीं मिलना चाहिये। ढंग से बैठें, तन मन के साथ पुष्कर तीर्थ करना है, दर्शन करना चाहते हैं, करें।

मैंने जिलाधीश, तुलसी रामजी वर्मा से बात की।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिलाधीश तुलसीरामजी वर्मा को अपने साथ लेकर गया और वहां पर इन अंग्रेजों की हरकतों को दिखाया। उपाध्यक्ष महोदय, तुलसीरामजी, आई. ए. एस. आफिसर हैं, आप चाहे मेरी बात को माने या नहीं मानें उनकी बात तो मानेंगे। यहां पर जैसा मन्त्रीजीने कहा यह गलत है। पुष्कर में पुष्कर होटल में मांस और मदिरा चल रही है। यह मांस और मदिरा वहां पर जगतसिंह चला रहा है। उसकी वहां के लोगों ने शिकायत की कि जगतसिंह वहां पर मांस और मदिरा चला रहा है लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत को नहीं सुना उल्टे जगतसिंहजी को टेलीफोन किया कि आपके खिलाफ ऐसा लोग कहने के लिये आये हैं। तो वहां पर जगतसिंह आया और उसने आकर के पुलिस से यह शिकायत की कि एक नागरिक जो अफगानिस्तान से आया है सुनिये मन्त्रीजी आप सुनिये उसके दो हजार डालर पुष्कर के लोगों ने लूट लिये हैं इसलिये इनके खिलाफ मुकदमा बनाया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, जो वहां पर मांस, मदिरा चला रहा है उसके खिलाफ तो मुकदमा नहीं बनाया गया उल्टे उन पुष्कर के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आप उनकी बात देखें कि जो शिकायत कर्ता थे उनकी नहीं सुनी जब दूसरे दिन मुझे पता पड़ा तो मैं थाने में गया और मैंने जाकर थानेदार को कहा कि थानेदार साहब, आप उस आदमी

(श्री रमजान खां)

को बुला कर कुरान की कसम दिलाइये। कि क्या तुम्हारे दो हजार डालर गुम हुए हैं। उस वक्त उस आदमी ने कुरान की कसम नहीं खाई मैंने थानेदार साहब से कहा कि यह कुरान की कसम नहीं खा रहा है, आप इस मुकदमें को ड्रोप कीजिये। पर थानेदार साहब ने उस मुकदमें को ड्राप नहीं किया। फिर मैं मजबूर होकर एस. पी. साहब के पास गया और वह उस केस की फाइल को ट्रान्सफर करना पड़ा। आज वह फाइल डी. वाई. एस. पी. के पास पड़ी हुई है। मन्त्री महोदय जब ऐसे बयान देंगे तो उस केस का चालान होगा या नहीं होगा। दो हजार डालर जिसके खोये नहीं फिर भी शिकायत कर्ता के कहने से केस दर्ज कर लिया।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, में इस शिकायत कर्ता के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा कि यह शिकायत कर्ता कौन है। यह शिकायत कर्ता रामबाग पैलेस के अन्दर 11 हजार रुपये के बिल को बकाया रख कर फरार हो गया। इस शिकायत कर्ता ने हमारे कार्यकर्ताओं, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगायें यह शिकायत कर्ता आभूषण विक्रेता बिरला फ़र्म जयपुर के 50 हजार रुपये के जेवरात लेकर फरार हो गया ऐसे शिकायत कर्ता के कहने से तो हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमें दर्ज कर लिये पर उनके कार्यकर्ताओं, जो पुष्कर होटल के हैं हमारी संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं, खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। वहां पर जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनके खिलाफ में कुछ नहीं किया। बड़े अफसोस की बात है, उपाध्यक्ष महोदय, और आप मुझे कह रहे हैं कि बैठ जाईये।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और बात और कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, तीर्थराज पुष्कर का मामला है मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज इसी जगतसिंह के यहां पर 100 आदमी ठहरे हुए हैं और इसने साढ़े 13 लाख रुपये का लोन मांगा है, एक पांच मन्जिल का होटल बनाना चाहता है। यह 100 आदमी रह कर रात को दो बजे क्रिसमिस मना कर तीर्थ राज पुष्कर के सरोवर में पेशाब करते हैं। अगर वहां पर पांच मन्जिल का होटल बन गया तो 500 आदमी ठहरेंगे और वह लोग तीर्थराज पुष्कर की पवित्रता को नष्ट करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, उसने साढ़े 13 लाख रुपये का लोन पैसे खिलाकर के, आप नोट कर लीजिये, मन्त्री महोदय, अजमेर जिले के उद्योग विभाग के अधिकारी से तो उस कागज को निकलवा दिया है अब वह आर. एफ. सी. के पास पड़ा हुआ है। तैयार है अगर उसको आपने नहीं रोका तो उसको साढ़े 13 लाख रुपये का लोन होटल बनाने के लिये मिल जायेगा। पांच मजिल का होटल बनेगा और तीर्थराज पुष्कर की छाती पर वह होटल बनेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि तीर्थराज पुष्कर की जनता जनार्दन वहां पर होटल नहीं बनने देगी और इसलिये आप आर. एफ. सी से कहें कि उसको लोन नहीं दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत कहा आपने।

श्री रमजान खां : मैं सरकार से मांग करता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष : आपने सूचना दे दी है। बात ठीक है। माननीय सदस्य, आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री रमजान खां : 26 तारीख को ही आप रोकें वह बहुत जरूरी है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सभी चीजें बहुत जरूरी हैं।

श्री रमजान खां : उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर इन दिनों भागवत पुरान का प्रवचन हो रहा है। वहां पर देश और विदेश से लाखों आदमी आये हुए हैं। वहां पीने के लिये पानी नहीं हैं स्थिति ऐसी है कि चलने के लिये सड़क भी नहीं है। वह एक बुढा पुष्कर तीर्थ है जहां लोग स्नान करने के लिए जाते हैं उस सड़क की हालत बहुत ही खराब है स्थिति ऐसी है कि लोग वहां पर पैदल नहीं चल सकते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से, आप वहां पर जो होटल्स हैं उनकी हालत सुधारिये।

इसके अलावा आज तीर्थ राज पुष्कर के पास 20 लाख गैलन पानी रोज अजमेर को दिया जा रहा है लेकिन वहां पर तीर्थ यात्रियों को पीने के लिये पानी नहीं मिल रहा है इसलिये वहां पर जो तीर्थ यात्री आये हुए हैं उनके लिये तुरन्त पानी का बन्दोबस्त करायें। अगर आपने उनके पीने के लिये पानी की व्यवस्था नहीं की तो हम अजमेर को पानी नहीं देने देंगे। फिर आप यह मत कहना कि हमने पानी रोक दिया है।

विदेशियों के लिये हम यह नहीं चाहते कि वह नहीं आयें। विदेशी वहां आयें पर उन विदेशी पर्यटकों को तीन दिन से ज्यादा नहीं रहने दिया जाये। अगर आप यह व्यवस्था नहीं करेंगे तो हम खुद कानून को हाथ में ले लेंगे और उनको पुष्कर से बाहर खदेड़ देंगे। अगर उनकी अश्लील हरकतें नहीं रोकी गयीं तो हमको उनकी अश्लील हरकतों को रोकना पड़ेगा। बस यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

आपने जो समय दिया उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, श्री हीरासिंह चौहान।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : हमारे प्रस्ताव का क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : हमारे प्रस्ताव का क्या हुआ ? वह नेता लोग कहां हैं ? वह क्या कर रहे हैं ? वह लोग अन्दर क्या कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके नेता लोग बातचीत कर रहे हैं। माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : हमें नेताओं से मतलब नहीं है हमें सदन से मतलब है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला (मुख्य सचेतक) : नेता लोग प्रस्ताव की तैयारी कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : नेता लोग क्या कर रहे हैं हमको विधान सभा···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, नेता लोग बात कर रहे हैं, आप उनका इन्तजार करें। माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है इसके ऊपर दूसरे दिन चर्चा करायें।

(व्यवधान)

जनता को परेशानी है हम लोगों का मन नहीं लग रहा है। हमारे नेता लोग क्या कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसा है, वो अपना ही काम कर रहे हैं, सदन का काम कर रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : काफी पी रहे हैं। काफी पी रहे हैं।

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : हमने स्थगन प्रस्ताव दिया, उस पर चर्चा करनी है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नेता लोग क्या कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नेता लोग सदन का काम कर रहे हैं।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष : आपको क्या दिक्कत है? क्या पाइन्ट आफ आर्डर है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, पाइन्ट आफ आर्डर है सुनें। आप बतायें क्या है।

श्री बिहारीलाल पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, जब आप आसन पर रहते हैं तो उधर वाले माननीय सदस्य कुछ कह जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये बोलिये, क्या पाइन्ट आफ आर्डर है?

(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकारा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पाइन्ट आफ आर्डर है। सुनिये। आर्डर आर्डर।

श्री बिहारीलाल पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही अच्छा प्रसंग चल रहा था

(श्री बिहारीलाल पारीक)

पुष्कर का। तीर्थों का राजा पुष्कर के बारे में प्रश्न उठाया रमजान खांजी ने, मैं निवेदन····

(व्यवधान)

इसके बारे में कुछ कविता याद आ गयी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, It is not point of order. आर्डर आर्डर।

श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, सुनिये। बोलने दीजिये, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री बिहारीलाल पारीक : बहुत अच्छी कविता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने तक ही रखिये।

(व्यवधान)

श्री बिहारीलाल पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुनिये।

तुलसीदासजी ने कहा—ऐसा कलयुग आयेगा कि बारख बाचे बेद ब्राह्मण बकरी चरावेगा, पुष्कर तीर्थों का राजा पर एक दिन ऐसा आयेगा विधान सभा में अपनी रक्षा की भीख मंगायेगा।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): बिहारीलालजी कोई तुक तो हो। कोई तुक ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, हीरा सिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पुष्कर क्षेत्र के विधायक ने बताया कि पुष्कर में किस किस प्रकार की अश्लील हरकतें हो रही हैं, राज्य सरकार उन अश्लील हरकतों को रोकने के लिये या उस पवित्र धार्मिक स्थान की पवित्रता को बनाये रखने के लिये किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रही है। मैं निवेदन करना चाहता हू, सर्वप्रथम मेरा निवेदन है कि आज समाचार पत्रों में छपे समाचार इस तथ्य को लगातार उजागर कर रहे हैं कि पुष्कर में अश्लील हरकतें हो रही हैं, वहां विदेशी पर्यटक जितने भी हैं सभी प्रकार की नग्न हरकतें करते हैं।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने इस राजस्थान में एक बड़ा ही पवित्र स्थान है, क्या राजस्थान सरकार इस पवित्र स्थान की पवित्रता को बनाये रखने में भी असक्षम है ?

तीसरा, मेरा मुद्दा यह है, यह पुष्कर जो पवित्र स्थान है, हिन्दुस्तान के हिन्दू लोग विभिन्न प्रकार के धार्मिक विचारधाराओं को मानने वाले लोग इस पवित्र स्थान पर स्नान करके अपनी आत्मा की शुद्धि करना चाहते हैं, उस पुष्कर पवित्र स्थान के बारे में जब इस प्रकार के समाचार आते हैं तो क्या हमारे लोगों की आत्मा में इस प्रकार का विकार पैदा नहीं होता कि हमारी राजस्थान सरकार राजस्थान के एकमात्र पवित्र तीर्थ स्थान पुष्कर की पवित्रता को भी कायम रखने में असक्षम है।

(श्री हीरासिंह चौहान)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है। पुष्कर एक पवित्र धार्मिक स्थान है जहां पर आकर हर हिन्दू अपनी आत्मा को पवित्र करता है। जितने भी धार्मिक स्थान हैं उनका मुख्य स्थान है, इसलिये मेरा यह निवेदन है। गृह मन्त्रीजी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया आप जैसी हमने सूचना दी वह हकीकत है। आप इसकी जांच कराइये और उस पवित्र स्थान की पवित्रता बनाये रखने के लिए माकूल कदम उठाइये।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री मोहन प्रकाश : एक शंका है। माननीय मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य पढ़ा उसमें शुरू की पहली लाइन में कहा कि पुष्कर का महत्व बढ़ा है। तो पुष्कर का महत्व, मैं समझता हूं, जो इन्होंने कहा है कि महत्व बढ़ा है ऐसा नहीं है। पुष्कर का महत्व तो हमेशा से, आदिकाल से है। मन्त्री महोदय ने जो कहा है यह घोर आपत्तिजनक है। इसमें यह संशोधन करें। ब्रह्मा का एक ही मन्दिर है और उसके लिये यह प्रमाण-पत्र दें कि महत्व बढ़ा है, ऐसा नहीं है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : पुष्कर का महत्व घटाने की दृष्टि से नहीं कहा।

श्री मोहन प्रकाश : पर्यटकों की दृष्टि से महत्व बढ़ा होगा, लेकिन पुष्कर का अपने आप में महत्व है। राजस्थान ही नहीं पूरे देश के जो तमाम औषधि सेवन करने वाले लोग हैं उनके लिए वह स्वर्ग होता जा रहा है। वहां इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। मैं गृह मन्त्री की सूचना में लाना चाहता हूं कि जो लोग यह औषधि सेवन करते हैं अफीम, हशिश हेरोइन कितने नाम हैं मैं नहीं जानता, माननीय भाभड़ाजी ने नाम गिनाये हैं, वह उनका बहुत बड़ा सेंटर हो गया है। देश को वहां से डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसलिये मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन है, जो यह पवित्र स्थान है इसको विदेशों की तरह से, वह शब्द मैं उपयोग नहीं करना चाहता, उस तरीके से न करें। इसको पवित्र स्थान समझकर ही विकसित करने का काम करें। जो हमारी संस्कृति में है। जो वहां सेंटर बनता जा रहा है काले कारनामों का, तस्करों का, तस्करी के सामान का वहां वितरण होता है उससे बचाने का काम करें और हमारी जो संस्कृति है, सामाजिक और धार्मिक धरोहर है उसको बनाये रखें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय भाभड़ाजी ने जिन बातों का जिक्र किया उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं, चाहे अफगान नागरिक आकर रहते हों, कोई भी विदेशी आकर रहते हों, यदि वह हशिश, गांजा और अफीम के किसी प्रकार के व्यापार में लिप्त हैं तो उनके खिलाफ राज्य सरकार सख्त कार्यवाही करेगी और उस व्यापार को बन्द कराने का पूरा प्रयास अपनी ओर से करेगी। किसी भी विदेशी नागरिक को जो वीसा मिलता है उसकी तीन महीने की मियाद होती है। हम तीन महीने तक उस विदेशी नागरिक को चाहे किसी एक स्थान पर रहे, चाहे किसी दूसरे स्थान पर रहे, वहां से

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

हटा नहीं सकते नियमों के तहत यह प्रावधान है । मैंने जैसा पहले वक्तव्य में निवेदन किया था कि हम भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि पुष्कर जैस पवित्र स्थान पर जो विदेशो यात्री आते हैं उन्हें एक सप्ताह से ज्यादा ठहरने की अनुमति न दी जाये और वीसा में इस तरह का प्रतिबन्ध लगाया जाये ताकि विदेशी लोग यहां न रुक पायें ।

पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि आसपास ऐसे दिशा-निर्देश या संकेत बोर्ड लगाये जाने चाहिए, जिस भाषा को वह पढ़ सकें उसमें, उसको पढ़कर स्वयं अपने आप को नियंत्रित कर सकें । आपके इस सुझाव को मैं पर्यटक मन्त्रीजी, जो सदन में बैठे हैं, से अनुरोध करूंगा कि पुष्कर की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए वहां इस तरह की कुछ व्यवस्था कर ऐसे निर्देश लिखवायें ताकि आने वाले जो हमारे पर्यटक हैं उनको देखकर स्वयं पालना करें । यदि वह पालना नहीं करते हैं किसी चीज की तो कानून के खिलाफ काम करेगा उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्यवाही करेगी, चाहे पर्यटक हों, चाहे कोई भी हो हम उसको नहीं बख्शेंगे ।

श्री मोहन प्रकाश : जो लोग संदिग्ध हैं उनके बारे में क्या कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में इन्ट्रप्शन न करें ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आपने जिक्र किया कि कनाडा से एक व्यक्ति वहां दस साल से ठहरा हुआ है, नाम आपने नहीं बताया मैं जानकारी प्राप्त करूंगा, वह किसी अवैध तरीके से ठहरा हुआ है या किसी नियम से ठहरा हुआ है । इस सम्बन्ध में जो भी कार्यवाही सरकार को करनी है वह निश्चित रूप से करेगी ।

पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने जमीन के झगड़े का सवाल खड़ा किया, जबकि आज का वक्तव्य देना था पुष्कर की पवित्रता को बनाये रखने के लिए । उनका झगड़ा हो सकता है जगतसिंहजी से और झगड़ा होने का कारण समझ में आता है कि जगतसिंहजी वहां के कांग्रेस उम्मीदवार के इलेक्शन एजेन्ट थे…

(व्यवधान)

श्री मोहन प्रकाश : साबित कर दिया कि सारे काले कारनामे कांग्रेस के लोग करते हैं । मन्त्री महोदय ने स्वयं साबित कर दिया…

(व्यवधान)

श्री रमजान खां : अगर सदन में विश्वास है…

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, भामड़ा जी बोल रहे हैं ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अजमेर के वर्तमान कांग्रेसी सांसद के वहां पर यह इलेक्शन इंचार्ज थे, जगतसिंहजी ।

श्री नाथूसिंह : यह कांग्रेस के नेता

(श्री नाथूसिंह)

लोग हैं। एक तरफ जमीन का झगड़ा करते हैं और पुष्कर की पवित्रता को···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर क्लोज।

श्री मोहन प्रकाश : वहां कांग्रेसियों का योगदान है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछ लूं···

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बुलाकी दास कल्ला : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची के समाप्त होने और राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1985 के पारित होने तक बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की राय है कि सदन का समय विधेयक पारित होने तक बढ़ा दिया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया जाता है।

शासकीय वक्तव्य

'पुष्कर तीर्थ के घाटों पर होटलों का अवैध निर्माण एवं उनमें मांस-मदिरा का विक्रय

श्री यदुनाथ सिंह : उस प्रस्ताव का क्या हुआ···

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : रावी-व्यास के बारे में जो प्रस्ताव आने वाला था, यह सदन जानना चाहता है कि उस प्रस्ताव का क्या हुआ ताकि हमें चर्चा करने की इजाजत दी जाये।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री जी।

श्री रमजान खां : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन है इसको दलगत राजनीति में नहीं फंसाइये। यह पुष्कर का सवाल है यहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं उठायें। आप स्वयं चलकर देखें वहां अतिक्रमण हो रहा है। मैंने आपको सर्टिफाइड कापी दी है। आपने जवाब नहीं दिया।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि आप अपने विवेक से काम लें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : पुष्कर जैसे स्थान पर भी कांग्रेस आड़े आ गई।

श्री रमजान खां : जगतसिंह वहां उम्मीदवार ही नहीं था।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय सदस्य जिन चीजों का जिक्र कर रहे थे और नाजायज जमीन के कब्जे का दूसरा सवाल है, यह पहले नहीं उठाया वरना उस वक्त मैं जवाब दे देता।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप इसलिये जवाब नहीं दोगे कि वह आपका आदमी है। कांग्रेस के एजेंट हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल): पुष्कर में पोल्यूशन हो गया है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे पुष्कर होटल में

(116)

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

मांस बनाने का, शराब की बिक्री होती है। मैं यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो पुष्कर से माननीय सदस्य आये हैं 18–4–1985 को आप स्वयं समिति के कुछ सदस्यों के साथ इस होटल का अचानक निरीक्षण करने पधारे थे, आपको इस होटल में कोई चीज नहीं मिली। न मांस मिला। और न शराब मिली।

श्री रमजान खां : शराब पीते हुए लोग वहां पर मिले। गंदा नाच हो रहा था। शराब पीते हुए मैंने देखा है, मांस खाते हुए नहीं देखा है, मन्त्री महोदय जवाब दो।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार): मन्त्री जी गलत जवाब नहीं दें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं जो कुछ कह रहा हूं, सोच-समझकर कह रहा हूं।

श्री मोहन प्रकाश : वह तो भगवान देखेगा। सौ आदमी के साथ गये थे....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनिट सुन लिजिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं सदन में यह बात इसलिये कह रहा हूं क्योंकि पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य के नेतृत्व में उस होटल का अचानक निरीक्षण किया गया। केवल उसी होटल का निरीक्षण किया गया, इसी होटल में जैसे मांस-मदिरा बिकती हो और होटलों में नहीं। लेकिन बिकती हो जब अचानक किरीक्षण करने के लिए गये तो उसमें कुछ भी चीज नहीं मिली।

श्री नाथूसिंह : और कहां कहां मिलती ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं इसको दूसरी तरफ नहीं ले जाकर इस मुद्दे पर कहता हूं कि पुष्कर एक पवित्र स्थान है और उसकी पवित्रता को कायम रखने के लिए....

सुश्री पुष्पा जैन : उनका नाम बता दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप जैसा चाहती हैं वैसा उत्तर मिलता है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : पाली से आने वाली माननीय सदस्या, यह पाली का मामला नहीं है। यह पुष्कर की बात कर रहा हूं मैं।

सुश्री पुष्पा जैन : यह राजस्थान का मामला है, मन्त्री महोदय। यह हिन्दु तीर्थ का मामला है। यह राजस्थान का मामला है। यह सारे हिन्दुस्तान की जनता का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुष्कर एक तीर्थराज है और उसकी पवित्रता को कायम रखने का दायित्व न केवल उस तरफ है बल्कि इस तरफ भी है। सभी माननीय सदस्यों की चिंता है कि उसकी पवित्रता को कायम रखना चाहिए। मैं आपको सरकार की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि पुष्कर की पवित्रता को हर कीमत पर कायम रखा जायेगा। चाहे अवैध व्यापार हो या नशी री

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

चीजों का प्रयोग हो, चाहे पर्यटक अश्लील गाने या अश्लील व्यवहार करते हैं। इन सब चीजों की सरकार कड़ाई से देखेगी और पुष्कर की पवित्रता को बनाये रखेंगे।

एक माननीय सदस्य : यह पहले ही कह देते तो इतनी बात ही नहीं होती।

श्री रमजान खां : अतिक्रमण साबित हो जायेगा तो वह होटल वहां से हट जायेगी, यह तो आश्वासन दीजिए···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य····

श्री रमजान खां : आश्वासन तो दे दें यह। मन्त्री महोदय से आश्वासन आ जाना चाहिए। आश्वासन तो दीजिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके खिलाफ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य····

श्री रमजान खां : ···कि अतिक्रमण हुआ है तो आप उसको हटायेंगे, यह आश्वासन तो मन्त्री महोदय दें····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो। अंकित न हो। अंकित न हो।

(व्यवधान)

श्री रमजान खां : अगर अतिक्रमण हुआ है तो आश्वासन दीजिए। मैं आरोप लगाता हूं सरकार के ऊपर कि एक तरफ तो कांग्रेसी एजेन्ट जगतसिंह है और एक तरफ सारी दुनियां के हिन्दू हैं। यह बड़े शर्म और अफसोस की बात है।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उस प्रस्ताव का क्या हुआ ?

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, रावी-व्यास के बारे में जो आज मुख्य मन्त्री जी की ओर से प्रस्ताव आने वाला था सदन में, सदन जानना चाहता है कि उस प्रस्ताव का क्या हुआ ?

(व्यवधान)

वह प्रस्ताव जल्दी मंगवाइये वरना हमें चर्चा की अनुमति दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप अलग अलग सब बोल लेते हैं और मुझे अकेले को बोलना पड़ता है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ···

सुश्री पुष्पा जैन : रावी-व्यास के बारे में प्रस्ताव आने वाला था मुख्य मन्त्रीजी के द्वारा, वह प्रस्ताव जल्दी से जल्दी मंगवाइये नहीं तो हमें चर्चा की अनुमति दीजिए।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते यह हैं····

(व्यवधान)

एक मिनट बात सुन लें। बड़ा गम्भीर मसला है। विपक्ष की ओर से कोई एतराज पेश किया गया है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि हां मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं और मैं अपनी चिंता को भी उसमें व्यक्त

(श्री यदुनाथ सिंह)

करता हूं प्रस्ताव दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है। जो मुख्य मन्त्रीजी ने कहा है उसको हम चाहते हैं कि विरोध पक्ष की तरफ प्रस्ताव न होकर मुख्य मन्त्रीजी की ओर से वह प्रस्ताव हो···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप लोगों के सब पार्टियों के नेता गये हुए हैं इसलिए आप को चिन्ता नहीं करनी चाहिए।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : कब तक आयेंगे नेता ? हमारे नेता हैं या नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपने नेताओं पर विश्वास कीजिए।

(व्यवधान)

श्री डूंगरराम : मुख्य मन्त्रीजी ने कहा था कि मैं आपकी भावनाओं के साथ अपने आपको जोड़ता हूं···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य···

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री मोहन प्रकाश : फिर होगा क्या कि सदन का समय समाप्त हो रहा है जल्दी जल्दी में पास करो····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य···

श्री मोहन प्रकाश : कृपया इसको आप····

एक माननीय सदस्य : हमारे नेताओं का अपहरण तो नहीं कर लिया है ?

(व्यवधान)

श्री मोहन प्रकाश : इसके ऊपर चर्चा तो तत्काल शुरू करा दीजिए····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, नेता लोग गये हुए हैं। माननीय सदस्य नेता लोग गये हुए हैं।

(व्यवधान)

अभी लौटकर नहीं आये हैं····

श्री मोहन प्रकाश : हमारे बुजुर्ग लोगों ने अपने विचार रखे। जोशीजी ने रखे और दूसरे पीढ़ी जो मांगेगी कम से कम उसकी बात भी सुन लीजिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्द, श्री मांगी लाल मेघवाल, श्री जगमाल सिंह क्रमशः अपनी याचिकायें उपस्थापित करेंगे।

श्री फूलचन्द।

श्री दाऊदयाल जोशी : हमारे उसका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्द ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर ।

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है आप इसको एक मिनट शांति से सुन लीजिए। सुबह हमारे सभी नेता बोले और हम बैठे रहे आराम से । इसमें दूसरी पीढ़ी के लोग यहां बैठे है जिस पीढ़ी को यह सारा भुगतना है। तो जिस पीढ़ी का सूर्यास्त हो रहा है, वह हमारे गले में यह डालकर जायेंगे तो इस पीढ़ी का क्या होगा ?···

(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : बातचीत चल रही है···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बूटासिंह का क्या होगा···

(व्यवधान)

श्री मोहन प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र में 5 मन्त्री हैं और 20 एम. पी. हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बाहर से लोगों का निर्यात न कीजिए । उन्हें निर्यात किया और उन्होंने अन्य प्रदेशों के हित में निर्णय कराया। सारे लोगों का, राजस्थान के हितों का ध्यान नहीं रखा है इसलिए चर्चा का विषय है···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, तसल्ली रखिये···

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मेरी बात सुनिये । माननीय सदस्य बिराजें । मैं जानकारी कर लेता हूं, माननीय सदस्य । माननीय सदस्य । मैं अभी जानकारी करता हूं । मैं जानकारी कर रहा हूं···

श्री नाथूसिंह : पाइन्ट ऑफ आर्डर···

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक साथ दो पाइन्ट ऑफ आर्डर कैसे आयेंगे ?····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं अभी जानकारी करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मेरी सुन लीजिए···

श्री नाथूसिंह : मेरा निवेदन यह है कि इस सम्बन्ध में सारे सदस्य···

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल में एक प्रकार से संकट उत्पन्न हो गया है···

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : कोई संकट नहीं है···

एक माननीय सदस्य : आपके नेता आ गये····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो । अंकित न हो···

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायें। मैं अभी जानकारी कर रहा हूं तसल्ली रखिये....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैं जानकारी कर रहा हूं बिराजिये...

श्री नाथूसिंह : ऐसे राजस्थान में भी हरचन्द सिंह लोंगोवाले पैदा नहीं हुए तो कई भिण्डरावाला पैदा होंगे।....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं जानकारी कर रहा हूं....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य...मैं जानकारी कर रहा हूं...

(5.00 म. प.)

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बिराजें। माननीय सदस्य, बिराजें। माननीय विपक्ष के नेता पधार गये हैं। माननीय सदस्य, बिराजें...

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें यह विश्वास दिलाया गया था कि वह प्रस्ताव हाऊस में लाया जायेगा। हम कोई दूसरी बात नहीं सुनना चाहते है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। विपक्ष के नेता...

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : हमें मुख्य मन्त्री के ऊपर भरोसा नहीं है....

श्री मानिकचन्द सुराणा (लूणकरनसर) : सदन की परम्पराओं का...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।...

श्री मानिकचन्द सुराना : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं कहता हूं कि विपक्ष के नेता पधार गये हैं....

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप स्वयं मौन बैठें है। अंकित न हो, कह रहे हैं। तो क्या हम यह समझें कि सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। क्या सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है? कोई कार्यवाही चल नहीं रही। क्या सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई हैं? इसको स्थगित करिये आप।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।...

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री नाथूसिंह : प्रधान मन्त्री ने मुख्य मन्त्री को × × × है...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही इसलिये स्थगित हुई थी कि सब की सहमति से एक प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया जाये। हम सब लोग बैठे हैं वह सर्व सम्मत प्रस्ताव सदन में आ जाये। उस पर विचार हो रहा है और थोड़ा सा समय और लग सकता है। इसलिये आपसे रिक्वेस्ट है कि एप्रोप्रियेशन बिल लेने के पहले यदि इस सम्बन्ध में एक दो सदस्य बोलना चाहते हों तो उनको बोलने की अनुमति दे दी जाये तब तक हम तय करके आते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरा एक सुझाव है, तीन याचिकायें है वे पेश हो जायें। तीन मिनट में तीन याचिकायें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया। माननीय सदस्य। तीन याचिकायें उपस्थापित होने दीजिये।

एक माननीय सदस्य : याचिकायें बाद में आ जायेंगी...

श्री उपाध्यक्ष : तीन मिनट लगेंगे।

श्री शिवचरण सिंह: राजस्थान के हितों पर कुठाराघात हुआ है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय श्री शिवचरण सिंह जी आप बोल लीजिये, तीन याचिकायें उपस्थापित करने के बाद...

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बिराजें। आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, कोई यूज नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय चुन्नी लाल जी, Kindly order, माननीय सदस्य।

श्री फूल चन्द।

याचिकाओं का उपस्थापन

पाटन ग्राम में तहसील कार्यालय की स्वीकृति

श्री फूल चन्द (नीमकाथाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पाटन ग्राम में तहसील कार्यालय खुलवाये जाने विषयक 6 याचिकाकारियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलाल मेघवाल।

केशवराय पाटन सारसला ग्राम के आम रास्ते की पिलिया खाल पर पुलिया का निर्माण

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केशवराय पाटन सारसला ग्राम के आम रास्ते की पिलिया खाल पर पुलिया बनवाने विषयक 4 याचिकाकारियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

× × × शब्द माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगमाल सिंह यादव।

तिजारा-रिवाड़ी रोड़ मे खिदरपुर तक की सड़क का निर्माण

श्री जगमाल सिंह यादव (तिज़ारा) उपाध्यक्ष महोदय, तिजारा-रिवाड़ी रोड़ से खिदरपुर तक की सड़क का अपूर्ण कार्य पूरा कराये जाने विषयक तीन याचिकाकारियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मन्त्री के दबाव से यह प्रस्ताव नहीं आ रहा है……

श्री उपाध्यक्ष : एक-एक करके।

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

आधा घन्टे की चर्चा

विद्युत करेन्ट से मृत व्यक्तियों को राहत

(ता. प्र. सं. 277/283 एवं 13, दिनांक 15.7.85)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी आधे घन्टे की चर्चा इसमें और है, क्या इसको स्थगित किया गया है?

एक माननीय सदस्य : जो प्रश्नकाल स्थगित हुआ था उसी के तहत चर्चा चल रही है……

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्रीमती विद्या पाठक, श्री नाथूसिंह जी बोलें। आधे घन्टे की चर्चा……

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह बाद में होगी पहले उस प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा। आधे घन्टे की चर्चा और है……

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुझे बोलने का टाईम दिया है। आपने मुझे पुकारा है।

श्री उपाध्यक्ष : आधे घन्टे की चर्चा ले लें।

श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसको बाद में ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूसिंह जी।

(व्यवधान)

तो फिर मैं इस चर्चा को पोस्टपोन करता हूं। चर्चा करने के लिये अगर कोई तैयार नहीं हैं तो आधे घन्टे की चर्चा पोस्ट-पोन करता हू……

एक माननीय सदस्य : हम तैयार है….

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूसिंह। आधे घन्टे की चर्चा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने मुझे पुकारा है……

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं बोलना चाहती हूं। बोलने दीजिये। आपने नाम पुकारा है……

श्री उपाध्यक्ष : आधे घन्टे की चर्चा पोस्टपोन करता हूं……

श्री नाथूसिंह, बोलिये आप। बोलिये, बोलिये।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी प्रारम्भ में कई माननीय सदस्यों ने विचार रखे हैं, उन मामलों को मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, कल यह जो समझौता हुआ है इस सम्बन्ध में जो राजस्थान सरकार है……

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य……

श्री नाथूसिंह : आपने पुकारा है……

श्री उपाध्यक्ष : आधे घण्टे की चर्चा के लिये पुकारा था……

(व्यवधान)

तो आधे घण्टे की चर्चा पोस्टपोन करता हूं……

(व्यवधान)

यह आधे घण्टे की चर्चा पोस्टपोन की जाती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी बोलेंगे।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : यह पोस्टपोन क्यों की जाती है? देर रात तक बैठेंगे।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार के सामने घुटने टेक दिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : गलत बात है। आप विषय पर बोलिये……

श्री नाथूसिंह : किस पर बोलूं? हाफ एन ऑवर डिसक्शन पर या……

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : पोस्टपोन कैसे करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : आधे घण्टे की चर्चा पोस्टपोन हो गई।

श्री यदुनाथ सिंह : क्यों पोस्टपोन हो गई? यह चर्चा होगी फिर वह चर्चा होगी।

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

(व्यवधान)

आप सुना तो करिये। यह क्या घंटी ही घंटी बजाते रहते हैं। इस घंटी की सेंक्टिटि खत्म हो जायेगी। शेर आया, शेर आया वाली बात हो जायेगी और फिर आपकी इस घंटी को भी कोई सुनेगा ही नहीं। इस घंटी में कुछ सुनाई ही नहीं देता है।

आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर व्यवस्था हो चुकी है आधे घण्टे की चर्चा पर व्यवस्था हो चुकी है पोस्टपोन कर दिया……

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : आधे घंटे की चर्चा को पोस्टपोन क्यों कर रहे हैं······

श्री उपाध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी····

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कैसे पोस्टपोन कर दी, बताइये तो सही········

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य·······

श्री यदुनाथ सिंह : आप आधे घंटे की चर्चा को क्यों पोस्टपोन कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये, बैठिये। बैठें, माननीय सदस्य····

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

आपने कहा पोस्टपोन कर दीजिये।

(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : पोस्टपोन कैसे कर रहे हैं आधे घंटे की चर्चा को?

श्री उपाध्यक्ष : आसन ने व्यवस्था दी, दे दी That is final. That is final.

(व्यवधान)

आप बोलना ही नहीं चाहते हैं। मैं व्यवस्था दे चुका हूं।

एक माननीय सदस्य : आप हाऊस में जब तक हमको अलाऊ नहीं करेंगे····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने तीन बार कहा है। आप बोलना ही नहीं चाहते हैं·······

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह जी, कृपया बैठिये। श्री नाथू सिंह जी, कृपया बैठिये। कृपया बैठिये।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

(व्यवधान)

व्यवस्था दे दी गई है, आप दूसरे विषय पर बोलिये।

श्री यदुनाथ सिंह : जो कार्यवाही चल रही है उस पर बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप दूसरे विषय पर बोलिये। इस तरह बिलकुल नहीं चलेगा। व्यवस्था दे दी है। कृपया बैठिये। मैं निवेदन करता हूं, कृपया बैठिये। माननीय सदस्य, दो चीजें हैं या तो आप दूसरे विषय पर बोलिये या बैठिये।

(व्यवधान)

मैं निवेदन करूंगा आप बिराजिये। कृपया बिराजिये।

श्री नाथूसिंह : एक मिनिट मेरी बात सुन लीजिये।

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री नाथूसिंह : आपने मुझे आधे घंटे की चर्चा के लिये पुकारा·····। आपने कहा

(श्री नाथूसिंह)

और मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

नहीं उसी पर बोलूंगा, डजोर्नमेंटमोशन है मेरा।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं गलत बात है।

श्री नाथूसिंह : हो-हुल्ला में कुछ सुना ही नहीं······

(व्यवधान)

तो मैं समझा नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आपने लगातार घंटी बजा रखी है, कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : इसको अब दुबारा नहीं लें। बुरी बात है।······गलत बात है। आप बिराजिये।

श्री नाथूसिंह : आधे घंटे की चर्चा पर हम बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह अच्छी परिपाटी नहीं होगी। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्रीमती विद्या पाठक : ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर, माननीय उपाध्यक्ष जी।····

सबसे पहले प्रिफरेन्स दिया जाता है···

(व्यवधान)

मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं तो यह पूछ रही हूं आधे घंटे से·····

(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये लोक सभा के अध्यक्ष को यहां डिसक्स करना चाहते है······

(व्यवधान)

(5·16 म. प.)

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : राजस्थान के प्रतिनिधि हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं। कोई उधार मांगे हुए हैं ? राजस्थान से जीत कर गये हैं, इसलिये निश्चित रूप से कहेंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, नियमों का ध्यान रखते हुए।

अकाली दल एवं प्रधान मन्त्री के मध्य हुए पंजाब समझौते से उत्पन्न स्थिति

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति मेरा पूरा सम्मान है। मैं उनकी पोस्ट के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करता हूं लेकिन मैंने लोकसभा के चुनावों में भी कहा था कि जब माननीय जाखड़ साहब पंजाब विधान सभा के मैम्बर थे उस समय पंजाब की विधान सभा में बोले थे वह कि रावी और सतलज के पानी पर राजस्थान का एक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बूंद भी हिस्सा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसी का आज परिणाम है कि हमारी लोबी दिल्ली में कमजोर है और दिल्ली में जो हमारे लोग बैठे हैं वह राजस्थान के हितों का कोई संरक्षण नहीं कर सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बहुत दुख है इसलिए मैं मांग करता हूं अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता को यह मांग करनी चाहिये कि श्री बूटा सिंह और जाखड़ साहब इस्तीफा दें और पंजाब से जा करके चुनाव लड़ें तभी राजस्थान के हितों का संरक्षण हो सकता है और राजस्थान का हित चाहने वाले व्यक्ति केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल में प्रस्तावित किये जायं। अध्यक्ष महोदय, इस समझौते से जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसका भविष्य, अध्यक्ष महोदय, धूमिल हो गया है। आगे आने वाली पीढ़ी अगर यह पानी हमारा चला गया.........

श्री अध्यक्ष : ये सब बातें कह चुके हैं, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो जो आगे आने वाली पीढ़ी है, अध्यक्ष महोदय, उसकी हमको बड़ी भारी चिन्ता है। माननीय जोशी,जी माननीय भैरोंसिंह जी, माननीय नाथूराम जी सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान की आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य को ध्यान में रखकर अपनी कुर्सी का ध्यान न रखते हुए आप को तो कोई चिन्ता नहीं है; आपने सब सुख भोग लिये, राज भी कर लिया, विरोध में भी रह लिये लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य आप अपने हाथों से गिरवी रख करके माननीय जोशी जी नहीं जा सकते हैं। राजस्थान की आगे आने वाली पीढ़ी का भाग्य आपको बचाना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो धारा 9·1 इस समझौते की है उसमें "राजस्थान" शब्द हटाया जाय और यह असेम्बली एक प्रस्ताव पास करने वाली है उसमें साफ लिखें कि धारा 9·1 में जो राजस्थान का नाम लिया है उससे हम असहमति व्यक्त करते हैं। इससे अपना काम पूर्ण हो जायगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री नाथूसिंह जी, बहुत संक्षेप में कहें।

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : संक्षेप में ही कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेताओं ने जो इस सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये हैं मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है कि जितने भी समझौते आज तक होते हैं बार-बार पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि राजस्थान का एक पक्ष दिल्ली में कमजोर रहता है और यही कारण है कि कभी पंजाब और कभी हरियाणा और कभी हिमाचल प्रदेश राजस्थान पर हावी रहते है। केन्द्र सरकार द्वारा भी हमें जैसे कमजोर स्टेट को ट्रीट किया जाता है उसी तरह से ट्रीट किया जाता है। सैकिण्ड क्लास का दर्जा राजस्थान के लिए यहां पर है। अध्यक्ष महोदय, पहले पिछली बार जब समझौता हुआ था इस सदन में डिस्कस हुए थे इसी तरह के मामले, माननीय शिवचरण जी माथुर उस

(श्री नाथूसिंह)

समय मुख्य मन्त्री थे, इनको बुलाया और दिल्ली के अन्दर एक कमरे में बन्द करके इनके हस्ताक्षर करवा लिये। उस कमजोरी को दिल्ली की सरकार अच्छी तरह से जानती है कि कांग्रेस का शासन राजस्थान में जब तक रहेगा राजस्थान के मुख्य मन्त्री यहां चुने हुए नहीं बनाये जाते, थोपे हुए आते हैं मुख्य मन्त्री जी दिल्ली से इसलिए वह मुख्य मन्त्री कमजोर होते हैं और उस कमजोरी का फायदा......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। माननीय श्री जयकिशन कृपया बैठें।

श्री नाथूसिंह : मान लिया। मान लिया। बैठिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय श्री जयकिशन, कृपया बैठें। बैठें बैठें बात नहीं करें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यही कारण है कि आज राजस्थान का हिस्सा पंजाब लेने की कोशिश कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज सैन्ट्रल स्टेट रिलेशन्स के लिए एक कसौटी है राजस्थान के ऊपर। अध्यक्ष महोदय, आन्ध्र-प्रदेश केन्द्र से टकराव लेता है, लड़ाई लड़ सकता है, कर्नाटक लड़ाई लड़ सकता है पंजाब की सरकार फेल हो सकती है और वहां का अकाली दल, जो एक दल है, लड़ाई लड़ कर के केन्द्र सरकार के घुटने टिका सकता है अपने हितों के लिए, हरियाणा लड़ सकता है लेकिन राजस्थान नहीं लड़ सकता, इसलिए, राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी ने केवल थोड़ी सी बातचीत की, इन्होंने उनको, टैलेक्स भी दिया है, जैसा आप बता रहे हैं, और इसके बावजूद उन्होंने जो चाहा एकतरफा फैसला कर लिया। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से फैसला करने का मतलब यह हुआ कि 20 तो एम. पी. दिल्ली में और 5 हमारे मन्त्री, मैं पूछना चाहता हूं, वह 5 मन्त्री और 20 एम. पी. दिल्ली में क्या कर रहे थे बैठे-बैठे। राजस्थान की सरकार क्या कर रही थी? अध्यक्ष महोदय, चुनावों के दौरान माननीय प्रधान मन्त्री जी ने भाषण दिये थे राजस्थान में कि कांग्रेस की सरकार बनाओ, तुम्हारे हितों की रक्षा करेंगे, विकास करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि उस चुनाव के अन्दर हेलीकोप्टर से यहां पर संसद सदस्य उतारे गये थे राजस्थान में, कोई पंजाब से, कोई उत्तर प्रदेश से और कोई कहां से। उसका नतीजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। मैं मांग करता हूं, इस सदन के माध्यम से कि मन्त्री और एम. पी. इस्तीफा देकर के राजस्थान वापस आ जायें और प्रोटेस्ट करें इस बात का सारे के सारे मिल कर। एक कारण और भी बताता हूं, अध्यक्ष महोदय, यदि विपक्ष के 2-4 एम. पी. भी वहां पर होते तो इस इश्यू को लेकर के वहां पर लड़ते। यह हमारा दुर्भाग्य है कि 25 के 25 एम. पी. कांग्रेस के वहां पर बिठा दिये। कांग्रेस के बिठा दिये। हाथ उठाओ एम. पी. भेज दिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की जनता जब इस समझौते को देख रही है……

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य। कृपया समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : उस समझौते को पढ़ रही है तो राजस्थान की जनता को अपना जो किया हुआ है उस पर पछतावा हो रहा है कि 25 एम. पी. क्यों जातियों कर कांग्रेस के भेज दिये। वहा जाकर लोक सभा में, प्रधान मन्त्रीजी जो समझौता करते हैं, हाथ उठाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं, जैसा मैं कहता हूं कि वह इस्तीफा दें, क्योंकि, अध्यक्ष महोदय, आज पंजाब का राइट है……

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैं तथ्य रख रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, सेवंथ फाइव ईयर प्लान में सातवीं योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश और केन्द्र विश्व बैंक की सहायता से 1400 करोड़ रुपये की लागत की नायपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना का काम शुरू करने जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन राजस्थान को नहीं पूछ रहे हैं। इसका कारण है, हिमाचल प्रदेश ने भी देख लिया कि जब पंजाब राजस्थान को नहीं पूछ रहा है, धमकी दिखा कर केन्द्र से समझौता करके राजस्थान के हक ले सकता है……

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : तो हिमाचल प्रदेश क्यों नहीं लें। तो मुख्य मन्त्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप इस सदन के नेता, हैं और इसलिये हम आपकी इज्जत करते हैं, आप बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ भी हैं। आपके मन्त्रिमण्डल में हो सकता है इस मामले में मतभेद हों।

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी ने आपकी भावना से सहमति प्रकट की है।

श्री नाथूसिंह : मैं कह रहा हूं, इसलिये कह रहा हूं कि नरेन्द्रसिंह भाटी से मुझे पता लगा है. अभी जो मीटिंग हुई थी केबिनेट की उसमें भी इस बात का विरोध किया कि आपने असहमति कैसे प्रकट कर दी। इसलिये…

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : नम्बर बढ़ाने के चक्कर में है नरेन्द्रसिंहजी भाटी। मुख्य मन्त्रीजी, नरेन्द्र सिंह जी भाटी की प्राइम मिनिस्टर की गुड बुक्स में आकर हो सकता है. मुख्यमन्त्री की कुर्सी की तरफ नजर हो। पर आप परवाह मत करिये। आप राजस्थान के हितों में ध्यान रखिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिये।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमन्त्रीजी, हम आपका साथ देंगे। लेकिन यदि आपने इस कुर्सी के चक्कर में राजस्थान के हितों की बलि कर दी, प्रधान मन्त्रीजी के सामने घुटने टेक दिये, मुख्यमन्त्री जी, आप

(श्री नाथूसिंह)

लोंगोवाल बनिये, हम आपको लोंगोवाल की तरह समर्थन देंगे, लेकिन आप लोंगोवाल नहीं बन सकते।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री नाथूसिंह : तो राजस्थान के अन्दर, मुख्य मन्त्रीजी, कई भिण्डरावाला पैदा हो जायेंगे, कई भिण्डरवाला राजस्थान में पैदा हो जायेंगे और, मुख्य मन्त्रीजी, जब राज- में भिण्डरवाला···

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, कृपया बैठें, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, जब केन्द्र सरकार एक कृपाण के आगे झुग सकती है तो राजस्थान तो तलवार का धनी रहा है, अध्यक्ष महोदय। हमारी तलवार कृपाण से बड़ी है। आज हमारे हितों पर कुठारघात हो जाय और मुख्य मन्त्रीजी प्रस्ताव बनाने में चार घण्टे ले लें, अध्यक्ष महोदय, पांच घण्टे, होना तो यह चाहिये था, अध्यक्ष महोदय, कल सदन सात बजे तक चल रहा था। मुख्य मन्त्रीजी को जो जानकारी हुई, आये, प्रस्ताव पास हुआ, हमको टैलेक्स, अखबारों के अन्दर जो आयी उससे खबर मिली। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता था, मुझे तो खुशी होती, मुख्य मन्त्रीजी, उसी समय, जब आपको पता लगा कि राजस्थान के हितों के खिलाफ 9·1 में राजस्थान का नाम जुड़ गया है और हितों के खिलाफ फैसला हो है, आप सदन में आते, एक प्रस्ताव लाते और उसी समय सदन से सर्वसम्मत प्रस्ताव पास करा कर दिल्ली भेजते, फोन पर प्रधान मन्त्रीजी को सूचना देते कि राजस्थान का सदन इस मामले में उद्विग्न है, राजस्थान की जनता नाराज है, यदि आपने यह समझौता करके राजस्थान के हितों की बलि दे दी तो पंजाब के भिण्डरावाले राजस्थान में पैदा होना शुरू हो जायेंगे तो···

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें, माननीय सदस्य। आपने बहुत देखा मैं····

श्री नाथूसिंह : प्रधान मन्त्रीजी में दम नहीं कि यह समझौता कर जाते। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, मुख्य मन्त्रीजी, आप यह पानी राजस्थान का जो यह समझौता हुआ है, हितों पर कुठाराघात हुआ है, इसको कैंसिल कराओ। राजस्थान का नाम 9·1 में से हटाओ वरना, मुख्य मन्त्रीजी, यह जितने हमारे विरोधी दल के नेता हैं, माननीय, ये आपसे अभी बात-चीत कर रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी जो इसका फल भुगतेगी, मैं आपको कहना चाहता हूं, मुख्य मन्त्रीजी, हम आपका शासन चलने नहीं देंगे और आप सोचोगे आपको प्रधान मन्त्रीजी ने कल परसों कहा, आपात काल लगाऊंगा जरूरत पड़ी तो। वह इसीलिये कह रहे होंगे, हमने आपात काल को पहले भी देखा है और अब भी देख लेंगे। तब प्रधान मन्त्रीजी की मां को भी देखा है और प्रधान मन्त्रीजी को भी देखेंगे। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, हमने इन्दिरा गांधी को देखा है और प्रधान मन्त्री को भी देखेंगे। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के हितों को····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्रीमती हमीदा बेगम : क्या बोल रहे हैं आप ? होश में तो बोलें ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, बैठें आप । आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

एक माननीय सदस्य : अराजकता फैलाते रहते हो, हमेशा राजस्थान में ।

श्री हरिदेव जोशी : हो सकता है कि माननीय सदस्य प्रधान मन्त्री के प्रति अपशब्द कह करके एक प्रकार की उत्तेजना करते हैं और यह कोशिश करते हैं कि इधर के सदस्य भी इसको वो करें और एक प्रकार का केआस हो । आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं शालीनता से कहें इसको सब ही सुनें ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, अपशब्द मैंने नहीं कहा है । मैंने केवल आपात काल के बारे में कहा है ।

एक माननीय सदस्य : यह असंसदीय शब्द है यह एक्सपज किये जायें ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कृपया बैठें । माननीय सदस्य, कृपया बैठें ।

माननीय सदस्य, जिनका नाम है उनको पुकारा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया माननीय सदस्य, व्यवस्था में सहयोग दें । आर्डर प्लीज ।

श्री परसादी लाल (लालसोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय सदस्य ने कहा है इसको एक्सपंज करें । इनको सदन से निकाल देना चाहिए । यह सब वापस लिया जाय जो माननीय सदस्य ने कहा है । यह कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठें कृपया । आप बैठे नीचे. माननीय सदस्य डा. उजला अरोड़ा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय. निरन्तर विपक्ष चिंतित रहा कि इस समझौते का परिणाम कुछ और निकलेगा । जब इस विषय पर श्री शिवचरण माथुर समझौता करके आए तब भी हमने इस सदन में चिंता व्यक्त की और विश्वास यह दिलाया गया था, कोई भी गलत काम नहीं होगा । उसके परिणाम आज देखने को मिले । मैं यह जानना चाहती हूं कि जो आग आज पंजाब में लगी हुई है क्या उसको राजस्थान में लगाना चाहते हैं ? आपने जब यहां बिजली पर टैक्स बढ़ाया तो वहां पर गंगानगर के किसानों ने कहा कि हम आन्दोलन करेंगे । आप अगर इस तरह से इन समझौता में झुक जायेंगे तो यह बात निश्चित समझिये कि उधर की भड़कती हुई आग इधर आएगी । मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूं आप सशक्त रहिये । सारा राजस्थान आपके साथ है, आप अपने एम. पीज. और मंत्रियों को अपने साथ लीजिए । उनसे कहिये कि इस घटिया बात पर उन्होंने फोटो क्यों खिचवाये ? वह आपका यहां समर्थन करते हैं । सारा राज्य आपके जब साथ हैं, आपको क्या दिक्कत है । आप अपना अभिमत इसमें दीजिए और सरकार को झुकाइये केन्द्रीय को कि राजस्थान का हित, वह हमें दे,

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

हमारा पानी हमें दे। पहले भी उन्होंने चोर नहर बना ली थी और हमारा पानी वे ले जा रहे थे। मैं समझती हूं उस समय भी हमने आपसे कहा था कि हमारा जो पानी है वह इधर ही मोड़ा जाय और जल्दी जल्दी इस नहर को पूरा किया जाय। लेकिन आप नहीं चेते....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए इतना ही कहना चाहती हूं कि आप केन्द्रीय सरकार के सामने झुकिए मत। सारा राजस्थान आपके साथ है और राजस्थान के हित में समझौता रद्द करवाइये और यह जो 9·1 है इसमें से राजस्थान का नाम हटाइये।

श्री अध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन संक्षेप में माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि....

श्री अध्यक्ष : सक्षेप में, काफी बहस हो चुकी है, समय का ध्यान रखें।

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : इस देश का प्रधान मन्त्री हम सब के प्रधान मन्त्री हैं और उस नाते हम उनकी पूरी इज्जत करते हैं लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहते हुए यह कहना चाहती हूं कि किसी भी देश के प्रधान मन्त्री को इस बात का अख्तियार नहीं और इस बात का मुख्तयारनामा नहीं कि किसी राज्य के अधिकारों को अपने स्वार्थों के लिए गिरवी रख दे। अध्यक्ष महोदय, संविधान भी उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देता कि वह राजस्थान के हितों को बलि पर चढ़ा दें। अध्यक्ष महोदय, मेरी तो समझ में नहीं आता इस राज्य के बीस एम. पी., पांच मन्त्री, राज्य सभा के सदस्य, उन सब को कैसे सांप सूंघ गया? इतना बड़ा राजस्थान का अहित हो गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

सुश्री पुष्पा जैन : और सारे के सारे खामोश होकर बैठ रहे। मुझे सबसे ज्यादा खेद इस बात का है कि इस राज्य के एम.पी., जो केन्द्र में मन्त्री बन कर श्री नवलकिशोर जी शर्मा बैठे हुए हैं उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त कर दी। मैं बहुत ही सख्त से सख्त से सख्त शब्दों में, अध्यक्ष महोदय, मुख्य: मन्त्रीजी को मैं आपके मार्फत कहना चाहती हूं, मैं आज ही केन्द्र में बैठे हुए राजस्थान के सारे एम. पी.. राज्य सभा के मैम्बर, सारे मन्त्रियों को इस राजस्थान की महिलाओं की तरफ से चूड़ियां भेजूंगी जिन्होंने आज यह समझौता किया। मैं चाहती हूं इन चूड़ियों को पहन कर अपने घर में बैठ, राजस्थान की महिलायें अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, प्रात:काल जब इस विषय पर चर्चा हुई थी और उसके बाद सदन में एक आम सहमति इस बात पर हुई कि स्थगित करके सदन

(श्री नत्थीसिंह)

को, सदन की जो भावनायें हैं इस बात में कि जो यह समझौता हुआ है वह राजस्थान के हितों के विपरीत है। सदन इससे असहमति व्यक्त करेगा सर्वसम्मति से और हम इस बात को केन्द्र में भेजेंगे अपने विरोध के साथ कि राजस्थान के हितों की जो बलि दी जा रही है इसे बर्दाशत नहीं किया जा सकता। हम सब इस बात में आश्वस्त थे कि सदन के नेता और उनके मन्त्रिमण्डल के सदस्य हमारे नेताओं के साथ, विरोध पक्ष के नेताओं के साथ बैठ कर निश्चित रूप से इस मत पर आयेंगे। लेकिन आज जब स्थिति यह हुई है कि सदन के नेता किसी भी प्रकार विरोध पक्ष के नेताओं के साथ प्रस्ताव पर सहमति नहीं हो पाए हैं तो एक आशंका जो हमें हो रही थी, उस आशंका की पुष्टि होती है। जो समझौता किया गया है चाहे आप उस के प्रति विरोध जाहिर करें या कि हम राजी नहीं हैं लेकिन लगता ऐसा है कि आपको दवा करके आपसे सहमति प्राप्त कर ली गई है और राजस्थान के हितों की कुर्बानी देने में आप शामिल हो चुके हैं। वरना आपको निश्चित रूप से आज के दिन इस सदन के द्वारा सर्वसम्पत प्रस्ताव करने के लिए सहमत होना चाहिए था। हम कहना चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्थान के हितों की कुर्बानी की जा रही है, राजस्थान को प्यासा, राजस्थान की भूमि को उर्वरा होने से वंचित करके फिर से जो रेगिस्तानी बनाने का षड्यन्त्र हो रहा है उसको हम विरोध पक्ष में बैठे हुए लोग कतई भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और इसीलिए राजस्थान सरकार के इस व्यवहार का और इस तरह का उनका रुख है उसके प्रति हम विरोध प्रदर्शित करेंगे। हम समझते थे कि अभी तक तो आप मजबूरी में टैक्स लगा रहे हैं चाहे पानी पर लगायें, चाहें बिजली पर लगायें लेकिन यह मजबूरी कहां की है कि जो पानी का समझौता सन् 1955 में हो चुका है और जिस पानी पर हमारा हक है, आज उसी हमारे हक की कुर्बानी दी जा रही है और आप में हिम्मत नहीं है इस बात की कि इस बात के लिए सारे सदन को, सारे पक्ष को एक साथ लेकर चलें। सुबह जब हमारे नहर सिचाई मन्त्री महोदय एक बात कह रहे थे और मुख्य मन्त्रीजी कह रहे थे, हमारी किसी तरह की असहमति नहीं है, वह बात भी अब साफ हो गई कि निश्चित रूप से आपमें असहमति है। डर इस बात का लग रहा है कि दिल्ली में नम्बर किस के कटते हैं और किसके नम्बर बढ़ते हैं। राजस्थान के हित कैसे रहें, इस बात की चिन्ता नहीं है। दिल्ली में नम्बर किस के अच्छे बढ़ें, इस बात की चिन्ता है और यह नम्बर बढ़ाने का काम भी राजस्थान के हितों की कुर्बानी को देकर हो रहा है जो वास्तव में निंदनीय है और घोर आपत्तिजनक हैं, रवैया अपनाया गया है इसके प्रति मैं अपना घोर विरोध प्रदर्शित करते हुए कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत कि अब भी समय है कि मुख्य मन्त्रीजी और सदन के नेता चेतें और सदन की जो भावना थी

(श्री नत्थी सिंह)

कि जो समझौता हुआ है उससे असहमति व्यक्त करते हुए उसका विरोध व्यक्त करते हुए उसको ठीक करने के लिए इस सदन का सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री लालचन्द।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, आप बोलना चाहेंगे।

(व्यवधान)

आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : सी. पी. जोशी बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : सी. पी. जोशी नहीं बोल रहे हैं। कहां बोल रहे हैं। नहीं बोल रहे हैं वे तो।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आर्डर माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : सी. पी. जोशी की बोलती बन्द हो गई है।

श्री शिवचरण सिंह (करौली) : बुलवाइये उनको।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री शोपतसिंह : सी. पी. जोशी की बोलती बन्द हो गई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर। माननीय सदस्य श्री शोपतसिंह। आर्डर प्लीज आर्डर माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही इसलिए स्थगित हुई थी कि हम आपस में बैठकर कोई इस प्रकार का सर्व सम्मति से प्रयास……

श्री अध्यक्ष : एक थोड़ा सा निवेदन कर दूं। मैंने सदन की कार्यवाही सदन का माहौल देख कर स्थगित की थी। मैंने तो यह कहा था कि कार्यवाही स्थगित करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कार्यक्रम चलता रहे और उसके बाद जो कुछ भी बात हुई वह दूसरी बात है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता महोदय की परमिशन से मैं एक मिनट सदन का लेना चाहूंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक पूरी हमारी स्टेट के लिए चिंता का विषय है। अभी आज सवेरे जो चर्चा हुई थी, एक वेल्ट,

(श्रीमती विद्या पाठक)

जो सिपाही की बैल्ट दी थी और हमारे सदस्यों ने यह कहा था कि यह बैल्ट इन सब के गले में बंधी हुई है। वही बैल्ट हमारे दिल्ली के सब एम. पीज. के गले में बंधी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला इतना सिम्पल नहीं है, सिर्फ राजस्थान के हितों का ही नहीं है। इस केन्द्र सरकार से आसाम की समस्या हल नहीं हुई तो इन्होंने पंजाब की समस्या निर्माण की। पंजाब की समस्या हल नहीं हुई गुजरात की निर्माण की और अब यह गुजरात, आसाम और पंजाब की तरह राजस्थान को जलाना चाहते हैं। इनको राजस्थान में कोई रुचि नहीं है। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, यह एक चेतावनी है इसको आप समझें समय रहते। इनको तो कोई न कोई शिकायत चाहिए केन्द्र की सरकार को। हमारे हितों की रक्षा अगर नहीं होती है तो यह सिर्फ हितों का ही मामला, सिर्फ भविष्य का मामला नहीं है, सारा राजस्थान जल जाएगा, इस बात को हम सबको समझना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही स्थगित होने से पूर्व सदन में विपक्ष के सदस्यों ने और सदन के नेता माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने अपनी भावनायें स्पष्ट रूप से व्यक्त कीं। मुख्य मन्त्रीजी ने कल टेलेक्स मेसेज के ऊपर इस समझौते में राजस्थान को शामिल किए जाने को आवश्यक बताया और साथ ही अपने भाषण में राजस्थान को शामिल करने के प्रश्न पर अपनी असहमति भी व्यक्त की। अध्यक्ष महोदय, हम इसी आधार पर चाहते थे कि एक सर्व सम्मत समझौता हो जाये लेकिन मुख्य मन्त्रीजी को बार बार दिल्ली से बुलावा आ रहा है और इस कारण हो सकता है कि उसमें किसी प्रकार का विलम्ब हो। यह भी हो सकता है कि मुख्य मन्त्रीजी के जाने के बाद हमें और किसी प्रकार की जानकारी मिल जाय कि यह समझौते का आधार क्या है। राजस्थान को इसमें क्यों शामिल किया गया है राजस्थान के हित कितने सुरक्षित हैं, राजस्थान के हितों के विपरीत कितना है। मुख्य मन्त्रीजी चाहते हैं कि दिल्ली से मिल कर इन सब चीजों का स्पष्टीकरण हो जाय और उसके बाद में इस पर विचार किया जावे कि राजस्थान विधान सभा को क्या किया जाय। मैं समझता हूं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति केवल इसी बात की है कि मुख्य मन्त्रीजी आज अकेले जायें, सदन की मौखिक रूप से भावनायें उनके साथ हैं लेकिन यह सदन एक प्रस्ताव पास करके मुख्य मन्त्रीजी को दिल्ली रवाना करता है तो मेरा विश्वास है कि भारत सरकार के सामने यह मजबूरी आती कि जो कुछ हमने समझौता किया है राजस्थान की विधान सभा उस समझौते का अनुमोदन नहीं करती है। आज हमें अनावश्यक शब्द कहा कि अनावश्यक है। मुख्य मन्त्रीजी ने अपने भाषण में कहा कि मेरी असहमति है। मुख्य मन्त्रीजी के शब्दों का ही हम प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं। आज चाहें शब्दों में लिखित रूप से हम प्रस्ताव पास नहीं करें लेकिन इस सदन का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अनुमोदन इस समझौते को नहीं है। और समझौते में भी खास कर उस बिन्दु में, जिसमें धारा 9.1 में राजस्थान को शामिल किया गया है, मेरा ऐसा विश्वास है कि सदन का कोई माननीय सदस्य उसके पक्ष में नहीं है, न उससे सहमत है। बल्कि मैं यह कह सकता हूं हर व्यक्ति, हर माननीय सदस्य की असहमति है।

एक माननीय सदस्य : सिवाय सिचाई मंत्री के।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सिंचाई मंत्रीजी की भी असहमति है। कोई भी सदन का सदस्य जिसमें सिंचाई मंत्रीजी भी शामिल है, मैं भी शामिल हूं आप भी शामिल हैं, सदन का कोई सदस्य ऐसा नहीं हो सकता कि इस समझौते की धारा 9.1 में जो राजस्थान को शामिल किया गया है उससे अपनी सहमति व्यक्त करें, सब उससे असहमत हैं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी आपत्ति की बात जो मैंने पहले भी कहा है, और अब भी कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने राजस्थान सरकार के अधिकारों के ऊपर एक प्रकार से एनक्रोचमेंट किया है। एक तरफ भारत सरकार ने सरकारिया कमीशन नियुक्त किया है कि राज्य और केन्द्र के बीच में किस प्रकार के सम्बन्ध रहें, एक दूसरे के अधिकार पर किस प्रकार से एनक्रोचमेंट को रोका जाय। उधर सरकारिया कमीशन की बात चल रही है और दूसरी तरफ डायरेक्ट हिट किया हमारे इनट्रेस्ट पर। यह डायरेक्ट एनक्रोचमेंट, ऐसा एनक्रोचमेंट मैं समझता हूं आज तक हिन्दुस्तान के इतिहास में किसी राज्य के साथ हुआ हो इस प्रकार का कोई उदाहरण नहीं है। और यह सरकार का जो इन डायरेक्ट इन्टरफियरेंस और हमारे हितों पर कुठाराघात करने के लिये एनक्रोचमेंट हैं अध्यक्ष महोदय, आखिर हमने संविधान बनाया है, संविधान में स्टेट और केन्द्र के हमने अधिकार सुरक्षित किये हैं उनके कार्य के क्षेत्र हमने निर्धारित किया है, कार्य क्षेत्र में और संविधान में, कार्य क्षेत्र जो निर्धारित किया है, जो हमने एक दूसरे की सीमाएं बांधी हैं, एक दूसरे का अधिकार क्षेत्र रखा है उसमें कहीं भारत सरकार को अधिकार नहीं है कि बिना राजस्थान की अनुमति के वह इस प्रकार का कोई समझौता करें जिस समझौते से राजस्थान के हितों पर कुठाराघात हो। मैं ऐसा समझता हूं, जैसा मुख्य मन्त्री जी ने आश्वासन दिया, कल भारत सरकार क्या कहेगी, मैं कह नहीं सकता लेकिन आज मुख्य मन्त्रीजी ने यह कहा कि उनकी कोई सहमति नहीं है, मैं मुख्य मन्त्रीजी की बात का विश्वास करके चलता हूं कि उन्होंने कोई सहमति नहीं दी होगी। और जब कोई सहमति नहीं है तो संविधान हो, चाहे कोई कानून हो भारत सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि राजस्थान के सम्बन्ध में वह कोई समझौता कर ले। किसी भी कानून में और संविधान में उसको अधिकार नहीं है। और जब अधिकार नहीं है तो उन्होंने समझौता किस आधार पर किया। मैं इस आधार पर चल रहा हूं कि बिना अधिकृत हुए भारत सरकार कोई समझौता नहीं कर सकती। समझौते के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

केवल दो हो अधिकार हैं, एक कान्स्टीट्यूशन में है, एक इन्टर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट 1956 में हैं। दो के अलावा भारत सरकार को कहीं अधिकार नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि न राजस्थान सरकार ने इस डिस्प्यूट को रेफर किया, न पंजाब की सरकार ने इस डिस्प्यूट को रेफर किया, न हरियाणा की सरकार ने इस डिस्प्यूट को रेफर किया। रेफर किया होगा अकाली दल ने जो कान्स्टीट्यूशन से कवर नहीं है, जो इन्टर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट में कवर नहीं है। अगर इन पर भी कोई समझौता करना था, भारत सरकार को कोई ट्रिब्यूनल नियुक्त करना था तो उन अधिकारों के अन्तर्गत ही भारत सरकार कर सकती थी। भारत सरकार ने कोई अधिकार न होते हुए इस प्रकार का समझौता किया है, जो राजस्थान के हितों के विपरीत है। हमारा यह प्रोटेस्ट दिखाने के लिये भारत सरकार ने जो कुछ किया है राजस्थान सरकार उसको जो स्वीकार करने की स्थिति में मजबूरन पहुंचा दी गई है हम इसके विरोध में सदन का त्याग कर रहे हैं, सदन से वाक आउट कर रहे हैं। मैं, मुख्य मन्त्रीजी, आपको इतना ही कह देना चाहता हूं कि आप दिल्ली जाओ तो इस आश्वासन और इस विश्वास के साथ जाओ कि राजस्थान के हितों के लिये हम आपके साथ हैं, लेकिन इस चेतावनी के साथ भी जाओ कि राजस्थान के हितों का बलिदान कर दिया तो, मुख्य मन्त्रीजी, पंजाब में आपने आज आग बुझायी है, राजस्थान में अपने हाथों से आग लगाने की तैयारी करेंगे। इस बात को अच्छी तरह से सोच समझ कर जायें। यह कुर्सी का मोह नहीं है, यह कोई पद का मोह नहीं है, यह राजस्थान की साढ़े तीन करोड़ जनता के हितों का मोह है। आपकी भी इसमें परीक्षा है। आप केवल यह आश्वासन लेकर आ जायें कि मुझे प्रधान मन्त्रीजी ने कह दिया, 1955 का एग्रीमेंट रिओपन नहीं होगा, इस आश्वासन का कोई महत्व नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसलिये महत्व नहीं है कि एग्रीमेंट जो आज किया है it will be a part of terms of reference.

वह टर्म्स आफ रेफरेंस का एक पार्ट होता है। भारत सरकार नोटिफिकेशन इश्यू करेगी और यही एग्रीमेंट टर्म्स आफ रेफरेंस बनेंगे। टर्म्स आफ रेफरेंस बनने के बाद आप चाहें प्रधान मन्त्री की चिट्ठी लेकर आ जायें, वह चिट्ठी में यह भी लिख दें कि 1955 का एग्रीमेंट रिओपन नहीं होगा, वह ट्रिब्यूनल उसका कान्सीजस ले या नहीं लें, यह ट्रिब्यूनल के हाथ की बात होगी। इसलिये केवल प्रधान मन्त्री का आश्वासन मिल गया, प्रधान मन्त्री का वायरलैस मैसेज आ गया, प्रधान मन्त्री ने मुझे एश्योर कर दिया, प्रधान मन्त्री ने मुझे लिख कर दे दिया, इससे काम नहीं चलेगा। और यदि इसी पर आप एग्री करके आ गये तो मुझे यह कहने में संकोच नहीं होगा कि या तो आप कमजोर हैं या आपने सहमति दे दी। दोनों में से एक प्रश्न निश्चित रूप से होगा। और यदि इस आधार पर आप राजस्थान की विधान सभा की भावनाओं को लेकर

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

गये कि पार्ट 9.1 में जो राजस्थान का नाम इन्क्लूड कर दिया गया है उस राजस्थान को हटा कर आओ, हम आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके लिये प्रशंसा में प्रस्ताव पास करेंगे। और हटा कर नहीं आये और प्रधान मन्त्री की चिट्ठी लेकर आ गये तो राजस्थान की भावनाओं के विपरीत आप राजस्थान के हितों को बलिदान करने की नीयत से गये और नीयत से ही वापस आये, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। अन्त में, अध्यक्ष महोदय, ज्यादा नहीं कहते हुए मैं नहीं चाहता कि यह सारा एटमास्फीयर आज ही इस सम्बन्ध में आ जाय, मुख्य मन्त्री जी कल वापस आ रहे हैं यदि कल तक हमें इस सम्बध में कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला तो विधान सभा तो जायेगी नहीं, हो सकता है कांग्रेस के सदस्य विधान सभा से भाग जायें लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूं भाग कर राजस्थान से बाहर जाने वाले नहीं हैं, हम राजस्थान में ही हैं, राजस्थान की जनता भी यहीं है, बाहर जायेंगे तो वहां निपटेंगे और सदन में रहेंगे तो सदन में निपटेंगे। इस आधार के ऊपर मैं आपको तो यह विश्वास देता हूं कि आप राजस्थान की विधान सभा के माध्यम से साढ़े तीन करोड़ राजस्थान की जनता की भावनाओं को ले जाकर प्रधान मन्त्री को कह दें कि इस समझौते के प्रति सब लोगों ने असहमति व्यक्त की है, राजस्थान का नाम हटाओ। बाकी का किसी प्रकार का एग्रीमेंट, किसी प्रकार का लेटर, किसी प्रकार के एश्योरेंस काम करने वाले नहीं हैं। और भारत सरकार ने जो हमारे हितों पर कुठाराघात करने के लिये, हमारी स्वायतता पर जो एनक्रोचमेंट किया है उस एनक्रोचमेंट के प्रोटेस्ट के अन्दर मैं सारे विपक्ष से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रश्न के ऊपर सोलीडेरिटी शो करने के लिये इस सदन से वाक आऊट करें और भारत सरकार और राजस्थान सरकार को बता दें कि इस प्रकार का समझौता राजस्थान में नहीं चलेगा।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का बहिर्गमन)

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगा था कि माननीय सदस्यगण पानी के प्रश्न पर राजनीति नहीं लायेंगे मगर मुझे यह लगा, मेरा यह विश्वास पक्का हो गया कि कुछ लोग राष्ट्रीय हितों की बात नहीं सोच करके और केवल दलीय हितों की बात सोचते है। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि मैंने सवेरे भी कहा था, अब भी कहना चाहता हूं —

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नत्थी सिंह : व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री नत्थी सिंह : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हम तो यह

(श्री नत्थीसिंह)

चाहते थे कि जो समझौता करके इसलिये गये थे कि प्रस्ताव लायेंगे....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने कह दिया....

श्री नत्थीसिंह : लेकिन मुख्य मन्त्री महोदय जिस तरह से इसको राजनैतिक रूप दे रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री नत्थीसिंह : यह बहुत गलत रूप है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर । माननीय सदस्य । व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, माननीय सदस्य । रूल्ड आउट ।

श्री नत्थीसिंह : इसमें राजनीतिक प्रश्न नहीं । हम तो चाहते हैं प्रस्ताव लायें....

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज । व्यवस्था का प्रश्न मैं रूल आउट करता हूं । कृपया बैठें ।

श्री नत्थी सिंह : इन भावनाओं पर लेकिन यह तो इसको राजनैतिक रूप देना चाहते हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आॅर्डर प्लीज । आर्डर माननीय सदस्य ।

श्री शोपतसिंह : मुख्य मन्त्री को कुछ कहना है तो पहले हमारी भावनाओं को, हमारी बात को सुनें । लेकिन वह तो यह नहीं चाहेंगे....

(व्यवधान)

यह दोनों बातें नहीं चलेंगी ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य । आप कहना चाहते हैं ?

श्री शोपतसिंह : हम चाहते हैं, सवेरे कहा गया कि....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आप कहते हैं तो मुख्य मन्त्रीजी को कहने का हक तो है । आप अपनी बात कह गये ।

श्री शोपत सिंह : हम सवेरे से कह रहे हैं । मुख्य मन्त्री के बाद हम बोलेंगे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । कृपया बैठें । माननीय सदस्य । बैठें कृपया ।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) अध्यक्ष महोदय, मैंने सवेरे निवेदन किया था....

श्री शोपत सिंह : मुख्य मन्त्री उसके बाद में बोलें, हमारी बात सुनने के बाद बोलें ।

श्री अध्यक्ष : नाथूरामजी मिर्धा कुछ कहना चाहते हैं क्या ? आप कह दीजिये । नाथूराम जी साहब ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । आर्डर, माननीय सदस्या । आर्डर प्लीज । नाथूरामजी बोल रहे हैं....

श्री नाथूराम मिर्धा (मेड़ता) : माननीय अध्यक्षजी, मुख्य मन्त्रीजी ने अभी जो कहा कि इसमें राजनीति लायी जा रही है—

श्री हरिदेव जोशी : मैं आगे साफ कर दूं इसको....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री हरिदेव जोशी : मेरी बात को सुनते तो आपको पता लगता कि दरअसल में राजनीति लायी गयी है।

श्री शोपत सिंह : आप यह बाद में करें राजनीति की बात....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, कृपया बैठें, कृपया बैठें।

एक माननीय सदस्य : जिस मामले में इन्तजार कर रहे थे बात तो सुबह से हो रही है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था....

श्री शोपतसिंह : मुख्य मन्त्रीजी को जो बात कहनी है अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी को बाद में कहनी चाहिये। हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। नाथूरामजी बोल रहे हैं। आप बैठें कृपया बैठें। आर्डर प्लीज....

श्री शोपतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले विपक्ष के नेता खड़े हैं, उनकी बात सुनें—

श्री अध्यक्ष : आप बैठें। दोनों की आपसी बात थी आप क्यों बीच में उठ गये। नाथूराम जी साहब की और मुख्य मन्त्री की आपसी बात थी वह तो....

(व्यवधान)

कृपया बैठ। आर्डर प्लीज।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष जी, राजनीति को इस मामले में लाने का कतई इरादा तो था नहीं और अब आप अगर राजनीति में लाना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। मैं तो यही निवेदन कर रहा था कि आपने जितना सुबह जो कुछ कहा आपने टैलेक्स पढ़ कर हमको सुनाया, आपने हमको यह बताया कि आपका इस मामले में पहले कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, जो हवाई जहाज के मैदान पर हुआ उतना हुआ। उसके बाद आपने सोचा कि भई इस सदन की तरफ से बैठकर कोई ऐसा प्रस्ताव बनावें जिसके जरिये आप दिल्ली जो जा रहे हैं तो आपको ताकत मिले और इस पूरे सदन की ताकत मिले। वैसे भी आपने कोशिश की और वह कोशिश करते करते अपने इस प्रस्ताव को ड्राफ्ट करने में कामयाब नहीं हुए। अब वह कामयाब नहीं हुए। अब उसके बारे में मैं कुछ जिक्र नहीं करूंगा यहां पर जितना जो कुछ आपने कहा उसके प्रस्ताव में हम ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना चाहते थे। वह बिल्कुल सही बात है कि आपने जो फर्माया इतने को ही हम इंडोर्स करना चाहते थे और वही

(श्री नाथूराम मिर्धा)

प्रस्ताव आपको हाथ में देकर घोषणा चाहते थे। अब इसमें कुछ प्रश्न यह जुड़ गया कि इसका क्या औचित्य था देखने में क्या है, इसकी बातें जुड़ने से सब लोगों की इसमें सहमति नहीं हो पायी पर इसमें बहुत राजनीति नहीं है। सवाल यह है कि राजस्थान के लिये आनेवाली कई पीढ़ियों का सवाल है और कई पीढ़ियों के सवाल में अगर पानी के चेप्टर ओपन करने की गुंजाइश विधान के नीचे, इस धारा 9.1 के प्रावधान के नीचे जुड़ जाती है और उसको अगर आप किसी तरह का विश्वास देकर किसी तरह की बात को कामयाब यहां पर नहीं करवा सकेंगे और जिसका विश्वास हम सबको नहीं हो राजस्थान के लोगों को नहीं हो तो यह बात तो राजस्थान के बहुत ही अहित में होगी और वह फैसला चाहें यहां बैठ करके आयें चाहें वहां जाकर करके आये उससे बड़ा भारी नुकसान होगा और एक जगह की कुछ आग बुझेगी तो दूसरी जगह आग लगेगी। इसमें कोई शक नहीं है। मुझे विश्वास है कि राजस्थान के लोग इतना लो-लाइन इस चीज को नहीं लेंगे कि राजस्थान नहर के पानी के चेप्टर को जो कभी मिला उसको अब वापिस खोला जाय अब इसके बारे में आप हमको विश्वास दिलायें, उनसे जाकर बात करें व हमको कैसे विश्वास दिलायें यह सवाल कई जगह कानून में भी अड़ जाता है और कानूनी बात विपक्ष के नेता ने कही है कि भारत सरकार को हमको बिना पूछे हमारी कोई चीजों के ऊपर आपकी सहमति लिये बिना कोई काम करने का अधिकार नहीं है और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि आपको इसके पहले नहीं पूछा गया और इसके बाद में पूछा नहीं बाद में जब पता लगा तो आपने असहमति भी बता दी। अब वह असहमति हम भी कहना चाहते थे आपके साथ में प्रस्ताव के रूप में, पर वह दुर्भाग्य से नहीं होने पा रहा है। अब आप जरूर जायेंगे और इस बात को वहां पर कहेंगे, अब उसका क्या हश्र होगा और क्या इन सारी चीजों का परिणाम निकलेगा। वह तो ज्यों ज्यों आगे वक्त आयेगा उसी तरह से मालूम पड़ेगा, पर यह मामला राजस्थान के लोगों के लिये और हम सब के लिये बहुत ही हीनता का है। अपने प्रतिनिधि बहुत बैठे हैं वहां दिल्ली में, पार्लियामेंट में, 5 तो मन्त्री हैं। इतने लोग वहां बैठे हैं उनको पता भी नहीं लगा या पता लगा तो अपने को कुछ बताया नहीं। कम से कम धारा 9.1 में जो लिखा रहे थे और जहां राजस्थान का नाम जोड़ा जा रहा था, उनको भी कोई ज्ञान होता या वह अपने को बताते तो यह झगड़ा ही खड़ा नहीं होता। अगर धारा 9 की नहीं आती तो अपने राजस्थान में इस फैसले से क्या तकलीफ थी। हिन्दुस्तान के अन्दर जो कुछ भी हुआ, एक बुझती हुई आग बन्द हो जाती। अब किसी को और उज्र होगा तो लोग करेंगे, पर अपने को इसमें इस तरह से जोड़ा गया है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही इसके अन्दर कानूनी इम्प्ली-केशन भी हैं और कानूनी राइट्स में राजस्थान के हकों का मारा जाना राजस्थान की पढ़ियों के हकों को मारा जाना, इसको राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अब इस मामले में सब मिलकर अगर साथ

(श्री नाथूराम मिर्धा)

लड़ाई लड़ते तो ज्यादा तगड़ी लड़ाई बनती। अब आगे कैसे लड़ेंगे, क्या होगा, वह तो आगे की, भविष्य की बात है पर मैं सोचता हूं यह मामला बड़ा गंभीर है और इस मामले को राजनीति में जोड़ने का हमारा कोई मतलब नहीं था, पर प्रोटेस्ट हमारा यहां जरूर है कि हम इस मामले को लाइटली नहीं लेना चाहते और दुनियां को भी यह दिखाना चाहते हैं कि भारत सरकार ने इस काम को बहुत ही गलत तरीके से किया जिसकी कुल मिलाकर आप थोड़ी तारीफ से बात कहते थे अगर राजस्थान का यह हित नहीं होता तो मैं भी शायद तारीफ कर देता कि भई देश की एक ज्वलंत समस्या को उन्होंने जोड़ दिया। इसलिये हित इसी में आ रहा है कि एक तरफ तो हमारे सारे हितों को कर दिया खत्म और दूसरी तरफ हम कहें कि उन्होंने किया बहुत अच्छा काम। उन्होंने हमारी कॉस्ट के ऊपर पंजाब को तो राजी कर लिया या पंजाब के नेताओं को राजी, कर लिया या अकाली दल वालों को राजी कर लिया पर अकाली दल के लोगों को राजी करने से राजस्थान के सारे लोगों का अगर बड़ा भारी अहित होता है तो उसके पार्टनर तो हम कैसे बनें, हरिदेव साहब, यह आप सोचिये। यह सबसे बड़ा गम्भीर प्रश्न है इसलिये हमारी नाराजगी इतनी है कि उन्होंने आपको और हमको बिना पूछे धारा 9.1 के अन्दर जोड़ करके जो उन्होंने कुछ खूबसूरत काम कर रहे थे उस चीज की सारी खूबसूरती को मटियामेट कर दिया। इसलिये हम इसकी तारीफ नहीं कर सकते समझौते की। इसलिये समझौते की तारीफ नहीं कर सकते हैं और आज वह प्रस्ताव आ नहीं सका दुर्भाग्य से इसलिये फिर सिवाय इतनी सी नाराजगी के बाहर तो हम भी चले जायेंगे, इसमें तो क्या तकलीफ है।

(श्री नाथूराम मिर्धा का सदन से वाक आउट)

श्री केदारनाथ शर्मा : मेरा केवल इतना ही सबमिशन है, अकाली पार्टी का जो मैन मकसद था—

(व्यवधान)

श्री नवरंग सिंह : धारा 2 वापस लो। धारा। वापस लो—

(व्यवधान)

श्री केदारनाथ शर्मा : रावी-व्यास के बारे में जो बेसिक एग्रीमेंट 1955 में हुआ था अकाली पार्टी शुरू से ही उसको री-ओपन करना चाहती थी। नम्बर एक। दूसरा उसका मकसद यह था कि हैड वर्क्स पर पंजाब का एक्सक्लुसिव कंट्रोल रहे हमेशा के लिये, नम्बर दो। यह सब कुछ रिजोलूशन में भी है। नम्बर तीन, 1966 में जब पंजाब हरियाणा डिवीजन हुआ बटवारा हुआ उस वक्त जो असेट्स का डिवीजन था 60:40 के रेशियों में वे यह चाहते थे कि वही रेशियो रहे बिजली के डिवीजन में पानी के डिवीजन में, माननीय अध्यक्षजी, अकाली पार्टी अपने इस मकसद में पूरी हुई। सबसे बड़ी वेनिफिशियरी इसके अकाली पार्टी निकली, एग्रीमेंट उनके हक में हुआ, जो माननीय मुख्य मन्त्री महोदय

(142)

(श्री केदारनाथ शर्मा)

ने सुबह अपने टैलेक्स में भाषा इस्तेमाल करी और जो विचार इस्तेमाल किये हम उनकी तारीफ करते हैं। उसका पहला पार्ट जो राजस्थान सरकार का नाम धारा 9.1 में जो इस्तेमाल किया गया, जोड़ा गया उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है नम्बर एक। हम इस बात को मानते है जो कट ग्राफ डेट की है 1-7-85 हमें मालूम नहीं कहां से आ गयी यह कट ग्राफ डेट, 1-7-85 से पहले जो पानी लेते रहे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के काश्तकार उस पानी में कमी नहीं आयेगी। दूसरी बात आपने यह कही जो एक डिजाइन चलता रहा कुछ पार्टीज का कि राजस्थान का फ्लोका वाटर नहीं है, कोई न कोई बाधा पड़ती रही, हम आपकी बात से सहमत है। तीसरा आपने यह कहा कि हैड वर्क्स का जो सारा कंट्रोल है वह भाखरा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड को मिले, हम आपकी बात से सहमत है। चौथी बात आपने कही टैलेक्स के जरिये से कि आज तक जो एग्रीमेंट हुए है 1955 का, 1981 का उसके अलावा जो नोटिफिकेशन हुए हैं पानी के हिस्से के बंटवारे के बारे में, हम उन सब बातों को मानते है, कोई री-ओपन नहीं किया जाय। हम इन चारों बातों को मानते हैं लेकिन इन-प्रिंसिपल जो भाषा के बारे में डिफरेंस पैदा हो गया है इसलिये अपना और अपनी पार्टी का प्रोटेस्ट करते हुए राजस्थान के हित में ही नहीं आइन्दा राजस्थान इससे कभी खुशहाली के रास्ता कभी आयेगा नहीं, हमेशा पावर्टी लाईन पर स्टेट रहेगी, डिफिसिट स्टेट रहेगी। राजस्थान में ऐसे आपने हालात पैदा कर दियें जो तीन साल पहले पंजाब में पैदा हुए, जो सारे हमारे एग्रीमेंट है उससे एक आंदोलन खड़ा होगा। उससे राजस्थान को बचाने की हम कोशिश करेंगे। यही शब्द कहते हुए हम वाक आउट करते है।

(जनता पार्टी के सदस्यों का बहिर्गमन)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : इसका नतीजा भुगतान पड़ेगा, इसके नतीजे भुगतेंगे, आप।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो कल फैसला हुआ और अभी जो मुख्य मंत्रीजी कह रहे थे कि दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाकर आप कौन सा तीर मार आओगे, फैसला हो चुका, फैसले से पहले आपको पूछा नहीं। फैसले के सवाल पर पूछना चाहता हूं कि आखिरकार मुख्य मंत्रीजी, इतनी जल्दी क्या थी। देश के प्रधान मंत्री को राजस्थान के हितों के साथ इस तरह का सौदा करने की कौन सी जल्दी पड़ी थी। अगर यह फैसला दो दिन बाद में हो जाता, अगर यह फैसला चार दिन बाद में हो जाता तो कोई पंजाब में और इस देश के ऊपर गाज नहीं गिरने वाली थी। कोई गाज नहीं गिरने वाली थी। इस देश के ऊपर। इस देश को तुमने तीन साल तक रौंदा, प्रदेश को, जिस प्रदेश की तबाह करी आपकी नीतियों ने, अगर आप एक हफ्ते

(श्री शोपतसिंह)

और ठहर जाते, हमारे राजस्थान को इस बात पर पूछते कि आपको कोई एतराज है क्या ? जिस तरह से आपने × × × फैसला किया और दस्तखत करने के बाद में वहाँ के मंत्री आपके हवाई जहाज पर आये....

(6.00 सायं)

कौन सा किला जीत रहे थे, कौन सी स्ट्रेटेजी थी, समझ में नहीं आ रही। आप कोई हमला बोल रहे थे कहीं, आपको ये आकर फतह कर रहे थे ? आप ठीक ठण्डे दिमाग से, सारा का सारा दिवाला निकल चुका है हमारे नेताओं का हमारे केन्द्र के अन्दर जो नेता बैठे हैं इ‌न्फीरिओरिटी कॉम्प्लैक्स उन लोगों के अन्दर, इस का कॉन्फिडेंन्स नहीं है कि हम एक देश की प्रॉब्लम को हल करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी समस्या थी उस समस्या के बारे में अगर विरोधी पार्टी के लोगों से और राजस्थान से भी....

श्री अध्यक्ष : आप सवेरे बोल चुके हैं।

श्री शोपतसिंह : नहीं, अध्यक्ष महोदय। मैं एक सवाल पूछता हूं कौन सी ऐसी जल्दी थी, कौन से ऐसे कारण थे जो यह एक जुलाई की तारीख क्यों तय की गयी। यह 9.1 का जो क्लाज है वह क्यों जोड़ा गया, कौन सी जरूरत थी ? माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से उन्होंने, केन्द्र सरकार ने, अकालीज़ ने, अकाली जानते हैं कि किन शर्तों को हम लिखें, कौन सी ऐसी शर्तों का हम फैसला करें। यह सारा का सारा फैसला इस देश के प्रधान मन्त्री राजीव गांधी ने नहीं किया है यह अकाली पार्टी ने किया है और उनके कुछ लोगों ने किया है। यह हाथ में खेल गये उन्हीं लोगों के। आज आप अकाली पार्टी को शान्त करके, अकाली पार्टी को विन ओवर करके आप इस देश में हुकूमत और राजस्थान में हुकूमत करना चाहते हैं यह आपकी कम फहमी होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि राजस्थान के लोग भूखे नहीं रहेंगे, सड़ सड़ के नहीं मरेंगे, लड़ कर मरेंगे।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट बोलना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहेंगे ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं जो भी विरोधी दल हैं उनसे काफी अलग-थलग हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल छंगाणी : खास तौर से, अध्यक्ष महोदय, वाक आउट करना या नहीं करना, किस तरह से करना इसमें मेरी अलग राय है। पर आज मैं जरूर मेरे पुराने साथी यहां बैठें हैं उनको दो शब्द अवश्य कहना चाहूंगा। आज जिस तरह की राजनीति शुरू हुई है और जो राजनीति निर्णायक होती हैं कोई डिसीजन में, उस राजनीति से मेरी नाइत्तफाकी है। आज

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मोहन छंगाणी)

फेडरल स्ट्रक्चर में जिस तरह से राजस्थान के हितों को रीप्रजेण्ट करना चाहिए जिस तरह से राजस्थान के हितों की लड़ाई होनी चाहिए वह लड़ाई हो नहीं पाती और राजस्थान जब भी किसी एग्रीमैण्ट में, जब भी किसी अपने हक के लिए लड़ाई करता है तो राजस्थान को ही झुकना पड़ता है, यह बहुत बड़ी शर्म की बात है, अध्यक्ष महोदय। आज मेरे पुरानी साथी शिवचरण जी और पहाड़ियाजी भाग्य से यहीं मौजूद हैं। यह क्या बात है कि जब शिवचरणजी एग्रीमैण्ट करने गये तो शिवचरणजी, यह सोचना सरासर सही है कि जब सरप्लस वाटर जो अपने यहां काम में नहीं आता है तो अगर देश के दूसरे हिस्से में उपयोग उसका हो जाय तो इसमें कोई एतराज की बात नहीं है। पर सवाल यह है कि यह जो शिवचरणजी जब एग्रीमैण्ट करने गये उस समय मुख्य मन्त्री थे, उनको कम से कम सोचना चाहिए कि राजस्थान का थोड़ा भी हिस्सा कोई स्टेट लेना चाहे तो हम स्टेट को हिस्सा नहीं दे सकते। मैं आज शिवचरणजी से, यहां मौजूद हैं, आदरणीय शिवचरणजी से यह पूछना चाहूंगा कि आज जो इन्होंने सरप्लस वाटर का हिस्सा दूसरे राज्यों में दिया है हरियाणा और पंजाब में वह क्या वापस ला सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की राजनीति जिस तरह से की जाय, तो अपने अपने हिसाब से की जाती है पर अगर राजस्थान के हिस्से को उस राजनीतिक तरीकों से नुकसान होता है तो उस राजनीति को निश्चित रूप से छोड़ना पड़ेगा। आज वैसा का वैसा, अध्यक्ष महोदय, समय आ गया है जबकि सेन्टर की फोर्सेज जिसे अपनी हिस्ट्री में सैन्ट्रिफीशियल फोर्सेज कहते हैं वह इतनी मजबूत हो गयी है कि अगर हम उसके साथ किसी तरह की नयी राजनीति को उत्पन्न नहीं किया जाय तो जिस कमजोर राजनीति में हमारा देश गुजर रहा है, प्रदेश गुजर रहा है उसमें हमारे हितों पर हमेशा कुठाराघात होगा और हम अपने हितों की रक्षा नहीं कर पायेंगे। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आज जब हमने रिजोल्यूशन की बात कही तो मैं उस रिजोल्यूशन को पास करवाने के फेवर में था। यह भी बात पक्की है कि वह रिजाल्यूशन करीब करीब बन चुका था और करीब करीब बन चुकने के बाद यह कहना कि राजस्थान की विधान सभा इस 9.1 का जो एग्रीमैण्ट का पार्ट है उससे असहमत है। या राजस्थान को बताया गया है वह निरर्थक है। इन दो-तीन शब्दों के ऊपर वह जो बात चल रही थी वह बात टूट गयी, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि हम यह मान कर चलते हैं, मैं निश्चित तौर से मान कर चलता हूं कि उस रिजोल्यूशन के बाद मुख्य मन्त्री जी जरूर, अच्छे मजबूत राजनीतिज्ञ हैं, पर इसके बाद भी अगर सदन का उनको साथ होता, अगर राजस्थान का प्रदेश सारा सदन एकरूप होकर व्यक्त करता तो, मुख्य मन्त्रीजी, जब बात करते तो उस बात में ज्यादा दम-खम होता और राजस्थान के हितों की रक्षा करने में ज्यादा मजबूत होते, यह मेरी मान्यता थी। सदन में हम रिजोल्यूशन पास करें, पार्टी भेदभाव रहित जाति-पाती के रहित, यह

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

राजस्थान का सबसे प्रमुख, सबसे मुख्य राजस्थान के हितों को उद्घोषित करने वाला यह इन्स्टीट्यूशन है। जब यहां का सर्वसम्मति से रिजोल्यूशन होता तो निश्चित तौर से जो भी मुख्य मन्त्री हैं जो भी राज्य सरकार है उसको शक्ति मिलती और उस हिसाब से सेन्टर जो आज सबसे मजबूत हो रहा है उसके साथ राजस्थान के हितों की बराबरी के साथ बात करने में इनको शक्ति मिलती और इनको साहस मिलता। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता था कि वाक आउट करना या नहीं करना, यह बड़ी बात नहीं है। वाक आउट नहीं करें या करें, मैं तो यह चाहता था कि आप 4-5 दिन के लिए वाक आउट करो, एक दिन के लिए नहीं, 10 मिनट के लिए नहीं कम से कम 4–5 दिन के लिए, जब तक कोई न कोई फैसला नहीं हो जाय, 9.1 पर राजस्थान के हितों पर कुठाराघात आज हो रहा है इस समझौते के अन्तर्गत, वह जब तक नहीं रोका जाय तब तक किसी आदमी को यहां नहीं बैठना चाहिए। पर अभी यह जो परम्परा है, इस परम्परा के लिए, अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र भाव से कहना चाहता हूं कि कभी वाक आउट करें, कभी वापस आ जायं इस परम्परा का अपने एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमको इस प्रक्रिया में किस तरह से उपयोग करना चाहिए, राजनीति में उस तरह सूझबूझ और जागरूकता से काम लेना चाहिए। इसके पश्चात, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि मुख्य मन्त्रीजी ने जो वक्तव्य दिया वह काफी ठीक दिया है और उसको फिर भी आज इनके वाक आउट के बाद भी उस रिजोल्यूशन को लाने का मुख्य मन्त्रीजी को प्रयत्न करना चाहिये और राजस्थान की एकता का एक तरह से सिम्बल के रूप में इस सदन की जो अभिव्यक्ति है उसमें मदद देनी चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी बात शुरू ही की थी कि माननीय सदस्यों ने एक प्रकार का निर्णय ले कर वाक आउट कर दिया। मैं यह निवेदन कर रहा था कि यहां पर राजस्थान में मुख्य मन्त्री कैसे चुने जाते हैं, किस प्रकार से होता है, कमजोर होते हैं, यह होता है, यह होकर के, पर इसमें राजनीति ला दी गयी, यह कोशिश नहीं की गयी कि इस पाइन्ट के ऊपर बोलें। मैं अपनी बात को फिर दोहराता हूं और कहना, चाहता हूं जो मैंने सवेरे कहा था उसको फिर कहता हूं कि एक ऐसी स्थिति इस देश के सामने आ गयी थी जिसमें सारा देश परेशान था। पंजाब की समस्या का समाधान हो पूरा देश यह चाहता था। सारे राजनीतिक दल मिल करके और यह अपेक्षा करते थे कि बातचीत के जरिये किसी प्रकार से समाधान निकले और राजीव गांधी जी ने, जैसा मैंने सवेरे कहा था, पहल करके और इसकी कोशिश की, मगर उसके पहले दुर्भाग्यवश हमको एक नेता को खोना पड़ा। इन सारे प्रश्नों को लेकर के, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी। अब एक प्रश्न की बात है कि वह खेल खत्म हुआ और एक प्रकार का समझौता हुआ। हम यह आशा करके चलते हैं कि सफल होवें और इसको कामयाब करने की कोशिश करें।

लेकिन इस समझौते के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा पूरे हिन्दुस्तान से जुड़ा हुआ है

(श्री हरिदेव जोशी)

जिसकी हम तारीफ करते हैं और समझते हैं कि देश में शांति हो, देश के अन्दर अलगांववादी शक्तियां जो हैं, अलग अलग पड़ जायं और देश मजबूत होवे, कोई उसे इतना कमजोर न कर सके कि केवल अपने निहित स्वार्थों के लिये यह देश झुक जाये और इस दृष्टि से राजीव गांधीजी ने और संत लोंगोवाल ने यह जो समझौता किया कि हम बातचीत के जरिये इस चीज का हल निकालेंगे, मैं इसे बहुत ही शुभ मानता हूं और यह समझता हूं कि देश के अन्दर लोग नसीहत लेंगे कि हिंसा के जरिये कोई चीज तय नहीं होती, अहिंसा के जरिये और नेगोसियेशन की टेबल के ऊपर होती है। यह एक बहुत बड़ी सफलता होगी....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आॅर्डर प्लीज।

अनेक माननीय सदस्य : हिंसा से ही अब पानी आयेगा।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। आॅर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : इस प्रदेश में भी खून की नदियां बहेंगी।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज, कृपया बैठें।

एक माननीय सदस्य : घुटने टेक रहे हो। बड़ा नेगोसियेशन किया है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, दूसरा पक्ष राजस्थान के पानी विवाद का है। पंजाब के साथ में मेरे ख्याल में राजस्थान का कोई विवाद नहीं है। जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का, जैसा मैंने कहा था, विभाजन हुआ उस समय हिन्दुस्तान की और पाकिस्तान की और से सिंध नदी के पानी के बाबत में फैसला हुआ। सवाल तब पैदा हुआ जब पंजाब के अन्दर भाषायी प्रान्त कायम करने की बात कही और उस भाषायी प्रान्त के मसले को लेकर आज के पंजाब, हिमाचल और हरियाणा के रूप में नये राज्य सामने आये, तब उसके पहले जो पानी था उसका विभाजन स्वीकार किया जा चुका था और राजस्थान एक पार्टी था और संयुक्त पंजाब उस समय का एक पार्टी था। मैं कहना चाहता हूं और अब भी यह मानता हूं कि राजस्थान को जो हिस्सा मिल चुका था उसके अन्दर किसी को विवाद नहीं करना चाहिये, पंजाब को विवाद नहीं करना चाहिये। दूसरों को विवाद नहीं करना चाहिये। जैसा मैंने सवेरे कहा था। विवाद अगर कहीं था तो हरियाणा—

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : विवाद अगर कहीं था तो हरियाणा और पंजाब के बीच में था। राजस्थान और पंजाब के बीच में, हरियाणा और पंजाब के बीच में, हिमाचल और पंजाब के बीच में नहीं था। और इसलिये हमको निश्चित रूप से अगर हमारे इस प्रश्न को खोला जाता है तो तकलीफ होगी और मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान

(श्री हरिदेव जोशी)

के हितों को चोट पहुंचेगी। इसलिये हमने अपनी ओर से बहुत सा कर दिया है कि हम इसको पसंद नहीं करते। स्वीकार नहीं करते। मैं ऐसा विश्वास करके चलता हूं और मुझे बार-बार यह विश्वास दिलाया गया है देश के नेतृत्व की ओर से कि राजस्थान के हितों की उपेक्षा नहीं की जायेगी। किसी भी हालत के अन्दर राजस्थान को नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा।

अब मैंने माननीय सदस्यों से कहा कि अपनी ओर से क्योंकि यह लीगल टर्मीनोलोजी है इसका इन्टरप्रिटेशन किस प्रकार कैसे होये, इसके लिये जो भी, मैं सिर्फ नहीं गया इसके सिवाय जिनको मैं भेज सकता था उनको मैंने भेजा। चीफ सेक्रेटरी दिल्ली गये, इर्रीगेशन सेक्रेटरी दिल्ली गये और इर्रीगेशन डिपार्टमेण्ट के जो लोग दिल्ली जाकर के, दूसरी जगह जा करके जो कुछ भी इसका समाधान कर सकते थे, ढूंढ सकते थे ढूंढने की कोशिश की और मैं खुद भी अपने आपको संतुष्ट करना चाहता था इसलिये मैंने माननीय सदस्यों से निवेदन किया कि आप जल्दी से समाधान करके मुझे वो करने की कोशिश कीजिये। मैं यहां पर सर्व सम्मत प्रस्ताव की बात भी कहना चाहता हूं। मैंने जो कहना कुछ भी कहा उससे अधिक कुछ चाहते हैं। आप कांग्रेस पार्टी से क्या अपेक्षा करना चाहते हैं? मैंने यह कहा था कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसमें मेरी कैबिनेट और मेरी पार्टी मेरे साथ में है और अब भी मैं कहना चाहता हूं कि यह पार्टी साथ में है। आपका सहयोग चाहिये। यह मैंने अपेक्षा की थी। सर्व-सम्मत प्रस्ताव नहीं आ सका, इसका मुझे भी खेद है, आपको भी खेद है। अब मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे मन में आज भी, अभी भी और इस क्षण भी यह विश्वास है कि भारत का नेतृत्व कभी राजस्थान के साथ नुकसान नहीं करेगा और राजस्थान के हित निश्चित रूप से सुदृढ़ रहेंगे उनके हाथों में, इस विश्वास के साथ मैं जो कुछ भी आपने कहा है उसका मैं, जो बात आपने यहां कही है अगर आप मेरे पर विश्वास करें तो मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सदन की भावनाओं को मैं देश के नेताओं के सामने रख करके आपकी बात को मैं वहां तक पहुंचाऊंगा। यही मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। विधायी कार्य। आर्डर प्लीज। आर्डर माननीय सदस्य—

श्री देवीसिंह भाटी : तवज्जोह ही देते तो इससे पहले आपको बुलाते....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री देवीसिंह भाटी : आप भले ही अब दिल्ली जाओ, आपको कोई पूछने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, कृपया बैठें। कृपया सहयोग करें।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिर राजस्थान कैनाल किसके लिए बनायी जा रही है?

श्री अध्यक्ष : आपके लिये। माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पानी इसके अन्दर होगा नहीं, तो क्या फायदा

श्री अध्यक्ष : आपके लिये बैठें।

श्री देवीसिंह भाटी : आज मुख्य मन्त्रीजी यह बात कह रहे हैं कि मैं दिल्ली जा रहा हूं दिल्ली जाकर बात करूंगा—

श्री अध्यक्ष : आप समझ रहे हैं माननीय सदस्य....

श्री देवीसिंह भाटी : अगर आपकी बात को महत्व देते तो इनको पूर्व में बुलाकर सलाह मशविरा करते। वहां आपको कोई नहीं पूछेगा।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें, माननीय सदस्य। आपके नेता कह चुके हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रदेश की जनता के साथ यह धोखा है....

श्री अध्यक्ष : यह तो कह दिया। चर्चा समाप्त कर दी है, मैंने।

श्री देवीसिंह भाटी : एक तरफ तो प्रधान मन्त्रीजी कहते हैं कि हमने पंजाब समस्या को हल कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह जी। चर्चा समाप्त कर दी है मैंने....

श्री देवीसिंह भाटी : परन्तु अब राजस्थान मूल्या के ऊपर राजस्थान की जनता के ऊपर कुठाराघात करके इस प्रकार का यह निर्णय लिया है तो किसी भी हालत में यह प्रदेश शांतिपूर्वक नहीं चल सकता है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें

श्री देवीसिंह भाटी : यह आग लगा रहे हैं। इस को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : हो गयी बात, आप बैठें। कृपया बैठें।

विनियोग (संख्या-4) विधेयक 1985 विचारार्थ लिया जाकर–अग्रेतर विचार....

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक 1985

विधेयक पर विचार

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग विधेयक संख्या-4

श्री अध्यक्ष : एक सैकण्ड। अगर कोई माननीय सदस्य बोलना चाहे तो नहीं तो मैं आगे चलूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, दो तारीख को विधान सभा का अधिवेशन शुरु हुआ था और दो तारीख को ही राज्य सरकार का बजट इस सदन में प्रस्तुत किया गया। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं और आपको भी अनुभव होगा कि विधान सभा में विपक्ष की ओर से या सत्ता पक्ष की ओर से....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । माननीय सदस्य विपक्ष के नेता बोल रहे हैं कृपया बैठें ।

एक माननीय सदस्य : व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : क्या व्यवस्था का प्रश्न आ गया ?

एक माननीय सदस्य : व्यवस्था का प्रश्न यह है, अध्यक्ष महोदय, जिस दिन बजट पेश किया था इस हाउस के अन्दर, उस दिन की स्थिति और आज की स्थिति में बड़ा परिवर्तन हो गया है....

श्री अध्यक्ष : बैठें, माननीय सदस्य ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ।

मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस तरह का केन्द्रीय सरकार ने समझौता किया है उसके हिसाब से हमारा पानी बन्द हो गया है । हमें न तो 50 करोड़ रुपये राजस्थान कैनाल के लिए चाहिए, न सिद्धमुख कैनाल और नोहर फीडर के लिए चाहिए, न हमें किसी लिफ्ट कैनाल के लिए चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

एक माननीय सदस्य : इसलिए सारे के सारे बजट को नये सिरे से पेश करना चाहिए, यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । I. rule it out आपका व्यवस्था का प्रश्न मैंने खारिज किया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, दो तारीख से लेकर अब तक जो विधान सभा में कार्यवाही चली है, मैं यह कह सकता हूं कि बहुमत कांग्रेस पार्टी के साथ होगा लेकिन गुणात्मक दृष्टि से कांग्रेस पार्टी विपक्ष के मुकाबले में बहुत ही कमजोर सिद्ध हुई है । अध्यक्ष महोदय, अगर दो मन्त्री जिनकी मैं औरों के मुकाबले प्रशंसा करूंगा वैसे नहीं हैं, श्रीमती कमला बेनीवाल, श्री गुलाब सिंह शक्तावत इस सदन में नहीं हों तो मुझे यह भी भय है कि कोई व्यक्ति सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकता है, या नहीं....

श्री अध्यक्ष : दो को तो सर्टिफिकेट दे दिया । आपने दो को तो सार्टीफिकेट दे दिया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है, इनमें तुलनात्मक दृष्टि से मैंने उनको सर्टिफिकेट दिया और मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि इस सारे लाट में से अगर दो आदमियों की परफारमेंस असेम्बली में से निकाल दी जाय, मुख्य मंत्री जी आप सही हैं आप सदन में बहुत कम बैठे हैं, जरूरत आपने समझी या नहीं समझी, लेकिन मैं कह सकता हूं आप सदन में बहुत कम बैठे हैं और सारी कार्यवाही इन दो आदमियों ने चलायी है । मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि आपको कहीं भ्रांति न हो जाये और दिल्ली में जाकर आप यह कह दें कि मैं कितना ताकतवर हूं दो आदमियों से ही मैंने सदन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चला लिया है। इस भ्रांति में श्राप कहीं मत चलना, यह तो विपक्ष की शराफत थी, यह हमारा बड़प्पन था....

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : शराफत नहीं शालीनता थी।

(6.20 सायं)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह हमारा बड़प्पन था कि हमने इस बात को स्वीकार किया कि मुख्य मंत्री जी की जगह कोई भी मिनिस्टर जिस समय चाहे विधेयक पेश कर दे, जिस समय चाहे प्रश्न का उत्तर दे दे और मुख्य मंत्री जी की अनुपस्थिति में बाकी कोई भी मंत्री किसी की जगह बोल जाय, हमने इस पर आपति नहीं की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने तो आपत्ति नहीं की लेकिन आपने एक गलत परम्परा डाली और यह गलत परम्परा इस सदन में पहली बार आपने डाली है इसलिये मुझे इस पर घोर आपत्ति है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सभापति महोदया नहीं कहा। कई बार मुझे बिना चश्मे मुगालता भी होता है....

श्री उपाध्यक्ष : कई बार ऐसा कहें तो इधर उधर देख लिया कीजिये।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : चश्मे से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या, मुख्य मंत्रीजी, आपने महसूस नहीं किया, सारे सदन ने महसूस किया, आपकी पार्टी के माननीय सदस्यों ने भी महसूस किया है कि इस सदन में मंत्री जिस प्रकार का उत्तर दे रहे हैं उस उत्तर से न उनको संतोष है और न सदन को संतोष है। मैं एक पर्टीकूलर डिबेट का रेफरेंस देना चाहता हूं। कृषि विभाग पर यहां चर्चा हुई उसका उत्तर दिया श्रीमती कमला बेनीवाल ने, मैं समझता हूं, किसान की बेटी ने अपना दर्द तो बता दिया लेकिन ये विवशता भी जाहिर कर दी कि उनके पास कोई दवा नहीं है। कुछ ऐसी मजबूरियां इस सदन के अन्दर रखीं जिससे लगता है कि सरकार की इच्छा कुछ और है और होता कुछ और है। अब मैं ये तो नहीं कहता कि मंत्रिमंडल में कोई इतना मतभेद है लेकिन सारांश यह निकलता है कि राजस्थान का वर्तमान मंत्रिमंडल अपनी इच्छाओं की पूर्ति नौकरशाही से नहीं करवा सकता। यह एक ऐसा उदाहरण आपने इस सदन में प्रस्तुत किया है, अप्रत्यक्ष रूप में आपने इस बात को स्वीकार किया है। एक मंत्री जवाब दे रहे हैं, वे कहते हैं मैं सरकार....

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : आप किस बात का कैसा इन्टरप्रिटेशन कर रहे हैं। अगर उपलब्धियां मैंने इतनी राज्य सरकार की बतायी और कुछ कमियां करने के बाबत में कि क्या कार्यवाही करना सोचते

(श्रीमती कमला)

हैं वह बतायी तो इसका मतलब यह है कि मजबूरी है, कर नहीं सकते, मतभेद है? यह इन्टरप्रिटेशन कहां से निकाला है? आप मेहरबानी करके सही इन्टरप्रिटेशन निकालें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं कि कमलाजी को आपत्ति होनी ही नहीं चाहिये थी। सबसे पहले मैंने उनकी प्रशंसा की है।

श्रीमती कमला : आपकी प्रशंसा कितनी खतरनाक है यह भी मुझे मालूम है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, अब आप फैसला कर दें, मुख्य मंत्रीजी बार-बार कहते हैं कि विरोधी दल को सहयोग देना चाहिये।

श्रीमती कमला : हां, बहुत सहयोग कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब यदि सहयोग के रूप में किसी की प्रशंसा करूं तो उस पर भी आपत्ति है। अब आप किस बात का हमसे सहयोग चाहते हैं। हम प्रशंसा करें तो नाराज, हम आलोचना करें तो नाराज, तो मेरी समझ में नहीं आता। मैं इसलिये कह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कई बार माननीय सदस्य, विपक्ष के उत्तेजित हुए। प्रश्नों का उत्तर ठीक ढंग से नहीं आया। मंत्रिमण्डल के सदस्य कहें कि मैं राज्य सरकार से निवेदन कर रहा हूं, अब मेरी समझ में नहीं आयी कि कौन सी राज्य सरकार है? मैं जिलाधीश से निवेदन कर रहा हूं, मैं फाइनेंस सैक्रेटरी से निवेदन कर रहा हूं। यह निवेदन करने वाली सरकार मैंने पहली बार देखी है और इस सरकार के नेता के रूप में, मुख्य मंत्रीजी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन मेरे यह समझ में नहीं आता है कि ऐसी सरकार को लेकर आप राजस्थान का विकास कर पायेंगे, राजस्थान की समस्याओं का समाधान कर पायेंगे? मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी सरकार से राजस्थान की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, राजस्थान का विकास नहीं होगा। मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता जो माननीय सदस्यों ने सदन में कही हैं और मैंने भी अपने बजट के भाषण में कही है। मैं यह समझता था कि सत्तारूढ़ दल की ओर से, जो विपक्ष ने सुझाव दिये हैं उन सुझावों पर गहराई से विचार करके कुछ निर्णय लिया जायगा लेकिन मुख्य मंत्रीजी का भाषण, बजट के भाषण में जिस प्रकार का भाषण था मैं ऐसा समझता हूं कि विधान सभा का 1952 से लेकर आज तक का इतिहास निकाल लें, ऐसा मुख्य मंत्री का थोथा भाषण कभी नहीं हुआ। मुख्य मंत्रीजी हमें उपदेश देना चाहते हैं। हम उपदेश लेने के लिये नहीं बैठे हैं। न हम आपको उपदेश देना चाहते हैं और न आपका उपदेश लेना चाहते हैं। आपका और हमारा हित इसमें है कि राजस्थान के विकास की हम चिन्ता करें। लेकिन आप स्वयं अनुमान लगा लें, आप 20 मिनट के अन्दर उपदेश देकर अपने साथियों में यह प्रशंसा करायें कि मैंने जवाब देकर सबको ठंडा कर दिया। जवाब देकर हमको ठंडा नहीं किया। आप इस धोखे में मत

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रहिये। और यदि ठंडा करने का प्रसंग आप चालू रखना चाहें तो हम बता सकते हैं कि आप लोगों को हम कितना गर्म कर सकते हैं। उसमें भी कोई कमी नहीं है। लेकिन आपने कोई जवाब उस समय नहीं दिया और मैं समझता हूं आज भी आपका कोई जवाब नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सामने सबसे बड़ी समस्या है पीने के पानी की। मुख्य मंत्रीजी ने आंकड़े प्रस्तुत किये। मैंने जिस समय श्रीमती कमला बेनीवाल एक प्रश्न का उत्तर दे रही थी या मांग पर बोल रही थीं....

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : कमला बेनीवाल नहीं, श्रीमती कमला हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपको ज्यादा ज्ञान है। अगर मैंने गलती कर दी तो मैं ...

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपको ज्ञान नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें ज्यादा प्रपंच में नहीं पड़ें तो ठीक है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : नहीं वह तो प्रपंच सही बताया आपने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे मुंह से निकल जाय, और यह गलत हो तो मैं क्षमा चाहूंगा उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार नौकरशाही पर कितनी निर्भर है। मैं एक ही तथ्य इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। जिस समय जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के ऊपर चर्चा हो रही थी उस समय मंत्री महोदया ने राजस्थान में कितने गांवों में. समस्या ग्रस्त गांवों में पीने के पानी की समस्या का समाधान हो गया है उसका उल्लेख किया था। मैंने उन्हीं के आंकड़ों के आधार पर इस सदन में यह जानकारी दी थी कि जहां 22,000 गांवों में पीने के पानी के प्रबंध की बात सरकार कहती है, सरकार के स्वयं के आंकड़ों से यह गांव 12 हजार से ज्यादा नहीं है। माननीय मंत्री महोदया ने कहा कि जितने भी ट्रेडीशनल स्कीम थीं वे सारी फेल हो गयी। माननीय मंत्री महोदया ने यह भी कहा....

श्रीमती कमला : उस दिन भी आप यही बोल रहे थे और मुझे वापस आपको करेक्ट करना पड़ा था कि मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने कहा था कि इस तरह की स्कीम्स में बहुत सी स्कीम्स आज भी, सक्सेसफुल हैं लेकिन कुछ पर्टीकूलर एरियाज में ये स्कीम्स अनक्ससफुल रही हैं। उस दिन भी आप यह इन्टरप्रेट कर रहे थे, मुझे करेक्ट करना पड़ा था। आज फिर आपको करेक्ट करना चाहती हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे आप कितना ही करेक्ट करिये....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं मंत्री महोदया, आपने यह कहा था कि सीकर और झुंझुनू के अलावा टी. एस. एस. स्कीम सब जगह फेल हो गयी है ...

श्रीमती कमला : ग्राप प्रोसीडिंग्स उठा कर देख लीजिये। मैंने कहा था, ग्राम तौर पर सीकर, झुंझुनू के ग्रन्दर....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : केवल सीकर झुंझुनू के ग्रन्दर सक्सेसफुल है बाकी सब जगह फेल है।

श्रीमती कमला : झुंझुनू के ग्रन्दर ग्रौर उन इलाकों में जहां पंचायतें उनको ग्रच्छी तरह से चला रही है वहां सक्सेसफुल हैं। इसके ग्रलावा बहुत सी जगह पर ग्रनसक्सेसफुल हैं। यह प्रोसीडिंग पढ़िये, उठा कर देख लीजिये। मुझे याद है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, पहले इन्होंने क्या कहा ग्रौर क्या नहीं कहा उसमें मैं नहीं जाता।

श्रीमती कमला : हां तो प्रोसीडिंग्स में है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं नहीं जाता उसमें।

लेकिन ग्रभी ग्रापने क्या कहा? ग्रभी ग्रापने यह कहा....

श्रीमती कमला : मैंने यह कहा है कि रेगिस्तानी इलाकों में सीकर, झुंझुनू में ग्रौर कुछ ऐसे इलाकों में जहां पंचायतों की पंचायत समितियों ने इन स्कीमों को ग्रच्छी तरह से चला रखा है वहां पर यह स्कीम्स ग्रच्छी तरह से चल रही हैं लेकिन जहां पर बिल पेमेंट नहीं कर पा रहे, जहां मशीन के खराब होने का खर्चा पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं वहां ये स्कीम गड़बड़ पड़ी हुई हैं। यह का यह मैंने कहा। उठाकर देख लीजिये प्रोसीडिंग्स।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, प्रोसीडिंग्स में मैं नहीं जाना चाहता। मैं तो ग्रभी जो कुछ कहा है उसमें जाना चाहता हूं। ग्रभी ग्रापने कहा कि जहां बिजली का पेमेंट नहीं होता, जहां पर ग्रौर उपकरण नहीं मिलते या कुछ ग्रापने कहा, वहां स्कीम्स नहीं चलतीं। जहां स्कीम्स नहीं चलतीं वह चाहे ग्रापके हिसाब से बहुत कम हो लेकिन, मंत्री महोदया, मैं ग्रापसे जानकारी करना चाहता हूं कि टी. एस. एस. की स्कीम्स फेल हो गयी। जिन क्षेत्रों में हो गयी, जिन गांवों में हो गयी, कितने गांव ऐसे हैं जिनमें पीने का पानी नहीं मिल रहा है? क्या ग्राप इसका उत्तर दे सकती हैं? इसका ग्रापके पास उत्तर नहीं है।

श्रीमती कमला ; मैंने उसमें बताया कि कितनी स्कीम्स गड़बड़ थीं उनके पेटे कितने हैंड पम्प्स लगाये हैं ग्रौर राज्य सरकार क्या काम कर रही है यह भी बताया गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्रब, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : पर्टीकूलर डिमांड पर ग्रा गया होगा शायद।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रब रही रीजनल पाइप लाइन्स की बात। रीजनल पाइप लाइन्स के बारे में जिक्र नहीं करना चाहता लेकिन ग्रापके सेवंथ फाइव ईयर प्लान का जो डाकूमेंट है ग्रौर जिसमें रूरल वाटर सप्लाई स्कीम्स के बारे में उल्लेख किया गया है, ग्रापने एक तरफ दिया है 22 हजार गांवों में पीने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के पानी का प्रबंध कर दिया और आपने उसी सेवंथ फाइव ईयर प्लान के डाकुमेंट में लिखा है कि 1850 गांव ऐसे हैं जो टेल एंड पर हैं और हम पानी नहीं पहुंचा सकते। उसको भी मना कर दीजिए।

श्रीमती कमला : 800।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसमें 1850 है। 1850 मैंने रात को अच्छी तरह से चैक किया है।

श्रीमती कमला : अभी खाराबेरा के सम्बन्ध में आप जांच करने गये थे, तब भी वह बार-बार आपको 800 ही बता रहे थे। वही 800 मैंने बोला है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अभी आपको प्लान डाकूमेंट बता दूंगा। मैं जुबानी कुछ नहीं कह रहा। 1850 विलेजेज आपने स्वीकार किये है कि टेल एण्ड पर होने के कारण से पानी नहीं पहुच रहा। अब, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात को गलत मान लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 800 गांव तो आपने स्वीकार किये है कि 800 गांवों में पीने का पानी नहीं पहुंचता। मैं पूछना चाहता हूं, आपने 22 हजार के आंकड़े कैसे दे दिये ? यह 22 हजार के आंकड़े कैसे दे दिये ? जब आप स्वयं जानते हैं कि 800 गांवों में पानी नहीं पहुंचा, मेरे हिसाब से 1850 गांवों को पीने का पानी नहीं पहुंचा। आपने यह आंकड़े इस सदन में कैसे दे दिये ?

श्रीमती कमला : कवरेज से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कवरेज क्या है ?

श्रीमती कमला : जहां पर इन्स्टालेशन्स हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, बस ठीक है। उपाध्यक्ष महोदय, यह पहले कह देते तो मेरे भी समझ में आ जाता।

श्रीमती कमला : पहले कही ही है कि इतने तो खराब है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं। मेरी सुन लीजिये यह कह देते कि केवल कवरेज किया है। पीने का पानी नहीं पहुंचा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है मुझे कोई बताये, आपने नल लगा दिये....

श्रीमती कमला : वस्तुस्थिति को मानने में दिक्कत क्या है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वस्तु स्थिति को तब मानें, मैं, मुख्य मंत्रीजी, आपको कहना चाहता हूं कि इस आंकड़ों के आधार पर मत जाओ। माथुर साहब बैठे हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के ऐसे आंकड़े बनाये कि आंकड़ों के जंजाल में खुद तो फंसे गये, राजस्थान को भी फंसा गये 20 सूत्री कार्यक्रम में। बीस सूत्री कार्यक्रम के आंकड़े तैयार करने वाली एक्सपर्ट मशीनरी राजस्थान में है इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आंकड़ों के आधार पर न जाकर आप वास्तविकता के आधार पर पहुंचो। उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट भाषण को मैंने देखा। राज्य सरकार कहती है, एक हजार करोड़ रुपए के हमने रिसोर्सेज मोबिलाइज करने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हैं। भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी यही कहते थे कि 750 करोड़ रुपए के हमें रिसोर्सेज मोबिलाइज करने हैं ताकि 2050 करोड़ रुपये की हमारी योजना सफल हो जाय। हमने हमारी तरफ से साधन जुटा दिये। 750 करोड़ से ज्यादा साधन जुटाये। लेकिन नतीजा क्या निकला? हमारी पंच-वर्षीय योजना 2050 करोड़ की नहीं 1800 और कुछ की आयी 750 करोड़ रुपये के हमने साधन जुटाये और जुटाने के बावजूद हमारी योजना छोटी हो गयी। आज आप एक हजार करोड़ रुपए के साधन जुटाना चाहते हैं। तीन हजार करोड़ रुपए की योजना मंजूर हुई है। उस तीन हजार करोड़ रुपए की योजना के लिए आप हजार करोड़ रुपए के साधन जुटाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं योजना का लक्ष्य क्या है? क्या योजना का लक्ष्य केवल टैक्स लगाना है? क्या योजना का लक्ष्य केवल साधन जुटाना है। योजना का लक्ष्य है, आम जनता की बहबूदी, राज-स्थान के विकास का। मैं पहले कह चुका हूं कि इस योजना से राजस्थान का विकास सम्भव नहीं है। आपकी जानकारी के लिए प्लान का डाकूमेंट है मेरे पास कहीं सदन मुझे गलत नहीं समझ ले इसलिए मैं यह बताना चाहता हूं कि इसमें आंकड़े 1850 हैं। अब आप देखें, इसका पेज नम्बर है 22/8 और 22/9. है मैं इसमें सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं इस आधार पर कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि योजना का लक्ष्य है राजस्थान का विकास, योजना का लक्ष्य है राजस्थान की जनता की बहबूदी। इस प्लान में कुछ नहीं है। इस प्लान में नहीं, इस वर्ष में नहीं उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से चाहता हूं कि राजस्थान के बजट से मैंने सारे आंकड़े इकट्ठे करके उसकी पूरी मैथे-मेटिक्स की है। राजस्थान के गांवों के लिए 27 प्रतिशत पैसा खर्च होगा और शहरों में उन योजनाओं के लिए जिन का सीधा सम्बन्ध गांव वालों से नहीं है, उन पर 73 फीसदी पैसा खर्च होगा। राजस्थान के गांवों में रहने वाली जनसंख्या 80 प्रतिशत के लगभग है। उस पर पैसा खर्च होगा केवल 27 प्रतिशत और बाकी के कामों पर, बाकी की योजनाओं पर पैसा खर्च होगा 73 प्रतिशत आज राजस्थान के स्कूलों में कितने अध्यापकों की जगह है? कोई मन्त्री कहता है पांच हजार, कोई मन्त्री कहता है सात हजार, कोई मन्त्री कहता है ग्यारह हजार। आज राजस्थान का फार्मूला जो भारत सरकार ने दिया है, 49 विद्यार्थियों के ऊपर एक अध्यापक चाहिए। एक अध्यापक। यदि इस आधार पर आप सारे आंकड़े निकालना चाहें तो, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 20 हजार अध्यापकों की आवश्यकता है। अब मैं कहना चाहता हूं यह 20 हजार अध्यापकों की कमी कहां है? गांवों में है। शहरों में कमी नहीं है। मुख्य मंत्रीजी चाहते हैं।

श्री शोपत सिंह : अधिक बैठे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अधिक बैठें।

आज अगर अध्यापक नहीं है तो इसका नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? ग्रामीण क्षेत्रों को। राजस्थान की सरकार कह रही है कि इतने अध्यापक हम नहीं ला सकते।

156

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इतने अध्यापक नहीं ला सकते तो गांव वालों ने अन्याय किया है, मुख्य मन्त्रीजी, कि उनके स्कूल बिना अध्यापकों के चलते रहें और ग्रामीणों के बच्चे बिना अध्यापक के स्कूलों में चले जाय ? आपने गांवों की घोर उपेक्षा की है ।

उपाध्यक्ष महोदय, पशु पालन के सम्बन्ध में राजस्थान के मुख्य मन्त्री घोषणा कर रहे हैं, हम इतना विकास करेंगे, इतनी डिस्पेन्सरीज खोलेंगे लेकिन आपको पता है या नहीं, राजस्थान में 140 वेटरनरी डिस्पेन्सरीज खाली पड़ी है जिनमें डाक्टर्स नहीं है । आप पशु चिकित्सा के नाम पर किसानों का भला करना चाहते हो लेकिन वहां डॉक्टर नहीं है । और डाक्टर नहीं होने का केवल मात्र कारण एक है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो दूसरे एलोपैथी के डॉक्टर की तुलना मे वेटरनरी डाक्टर की हालांकि सलेक्शन की एक पद्धति एक, काम एक और क्वालीफिकेशन एक लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में उन डाक्टर्स का वेतन कम है । ट्रेनिंग लेने के बाद दूसरे राज्यों में चले जाते है और गांवों की डिस्पेन्सरीज खाली रह जाती हैं । पशुओं की दृष्टि से राजस्थान का भला आप नहीं करना चाहते ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हु कि राजस्थान की छठी पंचवर्षीय योजना में जो बैंक लाग रहेगा उन एम्प्लायमैण्ट का वह आठ लाख का आपके आंकड़ों के हिसाब से रहेगा । सातवीं पंचवर्षीय योजना में जितने अनएम्प्लायड रहेंगे वह 15 लाख होंगे टोटल मिलाकर यह 21 लाख होंगे । 21 लाख में एजुकेटेड अनम्प्लायड और हाफ अनएम्प्लायड की कुल संख्या मिलाकर 41 लाख के करीब होती है । आपने छः हजार करोड़ रुपये की योजना बनाई उसी प्रारुप में आपने स्वीकार किया कि यह योजना यदि स्वीकृत हो जाती है तो केवल 15 लाख आदमियों को हम रोजगार दे सकेंगे । इस का मतलब हाफ अनएम्प्लायड बेकार रहे और बाकी पढ़ें-लिखे बेकार रहे । तो मैं यह कहना चाहता हूं, बेकारों की समस्या का समाधान करने के लिए इस योजना मे कुछ नहीं है । और बेकार ज्यादा है कहां ? बेकार बैठें है गांवों में । आपने गांवों में एन. आर. ई. पी. का फण्ड घटा दिया । आपका आई. डी. पी. का फ़ण्ड घटा दिया, आपने ट्राइसम योजना का धन कम कर दिया । आपने गांवों में बेकारी की समस्या का समाधान करने के लिए जो आर. एल. ई. जी. पी. की स्कीम थी उस को आधा कर दिया । आप करना क्या चाहते है गांव का ? गांव का विकास आप नहीं करना चाहते ? इसलिए आपने बजट का सारा मुंह मोड़ दिया उन कामों की ओर जिनका सम्बन्ध सीधा गांवों से नहीं है । मैं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान की विधान सभा में गांवों के विरोध में यदि कोईबजट पेश हुआ है, गांवों के विनाश के लिए कोई योजना बनाई है तो वर्तमान राजस्थान सरकार ने बनाई है । जहां अस्पताल खाली हैं, जहां दवा खाना खाली हैं गांवों में एलोपैथी डाक्टर नहीं हैं । शहरों में तो एक की जगह 20 नियुक्त कर देओ लेकिन बाड़मेर और गड़रा की तरफ कोई डाक्टर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जाने को तैयार नहीं है। वहां कोई मरीज नहीं रहते, वहां क्या बीमारियां नहीं होती? यह किसकी जिम्मेदारी है, वहां डाक्टर भेजने की? यह राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है। अगर डाक्टर वहां नहीं जाता तो उसको फैसिलिटी दो। वहां डाक्टर पहुंचे उसका इन्तजाम करो। अध्यक्ष महोदय, न पानी का प्रबन्ध न वेटरनरी डाक्टर, न डाक्टर, न स्कूल में अध्यापक है और फिर कह रहे हैं हम गांवों का विकास कर रहे हैं। गांवों में कोई रोजगार नहीं है। इस एन. आर. ई. पी. में आपने जितने फण्ड्स रखे हैं, मैं आज आपको कह सकता हूं, चालू काम भी उस से पूरे नहीं होंगे, नये काम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

नयी सड़कें बनाने का मामले में श्रीमान माथुर साहब ने मास्टर प्लान बनाया था। बहुत लम्बी-चौड़ी घोषणायें की थीं और उन घोषणाओं के आधार पर उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का मास्टर प्लान बना मैं उस मास्टर प्लान के आधार पर, मुख्य मन्त्रीजी, आपसे पूछना चाहता हूं आप दोनों में कौन सही है? क्या शिवचरणजी माथुर ने जो मास्टर प्लान बनाया था वह बिना प्रावधान के बनाया और क्या आपने उस मास्टर प्लान के अनुसार सड़कों का काम नहीं किया, सड़कें बनाने का काम नहीं किया तो क्या आपने उस मास्टर प्लान की बात को स्वीकार नहीं? कर गये। 1984 में घोषणायें मास्टर प्लान बनाने की। वह मास्टर प्लान धरा ही रह गया। गांव में सड़कें नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ को-आपरेटिव का मसला है। को-आपरेटिव का एक अभियान चला "मजमा-ए-आम" एक अभियान चला था। उस मजमा-ए-आम के आय आंकड़े निकाल कर देखें....

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : ऐसा कोई अभियान ही नहीं था। प्रशासन गांवों की ओर था।

(व्यवधान)

भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मजमा-ए-आम की जगह "मजे में आम" यह जान बूझकर कहा है। यह जान-बूझकर कहा है। अव्वल तो गांव की भाषा में ही लोग कहते थे कि मजे में आम। लेकिन

(व्यवधान)

मैं आज यह पूछना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से कितने गबन के मामले पाये गये? लाखों रूपये के गबन के मामलों की वहां रिपोर्ट हुए हजारों लोगों ने शिकायतें की मजमा-ए- आम तो पूरा हो गया। रिपोर्ट आपने तैयार कर ली। मैं सहकारिता मन्त्री और आपसे पूछना चाहता हुं इस मजमे-ए-आम में गबन के, दुरूपयोग के, उनके जो दोषी पाये गये, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हुं, एक व्यक्ति को भी आज तक सजा दी है क्या? सजा आपने इसलिये नहीं दी कि उनका सम्बन्ध ग्रामीणों से आता है। ग्रामीणों के साथ कोई अपराध कर ले तो सरकार का गिनजेन्स नहीं लेती है।

उपाध्यक्ष महोदय, गांव में ला एण्ड आर्डर की स्थिति क्या है? गरीब का तो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कहीं सवाल ही नहीं है। पुलिस की मांग पर चर्चा हो रही थी मुझे उस समय थोड़ा अफसोस हुआ कि लोग पनाह मांग रहे थे पुलिस से। एक जमाना था, उपाध्यक्ष महोदय, लोग यह कहते थे कि असामाजिक तत्वों से बचने के लिये पुलिस की मदद चाहिये। आज लोग कहने लगे, असामाजिक तत्वों और पुलिस से हमें मदद चाहिये। और कुछ दिनों के बाद लोग कहने लगेंगे कि असामाजिक तत्वों से हम निपट लेंगे हमें तो पुलिस से बचाओ। यह स्थिति आज राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर की है। उस स्थिति में राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी प्रपोजल लाये हैं कि राजस्थान की जनता से टैक्स लेंगे और टैक्स का प्रपोजल लाये हैं सबसे पहले बिजली पर तो मुझे खुशी है इस बात की कि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने भी हस्ताक्षर करके मुख्य मन्त्रीजी को मजबूर कर दिया, उसके लिये मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मुख्य मन्त्रीजी पर कितना असर होता है इसका पता लग जायेगा लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुख्य मन्त्रीजी, क्या आप बिजली पूंजीपतियों का ही एक साधन बनाना चाहते हैं। कोई भी सदस्य ईमानदारी से यह कह दे कि इतनी बिजली की बढ़ी हुई दर को लेकर राजस्थान का गरीब किसान कोई कनेक्शन ले लेगा या बिजली का उपयोग कर लेगा ? छोटे-मोटे काश्तकार तो मैं कह सकता हूं आज भी इस बात की कोशिश में है कि बिजली के कनेक्शन कट जायं।

राजस्थान के अन्दर औद्योगिकरण करना चाहते हैं। औद्योगिकरण में आप चाहते हैं कि राजस्थान में छोटे-मोटे उद्योग पनपें। मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि आपने जिस प्रकार का टैक्स लगाया है कोई भी छोटे-मोटे उद्योग पनप नहीं सकते। डोमेस्टिक रेट्स पर डोमेस्टिक कंजम्पशन पर मैं आज आपको कह सकता हूं कि आप आंकड़े की बात कर रहे हैं, आपके टैक्स बढ़ाने के बाद डोमेस्टिक कन्जम्पशन की रेट हिन्दुस्तान में राजस्थान की सबसे ज्यादा हो जायेगी। आज गरीब आदमी बिजली को कन्ज्यूम कर लें तो सबसे ज्यादा उसको पैसा देना पड़ेगा। किसानों को आप यह कहेंगे कि हरियाणा और पंजाब के मुकाबले में ला रहे हैं। लेकिन हरियाणा और पंजाब में यदि ओलावृष्टि हो जाय तो भारत सरकार से निवेदन नहीं करते हैं वह कम्पनसेशन दे देते, हैं। अगर भाव कम हो जाय, रेमुनरेटिव प्राइसेज भारत सरकार कम तय कर दे तो हरियाणा की और पंजाब की सरकार बोनस देगी। यदि किसान के घर में आग लग जाय तो किसानों को कम्पनशेसेन देगी। आप इन्शयोरेन्स पहले से ही चालू कर दिया। तो आप टैक्स का मुकाबला तो करते है लेकिन सुविधायें क्या दी जा रही हैं ? उसके बारे में मौन रहते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा मुख्य मन्त्रीजी, कि राजस्थान का औद्योगीकरण करना है तो यह जो आपने टैक्स, बिजली की दरें बढ़ाई हैं इन दरों को बढ़ाने के बाद में औद्योगीकरण की कल्पना मत करना। अलीगढ़ की फैक्ट्री को आज ही टेलीफोन कर देओ कि 5 हजार ताले भेज दे। कोई शिलान्यास करने की आवश्यकता नहीं है। ताले लेकर जाओ और सीधे किसी उद्योग के ताले लगा देओ आपकी जय-जयकार हो जायेगी। यदि आप राजस्थान में किसानों को इस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बिजली का उपयोग कराना चाहते हैं, उपयोग की छूट देना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों पर आपने जो भार डाला है इस भार को किसान किसी भी हालत में इस बिजली के टैक्स को सहन नहीं कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार उद्योगों की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी से मैं एक जानकारी और करना चाहूंगा। मुख्य मन्त्रीजी इस बात में होशियार हैं कि विधान सभा में टैक्स के प्रपोजल्स कम से कम आने चाहिये। एक तो टॉल टैक्स लगाया। क्या विधान सभा में टॉल टैक्स के बारे में आप चर्चा नहीं कह सकते थे? क्या वह साधन राज्य सरकार के साधन नहीं हैं? क्या ब्रिज कारपोरेशन के नाम से आप टैक्स वसूल करके राजस्थान की अतिरिक्त आय में इसको शामिल नहीं करेंगे? लेकिन आपने टॉल टैक्स लगा दिया विधान सभा में इसकी कोई चर्चा नहीं की।

उपाध्यक्ष महोदय, आर. एस. आर. टी. सी. ने अपने वाहनों का किराया बढ़ाया। उस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने इतना भी नहीं किया कि उसकी विज्ञप्ति सदन की मेज पर रख दे। आज तक विज्ञप्ति भी नहीं है। इस सदन को उस मामले में भी कान्फिडेन्स में नहीं लेना है। बिजली के मामले में, उपाध्यक्ष महोदय, चुनावों के दिनों में इस सरकार ने एक आर्डर निकाला, 29·3·85 को उस आर्डर में लिख दिया कि खम्भे लगाने में जो पहले रियायतें थी सरकार उसको विथड्रा करती है। और विथड्रा करने का मतलब यह हुआ कि यदि एक काश्तकार एक खम्भा लगाना चाहता है तो 1850 रुपये जमा कराये। और यदि पांच खम्भे लगाना चाहता है तो साढ़े नौ हजार रुपये जमा करायें। मैं आप सब माननीय सदस्यों से जानकारी करना चाहूंगा कि कोई राजस्थान में ऐसा गरीब और मध्यम श्रेणी का किसान है जो 1850 रुपये से एक खम्भे की कीमत देकर अपने कुए पर बिजली ले जायेगा? चुनाव के दिन थे, विरोध हुआ। सरकार ने एक आर्डर दे दिया कि इस आदेश को एबयेन्स में रखा जाय। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि एबयेन्स (Abyance) इस बजट अधिवेशन के समाप्त होने तक है या राज्य सरकार इसको फिर कन्टीन्यू करना चाहती है, मुख्य मन्त्रीजी इसका उत्तर देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिजली के सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं। आपने बोर्ड के 125 करोड़ रुपये के घाटे का बहाना बनाया और बहाना बनाकर किसान के ऊपर टैक्स लगाया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली बोर्ड के घाटे के कारणों की जांच हो। जांच होकर रिपोर्ट विधान सभा में रखी जाय। ऐसा घाटा जो केवल काश्तकारों के कारण से हो रहा है, फ्लेट रेट पर बिजली देने के कारण से 125 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है, 125 करोड़ का नहीं तो 50 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा हो, इस सदन में कुछ जस्टिफिकेशन हो सकता है। लेकिन आपने मोटे रूप से कह दिया कि 125 करोड़ के घाटे की पूर्ति के लिये किसानों पर टैक्स, डोमेस्टिक कन्जूमर्स पर टैक्स, स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज पर टैक्स, मिडियम स्केल इण्डस्ट्रीज पर टैक्स, लार्ज स्केल इण्डस्ट्रीज पर टैक्स लगाया है। अब आप कहेंगे कि मैंने लार्ज इण्डस्ट्रीज पर टैक्स लगाया है वह भी तो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पनपेंगी। उपाध्यक्ष महोदय, वह हमसे भी ज्यादा चतुर हैं। बहुत ज्यादा चतुर है। यदि आपने बिजली पर टैक्स बढ़ा दिया, कोई चिन्ता की बात नहीं। वह नगर पालिका से चुंगी कर की छूट ले लेंगे, वह कहीं सैल्स टैक्स की छूट ले लेंगे, वह कहीं और कोई टैक्स की छूट ले लेंगे। मैं एक उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी ने अपने बजट भाषण में कहा था। जब इन्होंने कहा राजस्थान में औद्योगीक वातावरण है, मैंने कहा कि ऐसी स्थिति नहीं है। तो मुख्य मन्त्री जी कहने लगें कि मुझसे सेठ मिलते हैं। आपसे इसलिये मिलते हैं कि आपसे एग्जम्पशन्स लें। निम्बाहेड़ा में जे. के. सीमेंट फैक्ट्री है। कितने वर्षों से लगी हुई है? लेकिन मैं कहना चाहता हू, आप ताज्जुब करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, पहले 1979 गवर्मन्ट ने कुछ फैसले किये कि नयी इण्डट्रीज आती है तो उसको अमुक प्रकार के कन्सेशन दिये जायं। ऑल इण्डिया में कम्पीटिशन में शुरू किया गया और उस कम्पीटिशन के कारण राजस्थान की सरकार को भी फैसला करना पड़ा लेकिन हमने कभी भी ऐसी चीजों के ऊपर टैक्स की रियायत नहीं दी। अब राज्य सरकार ने निम्बाहेड़ा की सीमेन्ट फैक्ट्री को इस बात की रियायत दी है कि बारदाने पर चुंगी कर नहीं लगेगा। कोयले के ऊपर चुंगी कर नहीं लगेगा। पहले माफ कर दिया। फैक्ट्री पहले की लगी हुई है और उन्होंने यह कहा कि हमने एक्सपेन्शन किया है। क्या है एक्सपेन्शन की सीमा? किस बात का एक्सपेन्शन किया है। उन्होंने फुल कैपेसटी को यूटिलाइज कर लिया। That is never an expansion. जितनी कैपेसिटी का वहां पर कारखाना लगा था उसका फुल यूटिलाईजेशन कर लिया, प्रोडेक्शन के आंकड़े बढ़ा कर बता दिये। हमने एक्सपेन्शन किया है और कुछ मशीनरी भी लगा लीं। मैं पूछना चाहता हूं, उनके ऊपर बिजली का टैक्स कितना ही लगा दें लेकिन चुंगी चौकी से माफ करके, चुंगी टैक्स आपने मॉफ करके लाखों रुपये का फायदा पहुंचा दिया। उस सीमेन्ट फैक्ट्री के लोग यदि आपके पास आते हैं तो चुंगी टैक्स के लिये आते हैं। आज कोटा में चले जाइये। कोटा में कितने इन्डस्ट्रिएलिस्ट को आपने चुंगी चौकी से और सैल्स टैक्स की रियायत दे रखी है? यह किस आधार के ऊपर कि वह कोई नई इण्डस्ट्रीज नहीं है। लेकिन किसी न किसी रूप में उनको कन्सेशन दिया।

उपाध्यक्ष महोदय नये सिनेमा गृह बने इस दृष्टि से हमने 1982 या 1983 में नये सिनेमा गृहों पर एन्टरटेनमेन्ट टैक्स को कुछ रिलेक्स किया। लेकिन यह सदन सुन कर ताज्जुब करेगा, जो पुराने सिनेमा घर थे, उन्ही के उद्‌घाटन हुए, उन्हीं की मरम्मत हुई, उन्हीं की सफेदी हुई, मालिक वे के वे ही रहे और नये सिनेमा घर के नाम से उन्होंने सारे टैक्स का एग्जम्पशन करा लिया।

मैं पूछना चाहता हूं मुख्य मन्त्रीजी, जब आपसे सेठ मिलते हैं, वह सेठ इसलिए नहीं मिलते कि राजस्थान में औद्योगीकरण करना है। वे सेठ इसलिए मिलते हैं कि चुंगी चौकी से कैसे बचा जाय, बिजली के जो ड्यूज हैं उनको किस प्रकार से पोस्टपोन किया जाय, सैल्स टैक्स की बकाया है उसको किस प्रकार से स्थगित किया जाय। सेठ

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मिलते हैं आपसे इसलिये कि एन्टरटेनमेन्ट टैक्स से किस प्रकार से मुक्त हुआ जाय और किस प्रकार से राजस्थान में लाइसेन्स लिया जाय और लाइसेन्स के आधार पर किस प्रकार से आई. डी. बी. आई. से और बाकी फाइनेन्सियल इन्स्टीट्यूशन्स से कर्ज लिया जाय, उस कर्ज के लिए स्टेट की गारन्टी किस प्रकार से प्राप्त की जाय। आज, उपाध्यक्ष महोदय, एक वातावरण बन गया है देश में। आज कोई उद्योगपति अपने घर का पैसा नहीं लगाता। 70 से लेकर 75 पर्सेन्ट तक फाइनेन्सियल इन्स्टीट्यूशन्स से लोन मिलता है, लोन के लिए स्टेट गारन्टर बनती है और उसमें बाकी की कुछ इक्विटी पार्टीसिपेशन के नाम से पैसा ले लेते हैं। अपनी जेब से एक पैसा खर्च नहीं करते लेकिन सारी पूंजी के मालिक बनकर बैठ जायेंगे। इस पर हमें विचार करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के लघु उद्योग खत्म, राजस्थान की मीडियम इण्डस्ट्री खत्म, गरीब किसान बिजली के कनेक्शन से महरूम कुछ दिनों के बाद में बिजली के कनेक्शन कटेंगे, आपके पास इतनी बिजली सरप्लस हो जायगी। छगाणीजी को और मुझे, दोनों को चिन्ता हो रही थी कि राजस्थान के सेवन्थ फाइव ईयर प्लान के अन्दर इतना बैकलॉग रहेगा, मैं मुख्य मन्त्रीजी आपको इस बात के लिए दाद देता हूं कि अब बैकलॉग नहीं रहेगा। बिजली न उद्योगों में खतम होगी, न काश्तकारों के लिये खतम होगी, न डोमेस्टिक यूज में आयेगी। आपके पास बिजली सरप्लस हो जायेगी। यह सरप्लस बनाने का आपने बहुत बढ़िया तरीका निकाला है, इसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन यह धन्यवाद राजस्थान की बरबादी पर है, राजस्थान की बहबूदी पर नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा टैक्स लगाया– "बिक्री कर"। अब बिक्री कर लगाया। 76 हजार रुपये से ज्यादा जिसका टर्न ओवर होगा उस पर दस पर्सेन्ट का सरचार्ज लगेगा। मैं पूछना चाहता हूं, यह सरचार्ज कौन देगा? आप कहेंगे, व्यापारी देंगे, जिसकी टर्न ओवर है आपने टैक्स लगाया और टैक्स लगाने के साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, अनअकाउण्टेड, बिना रसीद के, आज आम व्यापारी चाहे उसका 76 हजार रुपये का टर्न ओवर है या नहीं है, चाहे उसको इस क्लाज के मातहत या इस टैक्स के मातहत टैक्स देना है या नहीं देना, किसी भी दुकान पर चले जाइये, 76 हजार के ऊपर जो टेन पर्सेन्ट का सरचार्ज देना है वह आज कन्जूमर से, उपभोक्ता से वसूल कर रहे हैं। धड़ाधड़ वसूली हो रही है। आपको इससे पैसा कितना मिलेगा? इससे आपको साधन कितने मुहैया होंगे? सेल्स टैक्स नहीं बढ़ाया। केवल वे 76 हजार के ऊपर टर्न ओवर वाले ही नहीं, आम व्यापारी जो लोगों को चीजें बेचते हैं, दस पर्सेन्ट सरचार्ज शामिल करके चीजें बेच रहा है। आम उपभोक्ता के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया, यह 76 हजार से ऊपर वालों के ऊपर टैक्स नहीं लगाया।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से एक नया टैक्स लगाया। वह टैक्स लगाया खान, बगीचे और जंगल पर। उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आप जानते हैं, इस सदन में इस सरकार की कई घोषणायें सुनते हैं। इस सरकार ने घोषणा की, जंगल लगाओ। इस सरकार ने घोषणा की कि उद्यान लगाओ। उद्यान लगाओगे तो सीलिंग से तुम्हें मुक्त रखा जायगा। जंगल लगाओगे तो सीलिंग से तुम्हें मुक्त रखा जायगा। सारी घोषणायें कर दीं और घोषणायें करने के बाद में फैसला क्या किया कि जंगल लगाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा, बाग लगाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा, उसके नीचे खान है तो उसका टैक्स देना पड़ेगा। यदि आप खान के मामले में टैक्स लेना चाहते हैं तो, मुख्य मन्त्रीजी, आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि माइन्स डिपार्टमेन्ट अकेला माइन्स डिपार्टमेन्ट गर्दन पकड़ कर इस माइन्स डिपार्टमेन्ट में जितनी भी लीकेज हो रही है उसको रोक देओ तो, सुझाव मेरे पास है लेकिन समय नहीं है, मैं आपको 30 करोड़ रुपये साल की आमदनी दिला सकता हूं। तीस करोड़ रुपये की साल की आमदनी केवल लूप-होल्स को प्लग करने की आवश्यकता है। लेकिन उन लूप-होल्स को तो हम प्लग नहीं कर रहे हैं और हम नये टैक्स लगा रहे हैं। उस नये टैक्स का क्या परिणाम होगा? आपने टैक्स यदि नहीं हटाया तो 6 महीने के बाद में बाग कट जायेंगे, 6 महीने के बाद में जंगल कट जायेंगे। न बाग रहेंगे, न जंगल रहेगा और खान रहेगी, वे होंगी। वे खान होंगी। लेकिन जंगल कटना शुरू हो गया, बाग कटना शुरू हो गया। क्या आप राजस्थान में बाग नहीं चाहते? क्या राजस्थान में आप जंगल नहीं चाहते? और बाग और जंगल चाहते हैं तो इस जमीन के ऊपर टैक्स लगाने से आपको मिलने वाला क्या है? आप शायद यह कहें कि बिहार में ऐसा टैक्स है आप यह भी कहेंगे कि और दो राज्यों ने भी इस तरह का टैक्स लगाया हैं। आप शायद यह भी कहेंगे कि केवल खान का मसला हम टैक्स के रूप में रखते तो हमको डिस्क्रिमिनेशन के मामले में कोई भी आदमी कोर्ट में जाकर स्टे आर्डर लाकर पकड़ा देगा। मैं समझता हूं, कोई आपत्ति नहीं है। सब कुछ आपकी भावनाओं को और कोई आदमी तो नहीं जानता आप यह घोषणा तो नहीं कर सकते कि हमने उद्यान और जंगल के ऊपर इसलिए टैक्स लगाया है क्योंकि खनिज के ऊपर इस प्रकार से इन्डाइरेक्ट टैक्स नहीं लगा सकते। इसलिए हमने इसको शामिल किया। मैं आपको कहना चाहता हू कि आपको पता नहीं, सरकारी अफसरों को पता नहीं, आज जंगल धड़ाधड़ कट रहे हैं और एक बाग की कीमत जो आज से पहले 80 हजार थी इस टैक्स के बाद में 60 हजार हो गयी। अब मैं कहना चाहता हूं, आप टैक्स लगा किसलिये रहे हैं? मैं आज आपको कहता हूं, यह विश्वास रखिये.........

श्री दिग्विजय सिंह : शहरों में लागू नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह गांवों में हैं। आपके शिकार ही गांव है। आपके शिकार शहर वाले नहीं है। आपकी शिकार गांव वाले हैं। आपकी शिकार गरीब हैं। आपकी शिकार फटे चिथड़े पहने हैं वे ही शिकार हैं इनके और उसी शिकार को मारने के लिये सारा बजट पेश किया है। मैं मुख्य मन्त्रीजी, कहना चाहता हूं और मैं आज विश्वास से कहता

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हूं और दावे से कहता हूं, आप हमारे साथ बैठ जाइये और बैठकर आपको एक हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति यदि बिना टैक्स लगाये हम नहीं करवा दें, अब आप यह कहो, करवाओ। उपाध्यक्ष महोदय, किससे जाकर कहें? किसको कह नहीं सकते। आज भ्रष्टाचार की सदन में चर्चा करना निरर्थक है, समय लेना होगा, कोई असर नहीं होगा। कोई खास बात नहीं है। किसको कहें?

श्री शोपतसिंह : खास बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर कोई पहले जोश रहता था वह जोश इस बात का रहता था कि चलो, राजस्थान की सरकार नहीं सुनेगी तो किसी कोर्ट में जायेंगे वहां से हमको न्याय मिलेगा। लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं उपाध्यक्ष महोदय, कि आज न्यायालय बैकलाग निकाल रहे हैं। जो आज तक नहीं खाया उसकी पूर्ति कर रहे हैं। इसके प्रमाण में एक ही बात कह सकता हूं कि राजस्थान के 11 सेशन जज है। मामूली नहीं 11 सेशन जज है। उन 11 सैशन जज के लिये पूरी हाई कोर्ट ने बैठ कर यह फैसला किया ये भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट होने के बावजूद उनको सी. जे. एम. बनाया सी. जे. एम. बनाया तो उन जजेज ने देखा कि जाने वाले हैं लूटो और खाओ। जब उनको पता लगा एक साल पहले से कि पूरी हाईकोर्ट ने हमारी सर्विस शीट को देखकर हमें भ्रष्ट माना हमको रिटायर किया जा सकता है, उस समय से लूट मचाना शुरू किया। नतीजा यह निकला कि 11 में से 9 जजेज की सर्विसेज अभी तक टर्मिनेट नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी, हम ज्युडिशयरी के पास जाने लायक भी नहीं हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहने में भी संकोच नहीं करता कि इस समय राजस्थान में जो जजेज की नियुक्ति हुई है उससे ज्युडिशियरी का सारा स्टेण्डर्ड गिर गया। इसमें दो राय नहीं है। ऐसा लगता है कि राजस्थान में कोई पढ़ा लिखा अच्छा एडवोकेट ही नहीं है। ऐसा लगता है कि राजस्थान में ज्युडिशियरी की स्टेण्डर्ड मेन्टेन करने की न राजस्थान सरकार को चिन्ता है, न भारत सरकार को चिन्ता। एक संस्था थी जिसके भरोसे पूरा राजस्थान चलता था जहां कुछ न्याय मिलता था उसको भी आपने भ्रष्ट कर दिया। उसको भी आपने कमजोर बना दिया। मैं इसलिए कहना चाहता हूं मुख्य मन्त्रीजी, जाय किसके पास आप कहेंगे, लोक आयुक्त के पास चले जाओ। वाह वह लोक आयुक्त, जिनकी नियुक्ति अवैध है। लेकिन मुख्य मन्त्रीजी नहीं कहेंगे। माथुर साहब कह सकते हैं कि उन्होंने वह नियुक्ति की है। कानून में बिल्कुल स्पष्ट है कि विपक्ष के नेता से सलाह करने के बाद में नियुक्ति की जायगी। इस सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कन्सल्टेशन किस प्रकार से हो, व्यवस्था कन्सल्टेशन की क्या है। और लिखा है, Consultolyon Should be effective.

(7.00 सायं)

क्या यह कन्सलटेशन थी कि मुझे एक चिट्ठी लिख दी कि मैं इसे नियुक्त कर

(164)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रहा हूं। नहीं लिखते तो भी आपका काम चल सकता था मैं आपको पूछना चाहता हूं, गलत नियुक्ति हो गई क्या उनको आप हटा सकते हैं। अब, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी हालत में राजस्थान पहुंच गया कि हम न्यायालय पर भरोसा नहीं कर सकते, लोकायुक्त पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। राजस्थान के सरकारी अधिकारियों पर जिस प्रकार के विधान सभा में चार्जेज लगे हैं, सारे ही बेईमान हों मैं यह नहीं कहता बहुत से ईमानदार हैं योग्य भी हैं, लेकिन जिस प्रकार सर्विसेज की स्थिति में आज पहुंच गयी है, सर्विसेज पर भरोसा नहीं कर सकते है। राजस्थान की सरकार तो आप लेकर बैठे हैं आप पर भरोसा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह राजस्थान का गरीब जाये कहां। कहां जाये गरीब ? और इसलिये मैंने परसों कहा था कि लोग तस्करी के व्यापार में इसलिये शामिल होते हैं कि खाने पीने का उनके पास साधन नहीं है। मुख्य मन्त्रीजी, मैं आज कहना चाहता हूं कि आप के पास बहुमत है और आप टैक्स लगाओ। आपके पास बहुमत है और राजस्थान के साथ जितना अन्याय कर सकते हैं उतना अन्याय करो। आपके पास बहुमत है, बहुमत उसके आधार पर जितने धन का दुरुपयोग कर सकते हो, दुरुपयोग करो। लेकिन इसका परिणाम यह होगा कि राजस्थान की जनता आज विधान सभा के माध्यम से अपनी ग्रिवेन्सेज सदन में रख रही है फिर यह समझ लेगी कि विधान सभा इनइफेक्टिव है हमको गलियों के अन्दर ही सरकार से निपटना चाहिये। इसलिये मैं वार्न करना चाहता हूं कोई राजनीति नहीं है। कोई राजनीति नहीं है। आप किसी भी अदालत में जाकर खड़े हो जाइये, गरीब की क्या हालत है। कहीं जिलाधीश के यहां जाकर खड़े हो जाइये, थाने में भेज दीजिये तो मैं समझता हूं कि हालत आपकी भी खराब हो जायेगी। आप कोई मन्त्री को जाकर देख लें, मुख्य मन्त्री जी को तो जानते हैं लेकिन मुख्य मन्त्रीजी का प्रतिनिधि होकर कोई थाने में चला जाय और फिर देखे तमाशा आप का क्या होगा। मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि न्याय नाम की चीज राजस्थान में नहीं हैं। न्याय नहीं रहा उसके ऊपर टैक्स। यह दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। मैं इसलिये ये अपील करना चाहूंगा मुख्य मन्त्रीजी से कि आप इस बिजली के मामले में, जो बिक्री कर पर आपने सरचार्ज लगाया है इस मामले में जो बाग पर और वनों पर आपने टैक्स लगाने की व्यवस्था की है इस मामले मे आप इन टैक्सेज को विथड्रा करें और विथड्रा करके हम सब लोगों के साथ बैठे जायं, जो घाटे के सौदे हैं उनको आपको बतायेंगे भ्रष्टाचार के मामले है वह बतायेंगे। मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, एक मामला उठाया था, एक्साइज का भीम का। मुख्य मन्त्री जी ने कह दिया, तीन करोड़ और शायद 56 लाख की डिमाण्ड निकाल और उसकी शराब बेचकर हमने एक करोड़ रुपये वापिस प्राप्त कर लिये। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे शर्म आई कि मुख्य मन्त्रीजी को सरकारी अधिकारियों ने कागज दे दिया और उन्होने सदन में पढ कर सुना दिया। आज सेल्स

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

टैक्स कहां गया ? इनकम टैक्स कहां गयो ? चुंगी का टैक्स कहां गया ? टोटल कुल मिलाकर दस करोड़ रुपये का घपला है। उस घपले में तीन करोड़ रुपये का मामला बता कर एक करोड़ रुपये। हमने वसूल कर लिया। मैं चाहता था, उपाध्यक्ष महोदय, कि मुख्य मन्त्री जी के लिये कम से कम एक स्थिति तो अवश्य बनती है कि वह इस मामले में मेरे से बात करते। मैंने आरोप लगाये। जिन सदस्यों ने भ्रष्टाचार के संबंध में आरोप लगाये, मुख्य मन्त्रीजी, मैं चाहता हूं कि आप उनसे बातचीत करें उनसे प्रमाण लें और वह और आप कैसे सन्तुष्ट हों उसकी व्यवस्था करें। लेकिन व्यवस्था कैसे होगी उपाध्यक्ष महोदय इस राजस्थान की सरकार ने पिछले तीन महीने में एक व्यवसाय किया है स्थानांतरण। ज़बरदस्त व्यवसाय ऐसा व्यवसाय हिन्दुस्तान के किसी भी राज्य में नही हो सकता है। जबरदस्त व्यवसाय। डिजायर। एक ऐसा शब्द भगवान जाने कहां से चुन कर लाये हैं "डिजायर".

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप लाये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस शब्द का प्रयोग ही इसीलिये किया था कि यह सब बोलेंगे। मैंने इसी लिये प्रयोग किया मैं जानता था कि आप चिढ़ेगे। डिजायर शब्द मैं लाया यह बात सही है आप जानते है, मैं ही लाया ना और यह उचित नहीं है। आप यह बताईये ना ?

(व्यवधान)

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह पूछना चाहता हूं माननीय सदस्य यह कह रहे हैं "डिजायर" शब्द लाया, तो कि यह उचित है या अनुचित ? आप कहिये, उचित है ?

एक माननीय सदस्य : अनुचित।

एक माननीय सदस्य : उचित।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देवीजी, आप बैठ जाओ।

एक माननीय सदस्य : उचित।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मुझे इतना सा कह दीजिये।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उचित है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप विराज जाओ महाराज आप बीच में कहां से कूद रहे हो।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : अनुचित।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह जोशीजी अगर आप जैसों को मन्त्रियों में ले गये तो खुद भी डूबेंगे और राजस्थान को भी डुबायेंगे।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : नहीं हम नहीं डुबा सकते, साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इतनी कोशिश मत करो।

मैं तो केवल एक ही बात पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के माननीय सदस्यों से यह पूछना चाहता हूं कि डिजायर उचित है या अनुचित ?

(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : आपने जो सजेशन दिये हैं वह जनता पार्टी के शासन में आपने 27 महीने में पूरे नहीं किये। आपने यह बताया कि थानों में....

(व्यवधान)

आपने तो सारा अन्न बेच दिया। जिसको बेचना नहीं चाहिये था।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, पात्र समझ कर उत्तर देता हूं और जिसको पात्र नहीं समझता हूं उसको उत्तर नहीं देता।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : आपने भी तो ट्रांसफर किये थे। 18 हजार ट्रान्सफर किये थे। 18 हजार के।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको एक ही बात पूछना चाहता हूं, आपका नाम है शायद तोशनीवाल जी।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : तोसावड़ा

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तोसावड़ा जी। आप मुझे बता दीजिये, एक साल में 18 हजार अध्यापकों के ट्रान्सफर हुए वह वाजिब या गैर वाजिब ?

(व्यवधान)

आप बताओ न ?

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : यह तो आप बतायें यह कोई हमारी नीति नहीं थी उस समय आपकी नीति थी। आप सोचिये इस बात को तो, हम लोग थोड़े सोचेंगे।

श्री रतनलाल ताम्बी : बिजली बोर्ड में 18,000 कर्मचारी भर्ती हुए, आपने किये इसलिये बिजली बोर्ड बैठ गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, कुल दो बात का निष्कर्ष निकला। मैं उपाध्यक्ष महोदय, सब कुछ कर सकता हूं लेकिन जनता के साथ विश्वास घात नहीं कर सकता। मैं जनता का कांग्रेस के विरोध में वोट लेकर आऊं और कांग्रेस में बैठ जाऊं, मैं समझता हूं इससे ज्यादा हीन काम कोई हो नहीं सकता और वह करने का मैं आदी नहीं हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन कर रहा था, मैंने यह दो बात जान बूझकर रखीं। "डिजायर"। और यह कहते हैं कि मेरे जमाने में डिजायर शब्द आया।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह आपके ही जमाने में मन्त्रियों से टेलीफोन कराके ट्रांसफर कराते थे।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : "डिजायर

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

करवा कर मन्त्री महोदय से टेलीफोन करवाकर करवा दें ट्रांसफर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठ जाइये।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : माननीय नेता महोदय, मेरा निवेदन यह है कि हम तो करवाते हैं सो करवाते ही हैं। आपके सदस्य भी हमारे मन्त्री महोदय के यहां आकर डिजायर लिखवाकर ट्रांसफर करवाते हैं, वह उचित है या अनुचित है, आप बता दीजिये?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बैठ जाओ भई।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : वह सहयोग देने के लिये ऐसा करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह ठीक हैं। बैठ जाओ आप।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह दो शब्द जान-बूझकर और यह समझ कर बोले कि यह मैं बोलूंगा तो जवाब यह आयेगा। मैं पहले से एक्सपेक्ट करता था। जब मैं डिजायर....

(व्यवधान)

माता जी, बैठ जाओ आप तो।

(व्यवधान)

आपकी तो कृपा रहनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नेता महोदय, अब जवाब भी आयेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था कि यह दो शब्द मैंने जान बूझकर और यह समझ कर बोला कि उनको इस का उत्तर यही आयेगा। मतलब यह है कि जो डिजायर शब्द मेरे जमाने में नहीं आया, लेकिन लीजिये आपके सन्तोष के लिये मैं कह दूं आ गया, है तो मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस के कोई माननीय सदस्य डिजायर की प्रक्रिया के विरोध में हैं। अब तो साबित हो गया न कि आप के कोई डिजायर के विरोध में नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय मैं इसलिये कहना चाहता हूं

(व्यवधान)

अजी बैठ जाओ। महाराज बैठ जाओ। बैठ जाओ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : जो आपने डिजायर करवायी थी उन्हीं डिजायर को वापस करवाया है।

एक माननीय सदस्य : ज्ञान की बात है। सुन लो।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह हमारा जवाब है। हमने कोई डिजायर शुरू नहीं करवायी। हमने डिजायर इसलिये की थी कि जो आपने शुरू करवायी थी उसको हम वापस कर दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मन्त्रीजी से मैं पूछना चाहता हूं दोनों आउ इस पर, क्या मैंने गलती की है तो आप उस गलती की पुनरावृत्ति करना चाहते हैं? यह डिजायर का सिस्टम उस समय इन्ट्रोड्यूस हुआ क्या आप उसको एप्रीसियेट करना चाहते हैं

(168)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यदि एप्रीशियट नहीं करना चाहते तो, मुख्य मन्त्रीजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मई में राजस्थान विधान सभा के कांग्रेस के विधायकों की बैठक हुई, उस बैठक को एड्रेस किसने किया ? राजस्थान के फाइनेंस सेक्रेटरी ने। आप यह कह सकते हैं कि प्लान की जानकारी देने के लिए मैंने बैठक में उनको बुलाया था लेकिन मैं आपसे दूसरी बात पूछना चाहता हूं, आपने एम. एल. एज. के डिवीजन बनाकर एक-एक डिप्टी सेक्रेटरी को इंचार्ज बनाया ?

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : आप इतना डिसटोरशन कर सकते हैं यह आज ही मालूम हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं डिसटोरशन नहीं कर रहा। आप एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का कितना दुरुपयोग कर सकते हैं, यह मैंने कहा। यह डिसटोरशन नहीं है। वहां पर वित्त सचिव भाषण देने गये, आप मना कर दीजिये नहीं गये।

श्री हरिदेव जोशी : गये, और प्लान के ऊपर चर्चा की। प्लान के ऊपर एकेडेमिक डिस्कसन हुआ, और पार्टी की हमने और और दूसरे लोगों को भी इनवाइट किया था कि वे आयें और प्लान के बावत बारे में सोचें और वो करें। सिक्स्थ प्लान को डिस्कस किया। सिक्स्थ प्लान को डिस्कस किया और सेवंथ प्लान डिस्कस को किया।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : इनके पास मन्त्री नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं उपाध्यक्ष महोदय, एक बात पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी इतनी बैंकरप्ट हो गई कि प्लान के मामले में कोई विधायक या नेता या भूतपूर्व मुख्य मन्त्री भाषण नहीं दे सकते। कांग्रेस इतनी बैंकरप्ट हो गई ? यह मुझे पहली बार अनुमान हुआ कि कांग्रेस बिल्कुल बैंकरप्ट हो गई और सरकारी अधिकारी उसको प्लान के बारे में बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता।

श्रीमती कमला : नेताओं ने भी भाषण दिये थे, अधिकारियों ने भी स्टेटिक्स दिये थे।

श्री नाथूसिंह : पहाड़ियाजी को बुला लेते।

श्रीमती कमला : और उनका कार्यक्रम पूरा होने के बाद पार्टी के साथ चर्चा हुई थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर आपको अधिकारियों को भाषण देते हुए और आप लोगों के बैठे हुए का फोटो पेश करुं तो ?

श्रीमती कमला : हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फोटो पेश करुं तो ?

श्री हरिदेव जोशी : हां, करो।

श्री जयकृष्ण तोसवाड़ा : वह भाषण नहीं दे रहे थे हमने उनसे सारी पूछी थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अब मुख्य मन्त्रीजी बिलकुल सत्यता के अवतार बने हैं। इन्होंने हां भरी है डिप्टी सेक्रेटरी को कोई नियुक्त नहीं किया और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कमला जी ने कहा कि हमने अफसरों को बुलाया।

श्री हरिदेव जोशी : किसी काम के लिये, गैर सरकारी काम के लिए किसी आफिसर को काम में नहीं लिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह सही है। मैं यह कहना चाहता हूं, विकास का काम सरकारी हैं या गैर सरकारी ?

श्री हरिदेव जोशी : हां, मैं एग्री करता हूं वह सरकारी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या अमुक अमुक विधायक के क्षेत्र में विकास के काम की जिम्मेदारी आपने डिप्टी सैक्रेटरी को नहीं दी ?

श्री हरिदेव जोशी : नो। कोई काम नहीं है। सिर्फ यह है, अगर विकास का काम कोई डिसकस होता है, विकास का कोई पाइंट डिस्कस होते हैं डिप्टी सैक्रेटरी उनको नोट करें यह उनका काम है।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : कुछ मेहरबानी हमारे पर भी जाती आपकी।

श्री हरिदेव जोशी : आप इसको गलत समझते होंगे मैं गलत नहीं समझता।

श्री यदुनाथ सिंह : हमारे साथ डिसकशन क्यों नहीं किया अगर विकास की बात आप करना चाहते है ?

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : किसी सैक्रेटरी को बुलाया जाता है तो कोई बेजा नहीं है।

श्री नाथूसिंह : आप पार्टी की मीटिंग में इनको बुला सकते हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह पहली बार मुझे सुनने को मिला कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा-पत्र को समझाने के लिए सरकारी अधिकारी को बुलाया गया।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर जनता ने वोट दिया है, कांग्रेस पर विश्वास करके उसको बहुमत दिया है और बहुमत के जरिये कांग्रेस की सरकार बनी है। एक प्रश्न है आपसे, आप जब 77 में मुख्य मन्त्री बने थे....

श्री मोहन प्रकाश : तीन सौ वोटों से तो जीतकर आये हो....

श्री यदुनाथ सिंह : यह कोई बात नहीं हुई कि राजनीति के आधार पर सैक्रेटरी को बुला लिया....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : जनता ने इसीलिये हमें भेजा है। हमारे घोषणा-पत्र को विश्वास में....

श्री मोहन प्रकाश : आप बैठिये, बस बस।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : मैं विरोधी दल के नेता से पूछना चाहता हूं कि आप जब 1977 में मुख्य मन्त्री बने थे....

श्री शोपतसिंह : यह क्या आर. एस. एस. में रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

श्री मोहनप्रकाश : कुछ लोग बिना बोले अच्छे लगते हैं उन्हीं में आप हैं, आप बैठिये ।

श्री उपाध्यक्ष : दृष्टिकोण सा लगता है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : थोड़ा-सा लगता है आपको भी लगता है और मुझे भी लगता है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, एक बात यह हुई कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई मुख्य मन्त्रीजी ने मंजूर किया । मुख्य मन्त्रीजी ने यह मंजूर किया कि वित्त सचिव ने प्लान के बारे में लोगों को एड्रेस किया । कांग्रेस की लेजिस्लेटिव पार्टी में कमला जी ने यह भी मंजूर किया, अधिकारी लोग आये । कहा ना आपने ? आप कह जाती हैं....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कहां कैसे नहीं ?

श्रीमती कमला : मैंने यह कहा, उस मीटिंग में जो हुआ वो कहने में कोई ना थोड़े ही है । आपकी तरह सब को छुपायेंगे नहीं, विधायक दल की बैठक हुई, प्लान के बारे में मुख्य मन्त्रीजी ने, दूसरे नेता ने सारा विवरण प्रस्तुत किया और जो अधिकारीगण आये थे उनसे स्टिटिस्टिक लेकर उनको बार-बार उसके बारे में अवगत कराया गया । जहां तक अधिकारियों का प्रयोग करने का सवाल है, जब मुख्य मन्त्रीजी ने डिवीजन वाइज अलग-अलग इलाकों के अन्दर विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बारे में डिसकशन किया उस वक्त में अगर अधिकारीगण को उसकी रिपोर्ट लेने लिए आमंत्रित किया तो इसमें कौन-सी गलती हुई । बिल्कुल सही बात है ।

श्री शोपतसिंह : बहुत गलत बात है ।

श्री यदुनाथ सिंह : कांग्रेसी विधायक कहिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब उपाध्यक्ष महोदय, मेरे आरोप के बारे कोई किसी प्रकार का सन्देह नहीं है । डिवीजन वार डिप्टी सैक्रेटरी विकास के कामों की चर्चा करने के लिये बैठक में गये । आपने मंजूर कर लिया ।

श्रीमती कमला : विकास का काम क्या है ?

श्री हरिदेव जोशी : हां हां, आये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विकास के कार्य के लिये । मैं, मुख्य मन्त्रीजी, आपसे पूछना चाहता हूं, आप राजस्थान के मुख्य मन्त्री कांग्रेस पार्टी के हैं या हमारे भी हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : आप डिसकशन करने के लिए आयें तो आपकी बैठक में तो चीफ सैक्रेटरी को बुलाऊंगा । आप आइये, मैं चीफ सैक्रेटरी को बुलाऊंगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं पूछना चाहता हूं, आपसे, क्या विकास का नाम—

श्री हरिदेव जोशी : कहीं भी मुख्य मन्त्री किसी भी समय किसी भी बात के लिए चर्चा के लिए अगर कभी किसी सैक्रेटरी को, उप सचिव को किसी के साथ चर्चा में सम्मिलित करें, मैं इसमें कोई गुनाह नहीं मानता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो ठीक है। अगर आदमी एक गलती कर गया तो है हिन्दुस्तान में कोई आदमी, कह दे जो मैंने गलती कर दी ? आप बताइये, आपने गलती करके....

श्री हरिदेव जोशी : नहीं नहीं। आप अगर इसको यह समझते हैं कि सरकारी कर्मचारी और विधायक मिलने नहीं चाहिये और अछूत की तरह एक दूसरे से व्यवहार करना चाहिये, इसका कोई अर्थ ही नहीं है।

श्री शोपत सिंह : Not. MLA, Congressi MLA.

श्री हरिदेव जोशी : आप कहां की बात करते हो आपकी पार्टी और सरकार में तो कोई भेद नहीं है।

श्री शोपत सिंह : अधिकारी नहीं चलाते हैं हम चलाते हैं यहां पर सरकार। यहां पर पार्टी सरकार चलाती है, अधिकारी नहीं चलाते हैं पार्टी चलाती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मुख्य मन्त्रीजी को यही कहना चाहता हूं आपने सरकारी अधिकारियों को कांग्रेस पार्टी की बैठक में बुलाकर, पार्टी मीटिंग में बुलाकर उनसे भाषण करवाकर आपने अच्छी परम्परा नहीं डाली।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कांग्रेस पार्टी की वहां पर कोई बात नहीं कही। मैंने कहा न कि प्लान के डिसकशन के लिए बुलाया और विकास के डिसकशन के लिये बुलाया। उन्होंने उन सारे आंकड़ों को रखा और मैं तो यही कहता हूं,

श्री यदुनाथ सिंह : हमको क्यों नहीं बुलाया ?

श्री हरिदेव जोशी : कि उन अधिकारियों को मैं जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की और किसी भी पार्टी की मीटिंग के अन्दर भेजने के लिए तैयार हूं, आप बुला लीजिये।

श्री शोपतसिंह : हमको नहीं चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, गलती कर गये। अब उस गलती से किस तरह से वापस आया जाय उसका एक तरीका है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : कोई गलती नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं मुख्य मन्त्रीजी, यह बात का सवाल नहीं है, आप विचार करिये।

श्री हरिदेव जोशी : विचार किया हुआ है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सर्विसेज को इस प्रकार से पार्टी मीटिंग में बुलाकर उनसे भाषण दिलवाना और कांग्रेस के विधायकों के डिवीजन के हिसाब से विकास के कामों के लिये उनको इवाल्व करना, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, आप पर ही छोड़ता हूं।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न आता है जिसके लिये माननीय सदस्य चिढ़ रहे थे "डिजायर"।

श्रीमती कमला : एक मिनट बीच में।

अगर पांच विधायक, दस विधायक या पचास विधायक इकट्ठे होकर आयें और उनके साथ अधिकारियों की बातचीत करायी जायकि यह एजीवयूशन क्यों नहीं हो रहा है आप बतायें और एक विधायक आप महानुभाव में से भी कोई उनके साथ बैठकर चर्चा की जाये, तो विधायकों के साथ मुख्य मन्त्री अगर अधिकारी को बुलाकर किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो इसमें पार्टी का सवाल कहां है ? इसमें तो विधायक की समस्याओं का सवाल है।

श्री शोपत सिह : विधायक विरोधी पार्टी के थे क्या ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, पार्टी का कोई सवाल नहीं आता।।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : अगर पार्टी का सवाल होता तो विधायकों के अलावा भी दूसरे लोग होते। पार्टी का सवाल नहीं है। जो हैं, उनके मुद्दों पर उनके साथ करने का सवाल है।

सुश्री पुष्पा जैन : किस पार्टी के विधायक थे वहां ?

श्रीमती कमला : आप आयेंगी तो आपके साथ भी करेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को समझ गया—

श्री यदुनाथ सिंह : विधायक नहीं, कांग्रेसी विधायक थे। हम नहीं गये किसी अधिकारी का भाषण सुनने। यह विधायक क्यों कह रहे हैं ? कांग्रेसी विधायक कहने में क्यों अपनी इंसल्ट समझते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : कहीं भी मुझे इस सिलसिले में संकोच नहीं है यह कहने के लिये कि विधायक अगर कोई अपनी शंका समाधान के लिए कभी भी सैक्रेटरी अथवा किसी का मुझे इसमें कहीं कोई नहीं....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप भाषण दे सकते हैं। हमारे नेताओं को पता है। हमारे नेताओं में भी बुद्धि है, विधायकों को भी पता है।

श्री हरिदेव जोशी : हां, अगर अपनी पार्टी के प्रोग्राम के बारे में अथवा अपनी पार्टी के किसी काम के लिये उनको बुलाऊं तो दूसरी है। मगर सिक्स्थ प्लान के अचीवमेंट के बाबत में, सेवंथ प्लान के फार्मूलेशन के बाबत में, विकास के बारे में बात करूं उनसे विधायकों के सामने, अगर डिप्टी सैक्रेटरी, सैक्रेटरी, चीफ सैक्रेटरी को जाना पड़े तो उसमें कोई गुनाह नहीं है।

एक माननीय सदस्य : यह बिलकुल ठीक बात है।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : लेकिन इसके साथ एक सवाल पैदा होता है। हमारी लोकदल विधायक दल की बैठक 28 तारीख को हो रही है फाइनेन्स सैक्रेटरी को कृपया आप वहां भेजिये। 20, एम. एल. ए. क्वार्टर्स में मीटिंग हो रही है, आप दिन को 12 बजे अपने फाइनेंन्स सैक्रेटरी को हमारे विधायक दल की मीटिंग में भेजिये ? भेजेंगे आप ? भेजेंगे आप ? हम प्लान पर डिसक्स करेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : आप मुझे भी बुला लीजिए। मैं भी आऊंगा और उनको भी बुला लीजिए उनको भी लेकर आऊंगा।

श्री सम्पतसिंह (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, नेता बोल रहे हैं।

श्री सम्पतसिंह (नगर) : मैंने उनसे इजाजत ली है एक मिनट की। अभी माननीय मुख्य मन्त्रीजी फरमा रहे थे कि अगर किसी विधायक के क्षेत्र में काम करने के लिए किसी उच्च अधिकारी को कह दिया जाये तो मैं इसमें बुरा नहीं मानता। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रिफरेन्स सिस्टम है जो सिर्फ राजा शाही और राजतंत्र में ही चला करता था, किसी भी प्रजातंत्र में यह व्यवस्था नहीं है....

(व्यवधान)

यह अपने नोनिहालों के क्षेत्र में आप काम करायेंगे यह पब्लिक एक्सचेकर है, माननीय मुख्य मन्त्रीजी, यह प्रिफरेन्स सिस्टम है। इसमें आप अपने आपको संशोधित करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता, मैं आपको एक बात याद दिला देता हूं कि जब आप मुख्य मन्त्री थे तब आपके प्रिन्सिपल सैक्रेटरी मिस्टर मेहता, यह सारा राजस्थान जानता है आप उन दिनों के अखबार पढ़कर देखकर लीजिये या रिकार्ड उठाकर देख लीजिए। आप हमेशा दिल्ली रहते थे और आपका राजस्थान का सारा काम मिस्टर मेहता करते थे। यह बात शायद आपके ध्यान में नहीं है। जो आप आज इस बात को इतनी उछाल रहे हैं। यह बात भी आप ध्यान रख लीजिए। आप हमेशा दिल्ली रहा करते थे और यह पेपरों में भी आया है आप रिकार्ड से भी साबित कर लीजिये, दिल्ली के आपके कितने दौरे हुआ करते थे।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपको पहले ही निवेदन कर दिया कि कोई पात्र होगा उसको उत्तर देऊंगा, जो पात्र नहीं है उसको मैं उत्तर नहीं देऊंगा।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय नेता यह बात दो तीन बार कह चुके हैं, यह बहुत आपत्तिजनक है। कौन सा माननीय सदस्य

(श्रीमती कमला)

पात्र हैं और कौन सा पात्र नहीं है। क्या इसका कोई भेदभाव किया हुआ है क्या? यह बहुत गलत बात है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : है, है। यह सही है।

श्रीमती कमला : कि आप किसी सदस्य को कह दें पात्र ही नहीं हो। आप तो सब माननीय सदस्य जो इस हाउस के हैं वह पात्र हैं कि कुछ कह भी सकें और कुछ सुन भी सकें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह बिल्कुल सही है।

श्रीमती कमला : यह गलत बात है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुझे कह भी सकते हैं, मैं सुन भी सकता हूं। लेकिन कान्नीजेन्स रेलेवेन्ट बात का ही लेऊंगा।

श्रीमती कमला : हां, आप मत लेओ।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, मुझे एक चीज याद आ रही है—

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं एक बात कह दूं। मेरे भाषण में इन्ट्रप्शन किया तो मुख्य मन्त्री जी नहीं बोल पायेंगे लगातार इस तरह से....

एक माननीय सदस्य : हमसे यह पूछा गया था कि विपक्ष को ढाई साल राज करने के लिए 33 साल लगे तो 5 साल राज करने के लिए कितने वर्ष लगेंगे?

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपनी टोली को नियन्त्रण में रखें।

श्री हरिदेव जोशी : आप तो मेहरबानी करके अपने भाषण का दौर जो है, यह अध्यक्षजी को वो करके करें यह सारा ही बन्द हो जाय। आप इसको यों बदल दीजिए, सब ठीक हो जायेगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्षजी, यह सुझाव और यह प्रक्रिया मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नेताओं से मैं निवेदन करूंगा कि मेरे ख्याल से आपस में दृष्टिकोण का प्रश्न है। इसमें ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। अपना-अपना दृष्टिकोण है। और दो नेताओं का दृष्टिकोण है। यह बहस का सवाल नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अब, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सवाल पर पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं और इसलिए नहीं छोड़ने वाला हूं कि यह पहली बार नयी परम्परा पड़ी है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सरकारी अधिकारियों को बुलाकर उनके भाषण कराये जायें और अमुक-अमुक क्षेत्रों के विकास के कामों के संबंध में सरकारी अधिकारियों को डिटेल किया जाये। मुझे इस पर आपत्ति है।

अब दूसरा प्रश्न, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो डिजायर का उठाया था, मुख्य मन्त्रीजी चले गये....

एक माननीय सदस्य : आने वाले हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आ रहे हैं तो आ जायें। मै मुख्य मन्त्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि, मुख्य मन्त्रीजी, आपने, उस विधायक दल की बैठक में यह कहा कि विधायकों के स्थानान्तरण के सुझाव हों शाम तक जाते वक्त मुझे दे जायें। सुनिये। मुख्य मन्त्रीजी बहुत सक्षम हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने यह कहा कि आपको जो कुछ भी कहना है आप मुझ से कहिये। मैंने यह कहा है। आप डिस्टोरशन में माहिर हैं। मुझे मालूम नहीं था कि इतना डिस्टोट करते हो आप। मैंने यह कहा कि आप अफसरों के दफ्तरों में मत जाइये। आपको जो कुछ कहना है मुझसे कहिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी लेंग्वेज का ही फर्क है, मेरी बात तो वे स्वीकार करते जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और और कही; कई मेम्बरों ने कहा कि लिस्ट जेब में लेकर थोड़े ही आये हैं, टाइम दिया जाय। तो मुख्य मन्त्रीजी ने कहा, 15 तारीख तक मेरे पास सुझाव भेज देना। मुख्य मन्त्रीजी, यह भी गलत है ?

श्री हरिदेव जोशी : आपको जो कुछ भी जोड़ना है वह जोड़ दीजिए। मैंने यह कहा है आप को जो कुछ कहना है आप मुझसे कहिये आप किसी आफिसर के पास में मत जाइये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अब, मुख्य मन्त्रीजी, मैं अन्तिम सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। अन्तिम सवाल आपसे नैतिक साहस है तो आप बताइये, आपने डिजायर के आधार पर स्थानान्तरण किये हैं या नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : नहीं। नहीं किये। मुझे अगर आप कहेंगे तो उस पर भी विचार करूंगा। कोई भी कहेगा उसके ऊपर विचार करूंगा। मैं विचार करता आ रहा हूं, आइन्दा भी विचार करूंगा। मेरी पार्टी के लोग कहते हैं उस पर भी विचार करूंगा और आपके विरोधी पक्ष के लोग कहते हैं तो उस पर भी विचार करूंगा। और मैं सब के ऊपर बराबर विचार करता हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुझे इस बात की खुशी है....

श्री लक्ष्मणसिह (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। पाइंट आफ आर्डर, रुल 154 (4) के तहत।

एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस हो रही है, उपाध्यक्ष महोदय, 154 (4) को मैं कोट करूंगा।

"The debate on an Appropriation Bill shall be restricted to matters of public importance or administrative policy implied in the grants covered by the Bill which have not alrady been raised while the relevant demands fov grants were under consideration.

उपाध्यक्ष महोदय, जिस पर्टीकुलर ग्रान्ट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के संबंध में यह विचार-विमर्श हो रहा है ? सदन का इतना बहुमूल्य समय पिछले 15 मिनट से चर्चा के ऊपर विपक्ष के माननीय नेतागण ने व्यर्थ गंवाया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन को मालूम है....

श्री लक्ष्मणसिंह : कौन सी ग्रान्ट के ऊपर यह विचार हो रहा है ? मैं व्यवस्था चाहता हूं आपसे 154 (4) के तहत। कृपया व्यवस्था दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन को मालूम है और विपक्ष के नेता विदित लिमिट्स बोल रहे हैं। It is a matter of Policy.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कम से कम आज पहली बार....

श्री उपाध्यक्ष : व्यक्तिगत नहीं ले जायेंगे। यह जरूर निश्चित कहूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : व्यक्तिगत कहां जा रहा हूं ?

श्री उपाध्यक्ष : It is maher of policy, पालिसी को डिस्कस कर सकते हैं और उसका रिपीटिशन नहीं होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रिपीटिशन नहीं हो रहा है और न व्यक्तिगत जा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डिमाण्ड में चीजें आ चुकी हैं, डिमाण्ड्स पर जिन चीजों पर बहस हो चुकी है उनका रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। पब्लिक इम्पार्टेन्स की होनी चाहिए।

श्री लक्ष्मणसिंह : किस ग्रांट के सम्बन्ध में यह बातें कही जा रही हैं। आप पढ़कर देख लीजिए 154 (4) को।

(7.29 सायं)

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय।

श्री लक्ष्मणसिंह : व्यवस्था दी जाये, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर, आर्डर। व्यवस्था दी गई कृपया बैठें आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे इस बात की खुशी है, मुख्य मन्त्रीजी ने यह कहा कि मैं डिजायर पर स्थानान्तरण नहीं करता। बहुत खुशी हुई। आप डिजायर पर स्थानान्तरण नहीं करते, न आपने डिजायर पर स्थानान्तरण किये हैं, न विधायकों की लिखी हुई आपके पास डिजायर आई, न डिजायर के आधार पर आपने स्थानन्तरण आदेश सेक्रेट्रियेट से निकाले। यह बातें मुख्य मन्त्रीजी ने कहीं कि सही हैं। मैं इस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बात के लिए मुख्य मन्त्रीजी को धन्यवाद देता हूं। लेकिन मुख्य मन्त्री जी मेरी चुनौती स्वीकार करेंगे। डिजायर के आधार पर एक नहीं हजारों स्थानान्तरण आपने किये हैं। आपने सैक्रेटेरियट से आर्डर निकाले हैं। आपने थानेदारों और चपरासियों के स्थानान्तरण किये हैं। आपने बी. डी. ओ. और अध्यापकों के स्थानान्तरण किये हैं। आपने म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये हैं। आप मेरी चुनौती को स्वीकार करें इस सैक्रेटेरियट से सीधे कितने आर्डर गये और विभाग से कितने गये ? आप इन्कार कर रहे हैं इस सदन में, जिसको आप कहते हैं पवित्र है। मैं इसलिए ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं लेकिन आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस परम्परा को तोड़ो और आप में दम हो तो अभी तो नहीं लेकिन कल परसों में डिजायर के पेपर्स आपके सामने रखूंगा अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि डिजायर भेजना जो मिसकन्डक्ट है, यह मेम्बर का मिसकन्डक्ट है····

श्री शोपतसिंह : ××× ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : करप्शन की बात नहीं कहता लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में यह इन्टरफियरेन्स मिसकन्डक्ट है। इस मिसकन्डक्ट के ऊपर मैं डिबेट करूंगा, रखूंगा। मैं, अध्यक्ष महोदय, इसलिए कहना चाहता हूं कि इस राजस्थान के प्रशासन को सुधारने की आवश्यकता है। यह राजनैतिक लड़ाई हमारी चलती रहेगी यह सरकारी अधिकारियों के स्थानान्तरण करके हम केवल अपनी कान्सटीट्यूएंसी को खुश करना चाहें, मेम्बर्स धोखे में रहें। यह सरकारी अधिकारी आपके उसी समय तक साथ हैं जिस समय तक आपने स्थानान्तरण करवा दिया। यह ज्यादा निहाल करने वाले नहीं हैं। यह राजनैतिक दृष्टि से लाभ पहुंचाने वाले नहीं हैं। इनसे तो जितने आप दूर रहोगे उतना प्रशासन ठीक रहेगा, आप खुद की पवित्रता बनी रहेगी। बड़ा ताज्जुब है····

श्री शोपत सिंह : हिस्सा पत्ती है····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय श्री शोपत सिंहजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं चाहूंगा, बहुत कम सदस्य कांग्रेस के भी हैं, बहुत से सदस्य होंगे जो इस प्रक्रिया को नहीं चाहते। मैं कम से कम उन ईमानदार कांग्रेस के सदस्यों से अपील करना चाहूंगा कि प्रशासन में डिजायर का घुन लगा दिया, इस घुन को मारो। और इस घुन को नहीं मारा तो यह घुन आपको खायेगा। इस प्रशासन को सुधारना है तो डिजायर नाम की बीमारी इस प्रशासन में नहीं लगनी चाहिये। सरकारी अधिकारियों से राजनैतिक काम कराने की प्रक्रिया डाली है इसको बन्द करना चाहिये। यदि यह बन्द नहीं हुई तो जुडिशियरी खराब हो गई, यह सारा एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो जायेगा। आप दुनिया पर कितने ही टैक्स लगाओ, आप सिर्फ एक तरफ खजाना

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भरोगे और नीचे के मोरियों से माल निकलता जायेगा, जनता का विकास नहीं होगा।

अन्त में मुख्य मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन को सुधारने के साथ आपने अभी तक तो कोई राजस्थान के विकास का काम नहीं किया और पहला काम किया गरीब जनता पर टैक्स लगाने का। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, इस टैक्सेज को आप वापस लेकर गरीब काश्तकार को बचाओ, डोमेस्टिक कन्जूमर को बचायें, छोटी इण्डस्ट्री को बचायें, मध्यम श्रेणी की इण्डस्ट्री को बचायें। 75 हजार रुपये की टर्न ओवर पर 10 प्रतिशत का सरचार्ज लगाकर जो गरीब उपभोक्ता की लुटवाई आपने शुरू की है उसको बचायें और बाग और बागात जंगल कटने की जो आपने प्रक्रिया चालू की हैं उसको समाप्त करायें और इन टैक्सेज को विथड्रा करें।

इन्ही शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्री जी।

(व्यवधान)

आप बोलेंगे ? श्री मानिक चंद सुराना। समय का खयाल रखें कृपया। ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री मानिकचन्द सुराना (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, समय का निश्चित रूप से ध्यान रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय, इस विनियोग विधेयक पर जो चर्चा हुई है कल से चर्चा चली है। राज्य सरकार की नीतियां जो विनियोग विधेयक के नीचे हैं खास तौर पर मैं उन नीतियों की चर्चा करना चाहूंगा। सिंचाई और बिजली दोनों प्रमुख अंग हैं। हमारी योजनाओं के दो प्रमुख अंग हैं, हमारी योजनाओं के। सांतवी योजना में विकास के लिए सबसे अधिक खर्चा सिंचाई और बिजली पर करना चाहते हैं। 52 प्रतिशत खर्चा इन योजनाओं पर करना चाहते हैं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करुंगा कि राजस्थान में सिंचाई और बिजली पर सन् 77 से इसी प्रतिशत में और इससे भी अधिक प्रतिशत से खर्चा निरन्तर होता आया है। राजस्थान नहर पर इस साल 50 करोड़ का खर्चा होना है, दूसरी नहर योजनाओं पर कई करोड़ का खर्चा होना। हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं कुछ सवालों के जवाब में राज्य सरकार इस विधान सभा को सूचित कर चुकी हैं कि लिफ्ट योजनाओं पर साढ़े चार सौ करोड़ का विनियोजन होगा लिफ्ट योजनायें जिनमें फलोदी की योजना, कोलायत की योजना और गडनोर की योजना हैं, यह चारों योजनायें हैं इनमें 450 करोड़ का विनियोजन होगा। अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हुं योजनाओं में 450 करोड़ का खर्चा करने वाली सरकार से कि आज का अखबार देखकर और कल की खबरें सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगा होगा। सपना देख रहे है हम लिफ्ट योजनाओं का और जो नहर हमने बनाई हैं, जो मुख्य नहर बना दी, अध्यक्ष महोदय, उस मुख्य नहर के लिये भारत सरकार की जो घोषणा हुई है

(श्री मानिक चन्द सुराना)

उस घोषणा का नतीजा यह है, साढ़े अठारह हजार क्यूसेक्स की नहर में एक जुलाई, 1985 को 4200 क्यूसेक्स पानी चल रहा था और भारत सरकार कहती है इससे कम पानी हम नहीं देंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, माननीय प्रधान मन्त्रीजी ने यह नहीं कहा कि इससे अधिक ही देंगे बल्कि यह कहा है, इससे कम देंगे। इससे अधिक देंगे, यह नहीं कहा। सारी लिफ्ट योजनायें जो सरकार ने बनाई हैं उनके बारे में, मैं यह कहना चाहता हूं, आज एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। प्रश्न चिन्ह आज नहीं लगा बल्कि प्रश्न चिन्ह पहले से लगा हुआ था। लिफ्ट कैनाल और मुख्य कैनाल में, माननीय सिंचाई मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि किस बात को आप प्राथमिकता देना चाहते हैं? मुख्य नहर से पानी पहुंच जाये उसको प्राथमिकता मिलेगी या लिफ्ट कैनाल से पानी पहुंचे, 100 फिट की लिफ्ट कैनाल बनाई है, उसको प्राथमिकता मिलेगी? अब तो सवाल यह है, अध्यक्ष महोदय, कि मेन केनाल जो हमारे मोहनगढ़ और लीलवा और लीदा की डिस्ट्रीब्यूट्रीज जो बननी है क्या हम उनको भी बनायें? आज तो भारत सरकार से जब तक स्पष्टीकरण नहीं होगा और आप खुद तसल्ली नहीं कर लेंगे कि आपको पानी मिलेगा और, सन् 1955 के नदी जल विवाद के समझौते के आधार पर मिलेगा, सन् 1981 में नदी जल विवाद का जो समझौता किया गया कम से कम उस आधार पर मिलेगा, इस बात से जब तक आप खुद सन्तुष्ट नहीं होंगे, माननीय सिंचाई मन्त्रीजी सन्तुष्ट नहीं होंगे कि हम देखेंगे या वे देखेंगे कितना खर्चा हमको उनको करना है तब तक राजस्थान में लिफ्ट योजनाओं के बारे में दुबारा विचार करना पड़ेगा। राज्य सरकार के लिये कल का बयान भारत सरकार का, कोई अच्छा संकेत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि सिंचाई योजनाओं का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा राजस्थान की कमाण्ड जमीन पर। कल को भारत सरकार का बयान पंजाब समस्या के समाधान में पैदा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, बिजली की योजना है। बिजली की योजनाओं में बहुत बड़ी धनराशि हम खर्च करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, यह कोटा थर्मल की स्टेज। फर्स्ट 76 में जिसका प्लान बना, जो 77 में शुरू, में 80, 81 करोड़ की योजना थी वह 79 में 129 करोड़ की योजना बन गई और स्टेज फर्स्ट खत्म होते-होते 198 करोड़ की योजना बन गई। विद्युत मन्त्रीजी, इस बात का कभी विचार किया है कि बिजली की योजना का रबड़ की तरह एस्टीमेट कैसे बढ़ जाता है। किस कारण से 80–81 करोड़ रुपये से 129 करोड़ और 129 करोड़ से 198 करोड़ की हो गई? यदि योजनाओं पर चर्चा करनी हो तो हम फाइनेंस सेक्रेटरी को बुला लें। मैं कहना चाहता हूं, मुख्य मन्त्रीजी से, इन योजनाओं का एस्टीमेट, इन योजनाओं का परीक्षण सिंचाई मन्त्री के स्तर पर करने के लिये आप एक उच्च स्तरीय समिति बनायें। राजस्थान में सिंचाई और बिजली पर जितना हमारा खर्चा होता है उसमें 25 प्रतिशत ट्रांसमिशन का लास है। कभी 24 प्रतिशत, कभी 25 प्रतिशत और कभी 26 प्रतिशत। यह 26 प्रतिशत, 25 प्रतिशत ट्रांसमिशन लास होता है इसमें 15 प्रतिशत

(श्री मानिक चन्द सुराना)

भी कटौती कर सकेंगे तो निश्चित रूप से, अध्यक्ष महोदय, बचत होगी अन्यथा चाहे नया थर्मल प्लांट लगायें, 15 प्रतिशत बिजली में क्षति हो रही है ट्रांसमिशन में लास, डिस्ट्रीब्यूशन में लास, वितरण में लास हो रहा है उसका नतीजा वही होगा। मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आज इन सिचाई की योजनाओं के लिये खास तौर से मुझे कहना है कि सन् 1980 में यू. एस. ऐड से 35 मिलियन डालर का एक एग्रीमेंट भारत सरकार और यू.एस. गवर्नमेंट के बीच में हुआ और उस 35 मिलियन डालर में से राजस्थान को इन योजनाओं के लिये रुपया मिलना था। राजस्थान की योजनाओं को 67 प्रतिशत राशि यू. एस. ऐड से मिलनी थी। अध्यक्ष महोदय, 8 योजनायें जो उसमें हैं, मैं खास तौर से सिचाई मन्त्रीजी और मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं, राजस्थान में तीन साल से भीमसर, छाती, दिलार, सावन भादों, बस्सी, कोठारी, पांचना, यह जो योजनायें चल रही हैं इन 8 योजनाओं में यू. एस. ऐड से कितना रुपया लगाना था? एस्टीमेट कितना था? आपने ले लिये 20 मिलियन डालर यू. एस. से लेकिन, अध्यक्ष महोदय, एक भी योजना पूरी नहीं हुई। मैं, सिचाई मन्त्रीजी, आपसे कहना चाहता हूं इन योजनाओं, जो 8 योजनायें हैं, ओरीजनल एस्टीमेट 144 करोड़ का था। इस 144 करोड़ को यू. एस. ग्रान्ट में शामिल कर लिया। ये दोनों योजनायें भी शामिल कर ली। इन दोनों का एस्टीमेट 81–82 में 144 करोड़ रुपये का था। और 82 के भाव में यदि आप 33 पर्सेन्ट जोड़ देंगे तो आज उसकी रफ कास्ट 33 पर्सेन्ट का इजाफा करने के बाद 192 करोड़ होती है, अध्यक्ष महोदय, जो आज के मूल्य स्तर पर है। हो सकता है दो पर्सेन्ट आगे हो, दो पर्सेन्ट कम हो। इस पर हमने कुल कितना खर्चा किया है? हमने इन योजनाओं पर 67 करोड़ 22 लाख रुपया खर्च किया है। योजनायें 192 करोड़ की, खर्च कर दिया 67 करोड़। मैं पूछना चाहता हूं माननीय सिचाई मन्त्रीजी से, ये योजनायें कब पूरी होगी? 11–साढ़े ग्यारह का प्रावधान इस साल रखा है। कितने साल में इसको पूरा करना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय तीन साल में यह योजनायें पूरी नहीं हो सकती है, चार साल में यह योजनायें पूरी नहीं हो सकती हैं। मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, ऐसी तो पचासों योजनायें हाथ में ले ली, रुपया है नहीं। प्रावधान साढ़े ग्यारह करोड़ का किया है कास्ट है उसकी 192 करोड़ और खर्चा किया है 67 करोड़। कहां से मिलेगा विनियोजन से फायदा आपको? अध्यक्ष जी, कहां से कमान्ड एरिया बनेगा? नाचना का अभी 27 करोड़ का आपका प्रोजेक्ट हो गया जो 9 करोड़ से शुरू हुआ। 27 करोड़ का हो गया। आज तक तो डेम बन रहा है, मिट्टी भर रही है और अभी तक कैनाल्स का पता नहीं, साइट का पता नहीं कहां डिस्ट्रिब्यूटरी जायेगी, कहां पर क्या होगा। मैं कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, यदि इन योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन राज्य सरकार ने नहीं किया, प्राथमिकतायें तय नहीं की तो पचासों योजनायें चल रही हैं, माननीय सिचाई मन्त्रीजी, इनमें से कुछ को पहले पूरी करिये ताकि खेती का कमान्ड एरिया बने, पैदावार बढ़े और बिक्री कर आये और वाकई ऐसा लगने लगे कि सिचाई होने लग

(श्री मानिक चन्द सुराना)

गई है। यदि हमने इस तरह की नीति अख्तियार नहीं की तो धनाभाव के कारण योजनाएं पूरी नहीं होंगी। धनाभाव की जानकारी होते हुए, माननीय सिंचाई मंत्रीजी, इन्दिरा गान्धी नहर मन्त्रीजी, साढ़े चार सौ करोड़ का नक्शा बना लिफ्ट कैनाल्स का, वह अभी तो केबिनेट से पास होना है। साढ़े चार सौ करोड़। आप तय कर लीजिये केबिनेट में कि पहले लिफ्ट कैनाल बनायेंगे या पहले नहर को पूरी करेंगे। पहले भारत सरकार से झगड़ लो जो आपको दे दिया 42 हजार क्यूक्स उसको आप वापस 12 या 13 सौ पर ले जायेंगे जबकि नहर की क्षमता हमारी साढ़े अठारह हजार क्यूसेक्स की है। मैं कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्षजी, यह मूल मुद्दा है। राजस्थान सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है पर उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है। वैसे ही सिंचाई में, माननीय अध्यक्षजी, आपको तो मालूम है, एक हैक्टेयर में दस हजार रुपये से अधिक यदि सिंचाई की कास्ट आती है तो वह योजना किसी भी प्रकार इकोनोमिकल नहीं है। उसका बी. सी. रेश्यो हमारे लिये रिटर्न का नहीं है इसलिये वह अनार्थिक है।

इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो अनार्थिक योजनायें हमने हाथ में ली हैं उनमें भी सबसे पहले जो पूरी हो सकती हैं और सबसे पहले रिटर्न किसका हो सकता है, इस बात को आपको देखना होगा। साढ़े ग्यारह करोड़ का इस साल आपने जो प्रावधान रखा है, न करिये बरबादी। 8 योजनाओं पर खर्च न करके वह साढ़े ग्यारह करोड़ रुपया दो पर ही खर्च कर दीजिये और दो साल में उनको पूरा करिये ताकि उनका कमान्ड एरिया मिले और राज्य सरकार अन्य योजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करने में सक्षम हो।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री मानिकचन्द सुराना : अध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा, खास तौर से मुख्य मन्त्रीजी से कहना चाहूंगा, राजस्थान के सैंकड़ों करोड़ रुपयों को बचाना है तो सिंचाई के बारे में एक एक्सपर्ट कमीशन मुकर्रर करिये जिसमें इस सदन के लोग हों, एक्सपर्ट्स भी हों, राज्य की वित्तीय स्थिति के जानकार लोग भी हों ताकि वह तय कर लें कि जितनी योजनायें हमने शुरू कर रखी हैं उनमें से पहले किसको पूरा करना है और किसको बाद में पूरा करना है। सब काम एक साथ हो नहीं सकता। धन है नहीं और आपका जो बजट में प्रावधान है यदि इसी स्पीड से चले तो यू. एस. एड की योजनायें, माननीय मुख्य मंत्री जी, कम से कम 11 साल बाद में पूरी होंगी। कितनी कास्ट एस्कलेशन 11 साल में होगा इसका लेखा जोखा तो नहीं लेकिन मैं अभी आपको एक मूल सिद्धान्त में ही निवेदन करना चाहता हूं।

इसके अलावा कुछ और नीतियों की बातें कहीं। हमारे विपक्ष के नेता महोदय ने कुछ नीतियों की चर्चा की। कुछ राजनीतिकरण भी शामिल है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा एक कार्यवाही अभी की गई है कि 8 जजेज को टर्मिनेट किया गया। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्षजी, पहले 12-13 जजेज को निकाला था। सुप्रीम कोर्ट में जब वह गये तो उनकी रिट मंजूर नहीं हुई। सुप्रीम

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कोर्ट ने कल यह फैसला कर दिया कि सरकारी कर्मचारी व अधिकारी को आर्टिकल 311 (2) के नीचे, पब्लिक इन्टरेस्ट यदि यह डिमाण्ड करता है तो, बिना कोई कारण बताये सरकारी नौकरी से हटाया जा सकता है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बहुत जोर से स्वागत करना चाहता हूं अध्यक्षजी, राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि 35 साल से एक भ्रम जाल हमारे दिमाग में था कि शो काज नोटिस ऐसे-ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ 10-10 डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी चल रही हैं लेकिन सरकारी नौकरी में हैं। क्योंकि जब तक इन्क्वायरी की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, जब तक एवीडेन्स का मौका नहीं मिलता, जब तक वे हमारे डाकूमेन्ट्स नहीं देख लेते और शहादत नहीं हो पाती है तब तक वे सरकारी नौकरी में मजे लेते रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं मुख्य मन्त्रीजी, कि कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए राजस्थान हाई कोर्ट से न्यायाधीश, जो न्यायालयों की नौकरी से बर्खास्त किये गये हैं और जिनको सुप्रीम कोर्ट ने रिट एडमिट करने से मना कर दिया, की ओर भी आप तवज्जोह कर लें। आपके पास, आपके डिपार्टमेंट आफ पर्सनल अफेयर्स के पास भी सैकड़ों भ्रष्ट अधिकारियों की जानकारी होगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रक्रिया को शुरू करिये। 27 जिले हैं राजस्थान के। यदि आपने एक जिले के 50 कर्मचारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों को, चाहे उसमें आर. ए. एस. के अधिकारी हों, चाहे आई. ए. एस. के अधिकारी हों, निकाल दिया, दो पटवारी, दो थानेदार, आर. ए. एस, दो आई. ए एस. दो एल. डी. सी., यू. डी. सी. दो एक्स. ई. एन, दो ए. ई. एन. यदि इस तरह छांट कर 30-30, 40-40, 50-50 लोगों, जो भ्रष्ट हैं और जिनकी जानकारी राज्य सरकार को है, जिनकी जानकारी विधायकों को है, को निकालने की आप हिम्मत रखेंगे तो राजस्थान के प्रशासन में चुस्ती आयेगी और राजस्थान से जो भ्रष्टाचार का भूत है वह निश्चित रूप से भागता हुआ नजर आयेगा। मैं उम्मीद करता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी, कि जो सैद्धान्तिक मुद्दा मैंने उठाया है, इस पर पूरी तरह तवज्जोह देंगे। इस प्रक्रिया में आगे बढ़कर राजस्थान दूसरे राज्यों के लिये भी एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकेगा। ऐसी कार्यवाही माननीय मुख्य मन्त्रीजी आप करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ और नीतियों की बात करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री मानिकचन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल 3-4 मुद्दों को ही टच करूंगा। हमने एक सवाल पूछा राज्य सरकार से कि राज्य सरकार पंचायतों के चुनाव क्या समय पर कराने का इरादा रखती है? अध्यक्ष महोदय, आज तक उसका जवाब नहीं आया। यह सवाल मैंने पहले दिन, नोटिफिकेशन के साथ आपके विधान सभा सचिवालय को भेजा था लेकिन राज्य सरकार ने आज तक जवाब नहीं दिया। जो ह्यूमर्स में सुनता हूं वह यह है कि पंचायतों का कार्यकाल एक साल राज्य सरकार बढ़ाने का इरादा रखती है। क्यों रखती है? किस लिये यह इरादा रखती है? राजस्थान में

(श्री मानिकचन्द सुराना)

लोकतन्त्र को चलने दीजिये । यूनाइटेड स्टेट्स ग्राफ ग्रमेरिका में, माननीय मुख्य मन्त्रीजी, मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं, 100 साल का कलेण्डर बना हुग्रा है कि हाउस ग्राफ रिप्रेजेण्टेटिव के चार साल वाद के चुनाव कब होंगे, 8 साल बाद के कब होंगे, 12 साल बाद के कब होंगे, नामीनेशन कब होगा । यह सारी इलेक्शन की प्रक्रिया लगी हुई है । क्यों ग्राप चुनाव टालना चाहते हैं ? चुनाव टाल दिये थे माननीय शिवचरणजी माथुर ने एक बार लेकिन ग्रब ग्राप पंचायतों का चुनाव समय पर करवायेंगे ? नगरपालिकाग्रों के चुनाव के बारे में तो ग्राप वायदा कर चुके हैं इस सदन से कि इन चुनावों को ग्राप समय पर करवायेंगें इस लिये मैं कहना चाहता हूं यह चुनाव समय पर करवायें । सहकारिता के चुनावों की क्या स्थिति है ? सहकारिता मन्त्रीजी बैठे हैं मैं कहना चाहूंगा, ग्रध्यक्षजी, कि इन सहकारी समितियों के चुनाव में ग्रौर चुनावों के विवाद में जितना घोटाला, जितना घपला ग्रौर जितना रूल ग्राफ ला का वायोलेशन है, कानून का वायलेशन है उतना कहीं नहीं हैं । सहकारी समितियों के चुनाव होते हैं दो साल के लिये । मैं पूछना चाहता हूं माननीय सहकारिता मन्त्रीजी से कि ग्रापके ग्रसिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के यहां कितने मुकदमें दफा 75 को-ग्रापरेटिव सोसाइटी एक्ट के सहकारी समितियों के तीन साल के पुराने पड़े हुये हैं ? उन सहकारी समितियों का टर्म खतम हो गया लेकिन चुनाव विवादों का फैसला ग्रब तक नहीं हुग्रा । मैं कहना चाहता हूं, क्यों नहीं यह फैसले ग्राप करवाते हैं । इसमें जो राजनीतिकरण है उसको सहकारिता से ग्राप समाप्त करिये । मैं कहना चाहता हूं, रूल ग्राफ ला को चलने दीजिये । ग्रसिस्टेन्ट रजिस्ट्रार 6 महीने में चुनाव विवाद को नहीं सुलझाता तो सहकारी समितियों की ग्राखिर उम्र ही दो वर्ष की है । ग्रध्यक्षजी, पांच साल की मियाद जहां हैं वहां भी हाई कोर्ट कहता हैं कि रिप्रेजेण्टेशन ग्राफ पीपुल्स एक्ट में लिखा है 6 महीने में चुनाव याचिकाओं का यथासम्भव फैसला किया जायगा । लेकिन ग्राज हजारों मुकदमें पेंन्डिग हैं । कोई सुनने वाला ही नहीं हैं । ग्रसिस्टेंट रजिस्ट्रार ग्रपने मन की मर्जी का मालिक हैं ग्रौर नीचे इतनी रिश्वत हैं कि जो एक बार सहकारी समिति पर कब्जा कर लेते हैं वे छोड़ते नहीं हैं । 6 साल का रूल बना दिया ग्रापने कि कन्टीन्यू 6 साल से ग्रधिक कोई ग्रध्यक्ष बन नहीं सकता लेकिन 6 साल से ग्रधिक के ग्रध्यक्ष खूब बन रहे हैं ।

मैं कहना चाहता हूं, ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी से कि पंचायतों के चुनाव, सहकारी समितियों के चुनाव ग्रौर चुनाव विवाद समय पर तय हों, यह नीतियां उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि ग्राप बिजली की दरों में बढ़ोतरी को महत्वपूर्ण समझते हैं । ग्राखिर एक साधारण ग्रादमी जो सहकारी समिति का मेम्बर है उसको तो सहकारी समिति के चुनाव से, उसके कन्ट्रोल से जो लाभ हो रहा है ग्रौर जो हम समझते हैं कि ग्रर्थ व्यवस्था में सहकारी समितियों के माध्यम से हम परिवर्तन करेंगे निश्चत रूप से हमको उसको तवज्जोह देनी चाहिए ।

ग्रध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पोस्ट ग्रेजुएट मैडिकल इन्सटीट्यूट बनाने के लिए सातवीं योजना में मुख्य मन्त्रीजी, कोई

(श्री मानिकचन्द सुराना)

प्रावधान नहीं रखा है 25 करोड़ का खर्चा था पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इन्सटीट्यूट बनाने के लिए। राज्य के वित्तीय साधनों ने परमिट नहीं किया इसलिये आपने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इन्सटीट्यूट नहीं बनाया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, चाहे इन्सटीट्यूट न बनाइये लेकिन दुबारा विचार करिये। राजस्थान के 35 हजार गांव हैं। 34900 और कुछ गांव हैं और भी ढाणियों को गांव घोषित किया गया है, हो सकता है 35000 के ऊपर हो गये होंगे। यदि उनमें हमको क्वालिफाइड डाक्टर्स चाहिए तो जो मैडिकल कालेजेज में आज पढ़ा रहे हैं उनकी योग्यताएं निश्चित रूप से मैडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया के अनुसार और यूनिवर्सिटी आफ राजस्थान में जो कैरकुलम में जो योग्यताएं हैं, फैकल्टी आफ मेडिशन में जो योग्यताएं हैं उसके अनुसार होनी चाहिए। लेकिन राज्य सरकार उन योग्यताओं को नहीं मानना चाहती उलटे उनको रिलैक्स करवाना चाहती है। मैं कहना चाहता हूं कि रिलैक्स भी कराइये लेकिन मैडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया से कराइये। यदि हमारे पास में क्वालीफाइड डाक्टर्स नहीं हैं, हिन्दुस्तान में ऐसे डाक्टर्स उपलब्ध नहीं हैं तो मैडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया से क्वालीफिकेशन रिलैक्स कराइये। यदि उनकी बिना अनुमति के आपने रिलैक्स करा तो उनको डी. एम. की डिग्री को मैडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया मान्यता नहीं देगी। डी. एम. की डिग्री में आज मैडिकल के विद्यार्थी पढ़ सकें, अधिक से अधिक फैकल्टीज में हमारे विद्यार्थी योग्य हो सकें इसलिए आवश्यक है कि मैडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया और यूनिवर्सिटी आफ राजस्थान की फैकल्टी आफ मैडिसन है योग्यता के अनुसार लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, रीडर्स की नियुक्ति करिये। यदि कहीं मजबूरी है, और कोई कारण भी है कि उपलब्ध हीं नहीं हैं हमको डाक्टर्स, तो मैडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया रिलैक्स करती है तो कराइये। यह धींगाधांगीपन नहीं होना चाहिए कि आज हम रिलैक्स कर दें मैडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया के पूछे बिना।

मैं कहना चाहता हूं, एस. एम. एस. हास्पिटल, सवाई मानसिंह हास्पिटल की आज क्या स्थिति है। मुख्य मन्त्रीजी, आप स्वयं परिचित हैं कि आज सवाई मानसिंह हास्पिटल, जयपुर की प्राइमरी इंस्टीट्यूट है जिसका नार्थ इण्डिया में बड़ा नाम था वह आज कूड़े का है। आज वहां पर 11 महीने से वह मशीन नहीं है जो कि कूड़े को जलाती है।

(व्यवधान)

अंग्रेजी का शब्द क्यों कहूं, हिन्दी जानता हूं इसलिये कूड़ा जलाने की मशीन कह रहा हूं। कोई इंगलिश पार्लियामैन्ट तो है नहीं। मैं समझता हूं, सब की इतनी जानकारी तो रखता हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि कूड़ा जलाने की मशीन वहां खराब है। इसका क्या नतीजा हो रहा है? नतीजा यह हो रहा है, अध्यक्ष महोदय, कि वह कूड़ा म्यूनिसिपैलिटी, नगर परिषद् वाले उठा कर ले जाते हैं। वह इन्फैक्टेड कूड़ा मरीजों की

(श्री मानिक चन्द सुराणा)

साफ-सफाई से निकलता है। उस कूड़े के द्वारा और रोग णु कीटाणु शहर के अन्य भागों में फैल रहे जहां भी वह कूड़ा डाला जाता है। एक लाख की नहीं, 50 लाख की मशीनें खराब है इस एस. एम. एस. हास्पिटल में। क्यों खराब हैं ? आज जनाना हास्पिटल की मशीनें खराब नहीं हैं, दूसरे छोटे अस्पतालों की मशीनें खराब नहीं है। क्या कारण है कि सवाई मानसिंह हास्पिटल की मशीनें खराब हैं ? एयर कंडीशन खराब है। इन्टेन्सिव केयर यूनिट्स के एयर कंडीशन खराब है। माननीय मुख्य मंत्री जी, अध्यक्ष कौन बना रखे हैं आपने डाक्टर गंगवाल। मैं कहना चाहता हूं, मेरा किसी से विरोध नहीं। मैं कहना चाहता हूं, इस राज्य सरकार ने एक कमेटी बनायी। इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैन्ट को बुलाया और एक एक्सपर्ट रिपोर्ट ली कि हास्पिटल का मैनेजमैन्ट हम कैसे करें। उन्होंने रिपोर्ट दी कि आप फुल टाइम डाक्टर लगाओ या इस के प्रबन्ध के लिए इण्डियन इन्सीटीट्यूट ऑफ मैनेजमैन्ट के अस्पतालों के प्रबन्ध में एक्सपर्ट हैं उनको लगाइये। आप उस रिपोर्ट को क्रियान्वित क्यों नहीं कर रहे ? यह कोई खर्चे का काम नहीं है। यह खर्चे का काम नहीं है, एक पूरे इन्सटीट्यूट के रख रखाव का सवाल है। एक हास्पिटल, जो मैडिकल कालेज का जो हास्पिटल है, रख रखाव का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मुझे कहना पड़ता है आज वहां पर काटेज वार्ड की स्थिति क्या है डाक्टर गंगवाल के अधीक्षक रहते हुए। यह डाक्टर गंगवाल खुद जो चाहे यूरोलोजी के बड़े एक्सपर्ट होंगे लेकिन जो मरीजों से टेबिल पर आपरेशन करने का रुपया मांगते हैं। आपसे भी छिपा नहीं है। आपके पास भी सारी रिपोर्ट आती है। कुछ भूतपूर्व विधायकों ने आपको रिपोर्ट दी है और आपको यदि नामों की आवश्यकता होगी, मुख्य मंत्री जी, तो मैं आपको लिस्ट पेश करूंगा। लेकिन मैं यहां तक कहना चाहता हूं कि काटेज वार्ड्स के अलाटमैन्ट में भी आज एस. एम. एस. में रिश्वत का बाजार गर्म है। यह स्थितियां जो इतनी गिरावट में जा रही है, मैं कहना चाहता हूं, स्वास्थ्य मंत्री जी का स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री जी देखें मैडिकल मिनिस्टर साहब देखें चाहे मुख्य मंत्री जी देखें, कोई देखे लेकिन इस एस. एम. एस. हास्पिटल का जो रख रखाव है प्रशासन है, मरीजों के साथ व्यवहार है और जितना मेडिसन का आपने बजट दिया है लाइफ सेविंग मेडिसन भी आज इस हास्पिटल में उपलब्ध नहीं होतीं....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में करें, माननीय सदस्य।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं यह निवेदन कर रहा हूं, संक्षेप में ही कहूंगा, अध्यक्ष महोदय।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि 25 करोड़ का पोस्ट ग्रेजुएट का मेडिकल इन्सटीट्यूट बनाने के लिए दुबारा विचार करें। इसके साथ में मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया ने जो भी योग्यताएं फिक्स की हैं, निर्धारित की है उन योग्यताओं के आधार पर यहां के मेडिकल कालेजेज में प्रोफेसर की नियुक्ति की जाय। अध्यक्ष महोदय—

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : चीफ मिनिस्टर चाहें तो 25 करोड़ रुपये मांग कर ला सकते हैं बाबा ।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं मुख्य मंत्रीजी का ध्यान देवस्थान विभाग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । देवस्थान विभाग ने 5 करोड़ रुपये की सम्पत्ति सन् 50 में आंकी थी । 5 करोड़ की सम्पत्ति है, माननीय मुख्य मंत्री जी, आज के भाव से यदि आप उसमें 10-20 गुणे का इजाफा भी करेंगे जो मूल्य बढ़े है मकानों के उसमें 20 गुणे का इजाफा भी करेंगे और उसका पुनर्मूल्यांकन करेंगे, माननीय देवस्थान मन्त्री महोदय भी है, तो कम से कम 100 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति देवस्थान विभाग में है । संसाधनों की आपको बहुत चिन्ता है । मैं कहना चाहता हूं कि देवस्थान की तरफ भी नजर दौड़ाइये । मैंने पिछली बार बजट की स्पीच में कहा था कि आप भूतपूर्व नरेशों की तरफ नजर रखिये । आपने कहा कि हमने डिप्टी सैक्रेटरी बनाया है जो कि इस सारे मामले को देखेगा । मैं उम्मीद करता हूं कि देवस्थान के मामले में भी ध्यान देकर माननीय मुख्य मंत्रीजी राजस्थान के लिए नये संसाधन इकट्ठे करेंगे जिससे सातवीं योजना हमारी ठीक तरीके से चले और हम उसको क्रियान्वित कर सकें । देवस्थान की सम्पत्ति की विक्रय की आवश्यकता है क्योंकि वह सम्पत्तियां लोगों के पास 2-2 रुपये में किराये पर हैं । आप भी आसानी से 10,000 में बेच सकते हैं । मैं इसलिए कहना चाहता हूं आज तक किरायेदार बेच रहे हैं, जैसा मानीनय दिग्विजयसिंह जी कह रहे हैं । राज्य सरकार अपनी शक्तियों का, अपने अधिकारों का प्रयोग करके देवस्थान की भूमियों से, देवस्थान की प्रापर्टी से साधन इकट्ठे करें । इस बात का मैं निवेदन करूंगा ।

आखिर में, अध्यक्ष महोदय, मैं एक्साइज के एक मुद्दे पर....

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज । आॅर्डर, माननीय सदस्य ।

श्री मानिक चन्द सुराना : ध्यान है, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आर्डर । कृपया जारी रखें ।

श्री मानिक चन्द सुराना : एक्साइज के बारे में, अध्यक्ष महोदय, सरकार ने घोषणा की कि हम बीयर की दुकानें, इण्डिया मेड फॉरेन लीकर, देशी निर्मित विदेशी शराब के दुकानदारों के अलावा अन्य लोगों को देंगे । लेकिन हुआ क्या ? मुख्य मंत्री जी, आपने सारी बीयर की दुकानें उन्हीं को दे दीं जो इण्डिया मेड फोरेन लीकर के दुकानदार थे, लाइसेंस होल्डर थे । मैं पूछना चाहता हूं, क्यों दे दीं ? यह केन्द्रीयकरण आप क्यों करना चाहते हैं ? जिसके पास इण्डिया मेड फोरेन लीकर की दुकान है, मैं कहना चाहता हूं, उसको बीयर की दुकान दी । क्यों ? दूसरे आदमी को 500, 700, 1000 रुपये कमाने के लिए आपने यह सारा किया था, बीयर पर दो रुपये की एक्साइज ड्यूटी आपने कम की थी । आज भी, माननीय मुख्य मंत्री जी, वह बीयर उसी भाव में बिक रही है । आपने दो रुपये

(श्री मानिक चन्द सुराना)

एक्साईड ड्यूटी कम कर दी तो दो रुपये ड्यूटी बढ़ा दीजिए लेकिन उन इण्डिया मेड फोरेन लीकर की दुकान वालों को यदि आप हटा देंगे और अन्य छोटे लोगों को यह दुकानें देंगे तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को लाभ होगा। जो 200 बड़े कस्बे हैं राजस्थान में उन 200 कस्बों में यदि आप 3-4 लोगों को भी दुकानें देंगे। तो 1000 दुकानें देंगे। क्योंकि जब राज्य सरकार शराब और बीयर बेचने पर ही आमादा है, कोई प्रप्रोविजन का सवाल नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम नये संसाधन लाइसेंस फी के द्वारा, रेन्ट फी के द्वारा और बीयर की बिक्री बढ़ा कर जुटा सकते हैं। राज्य सरकार जब बिक्री बढ़ाना ही चाहती है तो बीयर की दुकानों के अलाटमेन्ट पर नये तरीके से विचार करके इसकी बिक्री बढ़ाकर, निश्चित रूप से 50 लाख के आप नये संसाधन जुटा सकते हैं।

(8.00 रात्रि)

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उम्मीद करता हूं कि यह जो लाउड थिंकिंग है, जो लाउड थिंकिंग जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तुत की है, इन सारे मुद्दों पर विनियोग विधेयक के पास करने के साथ साथ और उसके बाद भी विचार करेंगे। इसी आशा के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): आठ बजे का भी ध्यान रखें।

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्र शास्त्री। माननीय सदस्य काफी चर्चा हो चुकी है, मैं समझता हूं कि महेन्द्र शास्त्री...

श्री नत्थीसिंह : हमारी तरफ से तो पहले ही बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : काफी बोल लिए हैं आप।

श्री शोपतसिंह : हमारा नम्बर दूसरा है। सभी पार्टियों को थोड़ा थोड़ा टाइम दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संयम से बोलें। अगर आप ध्यान रखें तो मैं समय दे सकता हूं। लेकिन आप तो अपना भाषण बिल्कुल विस्तार में ले जाते हैं तो मुश्किल हो जाती है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री महेन्द्र शास्त्री (मण्डावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने, राजस्थान के वित्त मंत्री जी ने 2 जुलाई को राजस्थान की जनता के सामने इस सदन के सामने जो बजट प्रस्तुत किया है, बजट प्रस्तुत करते समय बजट में कुछ ऐसी झलक हुई कि माननीय मुख्य मंत्रीजी स्वयं इस बात को स्वीकार किये हुए हैं कि 38 साल के समय में पूंजी का

188

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

विनियोग, किया हुआ श्रम, इस सब के वांछित परिणाम इस राजस्थान को नहीं मिले। क्यों नहीं मिले ? इसकी झलक कहां मिली ? उन्होंने अपने भाषण में यह बात शुरू में ही कही कि जब मैं आपके सामने यह बजट प्रस्तुत कर रहा हूं तो अखिल भारतीय स्तर पर राजस्थान आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ प्रदेश है। मैं इस स्वीकृति से बात नहीं कहना चाहता। अगली बात आपने यह कही कि पिछड़ेपन के ऐतिहासिक और भौगोलिक कारण है, मैं इससे इंकार नहीं करता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि 38 साल का समय किसी प्रान्त के इतिहास के निर्माण के लिए, किसी देश के इतिहास के निर्माण के लिए कम नहीं होता। आप भौगोलिक परिवतन की बात कहते हैं, इतिहास परिवर्तन की बात कहते हैं, लेकिन सामंतशाही और राजाशाही के साथ नौकरशाही पनपी। हमने ऐसे सूबेदार अपनी पार्टी और अपने जनतंत्र की प्रणाली में पनपा दिए। आपने समय पर चुनाव नहीं कराए, स्वायत्तशासी संस्थाओं का निर्माण समय पर नहीं किया। आपने इस इतिहास को नहीं बदला। 38 साल का इस प्रान्त का नौजवान जो राजा-महाराजा का नाम नहीं जानता था, जो सामन्त, जागीरदार का नाम नहीं जानता था। लेकिन आपने जो नयी प्रथाएं दीं उन नयी प्रथाओं ने इस प्रान्त के इतिहास को नहीं बदला ? इसके दोषी आप हैं और इसकी झलक आपके बजट भाषण में स्पष्ट रूप से है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, उम्र की इस ढलान पर आपने इस बात को स्वीकार किया कि निश्चित तौर पर राजस्थान पिछड़ा हुआ है। जहां आपने प्रदेश की स्थिति का चित्रण किया, आपने राजस्थान कैनाल, श्रीमती इन्दिरा गांधी कैनाल का निर्माण किया, सन् 1958 में कार्य शुरू किया। 28 साल तक इस राजस्थान में जहां आप ग्रीनरी बनाना चाहते थे, जिसे आप हरियाली का प्रदेश करना चाहते थे आज वहां पाश्चर लैंड बन गयें ? आज उस राजस्थान कैनाल के सामने अस्तित्व का मुद्दा खड़ा हो गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें और इसको स्वीकार करें।

साथ ही मैं कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि इस प्रान्त में अगर कहीं से वह आता है तो खेत से आता है, खान से आता है। खेत और खान दोनों से स्थापित कारखाने से आता है। खेती की स्थिति क्या है ? 12 प्रतिशत इस देश की भूमि इस प्रान्त में निहित है लेकिन सिंचाई ? सिंचाई का साधन राजस्थान कैनाल तो खतरे में है। आपसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हमने छोटे-छोटे तालाब और बांध नहीं बनाए। इसका नतीजा क्या निकला ? आज हम कुओं से पानी निकालते हैं। जिले के जिले आपने पलैट एरिया डिक्लेयर कर दिए। क्यों ! इसलिए डिक्लेयर कर दिए कि छोटे-छोटे बांध नहीं बांधे, नदियों को नहीं रोका और कुओं का पानी सतह से इतना नीचे चला गया कि जहां पानी हम ऊपर खींचते हैं

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

उसे जितना एक्सप्लायटेशन एक्सप्लोर करते हैं उसके बाद हमारे कुओं में पानी नहीं है। यह किसान जो बारह प्रतिशत जमीन इस प्रान्त की मालिक है इसको आप सिंचाई का साधन नहीं देंगे, अच्छा बीज नहीं देंगे। खाद की स्थिति क्या रही ? आपके द्वारा प्रस्तुत बजट में खाद का भाव बराबर बढ़ता गया लेकिन किसान की पैदावार बराबर घटती जा रही है। अगर यही स्थिति इस खेत की रही जिसका मालिक किसान है तो क्या होगा ? वह किसान ही नहीं वह मजदूर है जो पैदा करता है। खान के बारे में भी आपने कहा, राजस्थान की खानों का और राजस्थान के खनिजों का पूरा दोहन नहीं हो पाया। कब करेंगे आप दोहन ? जो कारखाने आपने निर्मित किये उन कारखानों की स्थिति माननीय विपक्ष के नेता ने बताई थी, मैं भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मुख्य मन्त्री महोदय, आपके जो कारखाने हैं अलवर जिले से मैं आता हूं। कम से कम दो हजार कारखाने अलवर के औद्योगिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर एक हजार उद्योग अलीगढ़ के ताले की चाबी में बन्द है। क्या स्थिति है यह ? मजदूर किसान से पैदा हुआ है, गांव का आदमी शहरों में भागा आ रहा है। गांव में खेती का काम आर्टिजन के पास नहीं रहा। आज कुम्हार का काम, चमार का काम, लुहार का काम, जुलाहे का काम आपके विमल ने ले लिया, टाटा ने ले लिया, डालमिया ने ले लिया। वह सारे के सारे काम को आदमी आज शहरों में आ गया। शहर में झुग्गी झोंपड़ियों में रहता है। स्लम्स में रहता है। एक ओर जिस शहर में चार आने बीघा की जमीन दो हजार रुपया बीघा में अवेलेबल नहीं है, उसी शहर में गांव का आदमी, जो जमीन का मालिक हो नहीं बल्कि कारखाने को मजदूर देता है, देश को सिपाही देता है, इस झुग्गी झोंपड़ी में आकर बसता है। वह स्लम्स में जिन्दगी बिता रहा है। एक तरफ आप बस्तियों का निर्माण कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बहाव हो रहा है इस तरह का ?

गांव के बारे में शिक्षा के बारे में आप बात करते हैं। मैं बड़े अदब से निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से, क्या स्थिति है शिक्षा की ? आप शिक्षा के बजट पर पैसा खर्च नहीं कर रहे है। नए स्कूल नहीं खोलेंगे। जो पुराने हैं उनको कंसोलिडेट करेंगे। क्या कंसोलिडेट करेंगे ? जहां टाट-पट्टियां नहीं हैं वहां टाट-पट्टी देंगे। अध्यापक के पास कुर्सी नहीं है, आप कुर्सी देंगे। जीर्ण-शीर्ण भवन हैं, वहां भवन देंगे ? जो बच्चा आज नीम के पेड़ की छाया में पढ़ते हैं आपका बजट उनके लिए कुछ छाया का प्रावधान करेगा ? या ऐसे स्कूल आप प्रोवाईड करेंगे जहां सामान्य विषय पढ़ाये जायेंगे। एक ओर हमारे ही देश में, हमारे ही प्रान्त में एक ऐसी शिक्षा है जो आई. ए. एस. अफसर को जन्म देती है, जो आर. ए. एस. अफसर को जन्म देती है पब्लिक स्कूल खुले हुए हैं, दूसरी ओर मेरे गांव का बच्चा आज नीम के पेड़ के नीचे बैठ कर पढ़ता है उसके सिर पर छाण नहीं है। आप उसके लिए 38 साल बाद यह सोचने के लिए विवश हुए हैं कि हम उसको

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

कुछ छाएए छप्पर देंगे ? क्या स्थिति है उसकी ? जी. ग्रार. पी. की भर्ती होती है, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, 80 ग्रादमी लिए जाते हैं जबकि तीस हजार गांव का जवान बी. ए, एम. ए. पास उस भर्ती की लाईन में खड़ा होता है। जंगलात के लिये गार्ड लिये जाते हैं, वनपाल लिए जाते हैं, 8-8 ग्रादमी की भर्ती होती है। ग्राठ-ग्राठ हजार गांव का बेरोजगार जवान बी. ए. ग्रौर एम. ए. पास शहरों में इनकी भर्ती के लिए लाईन में खड़ा होता है ग्रौर दुत्कार कर भेज दिया जाता है। ग्राज बेटी जवान होने की चिन्ता नहीं गांव के ग्रादमी को, बेटे के जवान होने की चिन्ता खड़ी हो गई है। मैट्रिक पास लड़का, बी. ए. पास लड़का, एम. ए. पास लड़का तहमत बांधता है, पान चबाता है ग्रौर दिन भर लता मंगेशकर के गाने सुनता है। बाप को पसीना ग्रा रहा है, चालीस साल की उम्र में बूढ़ा हो गया, उसके पास देने को कोई रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है। खेत में ग्रापने सिंचाई नहीं दी। ग्रापने उसको कोई कारखाना नहीं दिया। स्कूल में वह शिक्षा नहीं दी। कहां जाएगा वह ? क्या करना चाहते हैं। ग्रापने इस पूरे के पूरे बजट में 27 प्रतिशत तो बजट दिया है गांव को। इसने पैदा कौन लोग किए ? सारे के सारे वह लोग जो ग्राज शहर की सड़कों पर बेकारी का, झण्डा लिए बेरोजगारी का झण्डा लिये मारे मारे फिर रहे हैं। क्या होगा इस नयी पीढ़ी का ? जिस नयी पीढ़ी की चिन्ता की जा रही है ? मैं ग्रापसे ग्रनुरोध करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, ग्रगर ग्रर्थ भरी शिक्षा नहीं है, शिक्षा ग्रगर मनुष्य को कोई रोजगार नहीं दे पाती तो उस शिक्षा का कोई ग्रर्थ नहीं होता मनुष्य जीवन के लिए। ग्राज सिर्फ साक्षर बनाने के लिए इतना बड़ा बजट क्यों दे रहे हैं ? ग्रगर ग्राप इनको कोई ग्रर्थ भरी शिक्षा दे सकते है, ग्रगर ग्राप गांवों में ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हों, तो मैं ग्रापसे ग्रनुरोध करना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में ग्राप इस तरह की कोई व्यवस्था कीजिए वरना हमारा यह गांव ग्राज खेती तरफ से उजड़ रहा है। ग्राज स्थिति क्या है ? जिसके पास बीस बीघा, पच्चीस बीघा जमीन है उसका बेटा चपरासी बनने को तैयार है। उसका बेटा फोरमैन बनने को तैयार है, उसका बेटा वन पाल बनने को तैयार है। कारण क्या है ? चपरासी से भी गिरी हुई हैसियत का सामान उस गांव के ग्रादमी को नहीं मिलता। ग्राप टोटल लगा कर देख लीजिये उसकी उपज का, कितनी उसकी मेहनत है, कितना उसको बिजली में खर्च करना पड़ रहा है, कितना उसको खाद-बीज में खर्च करना पड़ रहा है ग्रौर इसके बाद किस भाव उसकी जिन्स बाजार में बिकती है। जो इस सारे देश का ग्रन्नदाता है, जो इस सारे देश की सीमा की रक्षा करता है उसका बेटा सिपाही ग्रौर चपरासी बनने के लिये तैयार है, खेत में जाने को तैयार नहीं क्योंकि उसको वह सुविधाएं खेत पर नहीं मिलती जो एक चपरासी को मिलती है। ग्राप हमें यह दे दीजिये हम संतोष कर लेंगे। हम तैयार हैं उसको स्वीकार करने के लिये, यह पूरा 80 प्रतिशत गांव इस बात के लिये तैयार हैं। वहां का ग्राटिजन बेरोजगार वहां का युवक बेरोजगार, चपरासी से गिरी हुई हमारी हैसियत ग्रौर ग्राप यह कहना

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

चाहते हैं कि इस प्रान्त का इतिहास गड़बड़ हो गया। आप यह कहना चाहते हैं इस प्रान्त का भूगोल इस बात के लिये दोषी है। स्वीकार कीजिये, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, कहीं न कहीं इस व्यवस्था में श्रम का नियोजन हुआ, पूंजी का नियोजन हुआ, 38 साल का समय बीता, मैं एक बात दावे के साथ कहना चाहता हूं सिर्फ प्रबन्ध की एक व्यवस्था ऐसी थी, वह प्रबन्ध की व्यवस्था समुचित नहीं रही। इस देश के श्रम को सही दिशा नहीं मिली, इस देश की पूंजी को सही दिशा नहीं मिली। आप प्रबन्ध कर्त्ता, आपका अधिकारी और आपका अफसर, इनके बारे में मैं क्या कहूं। सिर्फ पांच लाख अधिकारी इस राजस्थान में हैं अगर एक एक अधिकारी के परिवार में ईकाई पांच पांच को भी मानो जायं तो 25 लाख व्यक्ति इस सरकार के एक्सचेकर पर पलते हैं। साढ़े तीन करोड़ के प्रान्त में 25 लाख आदमी तो इस देश के एक्सचेकर पर पलता है और तीन करोड़ 25 लाख आदमी इन 25 लाख लोगों को पालने के लिये सुबह से शाम तक जुटता है। क्या स्थिति है?

इतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम हमारे अध्यापकों को ले लें, वह हमारे भी हैं और आपके भी हैं, कहां से गड़बड़ हुई। आपकी सरकार अच्छी है। राजीव गांधी भी बहुत अच्छे हैं, बीसवीं सदी में ले जाना चाहते हैं, टी. वी. पर आपकी शक्ल भी बड़ी सुन्दर दिखती है....

श्री हरिदेव जोशी : 21वीं सदी में।

श्री महेन्द्र शास्त्री : 21वीं सदी में जाने की स्थिति क्या है, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, आपकी पहचान आप नहीं हैं राजीव गांधी की पहचान राजीव गांधी नहीं नहीं है, आपकी पहचान है गांव का पटवारी आपकी पहचान है गांव का ग्राम सेवक, आपकी पहचान है वह तहसीलदार और थानेदार, आपकी पहचान है रेल्वे स्टेशन, आपकी पहचान है बस स्टेशन। राज अच्छा है या बुरा है, अगर लोग इस बात को जानते हैं तो इस बात से जानते हैं कि थाने में क्या होता है तहसील में क्या होता है, न्यायालय में क्या होता है। होंगे, माननीय मुख्य मन्त्रीजी, आप धर्मात्मा, निश्चित तौर से आप ज्ञानी आदमी भी होंगे आपका मन भी बहुत स्पष्ट होगा, लेकिन आपके प्रतिनिधि जो बैठें हैं उनकी स्थिति क्या है आपकी पहचान उनसे होती है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यह प्रबन्ध की गड़बड़ जो कारखानों में भी आई, जो खेतों में भी आई इसके बारे में आप ध्यान दीजिये।

मैं थोड़ा सा आपका ध्यान स्वास्थ्य की ओर केन्द्रित करना चाहता हूं। क्या स्थिति है स्वास्थ्य की? आप स्वास्थ्य पर पैसा खर्च करना चाहते हैं, शुद्ध जल नहीं मिल रहा। जल की व्यवस्था बड़ी गड़बड़ है। जो अनिवार्य है, सरकार का पहला धर्म है वह जल नहीं मिल रहा। जल के बाद अन्न नहीं मिल रहा। अन्न के बाद वस्त्र नहीं मिल रहा। हमारे पास मकान की व्यवस्था नहीं, शिक्षा की व्यवस्था नहीं और स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं। यह तो अनिवार्यता है जो आपके बजट में आपकी

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

सरकार की देने की चीज है। तो स्वास्थ्य की स्थिति यह है कि गांवों में आपने औषधालय खोल दिये, गांवों में आपने डिस्पेन्सरियां खोल दीं, बड़े बड़े शहरों में अस्पताल खोले गये हैं। मैं अलवर शहर से आता हूं, बड़ा अच्छा अस्पताल है राजा के जमाने का बना हुआ। मैं दोहराना नहीं चाहता इस बात को लोग कहते हैं क्या इतिहास लिखा है आपने, जिस राजा मह.-राजा को लोग याद नहीं करना चाहते, उसके बारे में भी लोग चर्चा करते हैं कि कहीं कहीं तो वह राज और वह वक्त भी अच्छा था। उस अस्पताल के चारों तरफ बहुत बडा नाला बना हुआ है। उस नाले में कीचड़ है। वह नाला सड़ता है। उस शहर के लोग सुबह ही पांच बजे लोटा लेकर जनाना अस्पताल में, मर्दाना अस्पताल में, शौचालय समझ कर टट्टी करने जाते हैं। यह अलवर के जनरल हास्पिटल की स्थिति है। यह अलवर के जनाना हास्पिटल की स्थिति है। हो सकता है, हमारे पास पैसा नहीं हो। हो सकता है, यह सरकार दिवालिया हो, मैं नहीं कहता। यह भी हो सकता है, आपके पास पूरा खर्च करने को पूरी सुविधा का पैसा न हो लेकिन, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, क्या यह भी स्थिति ठीक नहीं हो सकती कि वार्ड में कुत्ते घुस कर बच्चों को उठा ले जायं या सुअर वहां चले जायं या आवारा गायें अस्पताल में घूमती रहें। क्या इस स्थिति को ठीक करने के लिये भी पैसे की आवश्यकता है? क्या पोस्ट मार्टम के लिये उस कमरे में एक बल्ब लगाने के लिये भी पैसे की आवश्यकता है? या हम इतना भी नहीं कर सकते? इधर वन विभाग आपका बड़ी तेजी से चल रहा है, वन विभाग में बड़ी स्फूर्ति आ रही है। अस्पताल के पास इतना अहाता है, जनाना अस्पताल के बाहर अहाता बना हुआ है, लेकिन आप वन विभाग का उपयोग नहीं कर सकते।

मैं आपसे एक और दर्दनाक बात कहना चाहता हूं, हमारे उस अलवर के अस्पताल में मैं आपसे अपनी बीती बात कहूं तो शायद बुरा लगेगा लेकिन यह मौका है। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, मेरा 21 साल का जवान बेटा मैंने शाम को अस्पताल में 9-10 बजे भर्ती करा दिया, सुबह ही दो बजे मुझ को अस्पताल से उसकी लाश मिली जब कि वह लड़का स्वयं रिक्शे में बैठ कर हंसता बोलता अस्पताल में भर्ती हुआ था। सिर्फ इस कारण से उसकी मौत हो गई कि डाक्टर ने उसको प्रापर टाईम पर अटेण्ड करने से मना कर दिया। सुबह ही सात बजे मैं सर्जन के घर गया। मैंने सुबह ही सात बजे सर्जन को कहा, मेरे बच्चे की हालत मुझको खराब नजर आती है। साढ़े दस बजे तक सर्जन उस अस्पताल में नहीं आया और मैं बराबर इस बात का तकाजा करता रहा। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, उसके बाद इक्वा-यरी कमेटी बैठाई गयी माननीय मुख्य मंत्री ने एक इंक्वायरी कमेटी का गठन किया, मुझे पता नहीं उस इंक्वायरी कमेटी का क्या हुआ। ऐसी सिर्फ मेरे बच्चे की मौत नहीं, अलवर में पांच सात दस ऐसी मौत हुई जिनको एनेस्थिसिया नहीं मिला। एनेस्थेसिया का डाक्टर नहीं है वहां, 'ए' क्लास हास्पिटल

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

है लेकिन ऐसा डाक्टर आपने रखा हुआ है जो एनेस्थेसिया नहीं दे सकता। एक आदमी को लोकल इंजेक्शन दिया गया, लोकल इंजेक्शन से मौत हो गई। एक के आपने टांसल्स का आपरेशन किया, टांसल्स के आपरेशन में मौत हो गई। हम चिल्लाते रहे, जनता चीखती रही, अलवर में हड़तालें होती रहीं, न इंक्वायरी का पता, न रिपोर्ट का पता। हम पूछना चाहते हैं, किसलिये आप हमारे स्वास्थ्य पर पैसा खर्च कर रहे हैं? अगर आप भगवान भरोसे छोड़ दें जिसकी आयगी वह मर जायेगा, जिसकी रहेगी वह बच जायेगा तो सरकार का बजट बचेगा, यह खर्चा कम हो जायेगा और हमारी तो जो स्थिति है वह रहेगी, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय।

मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं, आप चाहते हैं कि इस प्रान्त का विकास हो, आप चाहते हैं कि इस प्रान्त में कुछ आगे बढ़ें तो दो बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको सामाजिक न्याय की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। सामाजिक न्याय यह तकाजा करता है कि व्यवहार बिल्कुल ठीक हो, सब के साथ व्यवहार ठीक हो। अगर आपके पास आती है....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री महेन्द्र शास्त्री : एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट आपने बनाया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री महेन्द्र शास्त्री : उस एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट में अगर पब्लिक का आदमी आ जाय, छोटा कर्मचारी अगर आ जाय, एल. डी. सी. आ जाय, पटवारीजी आ जायें, तो आप चालान पेश कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय अगर सारे आई. ए. एस. और आर. ए. एस. अफसर दूध के धुले हुए थे, इनके खिलाफ कोई करप्शन का चार्ज भी आज तक नहीं लगा, यह कभी करप्ट हुए ही नहीं तो राजस्थान की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? क्या सारी जिम्मेदारी नेताओं पर है? हमारे ब्यूरोक्रेट भी हमारे देश के उतने ही अच्छे नागरिक हैं लेकिन स्थिति यह हो गई कि इस प्रान्त का ब्यूरोक्रेट, इस प्रान्त का नौकरशाह सरकार के हुक्म के साथ साथ जनता की उपेक्षा भी करता है और जनता की बात को स्वीकार नहीं करता। अगर भ्रष्टाचार को नहीं रोका गया तो स्थिति खराब हो जायेगी। हमारे लूप-होल्स चाहे बिजली में होते हों, चाहे शिक्षा में होते हों, चाहे हमारे स्वास्थ्य में होते हों, या रेवेन्यू में होते हों, जहां भी कहीं यह सरकारी कर्मचारी हैं इन पर थोड़ा अंकुश लगाने की कोशिश कीजिये। आप दुबारा इस प्रान्त के मुख्य मन्त्री बने हैं,

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री महेन्द्र शास्त्री : उम्र के ढलान पर हैं, आप इस बात को समझें और देखें इस स्थिति को कि प्रान्त को नया भूगोल और नया इतिहास क्या आप दे सकते हैं। आपने भूगोल और इतिहास का नाम लेकर स्वयं को पता नहीं संतोष दिया है या सदन को समझाया है....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री महेन्द्र शास्त्री : या पता नहीं इस प्रान्त की जनता को समझाया है। लेकिन मैं, माननीय मुख्य मन्त्री जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं इतिहास और भूगोल के नाम पर अब आप अपनी क्षमताओं को ऐसे न आंके, इतिहास भी बदलना चाहिये, भूगोल भी बदलना चाहिये। इस प्रान्त की साढ़े तीन करोड़ जनता का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसमें एक नयी गति फूंकने के लिये एक नया कदम उठाने का प्रयास करें। यह विरोध पक्ष के लोग हम जो ना पक्ष में बैठे हैं हम चाहते हैं सहयोग करें, एक कंस्ट्रक्टिव सहयोग देना चाहते हैं लेकिन एक किसान की, गरीब की, मजदूर के हित की रक्षा हो सके इसके लिये हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं। यह टैक्स लगा कर क्यों बढ़ा रहे हैं? किस लिये आप टैक्स लगा रहे हैं? बिजली का टैक्स आप बढ़ायेंगे, बिक्री कर आप बढ़ायेंगे। मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, कोई मान्यता निर्धारित कर दीजिये समाज में, सबसे बड़ा सक्षम आदमी वह होता है जो समाज में किसी व्यवस्था को जन्म देता है और उस दी हुई व्यवस्था की मान्यता को सारे समाज को अपना नैतिक बल लगा कर स्वीकार कराता है। मैं आपकी उन मान्यताओं के सौ प्रतिशत परिणाम की अपेक्षा नहीं करता, स्वयं भी नहीं चाहता मनुष्य हूं इसलिये, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आप कोई मान्यता और नार्म स्थापित कीजिये, अगर पचास प्रतिशत भी आप उसकी पालना करा देते हैं तो मैं निश्चित तौर पर यह मानूंगा कि आप स्वर्ण पदक से उत्तीर्ण हुए। लेकिन पचास प्रतिशत भी अगर समाज में और बजट की व्यवस्था में नहीं हो निश्चित तौर से कहना चाहिये कि आप यह हमारा मन रखने के लिये, अपना मन रखने के लिये कोई बात कह दें, विकास की कोई सम्भावना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री महेन्द्र शास्त्री : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्रीजी। आर्डर, माननीय सदस्य, कृपया।

(व्यवधान)

सहयोग करें, कृपया। समय बहुत हो गया। माननीय सदस्य काफी बोल चुके।

श्री मोहन प्रकाश : एक लाइन, मैं भाषण नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शोपत सिंह : मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत ही वेल्यूबल सुझाव है मेरे पास।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया सहयोग करें।

श्री शोपत सिंह : दलों की बात तो आये।

श्री अध्यक्ष : कृपया सहयोग करें। मगराज जी बैठें कृपया। कृपया सहयोग करें माननीय सदस्य।

श्री शोपत सिंह : मेरी शोर्ट में बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मेरा निवेदन मान लें, कृपया बैठें।

श्री शोपत सिंह : बड़े शार्ट में मैं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : शोपतसिंह....

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। आप मेरी आवाज भी नहीं पहुंचने देना चाहते।

श्री शोपत सिंह : मेरा सुझाव बहुत कीमती है....

(व्यवधान)

श्री मोहन प्रकाश : मैं इतना ही चाहूंगा कि जब दिल्ली जा रहे हैं मुख्य मन्त्री जी, तो गंगा जमुना के पानी, चम्बल के पानी के विवाद के बारे में भी कुछ खुलासा करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री मगराज चौधरी (आहोर) : अध्यक्ष महोदय, हम भाषण नहीं देना चाहते संक्षेप में सुझाव देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री मगराज चौधरी (आहोर) : अध्यक्ष महोदय, सुझाव देने में क्या आपत्ति है, समझ में नहीं आता। मैं लम्बा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता केवल संक्षेप में सुझाव देना चाहता हूं। सदन आखिर प्रांत के लोगों की बहबूदी के लिए है। अगर इस प्रकार वाटर टाइट कम्पार्टमेंट आप कर देंगे तो फिर हमारी बैठक काहे के लिए बुलाई ? नहीं बुलाते

श्री अध्यक्ष : कृपया, बैठें, माननीय सदस्य।

श्री मगराज चौधरी : मैं सुझाव देना चाहता हूं, मुझे बैठने में आपत्ति नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का हृदय से आभारी हूं, दो दिनों में, कल और आज, उन्होंने काफी रुचि लेकर प्रोप्रिएशन बिल के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए। मगर मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूं विनम्रतापूर्वक इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय यहां पर इस बात की चर्चा की गई कि टैक्स तो लगाये गये हैं मगर काम क्या है। अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि गांवों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया कि गांवों के ऊपर खर्चा कम है और शहरों के ऊपर खर्चा ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि प्रशासन शिथिल है और....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चीफ सेक्रेटरी साहब को दिल्ली भेजा है और चीफ सैक्रेटरी साहब यहीं बैठे हैं।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री महोदय ने गलत सूचना दी है। मुख्य सचिव यहां बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। माननीय श्री नाथूसिंह जी, कृपया बैठें।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को इसलिए मैंने कहा कि कुछ बातों से मैं सहमत नहीं हूं। इस बजट में सिंचाई के ऊपर कितना प्रोविजन है माननीय सदस्य जानते हैं। इस बजट में बिजली के ऊपर कितना प्रोविजन है माननीय सदस्य जानते हैं। क्या बिजली और सिंचाई का बजट केवल शहरों के ऊपर ही खर्च किया जाएगा? क्या उसका गांवों के आदमी से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा? क्या सिंचाई का पानी केवल शहरों में जाएगा? यह 27 प्रतिशत केवल गांवों पर खर्चा हो रहा है, ऐसा कहा गया, कि यह सही नहीं है क्या? यह सही ढंग से पेश नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, बजट को पेश करते हुए—

(व्यवधान)

मैं आपके बोलते समय बिल्कुल नहीं बोला था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य। कृपया बैठें।

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : आप मुझसे सीधा सवाल पूछें मुझे एड्रेस करके कि माननीय मुख्य मन्त्री जी आप बताइए तो फिर मेरा फर्ज हो जाता है कि मैं बताऊं। वरना कभी बीच में मैं नहीं बोलता किसी के भी। अध्यक्ष महोदय, अपन को साफ समझना है कि हम क्या चाहते हैं। जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, हमें स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट के बारे में ही नहीं सातवीं पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में भी मैं यह कहूं कि जब तक बिजली की उचित व्यवस्था हम नहीं कर पाते हैं तब तक हम राजस्थान का विकास नहीं कर सकते। मैं यह कहना चाहता हूं कि सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं करते हैं तो हम कभी भी राजस्थान का विकास नहीं कर सकते। मैं कहना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि कोटा थर्मल की स्टेज-टू को पूरा नहीं किया जाय? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि माही स्टेज टू पूरा नहीं किया जाय? क्या यह चाहते हैं आप कि जैसलमेर का, रामगढ़ का गैस बेस्ड प्लान्ट पूरा नहीं किया जाय? क्या आप यह चाहते हैं कि माइक्रो स्टेशन जो पावर की लगाने हैं उनको पूरा नहीं किया जाय? अगर यह पूरे नहीं किये जाते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि चाहे आप कितनी ही कुछ भी व्यवस्था कर लीजिये राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए हमारा स्टेण्ड यह है कि एक तरफ आप बिजली के अन्दर अथवा आर. एस. ई. बी. के अन्दर अगर कहीं कोई अव्यवस्था है तो आप उसको दूर कीजिए। लाइन लासेज को कम कीजिए लीकेज हैं तो उनको प्लग कीजिए और व्यवस्था का सुधार करके दूसरी तरफ जनरेशन को बढ़ाइए इन सारे कामों के अन्दर आपको आगे बढ़ने के अन्दर मदद मिलेगी, यही मुझे कहना है। आप सोचने की कोशिश कीजिए, हम एक बिल्कुल ऐसा

(197)

(श्री हरिदेव जोशी)

वातावरण बनाना चाहते हैं। जैसा अभी एक भाई ने कहा कि 38 वर्ष में क्या हुआ ? 38 वर्ष में हजारों कुओं पर, लाखों कुओं पर बिजली मिली है। यह कोई अचीवमेंट नहीं है। आज इतना पावर जनरेशन हुआ क्या यह अचीवमेंट नहीं है ? आज अनेक जगह पीने का पानी मिला, क्या यह अचीवमेंट नहीं है ? आज अनेक स्थानों पर सड़कें बनी, क्या यह अचीवमेंट नहीं है ? यह कहा जाता है कि सातवी पंच वर्षीय योजना के अन्दर गांवों के लिए क्या काम है ? जो गांवों के अन्दर सड़कें बनेंगी यह गांवों के लिए नहीं हैं ? मैं यह कहना चाहता हूं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना ग्रामोन्मुखी है, गांवों की तरफ उसका मुख है, उधर उसका मोड़ है और सातवीं पंचवर्षीय योजना राजस्थान के गांवों के लिए है। अब आप इस रूप में....

(व्यवधान)

यह तो नजरिए का दोष है। मैं जो कहना चाहता हूं यह नजरिए का दोष है। अब मैं कहना चाहता हू, अभी पूछा गया, खराबी को ठीक करें कैसे ? मैंने उस दिन बहुत नम्रतापूर्वक कहा था मगर धीरे से कहा था बगैर जोर दिए हुए कहा था, 17 हजार आदमी एक्सट्रा बगैर काम के अनयूज्ड, बगैर काम के राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भर लिए गये, आज क्या यूज करें उनका ? कैसे करें उनका ? कैसे निकाल दें उनको ? क्या करें उनका ? आज स्थिति यह है कि हम को बैठ करके सोचना है कि हमने अगर भूतकाल में कोई गलती की है तो उस गलती को सुधारें। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं, अगर कहीं भी कोई भी खराबी है उसको दूर किया जाना चाहिए। इस लिए आपने देखा होगा, हमारे अप्रोच में गलती भी हो सकती है। आप सही बात बतला सकते हैं उसको मैं करेक्ट करने के लिए तैयार हूं। आपने कहा कि आप सुधार कीजिये, हम आपको राय देने के लिए तैयार हैं। मैं आपको तारीख दे दूंगा, आपके घर पर आ जाऊंगा आप बैठ कर के जितनी भी, जिस तरह से भी आपको मदद मिल सकेगी उसको लेने की कोशिश करूंगा। मैं राजस्थान की जनता के सेवक के रूप में किसी के भी घर पर जाने के लिए तैयार हूं उसकी बात को सुनने के लिये भी तैयार हूं। मगर मैं ऐसा समझता हू, जो बजट जो सातवीं पंच वर्षीय योजना आज यहां पर आपके सामने रखी गयी है यह कहना कि वह ग्रामोन्मुखी नहीं है, यह सत्य को डिस्टॉर्ट करना है और सत्य को सही रूप से पेश नहीं करना है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर बिजली की दरों बाबत में, सैल्स टैक्स के बारे में, सैल्स टैक्स के ऊपर सरचार्ज के बारे में और खानों के ऊपर सरचार्ज के बारे में कुछ बातें कही गयी। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप फैसला कीजिये, हजार करोड़ रुपया सातवीं पंचवर्षीय योजना में नहीं लगाना चाहिये, एडीशनल रिसोर्सेज मोबिलाइज नहीं करना चाहिये ? अगर आप यह सोचते हैं कि उसके किये बगैर आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना ठीक हो सकती है तो मुझे कहीं कोई चाव नहीं हैं रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन का। मगर मैं

(श्री हरिदेव जोशी)

कन्विंस्ड हूं और मैं यह समझता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर उन्हीं राज्यों ने आगे कदम बढ़ाये हैं, उन्हीं ने छलांग लगायी है जिन राज्यों ने कुछ साहस करके एडीशनल रिसोर्सेज मोबिलाइज किये हैं। एक नये टैक्स की...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उन्होंने विकास किया जिनकी नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ी है।

श्री हरिदेव जोशी : नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़े मैं उसका विरोधी नहीं हूं। आपने पहले भी कहा था। आंकड़ों के साथ में मैंने उसको आपके सामने रखा था, नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़नी चाहिये उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर वह बढ़े तो उसके लिए पूरे प्रयत्न करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अभी यहां पर खानों के ऊपर रायल्टी के बदले में सरचार्ज लगाने की बात कही गयी। मैं कहीं कोई छिपाना नहीं चाहता। किसी ने कहीं भी कभी भी यह नहीं कहा है कि जंगल के ऊपर टैक्स लगाया जायेगा और यहां पर प्रपोज भी नहीं किया है, यह तो अगर कोई ऐसा करता है तो सिवाय अगर किसी ने जंगल काट डाले तो बुद्धि का ही फेर हो सकता है अक्ल की सराहना नहीं की जा सकती। अध्यक्ष महोदय, कहीं भी जंगल आज प्राइवेट तो हैं ही नहीं, सारे के सारे सरकारी हैं। फिर जंगल काटने का और उनके ऊपर टैक्स लगेगा, अगर जंगल के ऊपर टैक्स लगाने की कोई बात है तो वह सरकार के ऊपर टैक्स लगाने की बात हुई, प्राइवेट के ऊपर टैक्स लगाने की बात कहां है।

इसी प्रकार से बगीचों की बात भी कहता हूं। आज इसके अन्दर सरकार ने कहीं भी यह नहीं कहा है, मैं कहना चाहता हूं और माननीय सदस्यों को बतलाना भी चाहता हूं, कान्फिडेंस में लेकर बतलाना चाहता हूं, राजस्थान के अन्दर यह टैक्स पहली बार लगाया जा रहा है मगर राजस्थान से बाहर लैण्ड माइन्स के ऊपर बिहार में, वेस्ट बंगाल आदि स्टेट के अन्दर है। वहां पर....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री हरिदेव जोशी : आप सुने तो मैं आपको कहूं और अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं तो आप अपनी बात जारी रखिये।

बिहार के अन्दर रायल्टी 43 करोड़ है और सेस 200 करोड़ रुपया है। वेस्ट बंगाल के अन्दर दो करोड़ रुपया रायल्टी है और 95 करोड़ रुपये सेस है। राजस्थान के अन्दर 25 करोड़ रुपया रायल्टी है और सेस केवल 7 करोड़ रुपया होगा। आप क्या कहना चाहते हैं ? अगर आप यह सोचते हैं कि मुझे इसके ऊपर नहीं लगाना चाहिए, मैं विथड्रा करता हूं। मुझे कहीं

(श्री हरिदेव जोशी)

कोई एतराज नहीं है। मगर मैं कन्विस्ड हूं इस बात से कि नये रिसोंसेस ढूंढने चाहिए मैं यह मानता हूं कि माइनर मिनरल में और मैजर मिनरल में एक प्रकार का भेद है। उस भेद को दूर करके राजस्थान सरकार ने दूसरी सरकारों ने जिस प्रकार से अपने रिसोंसेज को बढ़ाने की कोशिश की है, एक नया आइटम एड करके और अपने रिसोंसेज को बढ़ाने की कोशिश की है। वजन किसके ऊपर पड़ रहा है? जरा सोचने की कोशिश कीजिये। आप आलोचना करते हैं सरकार की। जो लाखों रुपया कमाता है और कुछ सौ रुपया सरकार को देता है, आपको क्या एतराज है उसके ऊपर लगाने में ?

(व्यवधान)

अभी यहां पर कहा गया कि वह नहीं लगाना चाहिए। उसका विरोध किया गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहां किया गया है?

श्री हरिदेव जोशी : आप देख लीजिये अपनी प्रोसीडिंग्स को उठा करके।

तो इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं कि मेरा मतभेद इस राय से है मैं कह रहा हूं कि मेरा मतभेद है। राजस्थान के हित में मतभेद है। आज अगर कोई डोलोमाइट अथवा ताम्बा अथवा जिंक अथवा लेड अथवा आॅयल, इसके ऊपर हम साधारण सी रायल्टी ले कर के किसी का बहुत बड़ा पैसे वाला बना दें, बनता है अगर हमारे इनके दोहन से और अगर राजस्थान के गांव का एक आदमी जो आज चड़स से पानी खींचता है और खेत में पानी पहुंचाता है उसको अगर इससे आमदनी हो करके उसके कुएं के ऊपर बिजली लग जाती है तो ऐसा टैक्स लगाने के लिए मैं हामी हूं और कहता हूं कि इसमें किसी भी गांव वाले का कोई नुकसान नहीं है। अगर कुछ पैसा कम होगा, पैसा कहीं किसी के ऊपर लगेगा तो उस पैसे वाले के ऊपर लगेगा जो पूंजी से पूंजी बना करके अपने आपको अधिक पैसे वाला बना रहा है।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिये. जिस टैक्स के बाबत में कहा गया है कि सैल्स टैक्स के ऊपर इतना भार पड़ गया है। कितना भार है? कुछ देखने की कोशिश की है? टेन पर्सेन्ट आफ दी सैल्स टैक्स। टेन पर्सेन्ट आफ दी टैक्स—

(व्यवधान)

आप कुछ कह दीजिये, मुझे कोई एतराज नहीं है। मगर आज इसके बाबत में जो एक्सप्लेनेशन निकला है उससे हर राजस्थानी सहमत है कि यह कोई अधिभार इतनी अधिक नहीं है जिससे कि वे रोयें। आज इसमें....

श्री नाथूसिंह : कमलापति रिपोर्ट के अनैक्स्चर में लगाया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य। बैठें।

श्री हरिदेव जोशी : रूलिंग पार्टी में और विरोधी पक्ष में इस बाबत मतभेद हो सकता है, इन्हेंरेट मतभेद रहा है। जिस समय आप गवर्नमेंट में थे उस समय आपने टैक्स नहीं लगाये ? आपने पानी की रेट्स नहीं बढ़ायीं थी ? आपने सारे टैक्स माफ कर दिये थे ? योजना व्यय आपने बढ़ा दिया था ? आपने....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने कहा कहा था कि 36 करोड़ रुपये से राजस्थान को चमन कर देंगे। 36 करोड़ रुपये लगा कर और लोगों को लूट रहे हैं। शराब खोल रखी है औरों पर भी टैक्स लगा रहे हैं। शराब बन्द कर दीजिये फिर और टैक्स लगा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, बैठें। कृपया बैठें।

श्री हरिदेव जोशी : बहिन जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी उस चीज को जनता ने स्वीकार किया होता तो आपको दूसरी बार चुन कर फिर भेज दिया होता, कांग्रेस को नहीं भेजा होता।

श्रीमती उजला अरोड़ा : श्रीमती इन्दिरा गांधी नहीं तो आज इतिहास दूसरा होता।

श्री हरिदेव जोशी : श्रीमती इन्दिरा गांधी संसार की वो नेता हैं जिसको संसार का हर व्यक्ति याद करता है और यह कहता है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : वो होती तो परिणाम कुछ और होता....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या।

श्री हरिदेव जोशी : आपकी बात को कोई नहीं सुनता, मेरी बात को कोई नहीं सुनता है, इन्दिरा गांधी की बात को सुनता है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : इन्दिरा गांधी होती तो सरकार नहीं बनती....

श्री हरिदेव जोशी : हां, हां इन्दिरा गांधी के बगैर नहीं बनती, कांग्रेस की सरकार नहीं बनती।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य।

श्री हरिदेव जोशी : इन्दिरा गांधी के बगैर कांग्रेस की सरकार नहीं बनती, यह सही है। इसको भी मैं स्वीकार करता हूं मुझे इसमें कहीं कोई वो नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : यह पॉलिटिक्स है जिसमें पालिटिकल पार्टी के नेता, उसका कार्यक्रम और उसकी योजनाएं जनता के सामने रखी जाती हैं। आपने भी उसको

(श्री हरिदेव जोशी)

रखा। इन्दिरा गांधी की कांग्रेस ने भी रखा। दूसरी पालिटिक्ल पार्टियों ने भी रखा। उसके आधार के ऊपर चुन कर के लोग बाग यहां पर आये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी यहां पर भ्रष्टाचार की बात कही गयी। जजेज को निकालने की बात कही गयी। मैं माननीय सदस्यों की राय से सहमत हूं। एक पर्ज किया जाना चाहिए। आज यहां नहीं होता है, झिझक होती है उसके अन्दर संडाध आती है। मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में कई फाइलें इकट्ठी हुई थीं, गये महीने में मैंने कम से कम 250–300 फाइलें एन्टी-करप्शन की जो अनडिसाइडेड पड़ी थीं, उनको निकाल कर चालान करने के लिए भेज दिया है। माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार के किसी भी आदमी को शील्ड नहीं करेगी।

एक माननीय सदस्य : उसमें कितने आई. ए. एस. होंगे....

श्री हरिदेव जोशी : जितने भी हैं, मेरे पास जो केस तैयार होकर आया है उसको मैंने भेजा है। मैंने उसमें से किसी को रोका भी नहीं हैं। यह तो मेरे सरकार का रिकार्ड नहीं है, आपकी सरकार का रिकार्ड है कि 311 कैसेज तैयार करके जिन लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया था उनको वापस आपने ले लिया पोलिटिकल आधार पर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इमरजेन्सी में बिना सुनवाई किए राजनीतिक आधार पर लोगों को निकाला, यह उसका परिणाम है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री शोपत सिंह : आपने तो हमको भी बन्द किया था।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : मुख्य मन्त्रीजी हमारी एक गलती हो गयी कि....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : कमीशन पर कार्यवाही नहीं की।

श्री शोपत सिंह : आपने तो हमको भी बन्द किया था....

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : हमने आपको खुराफात से रोकने के लिए बन्द किया था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय नाथूसिंह जी।

श्री नाथूसिंह : हम से एक गलती हो गयी जो हमने कमीशन पर कार्यवाही नहीं की ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, कृपया बैठें ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, यहां पर बीस सूत्री कार्यक्रम के बारे में भी कहा गया । अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह सकता हूं, जो कुछ भी कांग्रेस की सरकार को ठीक लगा इस देश की गरीब जनता के हित में कांग्रेस की सरकार ने और विशेषकर के श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ग्रामीण बेरोजगार को रोजगार देने के लिए, गांव के अन्दर काम करने के लिए उसके लिये एक प्रकार का इनीसियेटिव लिया । आपने भी लिया था अन्त्योदय के रूप में, मैं उसको अस्वीकार नहीं करता । मगर आज मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में बीस सूत्री कार्यक्रम का काम कैसा हुआ है । इसका फैसला राजस्थान की सरकार नहीं करती है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आंकड़े करते हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : एक ऐसी अच्छी एजेंसी हो अथवा बुरी एजेंसी हो, इस देश के पास में जैसी भी है प्लानिंग कमीशन उसका इवेल्यूशन करता है और वह फैसला करता है कि इस देश के अन्दर किसने अच्छे से अच्छा काम किया है । अध्यक्ष महोदय, उस इवेल्यूशन के आधार पर आपने अच्छा इवेल्यूशन किया था । उस समय आपने हमको नहीं बैठाया था कि आप जाकर विरोधी पक्ष जाकर, देख लीजिए । राजस्थान की सरकार ने तो हर स्टेज के ऊपर चुने हुए नुमाइंदों को काम शुरू करने के लिए, उसको इवेल्यूएट करने के लिये हरेक को कान्फिडेंस में लिया है । अब आप में से प्रभारियों में से अगर कोई इन्ट्रेस्ट नहीं लेता है तो, अध्यक्ष महोदय, यह सरकार का दोष नहीं है । हिन्दुस्तान के अन्दर कांग्रेस की ही सरकार है जिसने विरोधी पक्ष के सारे एम. एल. ए. को इवेल्यूएशन के लिए और प्रोग्रामिंग के लिए बैठाया और यह प्रार्थना की है कि मेहरबानी करके इसके अन्दर दिलचस्पी लीजिये और दिलचस्पी लेकर के इस प्रोग्राम को सफल बनायें । अगर यह प्रोग्राम सफल होता है तो देश आगे बढ़ता है और यह प्रोग्राम सफल नहीं होता है तो देश आगे नहीं बढ़ता है । आज सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर तीन हजार प्राइमरी स्कूलों की बिल्डिंग बनेंगी । यह मिनिमम संकोच करते हुए मैंने प्रोग्राम रखा था मगर मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरे प्रकार के रिसोर्सेज जुटाकर के यह आंकड़ा हर हालत में तीन हजार से काफी ऊंचा होगा । गांव के अन्दर स्कूल खुलेंगे बनेंगे और आज जो अभाव हैं वह दूर किये जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, इस बात की भी आलोचना की गयी कि साहब कन्सोलिडेट करने की बात क्यों करते हैं । यहां आलोचना की गयी कि आप कन्सोलिडेट करने की बात क्यों कहते हैं । मैं बहुत नम्रता से पूछना चाहता हूं, जिस स्कूल में अध्यापक नहीं हैं उसको अध्यापक नहीं भेजूं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माथुर साहब ने क्या किया ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री हरिदेव जोशी : जिस अस्पताल के अन्दर डॉक्टर नहीं हैं वहां पर डॉक्टर ने भेजूं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपकी मांग क्या है? आपकी कान्स्टीटूयूएन्सी के बाबत में आपकी मांग क्या है? अगर आप यह चाहते हैं कि आपकी कान्स्टीटूयूएन्सी के अन्दर यह कन्सोलिडेशन नहीं किया जाये तो मुझे साफ साफ कहिये। मैं उसके बारे में विचार करूंगा।

मैं सबसे पूछता हूं

(व्यवधान)

मैं तो सबसे पूछता हूं और अर्ज करता हूं —....

श्री गिरधारी लाल भार्गव : घर पर आकर पूछो।

श्री हरिदेव जोशी : घर पर आकर कहोगे तो घर पर भी मान लूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक जानकारी करना चाहता हूं स्कूल और दवाखाने खोले उनमें डाक्टर नहीं हैं यह गलती तो स्वीकार करो।

श्री हरिदेव जोशी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां नहीं है वहां भेजना गुनाह क्या?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गुनाह नहीं है, भेजिये।

श्री हरिदेव जोशी : अगर वहां भेजना गुनाह है तो मेरा प्रोग्राम गलत है और जहां नहीं है वहां मैं भेजता हूं, तो मैं सही हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सही हैं लेकिन आपने गलती यह की कि राजस्थान की जनता को....

श्री हरिदेव जोशी : तो ठीक है, मेरी तारीफ कीजिये। मेरी तारीफ कीजिये, मेरा निन्दा मत कीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चुनाव के मौके पर धोखा दिया, स्कूल खोल दिये, दवाखाने खोल दिये और मास्टर हैं नहीं।

श्री हरिदेव जोशी : आप हर बात की एक आदत को छोड़ दीजिये। आप एक बात को छोड़ दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह चुनाव के मौके पर राजस्थान की साढ़े तीन करोड़ जनता को धोखा दिया।

श्री मुक्तिलाल मोदी : पहले वाले मुख्य मन्त्रीजी ने गलती करी तो इन्होंने थोड़े करी।

श्री हरिदेव जोशी : सही बात है। मुक्तिलालजी जो कहते हैं वह सही बात है। वे यह कह रहे है कि आप एक आदत को छोड़ दीजिये, हर बार बुराई बुराई ही करते हो, बुराई बुराई करते है। जहां ठीक देखते हो उसको ठीक कहा करो। मैं मुक्तिलालजी की बात से सहमत हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन मुझे खुशी है कि मुक्तिलाल जी आपके प्रेरणा स्रोत हो गये।

श्री हरिदेव जोशी : बिल्कुल। मुक्ति लाल जी जैसा आदमी जिसने शादी नहीं की, कोई गृहस्थी नहीं बसायी और कुछ और नहीं किया, जनता के लिए काम किया।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : आप प्रोफेसर केदार को नीचा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : ये ऐसे जितने लोग हैं—

श्री मोहन प्रकाश : शादी शुदा सब खराब हैं क्या ?

एक माननीय सदस्य : नाथूसिंह जी और केदार जैसे लोग बैठें हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ऐसे तो सब हैं। सब हैं ऐसे तो। इसमें क्या है। मुक्तिलालजी की श्रेणी में तो बैठें हैं हम।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री हरिदेव जोशी : एक लाइटल वो था उसको छोड़ दीजिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कन्सोलिडेशन के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक्सपंशन करते चले जाइये और गैप्स छोड़ते चले जाइये इससे कुछ मिलेगा नहीं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माथुर साहब ने बहुत गलती की।

श्री हरिदेव जोशी : "एक्सपंशन" तमन्ना हो सकती है, महत्वकांक्षा भी हो सकती है मगर ससटेन करने के लिए, जिन्दा रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए कन्सोलिडेशन बहुत जरूरी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको लाइटली लेने की कोशिश मत कीजिए। आज जो बात आप कहते हैं उसी बात को मैं दोहराना चाहता हूं। एक हायर सैकण्डरी स्कूल खुल गया, एक सैकण्डरी स्कूल खुल गया वहां पर अगर अध्यापक नहीं है तो उसको पहुंचाना पहले जरूरी है या नया हायर सैकण्डरी स्कूल खोलना ज्यादा जरूरी है ? अस्पताल खुल गया और वहां पर डाक्टर नहीं पहुंचे। उसे पहुंचाना पहले जरूरी है अथवा नयी डिस्पेंसरी अथवा प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोलना ज्यादा जरूरी है ? जैसे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्या।

श्री दाऊदयाल जोशी : सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खुलेगा।

श्री हरिकुमार औदिच्य : आपने कोटा के मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल की नियुक्ति कर दी और....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री हरिकुमार औदिच्य : बिल्डिंग एप्रूव कर दी। उस मेडिकल कॉलेज को आपने चुनाव के बाद खटाई में डाल दिया ! इसका क्या जवाब आपके पास है ?....

श्री अध्यक्ष : हरिकुमार जी बैठें। कृपया बैठें। ऑर्डर प्लीज।

श्री मुक्तिलाल मोदी : वहां कोई चीज नहीं होगी तो फिर क्या करोगे खोल कर ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आपको मंत्री नहीं बनायेंगे मुक्तिलालजी....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपस में बातें नहीं, माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : इसलिए, अध्यक्ष महोदय, जो मैंने बजट में कन्सोलिडेशन की बात कहीं थी अपने भाषण में, उसको मेरी दृष्टि से, निगाह से देखने की कोशिश कीजिए। मैं इसको एक रिऐलिस्टिक स्टेण्ड कहता हूं। एक सही जमीन के ऊपर सही धरातल के ऊपर खड़े रहने की बात कहता हूं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माथुर साहब आसमान पर थे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो शराब बन्दी।

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : माथुर साहब के जमाने में जो कल्पना और आकांक्षा उनकी थी उस काम को उन्होंने किया और मैं उसकी तारीफ करता हूं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : आपने उसको खतम कर दिया।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : राजा मानसिंह को मरवा दिया यह अच्छा किया ?

श्री हरिदेव जोशी : और मैं आज जो काम कर रहा हूं....आज मैं जो काम कर रहा हूं. माननीय सदस्यों से चाहता हूं कि आप उसकी तारीफ करें, मैं आपको ससटेन करने की बात कर रहा हूं।

श्री नाथूसिंह : माथुर साहब से इस्तीफा क्यों लिया ?

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री नाथूसिंह।

श्री हरिदेव जोशी : यह जो आपकी बात है उसका मेरे उसके अन्दर कोई वजूद नहीं है। आपके नेता ने कहा था उस भाषा में मैं नहीं कहना चाहता कि मैं पात्र की बात सुनना चाहता हूं, अपात्र की बात मैं नहीं सुनना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी की भी बात है। आपने जो कहा, मैं आपसे सहमत हूं। गवर्नमेंट का सबसे पहला फर्ज है प्रोपर मानीटरिंग, प्रोजेक्ट्स स्वीकार कर लें उससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। टू प्रोजेक्ट प्रापर मानीटरिंग

(श्री हरिदेव जोशी)

होना चाहिए कभी किन्हीं स्थितियों के अन्दर कोई चूक हो जाय उसकी बात तो मैं आपसे नहीं कहता। मगर बजट में जो भी प्रावधान किये गये हैं, प्लान में जो भी प्रावधान किये गये हैं उनकी प्रोपर मानीटरिंग होवे, इस बात की हम पूरी की पूरी चौकसी करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि हरेक का शिड्यूल बन जाय, कलैंडर बन जाय कि किस प्रोजेक्ट को किस तारीख को पहुंचना है यह चाहे इरिगेशन का प्रोजेक्ट होवे, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट होवे। मगर हमको भूलना नहीं चाहिये कि अनेक प्रकार की परिस्थितियां होती हैं वह परिस्थितियां मारती हैं। राजस्थान जैसे प्रान्त के लिये सबसे अधिक मारक परिस्थिति अकाल है, पानी का नहीं बरसना है। वह हमारी सारी प्रोग्रामिंग को, सारी महत्वाकांक्षा को भस्मसात कर देता है और ऐसी स्थिति पैदा कर देता है कि हमको दूसरी सब चीजों को पीछे छोड़ कर के आदमी को जिन्दा रखने की बात को पहले सोचना पड़ता है दूसरी महत्वाकांक्षाओं को गौण कर देना पड़ता है। इस सब के बावजूद भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उन मेजर प्रोजेक्ट्स का शिड्यूल तैयार कराकर के हम उसको पब्लिश कर देंगे और उसका पीरियोडिकल रिकार्ड करके इस सदन को विश्वास में लेने की कोशिश करेंगे, अध्यक्ष महोदय तभी जाकर के हम कुछ काम कर सकेंगे। जो सेवंथ प्लान का मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वे गिने चुने हैं। उन गिने चुने प्रोजेक्ट्स के लिये हमने वह मशीनरी तैयार कर ली है और मैं ऐसा समझता हूं कि उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर नान टैक्स रेवेन्यू, खास करके देवस्थान की सम्पत्ति के बारे में बात कही गयी है। सही है, आज अनेक मकानात ऐसे हैं जो बहुत छोटे किराये के ऊपर हैं। वे सम्पत्तियाँ आज लोगों के पास में कब्जा की हुई हैं। उससे एक अमुक प्रकार का नुकसान ही होता है, लाभ नहीं होता है। इसके ऊपर कुछ निर्णय किये गये है। कुछ तो किराये को बढ़ाने की बाबत में और कुछ को डिस्पोज आफ करने के बारे में। जो डिस्पोज आफ हो सकते हैं उनको डिस्पोज आफ किया जायेगा जिनके किराये बढ़ायें जायेंगे उनको बढ़ाया जायेगा इसके लिये जो मशीनरी वह काम कर रही है और मैं ऐसा सोचता हूं कि जल्दी से जल्दी इसके बारे में फैसला हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने यहां पर हास्पिटल की बाबत में, उनकी व्यवस्था के बारे में और उनके सुचारु रूप से चलाने के बारे में भी चर्चा की है। माननीय सदस्यों की इस चिन्ता को मैं एप्रीशियेट करता हूं मगर मैं किसी एक डाक्टर को एकदम सटेन डाउन करने की बात को ठीक नहीं समझता। इसलिये मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा ध्यान है, कहां क्या चीजें चल रही हैं। जैसे ही इसके ऊपर थोड़ा सा वो हुआ हम इसके उपर फैसला लेगें और फैसला लेकर के व्यवस्था को ठीक करने करने की कोशिश करेंगे। इसमें चाहे एस.एम.एस. आता हो तब भी चाहे वह अलवर अथवा भरतपुर, तिजारा का हो तब भी, चाहे वह कोटा का अस्पताल आता हो तब भी अथवा दूसरे....

श्री दाऊदयाल जोशी : वहां 10-10 दिन में तबादले हो जाते हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया माननीय सदस्य, कृपया बैठें। आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पार पाया जा सकता है मगर दाऊदयालजी को आवाज से पार नहीं पाया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : आजकल तो वोल्यूम कम कर दिया।

श्री हरिदेव जोशी : अब महा पंडित ने अध्यक्ष महोदय, कौन सी भस्म खायी थी अथवा क्या किया था जिससे यह आवाज इस प्रकार की हो गई....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब मुख्य मन्त्रीजी, बिना कुछ खाये पीये आप भी तो बोल रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : यह भी ठीक है। चलिये, मुझे जो आप कम्पलीमेंट देते हैं उसको मैं स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष : दाऊदयालजी ने तो कुछ कम कर दी है अपनी आवाज (हंसी)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने यहां पर बिजली के बारे में और दूसरे टैक्सेज के बारे में बात कही। मुझे मालूम था कि विरोधी पक्ष के नेता क्या कहना चाहते हैं और क्यों कहना चाहते हैं। उनको बड़ी परेशानी थी कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मुझे अपने मन की बात क्यों कही। वे बहुत शूड पोलिटिशियन हैं मैं उनकी इस बात की दाद देता हूं। आज भी वे शायद यहां नहीं ठहरते, नहीं रहते अथवा क्या वो होता मगर वे जानते हैं कि किस प्रकार के एटमास्फीयर से किस प्रकार की बात को वो करना चाहिये। मैं इसको बुरा भी नहीं मानता। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बिजली की दरों के बारे में, टैरिफ के बारे में बात कही। दूसरे टैरिफ के बाबत में बात कही। जब हम पब्लिक अण्डरटेकिंग्स की बात करते हैं तब तो, अध्यक्ष महोदय, हम यह कहते हैं कि वह घाटे में नहीं चलाने चाहिये। जब हम उसका घाटा दूर करने की बात करते हैं तब इसकी आलोचना करते हैं।

श्री शोपतसिंह : हम उसको कहते हैं ठीक करो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : घाटा कोई टैक्स से पूरा किया जा सकता है क्या?

श्री हरिदेव जोशी : हां, हां, ठीक कर रहे हैं। उसको ठीक करने के लिये मैंने आपके सामने कुछ प्रस्ताव रखे हैं।

अध्यक्ष महोदय, बहुत विगत में नहीं ले जाना चाहता अपनी बात को, क्योंकि माननीय सदस्य चाहते हैं। मैं कम करके अपनी बात को कह देना चाहता हूं।

माननीय सदस्यों ने बिजली की दरों में वृद्धि पर अपने विचार प्रकट किये।

(श्री हरिदेव जोशी)

विद्युत मण्डल की वर्तमान वित्तीय स्थिति एवं भविष्य में पूंजी विनियोजन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए दरों को बढ़ाने के अलावा अन्य कोई विकल्प भी नहीं है, यह महसूस किया था। क्योंकि वर्तमान में बिजली का औसत लागत मूल्य लगभग 74 पैसे प्रति यूनिट आता है जबकि औसत विक्रय मूल्य वर्ष 1984-85 में लगभग 45 पैसे था। इस असंतुलन को दरों में वृद्धि से ही दूर किया जा सकता था। मैंने इस से इस विचार किया है कि क्या जन-साधारण को इससे कुछ राहत दी जा सकती है। माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि कृषि के लिये मोटर से आपूर्ति पर 9 पैसे प्रति यूनिट के स्थान पर 7 पैसे प्रति यूनिट की ही वृद्धि की जाय इससे····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री हरिदेव जोशी : इससे किसानों को दो पैसे प्रति यूनिट को राहत मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, फ्लैट रेट आपूर्ति पर प्रस्तावित तीन हार्स पावर तक के कनेक्शन पर 9 रुपये प्रति माह प्रति हार्स पावर के स्थान पर 8 रूपये की वृद्धि की जाय। इसी प्रकार 3 से 5 हार्स पावर तक 10 रुपये के स्थान पर 9 रुपये की वृद्धि की जाय तथा 5 से 10 हार्स पावर तक 11 रुपये के स्थान पर 10 रुपये प्रति माह प्रति हार्स पावर की वृद्धि की जाय। लघु उद्योगों पर 31 पैसे के स्थान पर 29 पैसे तथा मध्यम उद्योगों पर 32 पैसे के स्थान पर 30 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की जाय।

इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, इस समय कैप्टिव पावर पर दो पैसे प्रति यूनिट विद्युत कर इलेक्ट्रिसीटी देय है। छोटे उद्योगों को राहत देने तथा कैप्टिव पावर के उत्पादन में प्रोत्साहन देने हेतु जिन औद्योगिक इकाइयों में 100 के. वी. ए. तक के जेनरेटिंग सेट हैं उनसे अब इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लेने का प्रस्ताव है। घरेल आपूर्ति में प्रकाश एवं पंखे पर 15 पैसे के स्थान पर 12 पैसे प्रति यूनिट तथा पावर के लिये 25 पैसे के स्थान पर 22 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की जाय।

उपरोक्त प्रस्तावों से पूरे वर्ष में लगभग 5.50 करोड़ रुपये की प्राप्तियों में कमी होगी तथा इस वर्ष 3.67 रुपये करोड़ की कमी होगी। इस कमी को विद्युत मंडल द्वारा अपने ट्रांसमिशन लासेज को कम करके तथा बकाया की बेहतर वसूली करके पूरा किया जायेगा।

माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के नये कार्यों को लेने पर जोर दिया है। मैंने अपने बजट भाषण में सातवीं योजना के मुख्य लक्ष्यों की ओर संकेत किया था। इस वर्ष यद्यपि हम सुदृढ़ीकरण पर ही जोर देंगे मगर हम सातवीं योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये कृत संकल्प है। इन शब्दों के साथ में मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

(9.00 रात्रि)

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल) : वर्षा आ गयी उसके बाद पानी की दरों के बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (सं. 4 विधेयक, 1955 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर, ग्रार्डर, माननीय सदस्य।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 1985 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (6 संख्या-4) विधेयक, 1985 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, फिर बोलना है क्या ?

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : नहीं साहब, बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से मुख्य मन्त्री महोदय ने सारे सदन की भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए किंचित मात्र कटौती और रियायत देने की घोषणा की है, वह निश्चित रूप से इस बात को दर्शाता है कि उन्हें न किसान की दयनीय दशा के प्रति कोई सहानुभूति है, न उपभोक्ता पर जो आज भार है उसके प्रति कोई बात है। कन्सोलिडेशन के नाम पर कोई नये काम खोलना नहीं चाहते, नयी बात करना नहीं चाहते। जनता त्रस्त है, आतुर है। उस पर भी कर के भार को कम करना नहीं चाहते। पानी की बात आप बोले नहीं। रोडवेज पर आपने किराया बढ़ा दिया, उसके विषय में कोई बात कही नहीं। सारी बातें साफ कर गये।

आज ही हमने सदन में देखा कि दूसरे स्टेट्स के साथ केन्द्र जो समझौता करता है वह हमारी बिना परवाह किये हुए करता है। हमारी कोई परवाह नही करता और हमारे हकों को इस तरह बलिदान दिया जाता है। उसके बावजूद कराहती हुई जनता को किसी भी प्रकार की राहत देने के लिए यह सरकार तैयार नहीं है, ऐसी सूरत में मैं इस विनियोग विधेयक के पारण करने का पूर्ण विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस थर्ड स्टेज पर एक यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने टैक्सेज में जो रिलीफ की घोषणा की है वह एक प्रकार से सारे सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं का अपमान है। विशेषकर, माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सभी सदस्यों को यह आशा थी कि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, कृषि पर जितना बड़ा भारी बिजली का टैरिफ बढ़ाया गया है उसमें कमी करने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से राजस्थान में पेयजल की कमी है, जितना कम पेयजल राजस्थान

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

में सप्लाई किया जा रहा है उसको देखते हुए माननीय मुख्य मन्त्री महोदय पेयजल के बारे में कुछ घोषणा करेंगे।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके बजट भाषण में और आपने जो सैल्स टैक्स का बिल पेश किया है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। आपका बजट भाषण देखने से ज्ञात होता है कि आपने जो सरचार्ज लगाया है वह व्यापारी पर लगेगा लेकिन आपने जो बिल पेश किया किया है उससे स्पष्ट है कि वह उपभोक्ता पर लगेगा। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मन्त्री जी से कि इस बात को स्पष्ट करें कि यह जो टैक्स आपने लगाया है वह उपभोक्ता को लूटने के लिए के लिए लगाया है या व्यापारी पर लगाया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने····

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अधिकार है हमारा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन के जो पैसे बढ़ाये हैं वह भी इस प्रकार के है कि आम आदमी को उससे बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है।

एक बात और, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहकर खतम करूंगा। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि सीकर जिले के जितने भी आफिसर्स हैं उनको दिल्ली में इस बात की मीटिंग के लिए बुलाया जाता है और दिल्ली से उनको आदेश दिये जाते हैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक जानकारी करना चाहूंगा, क्या किसी संसद सदस्य या किसी एम. एल. ए. को आप इस प्रकार के अधिकार देना चाहते हैं जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के आफिसर्स हैं उनको वहां से कागज भेज कर मीटिंग में बुलायें। वह मीटिंग में वहां पर जायं और सरकार से टी. ए. डी. ए. चार्ज करे। राजस्थान में इस प्रकार के, अध्यक्ष महोदय, एक्स्ट्रा पावर के सेंण्टर बन रहे हैं। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है, सीकर के सांसद ने दिल्ली में मीटिंग बुलाई सभी डी. एल. ओज की। सारे डी. एल. ओज दिल्ली गये और वहां से आदेश लेकर आये करने के। मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान की सरकार जयपुर से चलती है या दिल्ली से चलती है? यहां के जो संसद सदस्य हैं उन को आप इस प्रकार के अधिकार देना चाहते हैं? सीकर में एक सेण्टर कायम हो गया है। हमारे लोक सभा के सदस्य जो हैं, उनके 1000–1500 के करीब पत्र कलक्ट्री में आकर पड़े हैं। उनकी इच्छा पर सारे काम चलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जोशी जी, सीकर जिले में आपका राज है या बलरामजी का राज है, इस को स्पष्ट करेंगे?

इन्हीं शब्दों के साथ कि क्या टैक्सों में कमी करने की सदन की जो भावनायें हैं उनका आप आदर करेंगे? कृषि, पेयजल और रोडवेज पर जो टैक्स बढ़ाया है और जो सरचार्ज आपने लगाया है उस को आप खतम करने की घोषणा करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? जो एक्स्ट्रा पावर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

के सैण्टर बनते जा रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ? यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथू सिंह। माननीय सदस्य, कृपया बैठें। बहुत बातें हो गयी हैं। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : केवल दो-तीन नयी बातें है। केवल दो-तीन जानकारी करना चाहूंगा माननीय मुख्य मन्त्री जी से।

एक तो आपने बिक्री कर पर जो 10 पर्सेण्ट अधिभार लगाया है, इसके बारे में आपने कहा कि इस से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कमलापति त्रिपाठी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। उसने एक सिफारिश की है। उस सिफारिश में उन्होंने कहा है कि इस बिक्री कर को कम किया जाय और इसका सरलीकरण किया जाय। इतना ही नहीं, उन्होंने पांच चीजों के लिए कहा है कि इन पर से इस को बिलकुल समाप्त कर दिया—वनस्पति, ड्रग्स एण्ड मेडिसन, सीमेण्ट, पेपर और पेपरवेट तथा पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स। उन्होंने कहा है कि इन पर से इसको समाप्त कर दिया जाय। यह सिफारिश की है। आपके अनुसार आपने जो 10 प्रतिशत इस पर अधिभार बढ़ाया है, अन्तर्राज्यीय बिक्री कर अधिनियम के अनुसार यदि 4 प्रतिशत से कम या दस प्रतिशत से ज्यादा अधिभार लगाया जाता है तो दूसरे स्टेट्स में जो वसूल किया जाता है वही इस स्टेट में लगेगा। इससे व्यापारी और आम जनता पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। जो आपने 10 प्रतिशत बढ़ा दिया उसके हिसाब से 3.30 तथा 13.20 इसकी पर्सेण्टेज हो जायेगी। इस से हमारे राजस्थान के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस समय, अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में एक मांग हो रही है कि बिक्री कर को समाप्त किया जाय या इसका सरलीकरण किया जाय। हमारे प्रधान मन्त्रीजी ने भी कहा है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : लेकिन इसके ऊपर आपने 10 पर्सेण्ट और बढ़ा कर, मैं समझता हूं, उचित नहीं किया। इस पर विचार करें।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा, तीन दिन पहले, परसों की ही बात है, हाउसिंग बोर्ड जिसके पास लोग पैसा जमा करके अपना रियायत से मकान लेना चाहते हैं, अच्छा मकान लेना चाहते हैं, आपकी जानकारी के लिए, मुख्य मंत्रीजी निवेदन करना चाहूंगा, हाउसिंग बोर्ड के कुछ अधिकारी भारत भ्रमण पर हवाई जहाज से गये। हाउसिंग बोर्ड का गरीबों का पैसा....

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : ऑन डेपूटेशन पर।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोल रहे है माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, भ्रमण पर हवाई जहाज से घूमें। आप कह रहे हो टैक्स लगा रहे हो जनता के ऊपर।

(श्री नाथूसिंह)

यह जो गरीबों का पैसा है अधिकारी, सफेद हाथी खा रहे है, भ्रमण पर खर्च कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उडा रहे हैं। इसके ऊपर आप क्या अंकुश लगाना चाहते हो ? अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इतना ही....

श्री नाथूसिंह : आपने समय कम दिया इसलिए मैं नहीं बोला क्योंकि इस पर बोलना चाहता था, मैं नहीं बोला उस समय वरना बताता आपके एक डिपार्टमेंट में, एक एक विभाग में यह अधिकारी क्या कर रहे हैं। आप इनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करते हैं। इतने अधिकारियों के विरुद्ध आपने कहा अभी 300 और कुछ की लिस्ट दी हैं, कितने लोगों के विरुद्ध इसमें मामले पड़े हैं ? आई. ए. एस, आर. ए. एस. आफिसर्स के खिलाफ कितने हैं ? छोटे कर्मचारियों, छोटे-छोटे अधिकारियों के खिलाफ तो आप परमिशन दे देते हैं। रामसिंह रिपोर्ट, जो राजस्थान नहर के बारे में दी गयी थी, उन इन्जीनियर्स के विरुद्ध आपने क्या किया आज तक ? आप कर भी नहीं सकते क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ी लॉबी बनी हुई हैं और वह लॉबी आपको उनके विरुद्ध कार्यवाही करने से रोकती हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठें, कृपया।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। आप समय ले रहे हैं। आप शान्ति से बैठें।

श्री नाथूसिंह : यह मेरा राइट हैं बोलने का, आप क्यों चिल्ला रहे है ?

श्री अध्यक्ष : आप शान्ति से बैठें आप सुनना नही चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, समाचार पत्रों में हम देखते रहते हैं, तहसील से लेकर, थाने से लेकर हर जगह भ्रष्टाचार है, मुख्य मन्त्रीजी, आपके शासन में। मैंने आपको पत्र भी लिखा था। कुछ अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा, 5 पर्सेण्ट रिश्वत लेना तो हमारा अधिकार है। यह आपके शासन में अधिकारियों ने रिश्वत को अधिकार बताया। तहसीलदार ने यह स्वीकार किया। समाचार पत्रों में आया। आपको पत्र लिखा आज तक उस तहसीलदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह एक उदाहरण दिया है मैंने।

मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। रोडवेज के अन्दर आपने किराया बढ़ा दिया 18 प्रतिशत मानते हैं। रोड़वेज के अन्दर, कल एक मामला आ रहा है उस समय मैं बताऊंगा कि कितना भ्रष्टाचार है और कितना वहां पर कुछ हो रहा है। आप उस भ्रष्टाचार को रोकिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री नाथूसिंह : तो यह इतने मामले हैं । मालिक तो आपको बना दिया किसानों ने लेकिन बिजली के ऊपर 2 पैसे की छूट, एक पैसे की छूट....

श्री अध्यक्ष : आप संक्षेप में कहें माननीय सदस्य । कृपया बैठें ।

श्री नाथूसिंह : इतना ही, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है यह धारा विलोपित की जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें । माननीय सदस्य कृपया बैठें ।

आर्डर प्लीज । उजला अरोड़ा....

आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य बैठें । आप बैठें ।

माननीय सदस्य बैठें । एक बार बैठ जायं ।

संक्षेप में माननीय सदस्या ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो बात ही बोलना चाहती हूं, ज्यादा बोलना भी नहीं चाहती....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मन्त्री महोदय को ध्यान आया कि महिलाओं की चूड़ियां और बिन्दी जरा सस्ती हो जाय और पहले चन्दनमल जी चमकें फिर टैक्स हटा गये थे । मैं पूछना चाहती हूं कि जो मूल्य सूचकांक बढ़ रहे हैं, अन्ततोगत्वा यह महिलाओं पर ही तो बोझ पड़ने वाला है । सारा बजट महिलाओं के घर का आप बिगाड़ रहे हैं, खाद्यान्न महंगे हैं । तेल महंगे हैं, यात्रा आपने महंगी कर दी, पोस्टकार्ड आपने महंगे कर दिये महिलाओं के बच्चों की पढ़ने की जो किताबें हैं वह महंगी हो गई उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं गया, मन्त्री महोदय । केवल महिलाओं की चूड़ियों पर टैक्स हटाने की बात आपको सूझी । मेरा आपसे आग्रह है कि यह सारा बजट महिलाओं का घर का बिगड़ने वाला है । आप ध्यान करें । इस तरह से आप जो अक्सर कहा करते हैं कि आपने किया था हम भी वही कर ही रहे हैं तो हमारे जनता राज में जितनी सस्ताई थी उतनी ही ले आइये, मैं आपको धन्यवाद पेशगी देना चाहती हूं ।

एक दूसरी बात और कहना चाहती हूं कि इधर उधर के टैक्स न लगाकर आप उत्पादन शुल्क लगा दीजिये । उत्पादन शुल्क लगाने से आपकी कठिनाई भी कम हो जायेगी और उपभोक्ताओं को आराम मिलेगा । यह मेरे दो सुझाव हैं । मुझे आशा है कि आप गृहणियों का ध्यान रखकर निश्चित रूप से इन चीजों के दाम घटायेंगे । जिस तरह से जनता सरकार ने घटाये थे उसी तरह घटायेंगे ।

श्री अध्यक्ष आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

श्री हरिकुमार औदिच्य : आर्डर प्लीज बैठें । मैंने सदस्य का नाम पुकार लिया है ।

(व्यवधान)

श्री हरिकुमार ।

श्री हरि कुमार औदिच्य (रामगंज मंडी) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से दो जानकारी चाहूंगा । आपने अपने भाषण में फरमाया कि राजस्थान के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको ज्यादा तरजीह देकर उनको तेजी से आगे लायेंगे । कोटा थर्मल की सैकिन्ड स्टेज के ऊपर....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री हरि कुमार औदिच्य : वहां के अधिकारियों ने 130 करोड़ रुपये की मांग की । राजस्थान सरकार ने 60 करोड़ देने का वायदा किया । माननीय मुख्य मंत्री को याद होना चाहिये कि 60 करोड़ रुपये की आज कोटा थर्मल के ऊपर देनदारी है । 60 करोड़ रुपया अगर सरकार देगी वह अगर चुका देंगे तो प्रोजेक्ट का काम इस साल कैसे आगे चलेगा ? एक बात । 60 करोड़ रुपया मंजूर करने के बाद एक क्वार्टर का 15 करोड़ रुपया बनता है । यह क्वार्टर तो पूरा हो गया इसमें केवल उनको डेढ़ करोड़ रुपया मिला है । फिर कहते हैं आपने आर. एस. ई. बी. ने इतनी भर्ती कर ली । साढ़े चार सौ इंजीनियर्स आज वहां पर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं । वह रोते हैं इस सरकार के नाम के ऊपर कि हम यहां पर बैठे हैं, हमारे पास काम करने के लिये पैसा नहीं है । रेल विभाग ने काम करने से इन्कार कर दिया, माल उठाने से इन्कार कर दिया और जितने ठेकेदार हैं उन्होंने और आपके ब्रिज कारपोरेशन ने काम करने से इन्कार कर दिया । जो 60 करोड़ रुपया आप देंगे उस थर्मल प्रोजेक्ट वाले कर्ज उसको चुकायेंगे । कैसे आगे बढ़ाना चाहेंगे ? एक बात । दूसरी बात—

श्री अध्यक्ष : वह तो हो गई ।

श्री हरि कुमार औदिच्य : साढ़े 18 सौ रुपया पर कनेक्शन का जो किसानों से बिजली का लेने का आर. एस. ई. बी. ने नया टैक्स लगाया है, उनसे जो पैसा लेने का विचार है, मुख्य मंत्रीजी ने उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा । क्या 1850 रुपया पर कनेक्शन का अब भी किसानों से लेंगे ? इन दोनों बातों की जानकारी करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : शोपतसिंह । आर्डर प्लीज ।

श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले कुछ सुझाव देना चाहता था—

श्री अध्यक्ष : बहुत संक्षेप में ।

श्री शोपत सिंह : पर सवाल यह है, यह तो बदनामी का टीका है, मुख्य मंत्रीजी, आपके जिम्मे आ गया । यह चाहे टैक्स हों, चाहे वहकाव । जो ट्रीटी कल हुई, मैं नहीं सोचता कि किसी तरह से आप बच पायेंगे

(श्री शोपतसिंह)

इस बदनामी से। इसके परिणाम आपको निश्चित रुप से भुगतने पड़ेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शोपतसिंह : जहां से करोड़ों रुपया आप अभी भी प्राप्त कर सकते हैं। वह है सूरतगढ़ और जयमलसर का फार्म। आज भी 2-2 लाख रुपये में मुरब्बे बेच रहे हैं। केन्द्र सरकार ने आपको कितना रुपया दिया और कितना रुपया आपने मांगा था? आप उनसे वसूल कीजिये जब कि सौ रुपया भी आप वसूल कर सकते हैं। एक लाख एकड़ जमीन जो सबसे बेस्ट जमीन है, जो बहुत ही बढ़िया उपजाऊ जमीन है राजस्थान की, वह केन्द्र सरकार के कब्जे में है और आपको एक पैसा आज तक नहीं दिया है।

दूसरा....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शोपतसिंह : दूसरा, मेरा यह सुझाव है, माननीय मुख्य मंत्रीजी, इन्दिरा गांधी कैनाल क्षेत्र के अन्दर करोड़ों रुपयों की जमीन, कीमती जमीन, जो मण्डियों के लिये आपने छोड़ी है और जिस ढंग से इनको आप चला रहे हैं, यह बहुत गलत तरीके से हो रहा है। करोड़ों रुपये की जमीन वह हड़प रहे हैं। कब्जा कर रहे हैं नाजायज। सी. ए. डी. के जो कमीश्नर हैं उनको चेयरमैन बना रखा है। वहां पर आपने किसी भी जन प्रतिनिधि को कमेटी में नहीं रखा है। वहां का एम. एल. ए. आर. सी. पी. का चेयरमेन हुआ करता था। वहां पर आक्शन होती थी। आप आक्शन करते हैं उसको आपके अधिकारी ऊपर बैठकर 4 महीने के बाद कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद जब दुबारा आक्शन होती है उस समय रेट डाउन नहीं करनी चाहिये। इसकी रेस्पोन्सिबिलिटी उन अधिकारियों पर नहीं डाली जाती। इससे करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है। पहली बोली जो बिग लगी 70 हजार रुपये में वहीं एक भूखण्ड की, एक दुकान की एक लाख रुपया बोली लगी, आपके अयोग्य अधिकारियों ने उसकी दुबारा बोली लगवाई। उसका नतीजा यह हुआ कि एक लाख रुपये की हमारी जमीन के 50 हजार रुपये मिले।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री शोपतसिंह : कौन जिम्मेदार है, इसका? मैं संक्षेप में यही कहना चाहता हूं कि सारी की सारी इस व्यवस्था में इन्दिरा गांधी नहर कैनाल से करोड़ों रुपया आप वसूल कर सकते हैं। यह डवलपिंग एरिया है। वहां पर नये नये लोग आयेंगे, रोजगार की तलाश में आयेंगे, व्यापारी आयेंगे। दूसरे लोग भी बसना चाहेंगे उस एरिया में। आपने वहां पर उन हजारों गरीबों के लिये कोई जगह नहीं छोड़ी है। एक प्लाट भी किसी गरीब आदमी के लिये आपने काश्त करने के लिये नहीं छोड़ा....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री शोपतसिंह : वह सारे के सारे गरीब वहां पर बसेंगे, प्लाट नहीं देंगे तो वह बसेंगे, उसको रोक नहीं सकते आप। इस देश की धरती पर उसको रहने का अधिकार है। इसलिये मेहरबानी करके आप इस पर बड़ी गंभीरता से विचार कीजिये। जन प्रतिनिधियों को शामिल कीजिये, एम. एल. एज. को शामिल कीजिये। अब आपने उसमें सिर्फ एक चेयरमेन को रखा। सालों तक कोई मीटिंग कमेटी की नहीं होती। इससे बेहतर यह है कि गंगानगर के कलेक्टर को रख दीजिये। छोड़ दीजिये आप उन पर सारी बातों को। उनके पास बहुत काम है मेजरमेन्ट के। करने दीजिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मुख्य मंत्रीजी से एक बात और कहना चाहता हूं। आपने सारी हालत हमारी खसता कर दी। राजस्थान कैनाल के परिप्रेक्ष्य में कल जो फैसला हुआ है मेहरबानी करके यह जो खालों के पैसे लगा रहे हैं, 30-30 हजार रुपये मुरब्बे के आ रहे हैं, जो कैनाल्स है, जो माइनर्स हैं, जो डिस्ट्रिब्यूटरीज हैं उनको ही पक्का कीजिये बाकी खालों को पक्का मत करिये। किसान रुपया दे नहीं सकेगा। अगर आप कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो कैनाल्स के जरिये ही बढ़ाइये वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा।

मैं आखिर में एक ही बात कहूंगा। हनुमानगढ़ जंक्शन के पास रेल्वे क्रासिंग है गंगानगर रोड के ऊपर। तीन रेल क्रास करती है। सारे दिन रेलें चलती हैं ट्रैफिक जाम रहता है। हमारा म्युनिसिपैलिटी 10 लाख रुपया देने को तैयार है। मैंने अभी लैटर लिखा रेलवे मंत्री को, उन्होंने मुझे लैटर दिया कि आपके मुख्य मंत्रीजी प्रपोजल्स देवें, रोड्स का काम अगर वह कर देंगे तो बाकी काम हम करने के लिये तैयार है। आपने अभी तक कोई प्रपोजल नहीं दिया। अभी तक प्रपोजल भेजा नहीं रोड्स का। वह सिर्फ आपसे सड़क का खर्चा मांगते हैं। 10 लाख रुपया वहां की नगर पालिका देने के लिये तैयार है।

तीसरी बात....

श्री अध्यक्ष : हो गई ना अब। काफी हो गया।

श्री शोपतसिंह : अध्यक्ष महोदय, केवल लास्ट में निवेदन करूंगा मेरे यहां पर हास्पिटल है। 50 बेड का हॉस्पिटल वहां पर मंजूर किया। 150 बेड्स के लिये हमने अपनी इमारत बना ली। बहुत ही आलीशान है। राजस्थान का सबसे बढ़िया हास्पिटल है। भवन अगर कही है तो हनुमानगढ़ के अन्दर है। वह लोगों ने दिया है किसी सेठ ने नहीं दिया, किसी बड़े दातार के पास हम नहीं गये। वहां के लोगों ने पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन से बनाया और आज आपने उसे बूचड़खाना बना रखा है। गन्दगी का ढेर बना रखा है। अगर हनुमानगढ़ की कोई सबसे गन्दी जगह है तो हमारा हॉस्पिटल है। आपने उद्घाटन कर दिया। 20 बैड का आपने 50 भी नहीं दिये। वहां पर मरीज नहीं है? आउट डोर और इन डोर के मैं दो सालों के आंकड़े रखना चाहता हूं। डेढ़ लाख आउट डोर पेशेन्टस हैं और तीस

(श्री शोपतसिंह)

लाख इन्डोर पेशेंट्स हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इन सारी बातों पर गौर करें। अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत पैसा है। आप बैठ कर बात कीजिये हम बतायेंगे आपको सोर्सेज कहां कहां हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी। संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं भाषण नहीं दूंगा, साहब, मैं दो मिनट ही बोलूंगा।

माननीय अध्यक्ष जी, एक तो सरकार से यह कहना चाहूंगा कि गांव के अन्दर, शहरों के अन्दर एक ऐसा कानून बनाये सरकार कि जो काश्त की जमीन पर लोगों ने दुकानें बना लीं, मकान बना लिये या दूसरी चीजें बना लीं उनके लिये सारे राजस्थान का ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमे सरकार को इन्कम हो। एक बात तो यह है।

दूसरी बात यह है कि जो टेक्निकल विभाग सरकार के है, मैं माननीय चीफ मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि उन टेक्निकल विभाग के अन्दर आई. ए. एस. अधिकारी न लगाकर टेक्निकल आफिसर लगायें।

तीसरी बात यह है, आज इधर के सदस्य और उधर के सदस्य भी, सब यह कहते हैं कि साहब बेकारी है, बेकारी है। जो 58 वर्ष की उम्र की है, माननीय अध्यक्ष जी, उसको वापस 55 वर्ष किया जावे। इससे यह होगा, माननीय अध्यक्ष जी, कि जो आज पढ़े-लिखे लोग हैं जो पांच-पांच वर्ष के, चार-चार वर्ष के इंजीनियर नौकर नहीं है....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो यह बात कहना चाहता हूं कि आज डॉक्टर नौकरी में नहीं लग सकते। जो नहीं लगे हैं, इसीलिए नहीं लगे हैं। पालिटेक्निक इंजीनियर नहीं लगे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज सरकार खोलने जा रही है। कोई मेडिकल कॉलिज कोटा में खोलने के लिए कहता है। सरकार ने कोई यूनिवर्सिटी खोलने के लिए कहा था। तो मेरा यह कहना है सरकार से कि ऐसे कॉलेज खोलें जिनसे जो छात्र निकलें वह निकलते ही धन्धे पर लग जाय। नहीं तो कॉलेज ही नहीं खोले।

श्री अध्यक्ष : ठीक बात है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, दूसरी बात। मेरा यह कहना है, ऐसे कॉलेज खोलें जिसके अन्दर कोई टेक्निकल चीज हो। इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दें, डिपार्टमेन्टल वर्क सरकार चलावे। यह ठेकेदारी प्रथा खत्म करें। मेडिकल के अन्दर भी मेडिकल फार्मेसी, मेडिकल दवाइयों का काम भी सरकार चलावे और इन्जिनियरिंग का काम भी सरकार चलावे। इससे चोरी या बेईमानी या जो कुछ भी होगा वह उसके ऊपर पड़ेगा, इंजीनियर के ऊपर पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, इससे बेकारी अपने आप दूर हो जायगी यह मैं आपको विश्वास

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

दिलाता हूं। मैं सरकार को कह रहा हूं, पी. डब्ल्यू. डी. के अन्दर, इरिगेशन के अन्दर हमने जो काम किया था, आज तक वह सड़क मौजूद हैं, आज तक वह पुलिया मौजूद हैं। डिपार्टमेन्टल काम करने से चूंकि हर आदमी....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें, माननीय सदस्य।

श्री मुक्तिलाल मोदी : को काम मिल जायगा। मैं सरकार से नम्र निवेदन करूंगा कि अगर बेकारी को दूर करना है और आगे जो पढ़ते हैं इंजीनियर, डाक्टर उनको सरकार को अपने आप धन्धे से लगाना है तो ठेकेदारी प्रथा खत्म करो, अपने आप धन्धे पर लग जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें। श्री मोहन प्रकाश।

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज, सभी सदस्यों को बोलना कोई जरूरी नहीं है।

(व्यवधान)

आपने एक बात बोलने के लिए कहा है।

श्री मोहन प्रकाश (राजा खेड़ा) : क्या साहब ?

श्री अध्यक्ष : एक बात पूछने के लिए कहा है। एक। आपने मुझे कहा एक बात पूछनी है।

श्री मोहन प्रकाश : अगर आपकी आज्ञा हो तो बैठ जाऊं ?

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में हो। संक्षेप में बोलना।

श्री मोहन प्रकाश : मोटे तौर पर बजट में रुपया कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, मेरी छोटी बुद्धि का आदमी यह समझता है। जो रुपया आ रहा है वह आ रहा है इनके अनुसार इस प्रदेश के लोगों से और रुपया जा रहा है जहां, वह उन लोगों के पास जा रहा है जो निश्चित तौर पर गरीब लोग नहीं हैं। घाटा हमको पूरा करना है। हमारे रिसोर्सेज कम है लेकिन उन रिसोर्सेज का लाभ किनको पहले मिले, प्रश्न यह सबसे बड़ा है। बिजली बोर्ड में अगर घाटा है तो किसके ऊपर बकाया है ? हाईटन्शन पावर उपयोग करने वाले लोगों पर बकाया है। सरकारी विभाग है, जलदाय विभाग है, रेल्वे विभाग है इन विभागों का रुपया-पैसा बकाया है। इस घाटे को पूरा हम कर रहे हैं, गरीब आदमी, जो उपभोक्ता है, पैसा लेकर, उस पर टैक्स लगाकर हम उसको पूरा करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो घाटा है, जिस रास्ते पर चल कर हमको घाटा मिला है उस रास्ते को बन्द करने या बदलने का हम कोई नया रास्ता बनाने के लिए नहीं जा रहे हैं। जितनी योजनायें हमारी हैं धीरे-धीरे सारी योजनायें कमजोर हो रही हैं। अगर मेरा कहना गलत नहीं है तो, माननीय मुख्य मन्त्रीजी आपकी कई योजनायें हैं, चाहे बिजली की योजनायें हो, चाहे सिंचाई की योजना हो

(श्री मोहन प्रकाश)

दोनों की योजनायें प्रदेश में जो चल रही हैं वह सारी आर्थिक रूप से कमजोर योजनायें हैं, लाभप्रद नहीं है। इसका नतीजा आज के दिनों में और आगे आने वाले दिनों में बहुत ही खतरनाक होने वाला है। उदाहरण के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अमेरिकन ऐड से, विश्व बैंक की ऐड से योजनायें बन रही हैं। हमारे यहां एक कहावत है कि, सो हरी न उडाई यानी जब बच्चा पैदा हो उसी वक्त अगर उसकी ओझाई होने लगे तो उसके स्वास्थ्य के बारे में बड़ा वो होता है। पांचना बांध बन रहा है। सेंट्रल वाटर बोर्ड कमीशन ने और हमारे चीफ इंजीनियर ने यह रिपोर्ट दी है कि जो फाउण्डेशन है व पक्का नहीं है। वहां के गांव वाले कह रहे हैं हमारे को सिंचाई नहीं चाहिये हमारी जान बख्श दो, पता नहीं कब टूट जायगा। 70 लाख रुपया 83-84 में, 84-85 में चालीस लाख रुपया आपने वापस कर दिया और दूसरी तरफ हम टैक्स लगा रहे हैं इसलिये कि, हमको विकास करना हैं। बिजली के मामले में धौलपुर थर्मल पावर स्टेशन कल मैंने जिक्र किया था। टाटा कन्सल्टेन्सी की एक प्रोजक्ट रिपोर्ट है, राजस्थान की पूरी आवश्यकता की एक तिहाई वह पूर्ति कर सकता है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश : हां, कोटा के अन्दर। मैं तथ्य यह रख रहा हूं कि जो आर्थिक रूप से उपयोगी योजनायें हैं उनके बजाय हम आर्थिक रूप से अनुपयोगी योजनाओं को अपने हाथ में लेते चले जायेंगे तो निश्चित तौर पर यह घाटा बढ़ता जायेगा, गरीब के पास से पैसा आयेगा और जो अमीर लोग हैं, जो समृद्धवान लोग हैं उनके पास जायगा और हमारे विकास का रास्ता अवरुद्ध हो जायेगा, जो कन्सोलिडेट करने की बात माननीय मुख्य मन्त्रीजी जिस दृष्टि से कहते है वह सम्भव नहीं होगा।

नम्बर–दो, इस प्रदेश में जो बजट का सन्तुलन है वह समग्र दृष्टि से नहीं रखा गया है। पूर्वी राजस्थान पर इस बजट को बनाते समय कहीं कोई दृष्टि नहीं रखी है कि पूर्वी राजस्थान भी इसमें है। इसी सन्दर्भ में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सिंचाई पर बहस वाले दिन भी मैंने कहा था, आज रावी-व्यास के पानी वाले मामले पर दिन भर हमारा चला गया। इसके साथ-साथ जो बचा हुआ हमारे हिस्से का पानी है चाहे वह गंगा-यमुना का पानी हो, चाहे वह चम्बल का पानी हो, इस पानी में अपना जो हिस्सा है उसको लेने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि आप इस सदन को और इस सरकार को कहिये कि जो हमारा बचा हुआ हिस्सा है वह हिस्सा और नहीं जाने पाये। मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को दूर किये बिना, उन रास्तों, जिन रास्तों पर चलते यह घाटा इस प्रदेश को हो रहा है और आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य अन्धकारमय हो रहा है, को जब तक आप बन्द नहीं करेंगे तब तक दुनिया की कोई ताकत इस राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था को ठप्प होने से रोक नहीं

(श्री मोहन प्रकाश)

सकती है। बेरोजगारों के बारे में कहीं कोई दृष्टि नहीं है कि नौजवानों को रोजगार कहां से मिलेगा। कुटीर उद्योग के मामले में एक शब्द इसमें नहीं है। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी, धौलपुर थर्मल पावर स्टेशन जिसके खर्चे में लिफ्ट इरिगेशन भी हो सकती है, रेवाइन्स में उसकी राख डाली जा सकती है, राजस्थान का....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश : राजस्थान का सबसे बड़ा इकानामिक प्रोजक्ट अगर कोई हो सकता है तो धौलपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हो सकता है। माननीय मुख्य मन्त्री जी, आपने...

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री मोहन प्रकाश : केपिटल इन्कम के अन्दर धौलपुर और भरतपुर को शामिल करने के बाद किया लेकिन मैं चाहता हूं उसके बारे में आप एक नक्शा भी पेश करें। अगर आप इस नक्शे को बनायेंगे तो धौलपुर थर्मल पावर स्टेशन के लिए केन्द्रीय सरकार आगे हाथ बढ़ा कर आपको मदद करने की कोशिश करेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो बड़े लोगों पर टैक्स बकाया है, बड़ी फैक्टरियों पर जो टैक्स बकाया है, 20–20 लाख रुपये, केन्द्रीय मंत्री के पुत्र के माध्यम से बिजली बोर्ड को जो घाटा हुआ है, सिंचाई विभाग में जो आप निरन्तर घाटा बढ़ाते चले जा रहे हैं रिवाइज करते चले जा रहे हैं, आर्थिक रुप से अनुपयोगी योजनायें हैं उनको समाप्त करके उस घाटे को आप गरीब आदमी के बीच में फैलाने का काम करेंगे तभी जाकर आप राजस्थान के विकास की जो बात करते हैं उस रास्ते पर चल पायेंगे। अगर आपका रास्ता सही नहीं होगा तो आप अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पायेंगे।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। श्री भगराज। माननीय सदस्य, आप बैठे।

(व्यवधान)

श्री मुक्तिलाल मोदी : वहां पर 50 बीघा जमीन है उसको सरकार ले ले और कालेज बनावे। 50 बीघा जमीन...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठें। आप बैठें, माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : मजदूरों के बारे में थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कौन से मजदूर हैं। ऑर्डर प्लीज। वकालत करते हैं यहां पर।

श्री भगराज जी। कृपया माननीय सदस्य।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री से यह निवेदन

(श्री भगराज चौधरी)

करना चाहूँगा कि सन् 1975 से 77 के बीच में आपने काफी बड़ी संख्या में भ्रष्ट अधिकारियों को निकाला था, सेवा मुक्त किया था वह एक अच्छा कदम था। हो सकता है इस सदन में कुछ माननीय सदस्यों की राय कुछ अलग हो पर आप खुद जानते हैं कि वह एक अच्छा कदम था। जैसे आपने कहा हमारी भी यह धारणा है। तो क्या मुख्य मन्त्री इस प्रकार का कदम फिर उठा कर लेकर शासन को स्वच्छ और सशक्त बनायेंगे ? इसके लिये आप घोषणा करिये। जब तक आप कोई क्रान्तिकारी कदम नहीं उठायेंगे तब तक हमारे लिये तो यह प्रशासन कन्टक बना रहेगा।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी की नीति है जमीन के बारे में समाजवाद लाने की। खेत किसान लोग जोतते हैं उसके बारे में आप सीलिंग कानून लायें....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री भगराज चौधरी : मगर आप जानते हैं कि धन का बंटवारा किस प्रकार से हुआ है। धन का बंटवारा हमारे देश में और हमारे प्रान्त के अन्दर इस प्रकार हुआ है कि जो पूंजी है वह 12 आना, 14 आना शहरी लोगों के हाथ में है वह चाहे उद्योग चलाते हों, चाहे व्यापार चलाते हों, चाहे और काम करते हों। किसान, जिसकी संख्या 80 प्रतिशत है, के हाथ में आज दो आने पूंजी भी नहीं है यानी 12 पैसा भी उनके हाथ नहीं है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की जो घोषित नीति है समाजवाद लाने की, उसको क्रियान्वित करने के लिये आप शहरी सम्पति पर सीलिंग कानून लाने का विचार रखते हैं या नहीं ? पहले। आपकी घोषित नीति थी कि उस दिशा में हम बढ़ेंगे मगर अफसोस है मुझे इस बात के लिये कि कांग्रेस पार्टी पुरानी नीति को छोड़ रही है और आज पून्जीपतियों का साथ दे रही है, धनाढ्य लोगों के हाथ में है। अगर आप सही मायने में गरीबी को हटाना चाहते हैं मजदूरों को आगे लाना चाहते हैं और वास्तव में हमारी योजनाओं को चलाने के लिये पून्जी अर्जित करना चाहते हैं, गांव का उद्धार करना चाहते हैं तो ठीक माध्यम से अच्छे माध्यम से मेहरबानी करके थोड़ा आप इस तरफ बढ़िये। शहरों में पून्जी है, जो प्रोपर्टी है उसके लिये आप सीलिंग कानून बना कर उसको अपने कब्जे में लीजिये। एक बात।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। समाप्त करें, माननीय सदस्य। बोल रहे हैं वह भी। अब बैठें।

(व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : तीसरा, आपको निवेदन करना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री भगराज चौधरी : बिलकुल संक्षेप में।

श्री अध्यक्ष : आप भाषण देने लग जाते हैं।

श्री भगराज चौधरी : एक बात की सदन में बहुत बार चर्चा हुई सदन में बैठें हुए दोनों ओर के माननीय सदस्य जानते हैं कि आज कृषि उत्पादन बहुत महंगा हो गया है।

श्री अध्यक्ष : दोहराये नहीं, माननीय सदस्य।

श्री भगराज चौधरी : आज किसान को हम पूरी मात्रा में बिजली भी दे नहीं पाये, न दे सकेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कृषि उत्पादन को बढाने के लिये, सस्ता बनाने के लिये जो टैक्स लगाया है उसे कम करेंगे ? यह जो डीजल और क्रूड आयल और मोबिल आयल काम में आ रहा है उस पर सरकार ने साढ़े 17 प्रसैन्ट सेल्स टैक्स लगा रखा है और उस पर पांच प्रसैन्ट केन्द्रीय सरकार का टैक्स है। कुल मिलाकर साढ़े 22 प्रसैंट क्रूड आयल, डीजल, जो खेती में काम आ रहा है, पर टैक्स है। इतना सैल्स टैक्स किसी पर नही है। तो मैं आपके मार्फत मुख्य मन्त्री से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या आप इस दिशा में पहल करके यह जो इतना टैक्स लगा हुआ है उसको वापस लेने अथवा कुछ कम करने पर विचार कर रहे है या नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री सम्पत सिंह। जगमाल सिंह जी बैठें, आप।

(व्यवधान)

आप नीचे बैठें। सम्पत सिंह जी से कहा मैंने।

आर्डर प्लीज। संक्षेप में।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न ही उठा रहा हूं भाषण नहीं कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा, आप बहुत तपे-तपाये नेता हैं और मैं तो सन् 69 से व्यक्तिगत रूप से आपसे प्रेरणा लेता आ रहा हूं एकलव्य की तरह। गान्धीजी एक कागज के टुकड़े पर लिखते थे उसको भी खराब नहीं करते थे उसके पीछे क्या प्रेरणा थी ? आज जो बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ हैं, जो मन्त्री मण्डल के सदस्य हैं सदन में उनके द्वारा चाहे कितनी ही विकास और सादगी की बात की जाती हो लेकिन सदन के बाहर कैसा जीवन है, विलासिता का कितना नंगा नाच होता है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने फरमाया कि 30 साल में कुओं में बिजली लगी, गांव में बिजली लगी। मैं पूछना चाहूंगा कि एम. आई. रोड जयपुर में और दूसरे शहरों में यह अट्टालिकायें कैसे खड़ी हो गयीं ? 11-11 सौ की तनखवाह में खड़ी हुईं। माननीय अध्यक्ष महोदय, डाल डाल और पात पात पर नहीं जाना चाहूंगा लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर पांच हॉर्स पावर की मोटर पर अगर टैक्स न बढ़ाया जावे तो क्या बहुत बड़ा कहर ढह जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि इस विलासिता पर यदि अंकुश लगाने का मुख्य मन्त्री महोदय का इरादा हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है इस प्रान्त में।

श्री अध्यक्ष : जगमाल सिंह।

श्री जगमालसिंह यादव (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे तो केवल तीन प्रश्न हैं, ज्यादा मैं सदन का समय जाया नहीं करूंगा। पहला तो यह कि इस सरकार से यह उम्मीद थी, जैसा मेरे पूर्व वक्ता हरिकुमार जी औदिच्य ने निवेदन किया, उसके बाबत केवल इतना स्पष्टीकरण दे दें कि हमको यह पोल के साढ़े 18 सौ रुपये नहीं देने पड़ेंगे किसानों को 12 घन्टे नहीं आठ घन्टा बिजली देने के लिए क्या मुख्य मन्त्री आश्वासन देने में सक्षम हैं?

तीसरा, मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में मैंने तीन सौ फाइल का निपटारा कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि रोडवेज के टायर कांड का क्या हुआ? क्या इसका रिओपन करेंगे? स्टेट इन्श्योरेंस के डायरेक्टर मिस्टर मोदी चार पांच साल से जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की रिपोर्ट तैयार है, के बारे में माननीय माथुर साहब ने इजाजत नहीं दी, जोशी जी आये और उसकी इजाजत दी और इजाजत देने के बाद उसको रोक लिया है, उसका चालान करने की इजाजत नहीं दी गयी है।

मैं अन्त में एक और निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य के नेता से, 20 सूत्री कार्यक्रम का बहुत दिनों तक ढिंढोरा पीटा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपना मन्त्री मण्डल बढ़ायें तब इस तरफ बैठने वाले सदस्यों से पहले बीस सूत्र गिनवा लेना कि पूरे 20 सूत्र उनको याद है या नहीं इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज। आर्डर प्लीज। माननीय देवीलालजी बैठें।

(व्यवधान)

श्री हंसराजमिढा: माननीय अध्यक्ष महोदय, गांव के विकास की बात यह है कि सन् 1971 की जनगणना के हिसाब से प्राइमरी स्कूल में....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, बहुत संक्षेप में। आर्डर प्लीज।

श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़) : अनूपगढ़ तहसील की पंचायत में 90 अध्यापक कम हैं और 1981 की जनसंख्या के अनुसार कितने अध्यापक कम होंगे, यह मुख्य मन्त्रीजी हिसाब लगा कर देख लें। सन् 1971 की जनसंख्या के अनुसार 90 टीचर कम है। मेरी अर्ज सुनिये।

(व्यवधान)

दूसरी बात यह है कि इलाके की हालत खराब है। वहां पर गांव में पानी नहीं है। 9 तारीख का लेटर है मेरे पास अनूपगढ तहसील में न पीने का पानी है न ही खेत में पानी देने के लिये पानी है। खालों की जितनी रकम है उसकी जिम्मेदारी सरकार खुद ले। खाले सरकार बनावे जैसे नहर की जिम्मेदारी सरकार की है उसी तरह खालों की जिम्मेदारी सरकार की है। जमींदार इसको कभी बरदाश्त नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री हंसराजमिढा : एक बात और संगीता गांव के आयुर्वेद अस्पताल के बारे में है। वहां की आबादी तीन हजार की और बजट 2?00 का और दवाई मिली 428 रुपया 65 पैसे की कितनी दर्दनाक कहानी है।

श्री अध्यक्ष : बैठें श्री लालचन्द। आर्डर, प्लीज। आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री लाल चन्द (भादरा): अध्यक्ष महोदय, मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन मुख्य मन्त्री जी ने चला कर कहा....

श्री अध्यक्ष : बहुत संक्षेप में कहें। भूमिका नहीं।

श्री लाल चन्द : बिलकुल संक्षेप में। कोई भूमिका नहीं है।

मैंने 30? फाइलों पर आर्डर कर दिये। मेरे पास एक ही केस है। 17 केस रजिस्टर हुए थे। नगर विकास न्यास के 8 कैसेज पर एफ. आर. लग गयी। यहां जयपुर में। आठ पर एफ. आर. लगायी। परमीशन नहीं है। यह चार कैसेज अध्यक्ष महोदय, 22 आई 82, 29 बाई 82, 36 बाई 82 अभी तक सरकार की सैंक्शन के लिये पड़े हुए हैं। ए. सी. डी. ने जाँच करके चलान करने की परमिशन मांग ली लेकिन सरकार उनको चालान करने की परमीशन नहीं दे रही है क्योंकि यह आर.ए.एस., आई. ए. एस. अधिकारी के खिलाफ हैं। एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट का मामला है इस महकमे को अगर तोड दिया जाय तो यह बढ़िया रहेगा आज तक तहसीलदार किसी अफसर के खिलाफ करप्शन का चालान नहीं हुआ। हाई कोर्ट सैशन जजेज को हटाता है, सी. जे. आई. एम. को हाईकोर्ट हटाता है आपने यूं समझा कि आपके आई. ए. एस. दूध का धुला हुआ हैं उनमें से एक भी हटाने लायक नहीं है या उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ करप्शन का चालान पेश किया जायं। मुख्य मन्त्री जी, आपने जो तीन सौ फाइलें निपटाई हैं उनमें यह भी देख लेना कि इनके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया है या नहीं।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें।

मुख्य मन्त्री महोदय।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रश्न सामने रखे। एक माननीय सदस्य ने मण्डियों की जमीन के बाबत में कहा है। मैं उनसे सहमत हूं कि मण्डियों की जमीन की वाजिब कीमत मिलनी चाहिए और अगर कहीं नाजायज कब्जे होते हैं तो उन कब्जों को हटाकर नीलाम करके अथवा किसी भी तरह से जायज तौर पर उनकी कीमत वसूल की जानी चाहिए। इस दिशा में जल्दी से जल्दी जो भी कदम उठाने जरूरी हैं राज्य सरकार वह कदम उठायेगी।

खालों को पक्का मत करो यह बात आपने कही। गवर्नमेंट इसको ठीक समझती है। आज तो नहीं है, जो एक सिस्टम आज काम कर रहा है—

श्री मानिक चन्द सुराना : बहुत विवादास्पद बात है हम इस पर चर्चा नहीं

(श्री मानिकचन्द सुराना)

करना चाहते इस पर आप खाली उनके कहने से कोई राय बनाइयेगा।

श्री हरिदेव जोशी : मैं नहीं बना रहा हूं।

श्री मानिक चन्द सुराणा : रुपये बीस हजार गैर वाजिब हो सकते हैं पर खालों को पक्का करना जरूरी है। खेत में पानी खालों से ही पहुंचेगा।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने यही कहा है, एबरप्टली फैसले गवर्नमेंट ने पहले किये हैं उसके बारे में कुछ भी राय देने की स्थिति में नहीं हूं।

रेल्वे क्रासिंग के बारे में भी जो कहा गया है उसको एग्जामिन करके ही मैं कुछ कह सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सैल्स टैक्स की बाबत में यहां कहां गया, कमलापति त्रिपाठी की कमेटी ने इस प्रकार की बात कही थी यह कहा था वह कहा था। सही है। सैल्स टैक्स की बाबत में भी कहा गया, श्राक्ट्राय के बारे भी कहा गया है, दूसरे प्रकार के टैक्सेज के बारे में भी कहा गया है। यहां विचार विमर्श चलते हैं।

(व्यवधान)

यह विचार विमर्श चलते हैं मगर आज एक चीज कोई इम्पलीमेंटेशन हुई नहीं और मैं यह कह दूं कि सैल्स टैक्स उठा देंगे, यह वाजिब नहीं होगा, उचित भी नहीं होगा और इस प्रकार का फैसला लेना एबरप्टली सम्भव नहीं होगा। इसलिये माननीय सदस्य मुझे इस बाबत में कुछ भी राय नहीं देने के लिए क्षमा करेंगे।

एक माननीय सदस्य ने जमीन के कन्वर्शन के कानून बनाने की बात कही। वह हो चुका है और गांव तक के अन्दर उसके लिए दरें तय की जा चुकी हैं। इसी प्रकार से एक माननीय सदस्य ने 58 की उम्र जो की गई हैं रिटायरमेंट की, इसके 55 वापस कर दिया जाये, यह बात कही। मैं इस बारे में भी कोई स्वीपिंग फैसला करने के हक में नहीं हूं और अभी इस बारे में कोई अपनी बात कहूं वह उचित नहीं समझता।

धन के बंटवारे के बारे में एक सैद्धांतिक बात कही गई। धन का वाजिब बंटवारा होना चाहिए, उससे मैं असहमत नहीं हूं। आपने कांग्रेस छोड़ी उसके बाद में हमने अपने विचार छोड़ दिये हो, ऐसी बात नहीं है। इस दिशा में काम हम कर रहे हैं और अपनी ओर से कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, बिजली पर टैक्स की बात कही गई। इसके ऊपर कल ही विधेयक आने को है। लम्बा विचार-विमर्श उसके ऊपर होगा इसलिये मैं इसमें अब लम्बी बात नहीं कह कर यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर चर्चा होगी।

श्री नाथूसिंह : साढ़े अट्ठारह हजार वाली बात...

श्री हरिदेव जोशी : सरकार ने उसको बढ़ाने की कोई सहमति नहीं दी हैं और न उसको बढ़ाने के हक में है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सरचार्ज के बारे में....

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, सरचार्ज के बाबत में साफ कहा जा चुका हूं कि टैक्स के ऊपर सरचार्ज है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक माननीय सदस्य ने कहा कि शिक्षकों की कमी 1971 की जनसंख्या के अनुसार क्या है और 1981 की जनसंख्या के अनुसार क्या है। उनकी सूचना के लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह 1971 की जनसंख्या के ऊपर भी नहीं हैं 1981 की जनसंख्या के ऊपर नहीं है विद्यार्थियों की संख्या के ऊपर है। इसलिये 71 वाले भी उस में आ जाते हैं और 81 वाले भी आ जाते हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : चुंगी की दरें समान करो।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने कौन कहां बुलाता और क्या करता है और क्या नहीं करता, इस प्रकार की बात कही मेरी जानकारी में है। इस प्रकार की कोई चीज नहीं हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरी जानकारी में है। इसका जवाब नहीं दे रहे है। आपका राज है। कि सीकर में जाखड़ साहब का राज है, या आपका राज है यह बता दीजिये मुझे।

श्री हरिदेव जोशी : राजस्थान में एक ही सरकार है, और एक ही सरकार काम करती है। वह सरकार, माननीय सदस्य अगर मेरी बात सुनें—

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दिल्ली में कैसे बुलाया ?

श्री हरिदेव जोशी : आपको किसी को कोई पसन्द नहीं हो उसका तो इलाज मेरे पास नहीं है। आपकी पसन्द और नापसन्द से नहीं चल सकते। यही मुझे निवेदन करना है, अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय सदस्यों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो बातें टैक्सेज के बाबत में मैं कह चुका हूं उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुख्य मन्त्री महोदय, मेरी बात का जवाब तो दे दें।

श्री हरिदेव जोशी : जो भी हमारे से सम्भव था, उस बात को किया। बिजली की रेट के बाबत में फिर कहूं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : पचास प्रतिशत महिलाओं की कठिनाई मैंने रखी उसका जवाब आपने नहीं दिया।

श्री हरिदेव जोशी : कि आप बिजली की फ्लेट रेट्स को देख लीजिये। आप उत्तर प्रदेश की रेट्स का देख लीजिये, गुजरात की रेट को देख लीजिये महाराष्ट्र की रेट को देख लीजिये, और उसके बाद में राजस्थान की रेट्स का मुकाबला कीजिये तो आपको यह लगेगा कि राजस्थान में बिजली की रेट जो कुछ भी हैं वह वाजिब हैं। 28 पैसे, 27 पैसे रेट सारे हिन्दुस्तान में करीब-करीब इसके आस पास चल रही हैं। जो आपकी हालत है, जितने डिस्टेंस से आप पावर लाते हैं, जितना आपके यहां पर लाइन लासेज है उसके अन्दर वाजिब कोई भी राहत दी नहीं जा सकती थी। यह मेरी मजबूरी थी इसलिये मजबूर होते हुए भी, यह चाहते हुए भी कि कुछ अधिक राहत दे सकता तो देता, नहीं दे सका इसके लिये क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 1985 को पारित किया जाये ?

(ध्वनि मतदान)

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : ना पक्ष जीता।

अनेक माननीय सदस्य : हां पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर, माननीय सदस्य। कृपया बैठें। मैं दुबारा पुकार लेता हूं। जो पक्ष में हो वह हां कहें, जो विपक्ष में हों वह ना कहें।

(ध्वनि मतदान)

अनेक माननीय सदस्य : Nose have it

अनेक माननीय सदस्य : Ayes have it

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं हम डिवीजन कराना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : डिवीजन कराना चाहते हैं क्या !

एक माननीय सदस्य : हम प्रोटेस्ट वोट देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

लाबीज क्लियर की जायें।

(व्यवधान)

ना पक्ष में हों वह हां पक्ष की लाबी में जायेंगे, जो विपक्ष में हों वह ना पक्ष की लाबी में जायेंगे।

(मत विभाजन घंटी)

(मत विभाजन के पश्चात्)

हां पक्ष 98, ना पक्ष 47।

राजस्थान विनियोग विधेयक (संख्या-4) विधेयक पारित किया गया।

मत विभाजन

हां पक्ष

क्र. सं.	सदस्य का नाम
1	2
1.	श्री अमरचन्द
2.	श्री अश्क अली टांक
3.	श्री इकबाल अहमद
4.	श्री इन्द्रसिंह पूनिया
5.	श्री ईश्वरलाल सैनी
6.	श्री उदयराम धाकड़
7.	श्री उम्मेदीलाल
8.	श्री ऋषिकेश मीणा
9.	श्रीमती कमला
10.	श्रीमती कमला देवी
11.	श्री किशन मोटवानी
12.	श्री खेमराज
13	कुमारी गिरिजा व्यास
14.	श्रीमती इकबाल कौर
15.	श्री गुलाबसिंह शक्तावत
16.	श्री गोविन्द सिंह
17.	श्री चन्द्रशेखर
18.	श्री चन्द्रशेखर शर्मा
19.	श्री छोगा राम बकोलिया
20	श्रीमती जकिया इनाम
21.	श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी
22.	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
23.	श्री जयकृष्ण तोसावड़ा
24.	श्री जयनारायण बैरवा
25.	श्री जीवराज सिंह राठौड़
26.	श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा
27.	श्री दलजीत सिंह
28.	श्री दामोदर दास आचार्य
29.	श्री दीनबन्धु वर्मा
30.	श्री दीपचन्द राठौड़
31.	श्री देवीलाल
32.	श्री नरपत राम बरबड़
33.	श्री नरेन्द्र सिंह भाटी
34.	श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)
35.	श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)
36.	श्री पंकज पंचोली
37.	श्री पन्नालाल मीणा
38.	श्री परसादीलाल मीणा
39.	श्रीमती पुष्पा देवी
40.	श्री पोकरलाल परिहार
41.	श्री प्रणवीर
42.	ले. कर्नल प्रतापसिंह
43.	श्री प्रभुदयाल मीणा
44.	श्री बाबूलाल बैरवा

1	2	1	2
45.	श्री बिहारी लाल पारीक	72.	श्री रेवतराम चौधरी
46.	श्री बुलाकीदास कल्ला	73.	श्री ललित भाटी
47.	श्री ब्रजेन्द्र सिंह	74.	श्री लक्ष्मण सिंह
48.	श्री भंवरा राम	75.	श्री लक्ष्मीनारायण भांभू
49.	वैद्य भैरूलाल भारद्वाज	76.	श्री वरसिंह
50.	श्री भैरूलाल मीणा	77.	श्री विजय सिंह
51.	श्री भूदरमल वर्मा	78.	श्री शंकरलाल ब्रह्मचारी
52.	श्री भोला राम सैनी	79.	श्री शमशुल हसन
53.	श्री मदनलाल चौहान	80.	श्री शिवचरण माथुर
54.	श्री महेन्द्र कुमार परमार	81.	श्री शिवनारायण
55.	श्री मांगीलाल मौर्य	82.	श्री शिवराम शर्मा
56.	श्री मानसिंह देवड़ा	83.	श्री शीशराम ओला
57.	श्री मुक्तिलाल मोदी	84.	श्री सी. पी. जोशी
58.	श्री मूलचन्द मीणा	85.	श्री सुजानसिंह यादव
59.	श्री मोटाराम	86.	श्रीमती सुधा
60.	श्री मोतीलाल मीणा	87.	श्री सुन्दरलाल
61.	श्री रघुनाथ परिहार	88.	श्री सूरजपाल सिंह
62.	श्री रघुनाथ विश्नोई	89.	श्री मोहन सिंह
63.	श्री रतनलाल ताम्बी	90.	श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर
64.	श्री राजेन्द्र चौधरी	91.	श्रीमती हमीदा बेगम
65.	श्री राजेश	92.	श्री हरिदेव जोशी
66.	श्री रामकिशन वर्मा	93.	श्री हरिमोहन शर्मा
67.	श्री रामगोपाल सिसोदिया	94.	श्री हरिशचंद्र पल्लीवाल
68.	श्री रामदेव सिंह	95.	श्री हीरालाल इन्दौरा
69.	श्री रामधन	96.	श्री हीरालाल सहरिया
70.	श्री रामलाल सोलंकी	97.	श्री हेमाराम चौधरी
71.	श्री रामसिंह विश्नोई	98.	श्री रामप्रताप कटारिया

नाँ पक्ष

क्र. सं.	सदस्य का नाम	क्र. सं.	सदस्य का नाम
1	2	1	2
1.	डॉ. उजला अरोड़ा	22.	श्री नाथूराम मिर्धा
2.	श्री कल्याणसिंह कालवी	23.	श्री नाथू सिंह
3.	श्री कालीचरण सराफ	24.	श्री नारायणराम बेड़ा
4.	प्रो. केदार नाथ	25.	सुश्री पुष्पा जैन
5.	श्री केशरदेव महरड़ा	26.	श्री फूलचन्द
6.	श्री खंगारसिंह चौधरी	17.	श्री बहादुर सिंह
7.	श्री गिरधारीलाल भार्गव	28.	श्री बिरदमल सिंघवी
8.	श्री घनश्याम तिवाड़ी	29.	श्री भगराज चौधरी
9.	श्री चम्पालाल बांठिया	30.	श्री भैरोंसिंह शेखावत
10.	श्री चुन्नीलाल इन्दलिया	31.	श्री महेन्द्र शास्त्री
11.	श्री चुन्नीलाल मेघवाल	32.	श्री माणिकचन्द सुराणा
12.	श्री जगतसिंह दायमा	33.	श्री मोहन प्रकाश
13.	श्री जगमालसिंह यादव	34.	श्री मोहनलाल चौहान
14.	श्री जयनारायण पूनिया	35.	श्री यदुनाथ सिंह
15.	श्री डूंगरराम पंवार	36.	श्री रघुवर दयाल
16.	श्री दाऊदयाल जोशी	37.	श्री रामचन्द्र जाट
17.	श्री दिग्विजयसिंह	38.	श्री लालचन्द
18.	श्री देवीसिंह भाटी	39.	श्री शोपत सिंह
19.	श्री नत्थी सिंह	40.	श्री सम्पत सिंह
20.	श्री नवनीतलाल निनामा	41.	श्रीमती सुमित्रा सिंह
21.	श्री नवरंग सिंह	42.	श्री सूरमा राम

1	2	1	2
43.	श्री हंसराज मिढ़ा	46.	श्री हीरालाल ग्रार्य
44.	श्री हरिकुमार ग्रौदिच्य	47.	श्री हीरासिंह चौहान
45.	श्री हरीशचन्द्र		

सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई, 1985 को मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक रात्रि 10-08 बजे शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई, 1985 के प्रातः 11.00 बजे तक के स्थगित हुई।)